खण्ड–506, अंक–4
शुक्रवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1940
(21 दिसम्बर, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2018)

(खण्ड 506 में 04 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-84
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	84-85
प्रश्नों का जवाब नियम-32 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	86
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	86-87
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	87-92
जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के स्वहगीबर्वा सेन्चुरी अन्तर्गत अवैध ईंट-भट्‌ठे को तुरन्त बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
बांदा में पेयजल की समस्या को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रूबी की 450 वर्ग मीटर जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद कानपुर के लोक तंत्र सेनानी स्व0 गुरुवेन्द्र तिवारी की अन्त्येष्टी राजकीय सम्मान से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुही के कतिपय ग्रामीणों को आवास मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	94-95
विधान सभा क्षेत्र बेहट, सहारनपुर अन्तर्गत ग्राम माण्डूवाला के पास हिण्डन नदी पर पुल का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद स्थित कार्यालय के वरिष्ठ सहायक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर भी कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	96

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली के कतिपय ग्रामों में माइनर/ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	97
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय इण्टर कालेजों के निर्माणाधीन भवन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद सुल्तानपुर के डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	98-99
जनपद जौनपुर के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीकरपुर बरईपार में फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बाराबंकी नगर के सतरिख सड़क की मरम्मत में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	99
उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अपर निजी सचिव की पदोन्नति में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	99-100
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज व मोहनलालगंज में स्थित प्रा0 विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	100-101
जनपद मेरठ के हापुड़ रोड पर मो0 करीमनगर के सामने पुल की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों/तटबंध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101-102
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत कस्बा औरास में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद उन्नाव के मजरा मऊ की कतिपय स्थानों पर सी0सी0 रोड व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर की ग्राम सभा हजौली में नवनिर्मित ओवरहेड टैंक से जल आपूर्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत ग्राम शेखवापुर के समीप टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां अन्तर्गत बिसवां रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	104
प्रदेश में आवारा गौ-वंश को संरक्षित करके गौ-पालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मजवा के कतिपय माइनरों के सफाई/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	104-105
जनपद बहराइच के ब्लाक हुजूरपुर अन्तर्गत लालपुर ऐमा में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में लम्बित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	105
विधान सभा क्षेत्र देवबंद अन्तर्गत ग्राम रणखण्डी स्थित नाले की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु डाली गयी पाइप लाइन का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत ग्राम भेलपुरा से श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
सोनभद्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमरोहा की कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	108
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद की कतिपय नगर पालिकाओं में सीवर व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में जल निगम द्वारा बनायी गयी टंकी से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद गोण्डा स्थित तरबगंज से मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद वाराणसी की कतिपय कालोनियों में स्थापित पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में नालपुर बस स्टैण्ड से लेकर पुराने शिव मन्दिर तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद जौनपुर के ग्राम सभा सरउज बडेवर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	109-110
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत गुरसंडी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	110
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल योजना अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद सुल्तानपुर सदर के अन्तर्गत विरसिंहपुर में संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद पीलीभीत में कार्यरत लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	111
जनपद आगरा के ब्लाक बिचपुरी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	111
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद जालौन अन्तर्गत सुरावली से मदनेपुर टेल तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ स्थित मडराक रजवाहा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	112
जनपद बिजनौर के कतिपय क्षेत्रों में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	112
जनपद बुलन्दशहर स्थित अहार स्थान पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा में भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत रेहड़ी रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
जनपद बरेली के कतिपय विकास खण्डों के कतिपय ग्रामों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
पूर्वांचल को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रहनिया में जल निकासी हेतु कतिपय नाले/नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
वित्त विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 08-08-2018 के अनुसार पेंशन धनराशि का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ ब्लाक रामपुरा के ग्राम किसनपुरा को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई एन0एच0 से ग्राम कुईया रोड से ऐर टीकर तक आर0सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर अन्तर्गत उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख तीर्थ में संचालित बालगृह को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	117
जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्राम पंचायतों में से किसी एक ग्राम पंचायत में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय स्थानों पर चेकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	118
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजबहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
सहकारिता विभाग की संस्था फैक्सफेड में अनियमित तरीके से अनुबन्ध के आधार पर नई नियुक्तियां वर्तमान एम0डी0 द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120-121
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	121
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय ममरेज से साथरडीह के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोंदलामऊ की कतिपय कैनालों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियाँव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे में इण्ट्री प्वाइंट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122-123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड अकबरपुर में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज की ग्राम सभा सुरहन के 173 भूमिहीनों के पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद बुलन्दशहर के डिबाई नगर के पास गोविन्दपुर फाटक से लेकर कसेर फाटक तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हकीकतपुर में 200 के0वी0 का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की कतिपय सड़कों पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	124-125
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत आई0टी0आई0/ जी0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद बस्ती स्थित बजाज शुगर मिल अठदमा रूधौली द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत पूर्व की खेवट चौशाला से वर्तमान खेवट चौशाला का मिलान कराते हुये समस्त भूमि के खतौनी विवरण कालम में अंकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद मिर्जापुर के हलिया से ड्रमण्डगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	128-129
जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा की ग्राम सभा पिलखिनी से रहिमापुर को सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद आजमगढ़ के तहसील-लालगंज की ग्राम सभा-चौकी नसरतपुर के ग्राम गोपालपुर में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा की जमीन को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	129-130

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि अन्तर्गत कतिपय मार्गों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद जौनपुर में 400 के0वी0 का सब-स्टेशन तत्काल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	130
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	131
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 2015 में नियुक्त मनोरंजन कर निरीक्षक के पद को संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131-132
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली के मध्य रजवहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के नगर पंचायत बुढ़ाना में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद मुजफ्फरनगर में स्थापित जिला जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ब्लाक बढ़नी के ग्राम सेमहरवा में एस0एस0बी0 कैम्प हेतु अधिग्रहीत भूमि के अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	134
जनपद अमेठी की नगर पालिका परिषद् गौरीगंज में लिपिकीय त्रुटि के कारण 2017-18 की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आय-व्ययक की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
लखनऊ उत्तर क्षेत्र के कदम रसूल व अयोध्या दास वार्डों की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	134-135
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कतिपय भू-खण्ड को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम नगला ढकौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा में पात्र अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	136-137
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 (संशोधन) विधेयक, 2018	137
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौदहवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सोलहवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्रहवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अट्ठारहवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्नीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	138
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	139
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का इक्कीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	139
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बाइसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	139

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का तेइसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	139
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में पीला खार नदी द्वारा ग्राम सिंधौली को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	139
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी द्वारा ग्राम-गौतारा, प्रेमपुर, ठिरिया बुजुर्ग, अम्बरपुर, लभेडा पुरोहित, गोरा, लोकनाथपुर, हेमराजपुर, गहबरा, करौरा, मदनापुर, समस्तपुर व कपूरपूर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)...	140
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत मीरगंज को ग्राम नथपुरा, बलुपुरा, परौरा, देवसास, चुरइदलपतपुर, नगरिया सादात, कुलछाखुर्द, लाभारी, नगरिया कल्यान, संजरपुर, ठिरिया ब्रम्हा व नन्दगांव को मिलाकर नई नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	140
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी के पार बसे गांव गौतारा, ठिरिया ठकुरान, जोगीठेर, ऐना बहिजुइया, चन्दपुर जोगियाना, जन्दपुर काजियान को ब्लाक क्यारा से हटाकर पड़ोस के ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	140
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में कुल्ली नदी द्वारा बसई को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	141
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में किच्छा नदी द्वारा नगर पंचायत शाही ग्राम सुल्तानपुर, बफरी, मकडीखो, हैदरगंज, फिरोजपुर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल लोधी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)...	141
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व ग्राम नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल त्रिवेदी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	141
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में दिजोडा नदी द्वारा ग्राम-गुलडिया व मोहम्मदगंज आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश लोधी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	141

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा नादह पोस्ट डुम्मरभार, तहसील पडरौना में स्वच्छ पेय जल के लिए पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल चौधरी आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	... ...	141
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा मैनपुर (रजबाबर डेलिहवा), पोस्ट मैनपुर, ब्लाक-कसया में प्रेमवालिया फीडर के मैनपुर भिखारी चौर से रलबाबर-डेलिहवा के सभी टोलों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)		142
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भैसहा पकडीहवा भागड क्षेत्र में तहसील कसया ब्लाक कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	... ...	142
जनपद कुशीनगर के सन्त निरंकारी सत्संग भवन गोपालगढ़ से ग्राम सभा तेतरिया तक (नहर की पुलिया तक) निर्माणाधीन पिच सड़क के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश राय आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)...	... ...	142
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा शिरसिया खोहिया, तहसील कसया, ब्लाक कसया, जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिये पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मिठाई लाल कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	... ...	142
जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भावनपुर, ब्लाक-रजपुरा में तालाब की सफाई एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह पाल आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)...		143
जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर, ब्लाक रजपुरा में सड़क (खड़न्जा) जीर्ण-शीर्ण होने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री पंकज गर्ग आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...		143
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के पुखरायां के मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द द्विवेदी निवासीगण ग्राम-हैदरपुर, मलासा कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...		143
जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम विरासिन से खलीलपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल मौर्य आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	... ...	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मोहरतला से गंगा जमुनी तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	143-144
जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बिछौली से भरतापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दानवीर आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	144
जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत निगोही-तिलहर मार्ग पर डडिया तिराहे से सुनरा होते हुए भटपुरा तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामा चरन आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)...	144
जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मदारीपुर से रामपुर नयागांव तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार मिश्रा आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	144
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत गंगागंज से नगराम लम्बाई 17 किमी0 की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मायाराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	144
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित शारदा सहायक खण्ड-1 रायबरेली राजबहा से निकली अल्पिकायें की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार यादव पुत्र सहजराज यादव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	145
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत विश्राम खेड़ा चौराहा से गंगा खेड़ा होते हुए नगराम रोड के रास्ते का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	145
जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ग्राम सतोहा में शिव मन्दिर के पास एक बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	145

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमरोहा में जोया अमरोहा स्टेट हाइ-वे पर गैलेक्सी अपार्टमेंट से रामपुर मोढ़ तक हाई मास्क स्ट्रीट लाइट के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 आस्कार पुत्र हाजी छोटे आदि निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	145
जनपद फैजाबाद के मृतक आश्रित कोटे से नौकरी देने के सम्बन्ध में श्री यमुना प्रसाद आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)..	146
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के अभाव हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू यादव आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	146
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा में पुल/पीपे के पुल के अभाव हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृपाल चौधरी आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	146
जनपद कुशीनगर के चखनीताल ड्रेन में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में श्री लौहर चौहान आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	146
जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 चिकित्सालय में आई0सी0यू0 वार्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पन शर्मा आदि निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	146
जनपद अमेठी के ग्राम सभा त्रिलोकपुर के विकास खण्ड अमेठी में गुलालगढ़ ड्रेन पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शुक्ला आदि निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)... ...	146
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	147-164
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुनः पारित)	165
लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)...	165
बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना किये जाने विषयक डा0 अरुण कुमार द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	165
जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्टियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	166

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शाहजहांपुर, विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैंटून पुल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (जारी) ...	166
जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	166
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी) ...	166
जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	166
जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग की स्थापना किये जाने विषयक डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	166
जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	166
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना किये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	167
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा को नगर पालिका बनाये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	167
प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	167
जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी) ...	167

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर द्वारा 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी चर्चा)	167-168
जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी)	168
जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी से प्रति वर्ष हो रहे कटान से जन-धन एवं फसलों की बर्बादी के बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जाने विषयक डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी द्वारा 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प (जारी) ...	169
जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	169
वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0 प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	169
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	169
जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	169
प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा ...	169-170
जनपद-झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक-गुरसरायं के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक-बामौर के ग्राम-ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	170

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुँचाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...	...		170
प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...			170
प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...	...	...	170
प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारियों का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...	...		171
प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...			171
प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...			171
प्रदेश में तैनात आशाकर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...	...	...	171
प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...			171

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	172
जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	172
जनपद-शाहजहांपुर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	172
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	172-177
प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसान फसल बीमा योजना का लाभ कृषकों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 डी0 सी0 वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का वक्तव्य ...	177-179
चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशों का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	180-181
जनपद अलीगढ़ में कटपुला रसलगंज जीटी रोड व लल्लामल बगीची शाहजमाल के मध्य प्राइवेट बसों का संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य...	181
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय भू-खण्ड पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	181-182
विभिन्न जनपदों में छुट्टा जानवरों की वजह से बर्बाद हो रही फसलों के सम्बन्ध में श्री रामनरेश रावत द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पशुधन मंत्री का वक्तव्य	182-184
उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0 सी0 एस0 2015 की भर्ती की सी0 बी0 आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	184

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	184-185
प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप भूमिधरि कृषकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू एवं बजरी को हटा कर कृषि योग्य बनाये जाने का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पारस द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	185-186
जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मण्डी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य ...	186-187
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत सरकारी राशन की दुकानों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	187
मेरठ-अलीगढ़ रोड पर तहसील बुलन्दशहर परिसर से बुलन्दशहर बाई पास रोड नेशनल हाई-वे 34 तक लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	188
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के सोनौरा कैनाल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	188-189
जनपद बुलन्दशहर सहित पूरे प्रदेश में आवारा गौ-वंश को संरक्षित करके भरण-पोषण करने वाले गौ-पालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	189-191
जनपद शाहजहांपुर में दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	191
जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधायें सुधारे जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	191-193

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के कतिपय ग्रामों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	193
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूं के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लीना तिवारी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य...	193-194
सिंचाई विभाग की (यांत्रिक) सेवा नियमावली, 1992 को कैबिनेट से अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	194
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता की ग्रा0 धनावा में बालू खनन का पट्टा बन्द किये जाने एवं खुदाई की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	195-196
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	196-197
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव... (स्वीकृत)	197-198
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त ...	198-200
नत्थियां	201-230

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-336

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
28. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
30. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
31. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
36. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
44. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
45. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर

46. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
47. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
48. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
49. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
50. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
51. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
56. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
57. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
58. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
59. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
60. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
61. काली प्रसाद, श्री देवरिया
62. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केसर सिंह, श्री बरेली
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
71. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
72. गौरी शंकर, श्री जालौन
73. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
74. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
75. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
76. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
77. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
78. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
79. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
80. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
81. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
82. जयमंगल, श्री महाराजगंज
83. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
84. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
85. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
86. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
87. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
88. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
89. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
90. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
91. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
92. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
93. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
94. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
95. दल बहादुर, श्री रायबरेली
96. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
97. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
98. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
99. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
100. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
101. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
102. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
103. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
104. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
105. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
107. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया

108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
110. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
111. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
112. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
114. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
115. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
116. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
117. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
118. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
123. नाहिद हसन, श्री शामली
124. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
125. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
126. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
127. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
128. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
129. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
130. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
131. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
132. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
138. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
139. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
140. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
142. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
143. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
144. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
145. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
146. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
147. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
148. फागू चौहान, श्री मऊ
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
150. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
151. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
152. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
153. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
154. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
157. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
158. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
159. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
160. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
161. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
162. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
163. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
164. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
166. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
167. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी

168. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
169. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
170. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
171. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
172. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
173. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
174. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
177. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
178. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
179. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
180. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
181. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
182. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
183. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
184. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
185. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
186. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
187. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
188. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
189. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
190. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
192. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
193. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
194. योगेश धामा, श्री बागपत
195. योगेश वर्मा, श्री खीरी
196. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
197. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
198. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
199. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
200. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
201. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
202. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
203. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
204. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
205. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
206. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
207. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
208. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
209. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
210. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
211. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
212. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
213. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
214. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजबाला, श्रीमती रामपुर
217. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
218. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
219. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
220. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
221. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
222. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
223. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, बरेली
224. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
225. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
226. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
227. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
228. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद

229. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
230. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
231. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
232. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
233. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
234. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
235. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
236. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
237. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
238. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
239. लाखन सिंह, श्री औरैया
240. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
241. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
242. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
243. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
244. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
245. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
246. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
247. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
248. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
249. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
250. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
251. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
252. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
253. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
254. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
255. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
256. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
257. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
258. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
259. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
260. वीरेन्द्र, श्री एटा
261. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
262. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
263. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
264. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
265. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
266. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
267. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
268. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
269. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
270. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
271. शैलेश कुमार सिंह "शैलू", श्री बलरामपुर
272. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
273. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
274. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
275. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
276. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
277. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
278. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
279. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
280. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
281. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
282. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
283. संजय, श्री बुलन्दशहर
284. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
285. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
286. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
287. संजय यादव, श्री बलिया
288. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
289. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
290. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा

291.	संजीव राजा, श्री	अलीगढ़	314.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
292.	संजू देवी, श्रीमती	अम्बेडकर नगर	315.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर
293.	सतीश चंद्र शर्मा, श्री	बाराबंकी	316.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
294.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	317.	सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0	बिजनौर
295.	सत्यपाल सिंह बघेल, श्री	फिरोजाबाद	318.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
296.	सत्यपाल सिंह राठौर, श्री	कासगंज	319.	सुशील सिंह, कुँ0	चन्दौली
297.	सत्य प्रकाश अग्रवाल		320.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
	''कैलाश डेरी वाले'', श्री	मेरठ	321.	सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
298.	सत्यवीर त्यागी, श्री	मेरठ	322.	सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
299.	सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर	323.	सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
300.	सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री	बागपत	324.	सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
301.	साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री	बाराबंकी	325.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
302.	साधना सिंह, श्रीमती	चन्दौली	326.	स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
303.	सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	इलाहाबाद	327.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
304.	सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	328.	हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
305.	सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	329.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ	
306.	सुनीता, श्रीमती	गाजीपुर		रोमी साहनी, श्री	खीरी
307.	सुनील वर्मा, श्री	सीतापुर	330.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
308.	सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री	बहराइच	331.	हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
309.	सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री	बलिया	332.	हरीराम, श्री	सोनभद्र
310.	सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री	वाराणसी	333.	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
311.	सुरेश कुमार, श्री	शामली	334.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
312.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	335.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
313.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	336.	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, मच्छर जनित बीमारी के सम्बन्ध में

***1-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री नितिन अग्रवाल तथा श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, मच्छर जनित बीमारी एवं अन्य दिमागी बुखार की रोकथाम के लिये सरकार के पास कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

जी हां।

एक्यूट इन्सेफलाइटिस दिमागी बुखार तथा मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए पृथक-पृथक तैयार की गयी कार्य योजना 2.18 के मुख्य-मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

1-सर्वेक्षण जिसके अन्तर्गत रोग के प्रसार की समय रहते जानकारी प्राप्त कर बचाव एवं नियंत्रण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

2-जनपद स्तर पर रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन।

3-बचाव एवं उपचार हेतु चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण।

4-स्वच्छता एवं बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार।

5-अन्तर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।

6-पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर एवं विकास खण्ड पर समितियों का गठन।

7-प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से लार्वासाइडल छिड़काव एवं फॉगिंग स्प्रे।

8-दिमागी बुखार हेतु 01 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों का टीकाकरण।

9-दिमागी बुखार से अपंग हुए बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था।

10-इन्सेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेन्टर, पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 का सुदृढ़ीकरण एवं नये पी0आई0सी0यू0 की स्थापना।

11-एक्यूट इन्सेफेलाइटिस एवं दिमागी बुखार से प्रभावित 38 जनपदों में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा/विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का आयोजन कर तथा गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के सभी 07 जनपदों में दस्तक अभियान चलाकर आम जन को बचाव के उपायों के प्रति जानकारी देना।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और पूर्वांचल के 38 जिलों से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इससे 38 जिले प्रभावित हैं और इस वर्ष नेशनल वेक्टर वार्ड डिजीज कन्ट्रोल रुप में जो दर्ज है, उसमें 2874 मरीजों की संख्या दर्ज है और केवल गोरखपुर में 948 लोगों की भर्ती हुई और 268 की मौत हुई है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2016 में 26.16 परसेण्ट, 2017 में 22.69 परसेण्ट और 2018 में 28 परसेण्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अब एक नयी व्यवस्था कायम कर दी गई है, एई और जेईएस की जगह पर इसका नाम चेन्ज करके इन्होंने रख दिया है, एक्यूट फेराइवल, यह नया इन्होंने संशोधित किया है और अभी बहराइच में भी बुखार से रहस्यमय मौतें हुई। यह भी अन्देशा लगाया और वह भी ए0ई0 और जेईएस के नाते उनकी मृत्यु हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बस 03-04 सवाल करना चाहूंगा। इन्सेफेलाइटिस रोगियों के इलाज के लिए मिनी पिक्यू बनाया गया और यह मिनी पिक्यू किन-किन जनपदों में प्रभावी है, उसमें कितने डाक्टर और कितने नर्स पोस्ट किए गए हैं ?

मान्यवर, यह मिनी पिक्यू किन-किन जिलों में प्रभावित है और कहां-कहां इस योजना को लागू किया गया है ? इसमें कितने डॉक्टरों और कितने नर्सों की व्यवस्था की गई है। अक्ष्यक्ष जी, जो भी जिले प्रभावित हैं उन जिलों में क्या बाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है ? सरकार ने यही घोषणा किया था कि हम डॉक्टरों की कमी नहीं होने देंगे तो क्या सरकार बाल विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? नम्बर तीन इंसेफेलाइटिस रोकथाम के लिए ए0ई0 और जी0एस0 के लिए पिछले दो साल में कितना धन खर्च हुआ जागरूकता के लिए कृपया यह भी सदन को बताएं और जो पांच सौ बेड का अस्पताल बनना था गोरखपुर में वह कब तक चालू कर लिया जाएगा। यह चार छोटे-छोटे सवाल हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, यह जरूर है कि यह गंभीर विषय है मगर हमारे मित्र के पास कहां से यह आंकड़े आए यह मैं नहीं जानता। मगर जो सरकार के आंकड़े है वह मैं जरूर सदन में रखने का प्रयास करूंगा। यह 2017 देखिए यह जो प्रश्न लगा था उसके हिसाब मैंने उस दिन तक के लिए था तो 17-12-17 और 17-12-18 इसके मैं आंकड़े दे देता हूं। पहले तो ए0ई0एस0 के दे देता हूं और फिर जे0ई0 के दे दूंगा जो 17-12-2017 तक के थे वह जो ग्रसित थे 4 हजार 6 सौ 50 ए0ई0एस0 थे और इस साल उसी दिन तक की 200972 हैं तो इसमें गिरावाट आई है। साथ ही साथ जो मृतक हैं वह उसी समय 2017 में 579 था और इस साल यह गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है 169 की है। इसका मतलब जो रोग मुक्ति जो दर होता है प्रतिशत होता है कि पिछले साल 12.45 था इस साल 5.69 प्रतिशत आया है यह पिछले 30 साल में इस प्रकार का रिकार्ड आया ही नहीं है। दूसरा इसी प्रकार से जे0ई0 के अन्दर 2017 वही सेम पीरियड को ले उस समय जो जे0ई0 के ग्रसित रोगी थे वह 674 थे और 2018 में 317 आए जो मृतक हुए वह 2017 में 79 थे और इस 14 आए हैं गोरखपुर को छोड़ के। इसका मतलब जो मृतक दर होता है 2017 के अन्दर 11.72 प्रतिशत का था इस साल 4.42 प्रतिशत है। यह कोई साधारण गिरावट नहीं है। दूसरा अजय जी ने जो पूछा कि ए0ई0एस0 के लिए आपने पिकू कहां-कहां बनाए हैं। इसकी जानकारी दे देता हूं। हमने पिछले साल

की तुलना में 102 पहले थे वेन्टिलेटर हम लोगों के पास। मैं बी0आरडी0 को नहीं ले रहा हूं इसमें। अब हमने इसको बढ़ाकर के 202 किए हैं तो सौ हमने वेन्टिलेटरसे के बेड और ऐड किए हैं। पिछले एक साल के अन्दर। कहां-कहां है उसकी जानकारी दे देता हूं। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में पे0आई0सी0यू0 में वेन्टिलेटर बेड्स जो थे वह 10 से हमने बढ़ाकर 15 किए। यहां पर जो थे 10 से 15 के 5 और हर जगह ऐड किए। आजमगढ़, मऊ, गोण्डा, रायबरेली, हरदोई एवं सीतापुर स्थित जिला एवं जिला संयुक्त चिकित्सालयों में वहां पर पांच वेन्टिलेटर युक्त 10 बेड्स के छः नये पीक्यूज की स्थापना की। गोरखपुर और बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों के 15 विकास खण्ड स्तरीय उपचार केंद्रों पर तीन वेन्टिलेटर युक्त जिसको हम लोग ई0टी0सी0 भी कहते हैं युक्त 15 मिनी पिकूस की स्थापना की। यह सब मिलाकर 100 बनते हैं, जो पहले 102 था वह 202 हो जाता है। आपका एक और प्रश्न डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर था। पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के अन्दर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें 1300 अतिरिक्त ए0एन0एम0 की नियुक्ति की गई। जो नए पीक्यूज बनाए हैं और जो पुराने हैं वहां पर हर जगह हम लोगों ने उनका प्रशिक्षण कराने के बाद उनको व्यवस्थित रखा। आपकी जानकारी के लिए यह है कि हम लोगों ने 38 जिलों के लिए 1160 चिकित्साधिकारी का लक्ष्य रखा था, जो आपके गोरखपुर-बस्ती मण्डल के अन्दर हैं, उसमें हम लोगों ने 932 डॉक्टर्स तैनात किए हैं। पीक्यूज में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ तथा चिकित्सा अधिकारी का टारगेट हमने 132 रखा था, उसमें हम लोग 124 नियुक्ति कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग आशा को ले लें, पैरामेडिकल स्टाफ को ले लें तो इन सब 74851 लोगों की ट्रेनिंग हमने इसी कार्य के लिए, ए0ई0एस0 और जे0ई0 के लिए इस साल के अन्दर करवाई। इसी कारण हम लोग यह गिरावट देख पा रहे हैं। साथ ही जो प्रचार-प्रसार का है जिसमें और भी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ आ जाती हैं, यह पहली दफा हुआ है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो बजट पारित हुआ था उसमें हम लोगों ने प्रचार-प्रसार के लिए अलग से 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। ये सब हम लोगों ने किया। साथ ही साथ इसके अन्दर जो गिरावट आई तो उसके लिए ट्रेनिंग के साथ-साथ, प्रशिक्षण के साथ-साथ यह भी आवश्यकता थी कि हम लोगों के घरों तक जाएं। लोगों के घरों तक जाकर वहां पर माता-पिता और विशेष रूप से स्कूलों के अन्दर टीचर्स के माध्यम से बच्चों का और साथ ही साथ उनकी माताओं का भी प्रशिक्षण हो या उनको भी प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक करें। यूनिसेफ के माध्यम से हमने उनके साथ पार्टनरशिप की, यूनिसेफ के माध्यम से हमने तीन अलग-अलग चरण में दस्तक अभियान किया। दस्तक अभियान के अन्दर हम लोग किट के साथ जाते थे, घर पर दस्तक देते थे वहां पर प्रचार-प्रसार या जागरुकता कार्यक्रम करते थे और यह कार्यक्रम हमने तीन दफा किया और हम हर दफा 30 लाख घरों तक गए। जब 30 लाख घरों को 3 दफा किया गया तो यह 90 लाख दफा या 90 लाख दस्तक अभियान हो गया। मैं आज सभी लोगों को कहूंगा, केवल अपने लिए नहीं कहूंगा। यह सब लोगों की चिन्ता रही और इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोगों के प्रयासों से और हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से ए0ई0एस0 और जे0ई0 में यह बड़ी गिरावट आई। हम लोगों ने ए0ई0एस0 और जे0ई0 की लड़ाई में बहुत अच्छी तरह से मेहनत की और सफल हुए। यह कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, अगला चरण जनवरी में हम

फिर शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल हम लोगों को और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बस दो छोटे-छोटे सवाल करूंगा। नम्बर एक, इस वर्ष ए0ई0एस0 और जे0ई0 से कितनी मौतें हुईं, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में कितनी मौतें हुईं, यह बता दें। नम्बर दो, पिछले समय में रोज एक बुलेटिन जारी होता था लेकिन पिछले एक साल से इन लोगों ने वहां मीडिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और अब ये बुलेटिन जारी नहीं करते जिसके नाते सरकारी आंकड़ों में रोज अनावश्यक रूप से ये लोग इधर-उधर करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले समय तक जो रोज बुलेटिन जारी होता था और मीडिया को भी सार्वजनिक किया जाता था तो क्या ये लोग उसको सार्वजनिक करने का काम करेंगे। बस मेरे यही दो सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप एक बात सुन लीजिए। आपका सवाल है कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, मच्छर जनित बीमारी एवं अन्य दिमागी बुखार की रोकथाम के लिये सरकार के पास कोई कार्य-योजना है। आपने एक्शन प्लान पूछा था और वह एक्शन प्लान मंत्री जी ने बता दिया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, उसी से सम्बन्धित है तो हम जानकारी ले सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब योजना होगी तभी रोकथाम होगी तो यह उसी से सम्बन्धित है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दो विषय हैं। इन्होंने जो पूछा है वह वैसे तो मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि वह हमारे कलीग हैं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेजेज को जो देखते हैं वह आशुतोष टण्डन जी हैं। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज का आंकड़ा अलग से निकाल के मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उसे लेकर नहीं आया था क्योंकि वह मेरे से सम्बन्धित नहीं था लेकिन मेरे को आइडिया 6 का ही था।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैं यह प्रश्न एलाऊ नहीं कर रहा था।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जो एकदम ऑथन्टिक है और जो सही है मैं उनसे लेकर आपको दिलवा दूंगा या आप स्वयं उनसे वह आंकड़ा ले सकते हैं। दूसरा जो विषय इन्होंने मीडिया का लिया है। इस सम्बन्ध में, सदन में जब मैं पहले भी उत्तर दे रहा था तो उस समय भी मैंने कहा कि मैं स्वयं अपने लिए या अपने विभाग का क्रेडिट नहीं लेता मैं सबका क्रेडिट लेता हूं क्योंकि सबको चिन्ता थी और मैं फिर से सदन

में उसी तरह से बात रखना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विपक्ष में भी हैं उसकी गम्भीरता समझते हुए उसका समर्थन करेंगे ये जो बच्चों की डेथ होती है, जो मृत्यु होती हैं यह कोई राजनैतिक लड़ाई नहीं हो सकती है और इसलिए जिस प्रकार से पिछले साल या उससे भी पूर्व में किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसा गोरखपुर में हुआ था पिछले सालों में भी जब किया गया और जिस प्रकार से मीडिया ने चीजों को रखा। मीडिया के दोस्त भी बैठे हुए हैं मैं जानता हूं कि मीडिया के अन्दर भी मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी(पी0क्यू0) पिडियाट्रिक आई0सी0यूज की डेथ होती है और जो नी0क्यू0 की डेथ होती है उन दोनों को वह समझ नहीं पाते हैं और दोनों को मिलाकर एक रूप दे देते हैं जिससे पूरे देश के अन्दर ही नहीं, विश्व भर में भी चर्चा होती है जिससे केवल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का ही नाम खराब नहीं होता है बल्कि पूरे विश्व भर में होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है और यह पिछले साल हुआ है। इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए ऐसा किया गया है जो भी डीटेल चाहिए वह हम देने के लिए तैयार रहते हैं मगर मीडिया के लोग या अन्य लोग पी0क्यू0 के अन्दर आई0सी0यूज के अन्दर घुसे और लोगों से बातचीत करें यह उचित नहीं है। इसको रोकना चाहिए और हम लोगों को भी इसमें लोगों को रोकना चाहिए और समझाना चाहिए कि आप अन्दर आई0सी0यूज में नहीं जा सकते बुलिटेन या जानकारी जो चाहिए वह जानकारी हम देते हैं और वह आप लोगों के बीच में दे रहे हैं तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए अपनी तरफ से सरकार ने क्यों निर्णय लिया वह हमने आप लोगों के बीच में रखा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरी तरह से सदन को गुमराह किया जा रहा है। कल मुख्य मंत्री जी ने भी 6 की संख्या कही और मेरे पास आंकड़ा है कि केवल गोरखपुर में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 948 में से 268 बच्चों की मौत एक वर्ष के अन्दर हुई है। कल मुख्य मंत्री जी ने भी इस सदन का गुमराह किया और सत्य से परे बात की और अभी ये भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी इतने ज्यादा बच्चों की मौत एक गम्भीर विषय है और इस विषय पर हम लोग यह जानना चाहते हैं और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है। पिछली सरकारों तक बुलिटेन जारी होता था तो वाह-वाह और इस समय वह बुलिटेन जारी कर रहा है तो रोक लगी है। क्या हम लोकतंत्र का गला दबाना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

उत्तर नहीं आया है माननीय अध्यक्ष जी। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं तो पूरी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि कल ही मुख्य मंत्री जी ने बोला है कि कितनी मौतें हुई हैं एक वर्ष में, कृपया यह बात सदन को सरकार बताये। यह इसी से जुड़ा हुआ मामला है। मीडिया पर जो बैन लगा है इस बैन को हटाने का काम करेंगे कि नहीं। यदि नहीं हटाएंगे आपातकाल है तो हम लोगों पर भी बैन लगा दें। हम लोग भी नहीं चलेंगे, टहलेंगे। मीडिया पर बैन लगा दिया जाएगा क्या यह कोई

आपातकाल चल रहा हैं। यही मैं कह रहा हूं कि मीडिया पर से बैन हटायें और आंकड़ा सार्वजनिक करें।

अध्यक्ष जी, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास तमाम कागज हैं मगर यह विषय सम्बन्धित प्रश्न से नहीं जुड़ता है, आप अपना प्रश्न पढ़िए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, यह इसी से सम्बन्धित है और अब इससे ज्यादा सम्बन्धित क्या हो सकता है कि मैं यह पूछूं कि कितनी मौतें हुईं अब यह बता दिया जाये कि छः मौते हुईं।

श्री अध्यक्ष-

आपने एक्शन प्लान पूछा है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं इस विवाद में घुसना नहीं चाह रहा था लेकिन लल्लू जी चाहते हैं कि उस विवाद में हम घुसें। कहीं आपातकाल किसी ने लगाया तो वह इनके नेताओं ने और कांग्रेस ने लगाया था। आज उस गम्भीरता को देखते हुए एक विषय को रखा है, सरकार की मंशा रखी है क्यों हम इसे रोक रहे हैं। आपको पूरे आंकड़े उत्तर प्रदेश के चाहिए थे, आपने जो मांगा हमने वह दिया, आपको खाली बी0आर0डी0 का चाहिए उसमें मैंने स्वयं कहा कि मेरे मित्र वह देखते हैं यह मेरा विषय नहीं है आपको हम वह दे देंगे उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। विषय जो है उस पर आएं और यह देखें कि सरकार ने, हम सब लोगों ने क्योंकि हमारी अपील प्रत्येक विधायक की थी कि दस्तक अभियान में जाएं आप सब लोगों ने जाकर मदद की मैं उसका स्वागत करते हुए यह कह रहा हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर, सदन ने मिलकर उसे गम्भीरता से लेते हुए हमने ए0ई0 और जे0ई0 की लड़ाई में सफलता पायी है। अब इनको केवल मीडिया पर ही जाना है तो मीडिया पर किसी ने पाबंदी नहीं लगायी थी, न इमरजेंसी लगायी थी और वह केवल कांग्रेस पार्टी ने लगायी थी इनके नेताओं ने लगायी थी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं पर आपातकाल लगा है और यह सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह कर रही है पूरे विधान सभा को गुमराह कर रही है इसलिए कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू', नेता, कांग्रेस ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न संख्या-01 के संबंध में जो उत्तर मा0 मंत्री जी ने दिया है उसमें वर्णित तथ्य संख्या-9 के परिपेक्ष्य में पूछना चाहता हूं कि दिमागी बुखार

में कितने बच्चे अपंग हुए और कितने लोगों का पुनर्वास हुआ और क्या इस मामले में मच्छरों के खात्मे व जनजागरूक हेतु ग्राम पंचायत का सहयोग सरकार लेगी ? मेरा आखिरी प्रश्न है कि क्या सरकार मच्छर जनित रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दिमागी बुखार से पीड़ितों की संख्या में वृद्धि से सहमत है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, जहां तक कि दूसरे विभागों का संबंध है इसके अन्दर जो हम लोगों ने कार्य योजना 2018 की बनायी थी उसके अन्दर नोडल एजेंसी स्वास्थ्य विभाग से और अन्य 8 विभागों को और जोड़ा है और उस कार्य योजना में जो शहरी विकास है, ग्राम विकास है, पंचायती राज है, कृषि विभाग है इस प्रकार से स्वच्छता मिशन है, इन सबको हमने जोड़कर कार्य योजना बनायी थी। उस कार्य योजना के तहत सभी ने अलग-अलग अपने प्रोग्राम बनाए थे। वह उसकी कार्य योजना थी और हम सब लोगों ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया था। यदि आप उसका डिटेल चाहते हैं तो मैं उसको पढ़ दूं और मान्यवर, पुनर्वास के संबंध में मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से वह मा0 सदस्य को दे दूंगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल के बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूपों की विद्युत दरों को कम करने की मांग

***1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा कु0 नरेन्द्र पाल सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल के बढ़ते हुए मूल्य के दृष्टिगत किसानों की सिंचाई हेतु निजी नलकूपों की विद्युत दरों को सरकार कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी नहीं।

उपभोक्ता वर्गों हेतु लागू टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-61, 62, 64 एवं 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां/सुझाव लेकर व्यापक जनसुनवाई करते हुए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अत्यन्त रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। विद्युत आपूर्ति की आयोग द्वारा अनुमोदित लागत वर्ष 2017-18 में रु0 6.74 प्रति यूनिट थी जबकि निजी नलकूपों (ग्रामीण) की औसत बिलिंग दर रु0 1.10 प्रति यूनिट है। वर्ष 2018-19 में औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 7.24 प्रति यूनिट आंकलित है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा -

यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान अपनी उपज जो बेचता है वह सस्ती होती है और जो चीजें उसे क्रय करनी होती हैं उनकी कीमत लगातार बढ़ती

जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार से ही तो किसान को अपेक्षा है कि वह कुछ रियायत करे और किसान को मदद मिले। मैं दो सप्लीमेण्टरी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से करना चाहता हूँ। विगत वर्षों के बाद प्रदेश में जो ट्यूबवेल पर फिक्स चार्ज था उसको 30 रुपये से बढ़ाकर आपने 60 रुपये प्रति किलो वाट कर दिया। जो मीटर लगे हुए ट्यूबवेल थे उसमें 1 रूपया प्रति यूनिट जो बिजली होती थी उसको बढ़ाकर आपने 1 रुपये 75 पैसा कर दिया। अन्य मीटर 100 बी0एच0पी0 से बढ़ाकर आपने 150 बी0एच0पी0 कर दिया। कुल-मिलाकर ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट में जो मूल्य वृद्धि हुयी वह 50 प्रतिशत हुयी। तो क्या जो 50 प्रतिशत मूल्य वृद्धि विद्युत विभाग ने की है उसे सरकार वापस लेगी? नम्बर-2, पिछली मा0 अखिलेश जी की सरकार में नहर और ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त की गयी थी। नहर और ट्यूबवेल की सिंचाई में राज्य सरकार का खरबों रूपया निवेश है और भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भी जाता है, मेन्टीनेन्स भी जाता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्राइवेट नलकूप जो किसानों ने अपने संसाधन से लगाये हैं, अपने खेत में लगाये हैं, अपने पैसे से लगाये हैं, बिजली कनेक्शन लिया है। क्या उनका बिजली का बिल मुफ्त करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है और इसीलिए जो पूर्व में सब्सिडी किसानों को दी जाती थी। वह 240 करोड़ सब्सिडी दी जाती थी। हम अभिनन्दन करेंगे अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का, जिन्होंने 240 से बढ़ाकर यह किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 600 करोड़ कर दी है। मा0 अध्यक्ष जी, हम अभिनन्दन करेंगे अपने मुख्य मंत्री जी का, जो पूर्व में किसानों को केवल साढ़े 3-4 घण्टे ही बिजली उपलब्ध करायी जाती थी। वर्तमान सरकार में किसानों को 16 से 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। हम अभिनन्दन करेंगे अपने मुख्य मंत्री जी का, जो आज एक घण्टे अगर आप डीजल से सिंचाई करते हैं तो मैं किसान का बेटा हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर डीजल चलाकर आप सिंचाई करते हैं तो औसतन जो कीमत है एक घण्टे की मा0 अध्यक्ष जी, वह 100 रूपया प्रति घण्टा आती है। अगर डीजल से आप 10 घण्टे प्रतिदिन सिंचाई करते है तो एक दिन का खर्चा 1000 रूपया आता है और वहीं सरकार ने 1 रुपये 10 पैसा प्रति यूनिट किसानों से लेना तय किया है। जबकि वर्तमान जो कीमत है आज की बिजली की जो किसानों को हम पहुँचा रहे हैं वह 7 रुपये 24 पैसे आती है। मा0 अध्यक्ष जी, हम अभिनन्दन करेंगे अपने मुख्य मंत्री जी का, कि जो किसान समय पर अपना बिल देंगे उनको 5 परसेन्ट की छूट भी सरकार से दी जा रही है। तो हमने बिजली के आवर्स बढ़ाये हैं हमने उनके लिए सुविधा दी है और आज की डेट में मैं पूरे सदन के सहयोग से क्योंकि यह सरकार सबकी है, इधर की भी है और उधर की भी है। बिजली का उपयोग सब करते हैं चाहे उधर हैं, चाहे इधर हैं। तो यह बिजली सबके लिए है और इसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है और मैं अभिनन्दन करूँगा अपने मुख्य मंत्री जी का, कि आज रात की ठण्डी में किसी किसान को फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिन में भी हम किसानों को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक भविष्य की बात माननीय सदस्य ने कही है तो मैं भविष्यज्ञाता तो नहीं हूं लेकिन वर्तमान की जो व्यवस्था है उसका मैनें आपके माध्यम से उल्लेख किया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे एक भी सप्लीमेंटरी का जवाब नहीं आया । मैनें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि जो उपभोक्ताओं पर विद्युत मूल्य वृद्धि 50 प्रतिशत की गई है, क्या उसे वापस लेंगे । दूसरी बात, पिछली अखिलेश जी की सरकार में गांव में 18 घन्टे, नगरों में 20 घन्टे और महानगरों में 22 घन्टे बिजली दी जा रही थी ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आप बता दें कि आपने कितने पावर प्लांट लगाये हैं, कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन बढ़ाया है, यह तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो इन्होंने विगत वर्ष में ट्यूबवेल की बिजली का 50 प्रतिशत विद्युत मूल्य बढ़ाया है, क्या उसे यह वापस लेंगे और नहर और सरकारी ट्यूबवेल सिंचाई की भांति क्या प्राइवेट ट्यूबवेल के किसानों को निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमन्, मैंने दोनों सवालों का जवाब दे दिया है, मैं माननीय सदस्य से इतना जरूर कहूँगा कि यह दावे तो पहले बहुत करते थे लेकिन चार जिलों के अलावा यह कहीं किसी को बिजली उपलब्ध नहीं कराते थे यह खोखले दावे करते थे, यह भेदभाव करते थे और केवल अपनी और अपनों की चिन्ता करते थे । यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो प्रदेश के 75 जिलों के प्रत्येक किसान की चिन्ता करती है । यह बार-बार पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, तो मैं इनको जवाब दे दूँ । माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत अपनी पीठ ठोकतें हैं कि इन्होंने पावर प्लांट लगाये, लेकिन बड़ा दुख होता है यह कहते हुये, कि जो फायर सेफ्टी के नार्म्स हैं, उनका इन्होंने अपने प्लांट्स में पालन तक नहीं किया। इनको पता ही नहीं था कि यह विभाग कैसे चल रहा है । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि 33/11 के0वी0 के 168 सब स्टेशन हमारी सरकार में चालू हुये हैं ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया सब लोग एक साथ न बोलें ।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अरे सुन लीजिये, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सप्लीमेंटरी का जवाब दिला दीजिये । यह समय भाषण का नहीं है। बढ़े हुये दामों को वापस लेंगे कि नहीं और किसानों के ट्यूबवेल के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करेगें कि नहीं?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 132 के 36 सब स्टेशन लगाये गये हैं, 400 के 10 स्टेशन लगाये हैं, 765 का एक सब-स्टेशन लगाया है ।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार से पहले इनके कार्यकाल में 8700 आयात क्षमता थी उसको हमारी सरकार ने 10700 मेगावाट किया है । इन्होंने अपनी सम्पत्ति तो बढ़ाई लेकिन ग्रिड की क्षमता नहीं बढ़ाई । हमारी सरकार ने 16,348 से 22 हजार मेगावाट ग्रिड की क्षमता बढ़ाने का काम किया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे केवल दो छोटे-छोटे सप्लीमेंटरी हैं, उनका जवाब दिला दें।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास कर रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रश्न दोहराइये ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो सप्लीमेण्टरी हैं कि जो ट्यूबवेल की विद्युत दरें बढ़ी हैं, क्या सरकार उसे वापस लेगी या नहीं लेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ट्यूबवेल पर उनका उत्तर आ गया है कि उनकी सरकार की नीति क्या है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने ट्यूबवेल के बारे में विस्तार से अपनी नीति बता दी है।

(विपक्ष के सदस्यों के लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग फिर चिल्लाने लगे, आप सब वरिष्ठजन हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो सप्लीमेण्टरी पूछे हैं कि ट्यूबवेल के जो विद्युत मूल्य बढ़े हैं, क्या सरकार उसे वापस लेगी ? नम्बर दो- मैंने पूछा है कि पिछली सरकार में नहर, ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त हुई थी, क्या किसानों को सरकार निःशुल्क विद्युत देगी ? हां या न में बता दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग सुनिये।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दोनों सवालों के जवाब अपने लिखित उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताने का भी प्रयास किया है कि मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात- जो यह विद्युत व्यवस्था में सुधार हो रहा है, यह सब के लिए हो रहा है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनते नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो सप्लीमेण्टरी हैं कि आप बढ़े हुए विद्युत मूल्य को वापस लेंगे या नहीं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सब के लिए हो रहा है, आप लोग नहीं कर पाये क्योंकि आपके पास समय नहीं था।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सब लोगों के शोर मचाने से सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप और लोग खड़े हो जाइये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (हंसी) बैठिये-बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को लिखित में जवाब दे दिया है, थोड़ा पढ़ने की जहमत उठाओ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग फिर खड़े हो गये। आप मंत्री जी को उत्तर नहीं पढ़ने देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने केवल दो सप्लीमेण्टरी पूंछी है कि बढ़े हुए दाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे और ट्यूबवेल की सिंचाई को मुफ्त करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर उन्होंने सरकार की नीति बता कर दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। मेरी दो सप्लीमेण्टरी हैं कि ट्यूबवेल के बढ़े हुए विद्युत मूल्य को वापस लेंगे या नहीं और किसानों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करेंगे या नहीं? हॉ या नहीं में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

आया है भाई।

श्री अध्यक्ष-

इसमें बताया गया है कि हम ट्यूबवेल पर क्या करेंगे, बिजली कैसे देंगे, इतने रेट पर देंगे, कोई जमा करेगा तो क्या होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और हमने केवल दो प्रश्न पूछे हैं कि जो ट्यूबवेल पर विद्युत के दाम बढ़े हैं, उसे सरकार वापस लेगी या नहीं, नम्बर एक और नम्बर दो, जिन किसानों का निजी ट्यूबवेल है, क्या सरकार उन्हें निःशुल्क विद्युत आपूति करेगी या नहीं? हॉ या ना में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

क्या जरूरी है कि हर बात का उत्तर हॉ या ना में ही हो? ऐसा आवश्यक नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई, इसके उत्तर में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट की है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

सरकार किसान विरोधी है, पूरे प्रदेश के अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है और सरकार जवाब नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने नीतिगत उत्तर दिया है, आप कहॉ ले जाना चाहते हैं?

(समाजवादी पार्टी के सदस्य ''किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी'' के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय वर्मा जी।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि पहले जो नलकूप की सब्सिडी थी, प्रदेश सरकार 240 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती थी, किसान को विद्युत आपूर्ति करने के लिए, अब सब्सिडी 600 करोड़ दे दिया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब 240 करोड़ सब्सिडी थी तो किसान के लिये प्रति हॉर्स पॉवर कितनी दर थी और जब सब्सिडी 600 करोड़ रुपये कर दिया, तब किसान के लिये प्रति हॉर्स पॉवर में कितने प्रतिशत की कमी आई? केवल यह प्रश्न मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने सब्सिडी का उल्लेख किया है क्योंकि हमने विद्युत आवर्स बढ़ाये हैं। किसानों को पहले साढ़े चार घण्टे बिजली मिलती थी, अब मैंने 16 से 18 घण्टे का जिक्र अपनी बात में किया है। दूसरा माननीय सदस्य को मैं यह भी बता दूँ कि पहले की जो दर थी, इस साल हमारी सरकार ने कोई टैरिफ में वृद्धि नहीं की है। आप भली-भॉंति परिचित हैं कि हमने 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर किया है, जो पहले 100 रुपये प्रति हॉर्स पावर था मान्यवर, पहले बिजली साढ़े चार घण्टे मिलती थी, हमने बिजली के आवर्स में बढ़ोत्तरी की है। दूसरा हमने फीडर सेपरेशन का भी काम किया है किसानों को हम सेपरेट फीडर के माध्यम से बिजली उपलब्ध करायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी जो डार्क जोन था वहां पर भी हम किसानों को कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। जो हमने सब्सिडी बढ़ाई है उसका लाभ डार्क जोन के नाम पर जो पहले किसानों को कनेक्शन नहीं दिये जाते थे, उन क्षेत्रों को भी हमने खोलकर किसानों को कनेक्शन देने का काम शुरू किया है। ओवर आल लाभ किसानों को मिल रहा है। जहां पहले इन्होंने उसमें बांध दिया था कि हम किसानों को डार्क जोन के नाम पर कनेक्शन नहीं देंगे डार्क जोन को भी हमने समाप्त करके उसका लाभ किसानों को दे रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जब किसानों की सब्सिडी बढ़ा दी है तो दाम तो और कम होना चाहिए और उसका दाम भी डेढ़ गुना बढ़ गया है, आपने बताया कि पहले 100 था और हमने 150 प्रति हार्स पावर कर दिया। किसान पर ज्यादा भी बढ़ा और आपने सब्सिडी भी बढ़ा दिया। दूसरा आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पहले 300 मीटर तक विद्युत कनेक्शन लेने के लिए निःशुल्क पोल और तार उपलब्ध कराये जाते थे, ट्यूबवेल के लिए वो भी माननीय मंत्री जी ने खत्म कर दिया अब इससे किसान पर तो लागत बढ़ गयी और सब्सिडी भी तीन गुना बढ़ गयी तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब आपने सब्सिडी बढ़ाया है तो किसान के हित में क्या 300 मीटर पर जो आज भी किसान का इतना बड़ा एमाउण्ट विद्युत कनेक्शन में लगता है जो उसका इस्टीमेट बनता है उसको देने में वह समर्थ नहीं होता तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है तो 300 मीटर तक एक तो उसको घटाना चाहिए 100 रुपये ही रहे दूसरा 300 मीटर तक किसान को निःशुल्क कनेक्शन देने के लिए तार और पोल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या इसको कराने पर विचार करेंगे ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्मा जी को यह तो नहीं कहूंगा कि गलत बोल रहे हैं, वर्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रति किसान टयूबवेल पर 68 हजार रूपये की छूट सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसको वर्मा जी जरूर नोट करेंगे। दूसरा 11 लाख 31 हजार किसान हमारे यहां हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद 1 लाख 7 हजार 623 और किसानों को टयूबवेल कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार कर रही है जिसमें से 58 हजार 636 डार्क जोन के हैं। आदरणीय वर्मा जी इस पर लगातार हम उन एरिया को कवर कर रहे हैं चूंकि आप बुद्धजीवी भी हैं इस बात को समझेंगे कि जो एरिया डार्क जोन के नाम पर कहीं न कहीं किसानों के साथ भेद-भाव किया जाता था उन एरिया को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं कि जो सिचांई के लिए किसान परेशान रहता था डार्क जोन के नाम पर उसको न कह दिया जाता था, उस क्षेत्र को भी हमने इसमें शामिल किया है। सब्सिडी का लाभ पूरे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम सौभाग्य योजना में गांव का विद्युतीकरण कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हम निःशुल्क विद्युतीकरण कर रहे हैं और निःशुल्क कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं तो क्या किसान को 68 हजार सब्सिडी देना पर्याप्त है। 68 हजार के बाद भी 68 हजार से ज्यादा उसको भुगतान करना पड़ रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब हम सौभाग्य योजना में विद्युतीकरण करने का काम कर रहे हैं तो किसान को उस छूट से क्यों वंचित रख रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः यह जानना चाहूंगा कि इस पर क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि इसी तरह से किसान को भी 300 मीटर, उससे ज्यादा अगर दूरी है तो निश्चित रूप से आप उसमें सब्सिडी ही दें लेकिन 300 मीटर तक उसको निःशुल्क विद्युत लाइन पहुंचाकर विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगें, इस पर विचार कर लेंगे?

श्री श्रीकांत शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर बहुत स्पष्ट रूप से मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। हमारी सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा है कि किसानों को बिजली का लाभ मिलें और जहां पर फीडर सेपरेट कर रहे हैं वहां हमने 7 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। सरकार की मंशा है कि बिजली का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, पहले केवल घोषणाएं होती थीं, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। छूट के सवाल पर मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक किसान को रु0 68000/- की छूट दी जाती है और जहॉ तक सौभाग्य योजना की बात कर रहे हैं तो यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सौभाग्य योजना लेकर आये।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री श्रीकांत शर्मा-

सौभाग्य का जिक्र भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्योंकि सौभाग्य योजना उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीब घर के लिए लाभकारी योजना है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, शायद माननीय मंत्री जी को मालूम न हो, सौभाग्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य भी बहुत बड़ा है कि निजी क्षेत्र के किसान, जो विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं, उनसे जे0ई0 द्वारा खुलेआम लूट किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, बढ़ाकर इस्टीमेट बनाया जा रहा है। आज कनेक्शन के सबसे ज्यादा बी0एल0 फार्म जनपदों में लम्बित पड़े हैं, अगर माननीय मंत्री जी इतना देना चाहते हैं तो आज घोषण करें कि निजी क्षेत्र के ट्यूबवेल कनेक्शन के जितने भी लम्बित फार्म हैं, मैं उनको एक माह में कनेक्शन दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह सुझाव है, सवाल तो है नहीं।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, सुझाव ही है, हमने सौभाग्य को दुर्भाग्य बताया है। माननीय मंत्री जी गॉव में जाकर देख लें, किसान जे0ई0 से परेशान है। जे0ई0 एक ट्यूबवेल कनेक्शन का इस्टीमेट दो से तीन लाख तक बना रहे है। इसलिए माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया हूं, कोई अनुपूरक नहीं पूछ रहा हूं, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप किसी भी जिले का नाम बता दें, मैं कम से कम पचास लोगों के नाम पैड पर लिखकर दे दूँगा कि जे0ई0 ने किसान को कनेक्शन नहीं दिया है।

श्री दलवीर सिंह-

मैं आभारी हूं मा0 योगी जी की सरकार का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का, मैं वर्ष 1991 से इस सदन का सदस्य हूं, जब से यह सरकार बनी है इतनी अच्छी विद्युत आपूर्ति पूर्व में कभी नहीं हुई है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपको अगर सवाल करना हो तो करिये, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर का समय है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने किसानों के रु0 68000/- छूट पर जो जी0एस0टी0 लागू थी उसको समाप्त करके बहुत बड़ा काम किया है। माननीय मंत्री जी को एक मेरा सुझाव है कि जैसे आपने छूट की राशि पर से जी0एस0टी0 समाप्त कर किसानों को लाभ दिया है उसी तरह से स्टोर से जब सामान उठाने किसान जाता है तो उसे कुछ शार्ट सामान दिया जाता है और अलग से उसकी कीमत किसान से वसूल की जाती है, यदि वह कीमत किसानों के बिल में जोड़ दिया जाये, तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। आपको जो भी सुझाव देना है वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री श्रीकांत शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय सुखदेव जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने जो आरोप लगाये हैं मैं उनका पूरी तरह से खण्डन करता हूं। इस तरह की यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो हमारी सरकार अविलम्ब कार्रवाई करती है, किसी का उत्पीड़न नहीं करती है। अगर मा0 सदस्य के पास कहीं कोई जानकारी है, तो लिखकर हमको दे दें, निश्चित रूप से गम्भीरता से उस प्रकरण की जॉच कराऍगे और जो आरोपी होगा, उसकी कानून के तहत सजा सुनिश्चित की जायेगी।

श्री त्रिवेणी राम-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो जखनियाँ विधान सभा क्षेत्र है, मेरा आवास गांव से बाहर दूर बना हुआ है। मैंने बिजली कनेक्शन के लिए एक्सियन से बात किया और 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले लिया, लेकिन चार माह व्यतीत होने के पश्चात् भी आज तक हमारे यहॉ बिजली नहीं पहुँची है।

श्री श्रीकांत शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का जो सुझाव या सवाल है उसको गम्भीरता से लिया गया है। मैं आपके माध्यम इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आयी थी तो 01 करोड़ से ज्यादा घर अंधेरे में थे, 86 लाख घरों में रोशनी पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 01 लाख, 25 हजार मजरे ऐसे थे जहॉ पर अंधेरा था, उन सभी मजरों में 31 दिसम्बर, 2018 तक रोशनी पहुँचाने का काम हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी।

श्री त्रिवेणी राम-

माननीय मंत्री जी, चार महीने हो गये और हमारे यहॉ आज तक बिजली नहीं पहुँची। कब तक बिजली पहुँचेगी?

श्री अध्यक्ष-

दिसम्बर तक पहुँच जायेगी।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग

***2-श्री अजय कुमार 'लल्लू', डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, श्री नाहिद हसन तथा श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्श 2017-18 एवं 2018-19 में जिलेवार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा इसमें कुशल और अर्धकुशल रोजगार की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवधि में स्किल इण्डिया के अन्तर्गत जिलेवार कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया गया और उसमें से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक निजी क्षेत्र में 63152 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 72207 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसकी जिलेवार सूचना संलग्नक-1† के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में कुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या-34427 और अर्धकुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या-28725 है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में कुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या-30717 और अर्धकुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या-41490 है।

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,89,936 को प्रशिक्षित तथा 67003 युवाओं को सेवायोजित किया गया। वर्ष 2018-19 (दिनांक 19-12-2018 तक) में 154497 प्रशिक्षित तथा 61605 युवाओं को विभिन्न जनपदों में सेवायोजित किया गया है, जिसकी जिलेवार सूचना संलग्नक-2 के रूप में संलग्न † है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू',-

माननीय अध्यक्ष जी, यह रोजगार से जुड़ा हुआ बड़ा अहम सवाल है। अध्यक्ष जी, सरकार ने यह वायदा किया था कि हम पांच साल में 70 लाख लोगों को अर्थात हर साल 14 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब तक कुल 21,39,811 बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुल 1,48,608 लोगों को रोजगार मिला है यानि मात्र 2.12 प्रतिशत। सरकार की नौजवानों के प्रति इतनी दृढ़ता है कि मात्र 2.12 प्रतिशत रोजगार अब तक सृजित कर पायी है। अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि 61,605 लोगों को सेवायोजित किया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन विभागों में आपने सेवायोजित किया है, यह बता दें ? निजी क्षेत्रों में कितना है और सरकारी क्षेत्रों में कितना किया है बस ये दो चीज बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सेवायोजन विभाग में निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकारी क्षेत्रों में सभी विभागीय स्तर से लोगों को रोजगार दिया जाता है और साथ ही साथ हमने निजी क्षेत्रों में कितना रोजगार, रोजगार मेलों के माध्यम से दिया है, उसका उत्तर भी दिया है तथा किन-किन जिलों में कितने-कितने लोगों को दिया गया है उसकी पूरी सूची भी मान्यवर प्रस्तुत कर दी है। माननीय सदस्य के प्रश्न का जो भी उत्तर है वह पूरा आ चुका है। अगर सेवायोजन विभाग के बाहर पूछना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे भाई अजय कुमार लल्लू जी को मालूम है कि भिन्न- भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बड़े स्तर पर उपलब्ध कराये गये हैं। आज वर्तमान में भी आप मान लीजिये मान्यवर, कि इस

† छापी नहीं गई।

समय जैसे पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में कान्स्टेबिल, एस0 आई0 का, पंचायती राज में ग्राम्य पंचायत अधिकारी का, समाज कल्याण पर्यवेक्षक का, बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक का, स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्टाफ नर्स, टैक्नीशियन का लगभग सवा लाख भर्ती वर्तमान में प्रचलित है। इसके पूर्व लाखों की तादात में नियुक्तियॉं और भर्तियॉं हो चुकी हैं इसलिये मान्यवर, अभी डेढ़ वर्ष ही सरकार को हुए है। इस अवधि में बड़े पैमाने पर जिस तरह से रोजगार का सृजन किया गया है और इस दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए इन्वेस्टर्स समिट हुआ जिसमें मान्यवर, बड़े पैमाने पर 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश इस समय अमली जामा ले चुका है और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा साल भर के अन्दर यानि इसी साल के अंत तक हम एक लाख हजार रुपये का निवेश कर लेंगें। इसी के साथ की साथ माननीय प्रधानमंत्री जी डिफेंस कॉरीडोर उत्तर प्रदेश को वरदान के रूप में दिया है। आगरा, झॉंसी, चित्रकूट के बीच में जिसकी जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है अगर इसको व्यावहारिक रूप में अमली जामा दे दिया जायेगा तो 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ इन्वेटर्स समिट में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर एम0ओ0यू0 हुआ है 4.70 लाख हजार करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 हुआ है उसको हम जिस दिन पूरा करके अमली जामा दे देंगे जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बेरोजगारों की फौज खड़ी की है, हम उन सबको रोजगार दे देंगें। सम्मान और स्वाभिमान के साथ उनको उन्नति का रास्ता प्रदर्शित करेंगें।

श्री अध्यक्ष-

नाहिद हसन जी पूछ लें उसके आदि अजय जी आप पूछ लीजियेगा। आपसे कनिष्ठ हैं।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम चलते हैं जिनकी एक इतनी मोटी लिस्ट आपने दी है। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी आज एक चुनौती है पूरे देश के लिये प्रदेश के लिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह स्किल कैम्प जो जिलेवार चला रखे हैं यह सिर्फ कागजों पर ही हैं या जमीनी स्तर पर भी चल रहे हैं। मान्यवर, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं हम लोगों को अपनी विधान सभा में भी यह नहीं पता लगता कि किस जगह पर स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं कैराना विधान सभा से आता हूँ और हमारे शामली जिले में सहारनपुर, बागपत अधिकतर मैंने युवाओं को देखा है कि वह बगल वाले प्रदेश में जाकर स्किल्ड होकर आते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो जिला जिस कारीगरी के लिये प्रसिद्ध है उसमें खास तौर से उस जिले के हिसाब से एक प्रोग्राम चलाना चाहिए और एक मॉनीटरिंग उसमें चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो या अराजनीतिज्ञ उसमें कोई मॉनीटरिंग उसके लिये होनी चाहिए कि वह स्किल्ड कैम्प उस जगह पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी भी जितनी बढ़ती है क्राइम भी उसकी वजह से बढ़ता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल नहीं था लेकिन आपने बढ़िया बातें कहीं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो ऑंकड़े अभी आये हैं 2016 से 2018 के बीच में लगभग 9 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है मान्यवर, इसमें से 7 लाख केवल ग्रेजुएट्स हैं। इसमें से सात लाख केवल ग्रेजुएट्स हैं, यह

बहुत गम्भीर विषय है, तो क्या सरकार के पास इन ग्रेजुएट्स पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए कोई विशेष योजना है? दूसरा सवाल, अभी किसी माध्यम से जानकारी हुई है कि 2019 में कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, जिससे हम सबकी आस्था जुड़ी है उसमें स्वच्छ गंगा अभियान में बहुत सारी इन्ड्रस्टीज को बन्द कर दिया गया है तीन महीने के लिए, और उन तीन महीने के लिए जो इन्ड्रस्टीज को बंद किया गया है उसमें जो लेबर थे उनको तीन महीने के लिए घर पर बैठा दिया गया है तो तीन महीने के लिए जो लेबर घर पर बैठे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, हम सब चाहते हैं कि गंगा जी निर्मल हों अच्छी बात है, आप सब चाहते हैं हम सब भी चाहते हैं गंगा जी निर्मल हों, लेकिन जो तीन महीने के लिए बेरोजगार होंगे, तीन महीने जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मोना जी बहुत ही जिज्ञासु सदस्य हैं लेकिन इन्होंने श्रम विभाग और पर्यावरण विभाग से जुड़ा प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है सेवायोजन विभाग का, सेवायोजन विभाग से उसका कोई संबंध ही नहीं है और जब यह प्रश्न आएगा, वह भी लगा है तो उसका उत्तर आएगा, लेकिन सेवायोजन विभाग के प्रश्न उपस्थित होने पर श्रम विभाग या दूसरे विभाग का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पर्सनालिटी बड़ी है इसलिए लोग सभी विभागों के प्रश्न आपसे पूछते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, यह बेरोजगारों से जुड़ा प्रश्न है। मेरा सीधा सवाल है जो तीन महीने के लिए इन्ड्रस्टीज बंद हो रही हैं और उनसे जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए सरकार कोई योजना बना रही है जो उनका तीन महीने का रोजगार समाप्त हुआ है उनको कोई बेरोजगारी भत्ता देने का या किसी भी तरह से उनको रोजगार अर्जन करने के लिए, उनके लिए तीन महीने का कोई प्राविधान सरकार कर रही है या कम्पनसेशन किसी तरह का दे रही है? कोई प्राविधान है या इस पर सरकार विचार कर ले।

श्री अध्यक्ष-

इस पर विचार कर रहे हैं मंत्री जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी,यह सेवायोजन से संबंधित प्रश्न नहीं है। दूसरी चीज किसी भी इन्ड्रस्टी को बंद करने का कार्य पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड करता है। क्षमता से ज्यादा अगर प्रदूषण हो रहा है। तो यह देखना उसका काम है। फिलहाल वैसे कुंभ मेले को लेकर कोई उद्योग अभी बंद ही नहीं हुआ है। इसलिए यह प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं है और जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो जानकारी आप चाहेंगी दी जाएगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, जिलावार इतनी लम्बी सूची है मैं सिर्फ आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सेवायोजन में जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है वैसे तो रजिस्ट्रेशन 21 लाख 39 हजार है मात्र आपने दो प्रतिशत सेवायोजन में लोगों को रोजगार दिया है तो 98 प्रतिशत लोगों को कब तक रोजगार दे देंगे। दूसरी बात यह किन-किन ट्रेडों में नौकरी दिया है पता चलता है कौशल प्रशिक्षण से वो प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद वह ठेला लगाने का रोजगार पा गया, पकौड़ा बनाने का रोजगार पा गया तो कृपया यह बता दें किस-किस ट्रेड में इन्होंने रोजगार दिया है यह बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी हासिल करनी चाही है सब कुछ लिखित रूप से, सेवायोजन विभाग का भी और कौशल विकास का भी विवरण जिलेवार दे दिया गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

किस कम्पनी में नौकरी मिली है यह बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

यह विस्तार से है जो भी यह लिखित रूप में मॉगेंगे वह हम दे देंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी सिर्फ इतना बता दें कि 02 प्रतिशत रोजगार तो आपने दिया है, 98 प्रतिशत कब पूरा कर लेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो पूर्ववर्ती सरकारों का पाप ढ़ो रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारों की फौज तैयार कर रखी थी, जो बेरोजगारों की फौज तैयार की थी, आज हम उनको रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं। यह बेरोजगार नौजवानों को रोजगार अभी भी नहीं दिलाना चाहते हैं। आपको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मा0 योगी जी की सरकार का स्वागत करना चाहिए कि इतने नौजवानों के लिए हमने रोजगार के रास्ते खोल दिये हैं, लाखों-लाख नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। मैं मा0 नेता कांग्रेस को बताना चाहूंगा कि आपने जो भी तथ्य प्रस्तुत किये हैं सबका उत्तर आपको मिल गया है। अब यह बर्हिगमन करने की भूमिका बना रहे हैं।

प्रदेश में राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, पं0 दीनदयाल योजना से लेकर सौभाग्य योजना में विद्युत खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करें कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, पं0 दीनदयाल योजना तथा सौभाग्य योजना में विद्युतीकरण हेतु खम्भे लगाये जाने का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि अधिकांश खम्भों की ग्राउन्डिंग स्टेराड आदि नहीं होने के कारण विगत समय में आये आंधी पानी में पुराने लगे खम्भों की अपेक्षा नये लगे खम्भे अधिक गिरे एवं टूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अनियमितता की जांच करा कर दोषियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण में 11 के0वी0 एच0टी0 लाइन पर प्रति किलोमीटर औसतन लगभग 17 नग पोल तथा एल0टी0 लाइन में प्रति किलोमीटर औसतन लगभग 20 नग पोल की स्थापना की जा रही है।

सौभाग्य योजना में ग्रामों के विद्युतीकरण एवं घरों को संयोजन निर्गत करने में निर्मित की जा रही 11 के0वी0 लाइन पर औसतन प्रति किलोमीटर 20 नग पोल की स्थापना तथा एल0टी0 लाइन में औसतन लगभग 30 नग पोल प्रति किलोमीटर लगाये जाने के मानक हैं।

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ग्राम में वास्तविक स्थितियों के आधार पर स्थापना में प्रति किलोमीटर पोल की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

ग्राउटिंग/अर्थिंग/स्टे

उ0प्र0 में क्रियान्वित होने वाली पुरानी परियोजनाओं, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 11वीं एवं 12वीं योजना के अन्तर्गत 11वीं योजना में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में सभी पोलों को एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में प्रत्येक 5 वें पोल को तथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में प्रत्येक 10 पोल प्रति किलोमीटर को ग्राउट किया जाना निर्धारित था। इसी क्रम में 12वीं योजना में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में प्रत्येक पोल तथा पूर्वांचल वितरण निगम लि0 में लाइन का प्रत्येक 5वां पोल ग्राउट किया जाना निर्धारित था।

उ0प्र0 में वर्तमान में क्रियान्वित हो रही सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लग रहे सभी पोलों की ग्राउटिंग किया जाना निर्धारित है।

प्रत्येक एच0टी0 पोल को 8 एस0डब्ल्यू0जी0 के बिना जोड़ लगे तार से अर्थ किया जाना है एल0टी0 का हर छठा पोल अर्थ होना प्रावधानित है। स्टे-मोड़ वाले पोल, अन्तिम पोल तथा टी-आफ प्वाइंट के पोल पर नियमानुसार स्टे लगायी जाती है।

जी नहीं, खम्भों एवं स्टे राड की ग्राउटिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कराई जा रही है। एवं विगत समय में आये आंधी, पानी में पुराने लगे खम्भों की अपेक्षा नये खम्भों के अधिक गिरने एवं टूटने की आगरा जनपद में प्राप्त शिकायत जांच में सही नहीं पायी गयी।

भविष्य में भी शिकायत आने पर जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य रितेश पाण्डेय नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा इनके प्रधानमंत्री जी ने किया था और इनके मुख्य मंत्री जी ने 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अजय जी अब आप बैठ जायें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बता रहे हैं कि पुरानी सरकारों का पाप ढ़ो रहे हैं तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका उसमें कितना अंश है?

प्रदेश में प्रदेश स्तर पर विद्युतीकरण हुये ग्रामों के सम्बन्ध में

***4-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अब तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने ग्राम व मजरे अभी तक विद्युतीकरण हेतु अवशेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उनमें कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आबाद राजस्व गांवों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है, अब कोई भी गांव विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है। अन्तिम रूप से दिनांक 01-04-2015 को उत्तर प्रदेश में कुल 1529 ग्राम विद्युतीकरण हेतु अवशेष थे जिनमें से 53 ग्राम गैर-आबाद थे। शेष 1476 अविद्युतीकृत ग्रामों को वर्ष 2015-16 में 1305, वर्ष 2016-17 में 162 एवं वर्ष 2017-18 में 09 ग्रामों को विद्युतीकृत कर राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश में 5040 मजरें विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। यह अवशेष मजरे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 14 जनपदों में 4900 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 07 जनपदों में 140 स्थित हैं।

अवशेष 5040 मजरों का विद्युतीकरण 31-12-2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मा0 मंत्री जी का जवाब है, इस जवाब से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, मजरों के विद्युतीकरण बाकी हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जगह-जगह लोग गांव-शहर के बाहर घर बनाते चले जा रहे हैं, नई आबादियां बसती चली जा रही हैं, नए-नए चौराहे बनते चले जा रहे हैं, नई-नई बसावटें बनती जा रही हैं। यह समस्या पूरे देश-प्रदेश में है। कहीं कोई एक जिले या एक इलाके का मामला नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छोटे मजरे, बसावटें, चौराहे या नई आबादी बस गयी है, जो स्वीकृत डी.पी.आर. में नहीं है, क्या उनका भी डी.पी.आर. तैयार कराकर विभाग इनका विद्युतीकरण समयबद्ध तरीके से कराने का काम करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अलग-अलग समूहों में बात न करें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने गांव या मजरे या ग्रामीण बसावटों का विद्युतीकरण किया गया था नम्बर तीन जो छोटी बसावटें हैं जिन्हें सरकार सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करना चाहती है उनके रख-रखाव का क्या माध्यम होगा यह तीन सवाल है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आपके सवाल का जवाब दे दिया है उसमें वर्ष का भी मैंने उल्लेख किया है कि कितने राजस्व ग्राम किन वर्ष में हुए माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहले जो मजरों के चयन की जो प्रक्रिया थी वह 100 से लेकर 300 तक की आबादी के मजरों को ही स्वीकृति दी जाती थी। हम अभिनन्दन करेंगे अपने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि अगर 25 लोगों का समूह यानी 25 लोगों की आबादी भी अगर कहीं है तो उनको भी हमने मजरे की संज्ञा दी है। यानी कि 10 घर अगर कहीं कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उन तक भी विद्युतीकरण का कार्य हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। मान्यवर, 2.84 प्रदेश में मजरे थे जो चिन्हित किए गए थे यानी की 2 लाख 84 हजार जब हमारी सरकार आई तो उस समय एक लाख 25 हजार मजरे थे जिनको हमें ऊर्जीकृत करना था उसमें केवल वही मजरे जो मैंने सवाल के जवाब में जिक्र किया है वही मजरे शेष हैं उनको भी हम आप सबके सहयोग से आपके क्षेत्र में अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है कहीं पर पोल नहीं लगा है कोई घर में बिजली नहीं पहुँची है तो आप का भी हम सहयोग लेंगे आप सबके सहयोग से सदन के सहयोग से 31 दिसम्बर तक पूरे प्रदेश का विद्युतीकरण करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। लेकिन वह आप सबके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है इसलिए आपका सहयोग भी इस पुण्य कार्य में आवश्यक है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवी पाटन मण्डल के जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और गोण्डा में प्रदेश के अति पिछड़े जनपद के सैकड़ों पुरवा में आज भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसियॉ के ग्राम रामपुर, देवमन के दर्जीपुरवा में मिसिरपुरवा में किरहनपुरवा में और सगईपुरवा के अहमदरजा मोड़ पर और चैपुरवा के भर्तापुर में पूरेप्रसाद के रामनगर कुण्डा में और बघई के।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कह रहे हैं कि 31 दिसम्बर तक सबका कर देंगे।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मगरहवा में कितने दिनों में विद्युतीकरण करा देंगे। नम्बर दो माननीय मंत्री जी से अन्तिम प्रश्न है कि 1972 से जो लाइनें बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद में जर्जर अवस्था में हैं आए दिन उन लाइनों से दुर्घटनाएं हो जाती हैं इनको आप कितने दिनों में सही करा देंगे या बदलवा देंगे।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें आज बोलने का अवसर दिया मैं।

श्री अध्यक्ष-

बोलने का नहीं सवाल पूछने का अवसर दिया।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

जी हॉ आपने कार्यवाही का भाग बनाया मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में चार वन ग्राम हैं वहां पर तार पोल पहुंचा दिया गया है और वन ग्राम ही नहीं तमाम ऐसे मजरे हैं तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहॉ तार पोल पहुँचा दिया गया है अभी तक वहां पर बिजली चालू नहीं हुई है ऊर्जीकृत नहीं हुआ है दूसरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे यहॉ ठूठीबारी से लेकर के नौतनवां के बीच में केवल सोनौली में 33/11 के0वी0 का एक फीडर है जिससे पूरी लाईन सप्लाई की जाती है तो क्या मा0 मंत्री जी यह बताएंगे कि परसामलिक में 33/11 के0वी0 का जो नया स्वीकृत सब स्टेशन है वह आप कब तक चालू करा देंगे, कब तक बनवाने की कृपा करेंगे? क्योंकि मा0 मंत्री जी ने अभी अवगत कराया है कि हम ऊर्जीकृत कर रहे हैं, हम बिजली पहुँचा रहे हैं। मान्यवर, 33/11 के0वी0 का कोई सब स्टेशन नहीं है। पोल व तार गॉव में पहुँच जा रहे हैं वह ठीक है, लेकिन हम उनमें बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों मा0 सदस्यों ने जो सवाल लगाए हैं वह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर प्रदेश की बात कर रहे हैं और पत्रावली में वह गॉव नहीं आते हैं। वह या तो सवाल में होते तो मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे देते। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध किये लेता हूं कि आपने जो समस्याएं उठायी हैं उनकी वह चिन्ता कर लें।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मेरा मा0 मंत्री जी से यह कहना है कि यह कार्य 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा करा दें।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी यही कहना है कि 31 दिसम्बर तक बिजली की सप्लाई का कार्य पूर्ण करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आपकी इस प्रकार की जो भी बातें हों वह आप मा0 मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो तार लगाए जा रहे हैं वह बहुत घटिया किस्म का लगाया जा रहा है और उसका प्रॉपर फाउण्डेशन भी नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से जो पोल लगाए जा रहे हैं वह भी गिरे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके जो भी सुझाव हों वह मा0 मंत्री जी को आप लिखकर दे दें। मैं अंतिम प्रश्न के लिये मा0 ललई जी से अनुरोध करूंगा।

(इसी मध्य सदस्य श्री मनोज कुमार पारस व श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक अन्तिम सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रश्न कर लें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, धन्यवाद। पूरे प्रदेश के टाउन एरिया, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की सीमाएं बढ़ी हैं और उनमें देहात के जो गांव शामिल हुए हैं, सरकार पावर फार ऑल, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना तथा दीन दयाल योजना के अन्तर्गत उनका विद्युतीकरण नहीं कर रही है। सौभाग्य योजना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह है कि सम्पूर्ण प्रदेश के टाउन एरिया, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम में जो गांव बढ़े हैं हम जब उनके विद्युतीकरण की बात करते हैं तो उसमें पत्र पहुँच जाता है कि नगर पालिका इसका इस्टीमेट बनाकर पैसा जमा करे तब कार्य होगा, लेकिन नगर पालिका पैसा नहीं दे पा रही है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नगर निगम, टाउन एरिया या नगर पालिका परिषद में जो गॉव शामिल हुए हैं, क्या यह सरकार उनका विद्युतीकरण करायेगी?

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न ही कीजियेगा, सूचित न करियेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक छोटा-सा प्रश्न मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के मजरों या गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराया

गया, लेकिन पूर्व में जो विद्युतीकरण हुआ था उसके तार बहुत पतले थे, क्योंकि वह 11000 के0वी0 की लाइन बहुत छोटी थी और कई-कई जगह वह टूटकर के गिर रही है और बहुत सी जगह वह चल भी नहीं रही है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अब क्या उसकी जगह केबल डलवा करके उसमें विद्युतीकरण करायेंगे या उन लाइनों को बदलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह है कि क्या वह तार बदले जायेंगे? अब तो चार-पॉच लोग बोल चुके हैं तो मा0 मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जनहित का मामला है इसलिये आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मेरा सवाल भी है और अनुरोध भी है कि हर जगह यह व्यवहारिक समस्या है कि 2-2, 4-4, 5-5 घर की नयी आबादियॉ बन गयी हैं, नये-नये चौराहे बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट रह गया है, आप सवाल करिये अन्यथा सवाल ही रह जायेगा उसका उत्तर नहीं आ पायेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, अण्डरस्टैण्डिंग है, बात बन जायेगी। मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि 31 दिसम्बर तो 08 दिन में समाप्त हो जायेगा। इसके बाद क्या आप दो-तीन महीने का समय लेकर के एक व्यापक अभियान चलाकर ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनका विद्युतीकरण समयबद्ध तरीके से कराने का कार्य करेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस पर मैं मा0 मंत्री का उत्तर चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मा0 ललई जी, मा0 वर्मा जी, मा0 पारस जी तथा मा0 त्रिपाठी जी ने जो सवाल उठाए हैं उनके संबंध में मैं आप सबसे निवेदन यह करूंगा कि 31 तक का हमारा टास्क है और आपके ध्यान में अगर कहीं आता है कोई मजरा बचता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके माध्यम से हमको जानकारी मिलेगी और हम उसे भी अविलम्ब कराने का प्रयास करेंगे। मा0 वर्मा जी ने कहा है कि विशुद्ध रूप से नगर निगम में जो अभी गॉव आए हैं, लेकिन उनका स्वभाव एकदम ग्रामीण है उन सभी गॉवों को हमनें सौभाग्य योजना में ही चिन्हित किया है। नम्बर दो, जो शहरी क्षेत्र में बी0पी0एल0 धारक हैं, उन बी0पी0एल0 धारकों को भी सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त में कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार कर रही है, वहां तक हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पहुँचा रहे हैं। जो शेष हैं, जो शहरीकरण में आए हैं उनको भी हम सुगम संयोजन योजना के माध्यम से बिजली पहुँचा रहे हैं। जहां तक शैलेन्द्र जी का सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश का हर मजरा, हर घर पूरी तरह से ऊर्जीकृत हो इसके लिए हम सबका सहयोग लेंगे। जहां तक जर्जर तार की बात है इस कार्य के लिए हमने बैंक से लोन अप्लाई किया है और 2019 तक लोन हमे मिल जायेगा। सरकार पहले ही बता चुकी है कि वर्ष 2021 के अन्त तक प्रदेश के अन्दर जितने भी जर्जर तार हैं उनको बदलने का प्रयास हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ।†

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूपों में अबाध बिजली उपलब्ध कराये जाने की मांग

***5-श्री संजय गर्ग-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूपों तथा सरकारी नलकूपों में अबाध बिजली उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी, हां।

प्रदेश में किसानों के निजी एवं सरकारी नलकूपों में अबाध विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु ''11के0वी0 फीडर सेपरेशन'' का कार्य प्रदेश में स्वीकृत 39 जनपदों में कराया जा रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अलग किये गये फीडरों पर रोस्टर के अनुसार न्यूनतम 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन की योजना एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत लोन योजना के अन्तर्गत बना दी गयी है। इसका कार्य जून, 2019 से ऋण आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डी0बी0टी0 योजना लागू करने एवं खाद्य वितरण प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में

***6-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली में आ रही शिकायतों के दृष्टिगत सभी जनपदों में डी0बी0टी0 योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्य सब्सिडी हेतु डी0बी0टी0 योजना जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा के ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। डी0बी0टी0 योजना का सफल क्रियान्वयन होने पर अन्य जनपदों में डी0बी0टी0 योजना लागू किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश बाल श्रम को रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ''बाल श्रम'' रोकने के लिये ''बाल श्रम अधिनियम'' के तहत कार्रवाई करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है ? यदि हां, तो क्या

† तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017-18 में कुल कितने बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराकर कहां पुनर्वासित किया गया है तथा बाल श्रम कराने वाले कितने नियोक्ताओं पर दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां,

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 2962 बाल श्रमिक चिन्हित/मुक्त कराये गये। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 592 बाल श्रमिकों को बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेशित कराकर शैक्षिक पुनर्वासन कराया गया है। कण्डीशनल कैश ट्रान्सफर योजना के अन्तर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे बाल श्रमिकों को कार्य से अवमुक्त कराकर धनराशि रु0 9,200/- प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत इस योजना में 137 बाल श्रमिक आच्छादित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 494 नियोजकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है।

जी हां, विवरण संलग्न है।[†]

प्रदेश के किसानों को खरीफ की फसलों को केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदवाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में

***08-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की खरीफ की फसलों को केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदवाने हेतु क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा धान एवं मक्का खरीद की कार्य योजना बनायी गयी है।

धान क्रय नीति शासनादेश संख्या-3/2018/1180/29-4-2018-5(1)/2018, दिनांक 20-09-2018 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-08/2018-1506/29-4-2018-5(1)/2018 दिनांक 14-11-2018 द्वारा पश्चिमी उ0प्र0 में दिनांक 01-10-2018 से दिनांक 31-01-2019 तक तथा पूर्वी उ0प्र0 में दिनांक 01-11-2018 से 28-02-2019 तक धान क्रय किया जायेगा। खाद्य विभाग सहित 09 क्रय एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 3000 क्रय केन्द्र खोलते हुए 50 लाख मी0 टन का लक्ष्य

[†]छापी नहीं गयी।

निर्धारित करते हुए धान क्रय किया जा रहा है। धान बिक्री हेतु कृषकों का पंजीयन खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराते हुए तथा खाद्य विभाग के पोर्टल को भू-राजस्व के पोर्टल से लिंक कराकर सत्यापन की व्यवस्था की गयी है। लघु एवं सीमान्त व अन्य कृषकों के 100 कुन्तल धान की बिक्री को अग्रेतर आदेशों तक सत्यापन से मुक्त रखा गया है।

इसी प्रकार मक्का क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-09/2018/1513/ 29-4-2018-1082/2018 दिनांक 14-11-2018 जारी किया गया। खाद्य विभाग के माध्यम से 01 लाख मी0 टन मक्का क्रय का लक्ष्य निर्धारित कर प्रदेश के 20 जनपदों में लगभग 100 क्रय केन्द्रों के द्वारा 15-11-2018 से मक्का की खरीद की जा रही है, जो दिनांक 15-01-2019 तक चलेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन धारकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 कराने विषयक जानकारी

***09-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष में दिनांक 23-10-2018 तक अवैध कनेक्शन धारकों के विरुद्ध कितनी एफ0आई0आर0 कराई गई व कितने उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय उपभोक्ताओं के वैध कनेक्शन होने के बाद भी विभाग द्वारा उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 करा दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2018 से दिनांक 23-10-2018 तक अवैध कनेक्शन धारकों तथा वैध कनेक्शन धारकों जिन्होंने अनधिकृत विद्युत का प्रयोग किया है उनके विरुद्ध कुल 57546 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है तथा इन सभी प्रकरणों में कनेक्शन काट दिया गया है।

जी हां। छापों के दौरान वैध कनेक्शन धारकों द्वारा मोटर बाईपास करके, अलग से कटिया डालकर तथा टेम्पर्ड मीटर्ड के माध्यम से विद्युत प्रयोग करने, इत्यादि मामलों में विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाती है।

चोरी पाये जाने पर ही एफ0आई0आर0 की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में

***10-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति देने तथा जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई कारगर योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे (बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में 20 घन्टे) शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपर्ति की जा रही है। मांग के अनुसार विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान के फीडरों का विभक्तीकरण कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कृषि हेतु नलकूपों को निर्गत स्वतंत्र फीडर से आपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार लोड विभक्त होने से लाइन सम्बन्धी फॉल्ट कम हो जायेंगे तथा सामान्य फीडरों पर पीक आवर्स में कृषि का लोड कम हो जाने से विद्युत आपूर्ति की निर्बाधता स्थापित होगी।

जर्जर तारों/विद्युत पोलों को बदलने हेतु बिजनेस प्लान के अन्तर्गत प्रावधानित है। बिजनेस प्लान वर्ष 2018-19 में डिस्कॉमवार-दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 में 1195.40 लाख, मध्यांचल वि0विनि0लि0 में 1138.75 लाख पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0 में 578.00 लाख एवं पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0 में 767.90 लाख, इस प्रकार प्रदेश में कुल 4380.05 लाख रु0 की धनराशि जर्जर तार बदलने हेतु आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त (जिला विद्युत विकास निधि योजना) के अन्तर्गत भी जर्जर तारों को बदलने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में वसूल किये गये आर0सी0 की धनराशि के 15 प्रतिशत अंश का उपयोग लाइनों के जर्जर तारों बांस-बल्लियों को बदलने, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों तथा अन्य आकस्मिक आवश्यकता वाले कार्यों को जिला अधिकारी की संस्तुति के आधार पर वितरण खण्डों द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त हजार संख्या से अधिक आबादी वाले गांव/मजरों में ए0डी0बी0 से लोन लेकर पुराने तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु चलाई जाने वाले योजनाओं से सम्बधित

***11-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के नलकूप कनेक्शन के बिल 7.5 एच0पी0 से बढ़ाकर 10 एच0पी0 के किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी वृद्धि कर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नलकूप कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची शून्य बनाने के उद्देश्य से किसानों की मांग पर उन्हें कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के परिक्षेत्र में कुल 14 जनपदों में 14083 नं0 निजी नलकूप संयोजनों को 7.5 एच0पी0 से 10 एच0पी0 विभिन्न वर्षों में किया गया है। विभाग द्वारा यह

संज्ञानित हुआ था कि ऐसे सभी क्षेत्रों में भू-गर्भ जल स्तर नीचे चले जाने के कारण 7.5 एच0पी0 का मोटर पानी उठाने में सक्षम नहीं था।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 सहित प्रदेश के अन्य डिस्कामों के अन्तर्गत वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं नलकूप पोषकों को पृथक किया जा रहा है एवं अतिभारित परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि भी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित बजट के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसानों को वरीयता के आधार पर नलकूप कनेक्शन दिये जा रहे हैं। लक्ष्य के अतिरिक्त आवेदकों की प्रतीक्षा सूची बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की तरह कैरियर समिट आयोजित कराने की विषयक जानकारी

***12-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्नातक/स्नातकोत्तर/ तकनीकी तथा व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं की प्रदेश में बढ़ती संख्या एवं वर्तमान में व्याप्त बेरोजगारी की विकराल समस्या के दृष्टिगत सरकार उनके सेवायोजन हेतु इनवेस्टर्स समिट की भांति प्रतिवर्ष कैरियर समिट आयोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन विभाग द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक 2163 कैरियर काउन्सिलिंग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कैरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागी छात्र-छात्राओं की संख्या 259436 है। वर्ष 2018-19 में 01 अप्रैल, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक कैरियर काउन्सिलिंग शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागी छात्र-छात्राओं की संख्या 213686 है।

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में शहरों एवं कस्बों, ग्रामीण बस्तियों के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजरने से जान माल के लिए खतरा एवं ऐसी लाइनों के हटवाने के सम्बन्ध में

***14-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरों, कस्बों, ग्रामीण बस्तियों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों के टूटने की वजह से जान-माल का भी खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी लाइनों को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

नवीन विद्युत लाइन के निर्माण करते समय शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों के ऊपर से लाइन नहीं बनायी जाती है। अध्यासियों द्वारा बाद में लाइनों के नीचे आवास का निर्माण करा लेते हैं।

इन लाइनों को जमा योजनाओं के अन्तर्गत शिफ्ट किया जा सकता है तथा सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा गार्डिंग की व्यवस्था कर दी जाती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा जिला विद्युत विकास निधि योजना लागू की गयी है, जिसमें भूमि राजस्व संग्रह के माध्यम से प्राप्त धनराशि के 15 प्रतिशत से लाइन शिफ्टिंग का कार्य/ए0बी0 केबिल लगाने के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह जिला विद्युत विकास निधि योजना दिनांक 17-12-2018 से लागू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत सरकार द्वारा लागू आई0 स्पर्श योजना के सम्बन्ध में

***15-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या समन्वय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा लागू की गयी आई0 स्पर्श योजना को बंद करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या 2016-17 में आवंटित आई0 स्पर्श योजना के धनराशि की द्वितीय किश्त जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 30-03-2016 के दृष्टिगत शासनादेश संख्याः 473/सम0-73-2016, दिनांक 20-04-2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आई0स्पर्श0 स्मार्ट ग्राम योजना 31 मार्च, 2017 तक स्वीकृत की गयी थी। अन्ततः उक्त योजना अब समाप्त हो चुकी है।

जी, नहीं।

राज्य सरकार द्वारा आई0स्पर्श0 स्मार्ट ग्राम योजना दिनांक 31-03-2017 तक के लिए ही स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत किसी बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः ग्रामों को धनराशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एन0जी0टी0 के प्रतिकूल नदियों से बालू खनन के सम्बन्ध में

***16-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन0जी0टी0 के नियमों के प्रतिकूल बालू खनन किये जाने से नदियों में रहने वाले जीव-जन्तुओं के जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है तथा खनन में यांत्रिक मशीनों का उपयोग किये जाने से मजदूरों का भी पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार एन0जी0टी0 के प्रतिकूल किये जा रहे खनन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ट्रकों की ओवर लोडिंग रोकने की नीति बनाने विषयक

***17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रकों की ओवर लोडिंग को रोकने हेतु प्रदेश सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

प्रदेश में संचालित वाहनों के विनियमन हेतु केन्द्रीय मोटर अधिनियम, 1988 प्रभावी है, जिसकी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ट्रकों की ओवर लोडिंग रोकने की कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा-113 के अन्तर्गत माल वाहनों में क्षमता से अधिक माल ढोना निषिद्ध हैं। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा-114 में भार क्षमता से अधिक लदान पाये जाने पर उसे वाहन से उतारे जाने का भी प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-194 में यह प्राविधान है कि अधिनियम की उक्त धारा-113 एवं 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके संचालित किये जा रहे वाहनों को न्यूनतम रुपये 2000/- जुर्माना और आधिक्य भार के लिए प्रति टन रुपये 1000/- की अतिरिक्त धनराशि से दण्डित किया जायेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश के विपरीत कोई वाहन का भार कराने से इन्कार करता है या इससे पूर्व माल को हटाता है तो वह रुपये 3000/- तक के जुर्माने से दण्डनीय हैं।

विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों का संचालन बन्द कराने हेतु प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निरन्तर चेकिंग की कार्यवाही की जाती हैं और समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं। जांच के दौरान ओवर लोडिंग वाहनों के संचालित पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार बन्द करने/चालान की कार्यवाही निरन्तर की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 75099 वाहनों का चालान किया गया, 61144 ओवरलोड वाहनों का अधिक माल उतारा गया एवं प्रशमन शुल्क की राशि के रूप में 9338.41 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में (दि0 01-04-2018 से 30-11-2018 तक) 45154 वाहनों का चालान किया गया, 35197 ओवरलाड वाहनों का अधिक माल उतारा गया एवं प्रशमन की राशि के रूप में रु0 6732.15 लाख की वसूली की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सड़कों को क्षतिग्रस्त करने के कारण ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी ऐक्ट, 1984 (पीडीपीपी) के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2018 तक कुल 1126 एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 01-04-15 से 01-09-18 तक लगाये गये विद्युत खम्भों एवं ग्रामों में कराये गये विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

1-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र, कटरा में दिनांक 1-4-15 से 1-9-18 तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण होना शेष है ? क्या सरकार उक्त का ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-कटरा में दिनांक 01-04-2015 से 01-09-2018 तक 355 मजरों का विद्युतीकरण होना था, जिसमें दिनांक 01-09-2018 तक 343 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 12 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य सौभाग्य योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जी हां। (विवरण संलग्न है)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत हुए विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? क्या सरकार बचे हुये गांवों का कोई समय सीमा निर्धारित कर विद्युतीकरण किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापा नहीं गया।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत ब्लाक-महमूदाबाद, पहला एवं रामपुर मथुरा में कुल 260 मजरों का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना में किया जाना शेष है।

शेष गांवों का विद्युतीकरण 31 दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़ का पत्रांक-स्था0/मृ0आ0/नियुक्ति/संजीव कुमार/2018/337 दिनांक 23-03-2018 जो कि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित पत्र पर कार्रवाई की विषयक जानकारी

3-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी सेवक मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ? क्या मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति विषयक सहायक निदेशक, सेवायोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ का पत्रांक-स्था0/मृ0आ0/नियुक्ति/संजीव कुमार/2018/337, दिनांक 23-03-2018 जो कि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

निदेशालय के पत्रांक-591/ई-1/0903/च0श्रे0/मृ0आ0/2013 दिनांक 10-07-2013 एवं पत्रांक-991/ई-1/0903/च0श्रे0/मृ0आ0/2013 दिनांक 09-10-2017 द्वारा क्षेत्र में तैनात सहायक निदेशकों (नियुक्ति प्राधिकारी) को मृतक आश्रितों के नियुक्ति प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जा चुका है। सहायक निदेशक (सेवा0), क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ के पत्रांक स्था0/सेवा0/मृतकआश्रित/नियुक्ति 2018/890-91 दिनांक 16-08-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि मृतक आश्रित नियमावली 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार यादव पुत्र स्व0 राजकुमार यादव की पात्रता नियुक्ति हेतु मृतक आश्रित के रूप में नहीं आती क्योंकि उनकी माता श्रीमती किरन देवी वर्तमान में राजकीय सेवा के अन्तर्गत क्षेत्रीय सेवायोजना कार्यालय, आजमगढ़ में कार्यरत हैं। तद्नुसार श्री संजीव कुमार यादव का नियुक्ति प्रार्थना-पत्र निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव, वि0स0 सदस्य द्वारा दिसम्बर 2017 को जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त पत्र पर कार्रवाई कराने विषयक जानकारी

4-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की ब्लाक पुरवा, ग्राम पंचायत रामाअमरापुर के ग्राम रामापुर (केदारखेड़ा) के कतिपय लोगों का राशन कार्ड बनवाये जाने विषयक श्री विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिसम्बर, 2017 में जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ

है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में कथित पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

श्री विक्रम सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के साथ संलग्न श्रीमती श्यामादेवी पत्नी शिवकुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक 19-12-2017 के क्रम में जांचोपरान्त श्रीमती श्यामादेवी का पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र पाये जाने पर राशन कार्ड संख्या-215640726360 (03 यूनिट) बना दिया गया है, जिस पर दिनांक 13-12-2018 को ऑन लाइन डिजिटल हस्ताक्षर किये गये हैं। वर्तमान में श्रीमती श्यामादेवी का नाम पात्रता सूची में क्रमांक-59 पर दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती में परिवहन निगम परिसर में स्वच्छ एवं साफ-सफाई, पेयजल आदि की उचित व्यवस्था कराने की मांग

5-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में परिवहन निगम परिसर में क्या सरकार स्वच्छ पेयजल व साफ-सफाई सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

बस स्टेशन परिसर जनपद बस्ती में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं साफ-सफाई की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा पूर्व से ही करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती के रामपुर गांव में बन रहे मेडिकल कालेज परिसर में हाइटेंशन विद्युत तार बीच में आने के कारण निर्माण में हो रहे रूकावट के सम्बन्ध में

6-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रामपुर गांव में बन रहे मेडिकल कालेज परिसर में विद्युत विभाग का हाइटेंशन तार बीच में आ जाने के कारण निर्माण कार्य में रूकावट पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माणाधीन मेडिकल कालेज परिसर में हाइटेंशन तार की शिफ्टिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती के रामपुर गांव में बन रहे मेडिकल कालेज परिसर में विद्युत विभाग के हाइटेंशन तार के लाइन को दिनांक 10-12-2018 को स्थानान्तरित करा दिया गया है, जिससे उक्त स्थान पर निर्माण कार्य में विद्युत लाइन से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।

जनपद-बस्ती के रोडवेज वर्कशाप में प्रशिक्षित मैकेनिकों के स्टाफ के पूर्ण कराने की मांग

7-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती रोड वेज वर्कशाप में प्रशिक्षित मैकेनिकों के अभाव में बसों की समुचित जांच नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति बस्ती रोडवेज वर्कशाप के लिये करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

निगम के प्रशिक्षित कर्मचारी तथा वाह्य स्रोत के प्रशिक्षित कर्मी मिलकर बसों की जांच कर रहे हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बस्ती के निर्माणाधीन कलवारी-रामपुर तटबन्ध पर पिपरपाती के 10 से 15 वर्षों के बच्चों से बन्धों में मजदूरी कराने के सम्बन्ध में

8-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के निर्माणाधीन कलवारी-रामपुर तटबन्ध पर पिपर पाती गांव के निकट, स्थानीय परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 10 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाल श्रम कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बस्ती के विद्युत विभाग में आऊटसोर्सिंग से काम करने वाले कर्मचारियों के 6 माह के बकाये वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में

9-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग से कार्य करने वाले कर्मचारियों को विगत 6 माह से कोई मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान एवं निर्धारित मानदेय का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जी हां।

1-माह सितम्बर, 2018 का देय भुगतान सम्विदा एजेंसियों को विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, बस्ती/हरैया द्वारा किया जा चुका है।

2-विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बस्ती/हरैया द्वारा माह अक्टूबर, 2018 तक का देय भुगतान किया जा चुका है एवं विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/तृतीय, बस्ती द्वारा माह अक्टूबर, 2018 का देय भुगतान दिनांक 26-12-2018 तक कर दिया जायेगा।

3-माह नवम्बर, 2018 का देय भुगतान सम्विदा एजेंसियों को आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट द्वारा किया जाना है जिसके लिए कारपोरेशन के निर्देशानुसार वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा सम्विदा पोर्टल पर अपलोडिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए वितरण खण्डों को दिनांक 29-12-2018 तक भुगतान करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-91 के उत्तर के सम्बन्ध में

10-श्रीमती जय देवी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-91 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत ट्रान्सफार्मर हटाने हेतु कुल कितना खर्च आयेगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-लखनऊ के हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कलां में त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के पीछे बाग में स्थापित ट्रान्सफार्मर को हटाकर त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के चौराहे पर स्थानान्तरित करने हेतु रु0 5,03,627.00 (पांच लाख तीन हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) व्यय प्राक्कलन अनुसार आयेगा। रु0 5,03,627.00 (पांच लाख तीन हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) धनराशि जमा हो जाने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन फाल्ट को ठीक करने के लिए लाइन मैनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

11-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन मैनों की संख्या काफी कम होने के कारण लाइन फाल्ट ठीक करने में काफी समय लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाइन मैनों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभागीय लाइनमैंन अनुरक्षण स्टॉफ की कमी होने के कारण नियमानुसार निविदा द्वारा सम्विदाकर्मियों की तैनाती अनुरक्षण कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार की जाती है जो कि विद्युत लाइनों एवं विद्युत तंत्र के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखना सुनिश्चित किया जाता है।

जी हां।

शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जा रही है।

वर्तमान में टी0जी0-2 (लाइन) का पद 100 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत (कुशल श्रमिक) से पदोन्नति का पद है अतः टी0जी0-2 (लाईन) के खाली पदों को भरा नहीं जा पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत प्रबन्धन द्वारा टी0जी0-2 (विद्युत) की भांति टी0जी0-2 (लाइन) के पदों में भी सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निजी नलकूपों के किसानों को विद्युत संयोजन हेतु पैसा ब्याज सहित दिलाने के सम्बन्ध में

12-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निजी नलकूपों के कितने संयोजन स्वीकृत हुये हैं और उनमें से कितनों का लाइन पड़ने का सामान दिया जा चुका है और कितनों का बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन उपभोक्ताओं का सामान बकाया है उनको सामान कब तक मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-तिलहर के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के कुल 1293 निजी नलकूपों के संयोजन स्वीकृत हुए थे, सभी 1293 स्वीकृत संयोजन की विद्युत सामग्री स्टोर खण्ड से निर्गत हो गयी है। वर्ष 2018-19 में कुल 265 निजी नलकूपों के संयोजन स्वीकृत हुए थे जिनमें 136 निजी नलकूपों की विद्युत सामग्री स्टोर खण्ड से निर्गत किये जा चुके हैं। अवशेष 129 निजी नलकूपों का सामान स्टोर खण्ड से निर्गत नहीं हुआ है।

अवशेष उपभोक्ताओं को निजी नलकूप का सामान वरीयता के आधार पर माह मार्च, 2019 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के अन्तर्गत वि0खं0 मिर्जापुर के ग्राम जटिउरा व वि0खं0 खुदागंज के ग्राम होसीपुर, ग्राम कुआडाडा आदि ग्रामों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत किये गये कनेक्शन के सम्बन्ध में

13-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम जटिउरा व विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम होसीपुर, कुआडाडा, विक्रमपुर तथा विकास खण्ड तिलहर के ग्राम पडेनिया में विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत कब हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त गांव में 16 अक्टूबर, 2018 तक कितने कनेक्शन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-मिर्जापुर के ग्राम-जटिउरा एवं विकास खण्ड, तिलहर के ग्राम-पडनिया के विद्युतीकरण का कार्य मै0 आई0एल0एफ0एस0 द्वारा माह नवम्बर, 2018 में पूर्ण किया जा चुका है।

विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम होसीपुर, कुआडाडा एवं विक्रमपुर का कार्य मै0 बजाज कम्पनी द्वारा माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उक्त ग्रामों में 16 अक्टूबर, 2018 तक 67 विद्युत संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रदेश में गति अवरोधकों द्वारा हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में

14-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली छमाही तक प्रदेश में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितने लोगों की जाने गयीं ? क्या यह सही है कि सड़क दुर्घटनाओं की वृद्धि में मुख्य मार्गों पर बने गति अवरोधक है जो दिखाई नहीं देने के कारण दो पहिया वाहनों के दुर्घटना का कारण बनते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों पर बने गति अवरोधकों को दूर से ही दिखायी पड़ने के लिये पेन्ट करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

1-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40268 सड़क दुर्घटनायें हुई हैं और उनमें 20861 लोगों की मृत्यु हुई हैं।

2-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 तक 21669 सड़क दुर्घटनायें हुईं हैं और इन दुर्घटनाओं में 11182 लोगों की मृत्यु हुई हैं।

जी नहीं।

समस्त गति नियन्त्रण हेतु स्पीड टेबल रम्बल स्ट्रिप इत्यादि पर चमकिले पदार्थ से पेन्ट करने के आदेश पूर्व से निर्गत हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मथुरा के वि0स0 क्षेत्र मांट के हरनौल कस्बे में 132 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करवाने के सम्बन्ध में

15-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के हरनौल कस्बे में स्थानीय निवासियों को विद्युत ह्रास की समस्या से निजात दिलाने हेतु 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरनौल कस्बा, 33 के0वी0 उपकेन्द्र मांट से लगभग 08 कि0मी0 एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र मांट से मात्र 10 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र मांठ पर 33/11 के0वी0 वितरण उपकेन्द्र मांट तहसील का विद्युत भार 10 एम0वी0ए0 है जोकि अतिभारित नहीं है। यह भी संज्ञानित कराना है कि 220 के0वी0 उपकेन्द्र मांट दिनांक 31-12-2018 को ऊर्जीकृत किया जाना लक्षित है जिससे उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति और सुदृढ़ हो जायेगी।

अतः क्षेत्र में नवीन 132 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता विद्युत भार के दृष्टिकोण से सम्यक नहीं है।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को नियमित छः माह के अन्दर बिजली के बिल जारी करने के सम्बन्ध में

16-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को नियमित बिल जारी न करने से उपभोक्ता बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छः माह के अन्दर बिल जारी करने अथवा बिल जमा न करने पर बिल की धनराशि शून्य अथवा कनेक्शन विच्छेदन का नियम लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को बिल जारी करने के लिए बिलिंग एजेन्सियों की नियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराया जा रहा है।

बिल जमा न करने पर बिल की धनराशि शून्य करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्युत बिल का बकाया होने पर कनेक्शन विच्छेदन का नियम लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जर्जर लाइनों एवं खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक कराने के सम्बन्ध में

17-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में जर्जर विद्युत लाइनों एवं खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक कराने/बदलवाये जाने हेतु कोई आन लाइन शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

ग्रामीण अंचलों में विद्युत व्यवधान की शिकायतें तथा खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक कराने/बदलवाये जाने हेतु हेल्पलाइन नं0-1912 पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है। जर्जर तार से सम्बन्धित शिकायत उपखण्ड/खण्डीय कार्यालय में प्राप्त की जाती है, जिनका यथासम्भव निराकरण बिजनेस प्लान में उपलब्ध धनराशि से किया जाता है। वर्तमान में जर्जर तारों को बदलने हेतु जिला विकास निधि योजना लागू की गयी है, इस योजना में वसूल किये गये आर0सी0 की धनराशि के 15 प्रतिशत अंश का उपयोग लाइनों के जर्जर तारों बांस-बल्लियों को बदलने, दुघर्टना बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों तथा अन्य आकस्मिक आवश्यकता वाले कार्यों को जिला अधिकारी की संस्तुति के आधार पर वितरण खण्डों द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

विभिन्न श्रेणी की शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से समयबद्ध रूप से किया जाता है।

प्रदेश में विद्युत शिकायत टोल फ्री नं0-1912 वर्तमान में कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यमुना नदी विभिन्न शहरों के प्रदूषित पानी से पैदा होने वाली जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सब्जियों की चेकिंग व बिक्री रोकने सम्बन्धी

18-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यमुना नदी और विभिन्न शहरों के गंदे नालों में प्रवाहित जहरीले या प्रदूषित पानी की सिंचाई द्वारा उगायी जा रही सब्जियां जन-स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उक्त हानिकारक सब्जियों को सब्जी मंडियों में बेचने से पूर्व विभिन्न प्रकार के टेस्ट अनिवार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

आम-जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2011 व विनियमावलियों को प्रवर्तित किया जाता है। किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय के पूर्व जांच कराये जाने की अनिवार्यता सम्बन्धी नियम/विनिमय प्रतिपादित किया जाना भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है, परन्तु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विक्रय की जा रही सब्जियों के नमूने संग्रहीत कर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समस्त धर्म स्थलों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी

19-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त धर्मस्थलों को मुफ्त या रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना सरकार द्वारा है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के प्रस्ताव पर मा0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 12-12-2018 के द्वारा ऐसे अव्यवसायिक परिसरों पर, जहां किसी भी धर्म के धार्मिक व्यक्ति निवास करते हों, 05 कि0वा0 भार तक घरेलू बत्ती, पंखा की विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं।

मा0 नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी व जालौन के किसानों को विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या-घ नं0-361111 दिनांक 14-05-2017 पर कार्रवाई हेतु

20-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-घ 361111, दिनांक 14-5-2017 जो कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद झांसी, ललितपुर एवं जालौन में किसानों को 3 एच0पी0 विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद झांसी, ललितपुर एवं जालौन में किसानों को ट्यूबवेल हेतु 3 एच0पी0 के स्थाई संयोजन दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर संयोजन अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है।

जनपद-झांसी में किसानों को सिंचाई वास्ते 01 अप्रैल, 2018 से अभी तक 03 एच0पी0 एवं उससे कम भार के 04 नं0 स्थायी कनेक्शन तथा 972 नं0 अस्थाई कनेक्शन दिये गये हैं। 04 नं0 कनेक्शन की टी0सी0 जारी की जा चुकी है, धनराशि जमा करने के बाद कनेक्शन अवमुक्त किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराना है कि जो भी नवीन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन पर भी आवेदित भार के अनुसार संयोजन निर्गत करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-201 पर।

प्रदेश में निजी ट्यूबवेल को विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन देने विषयक

21-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों को निजी ट्यूबवेल हेतु विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन माध्यम से देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

इस सन्दर्भ में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत प्रत्येक गांव सभा में पात्र व्यक्तियों के राशन कार्डों को शीघ्र दिलाने के सम्बन्ध में

22-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत प्रत्येक गांव सभा में पात्र राशन कार्डों का सत्यापन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार छूटे पात्र राशन कार्डों की जांच कराकर राशन कार्ड दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा की समस्त ग्राम सभाओं में सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर शासनादेशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पात्र आवेदकों को राशनकार्ड जारी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर एवं जलालाबाद में हुई संविदा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

23-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर एवं जलालाबाद में 1-4-16 से 1-9-18 तक कितनी नियुक्ति संविदा के आधार पर कहां-कहां की गई ? क्या सरकार उनके नाम, पते, नियुक्ति तिथि तथा नियुक्त अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विद्युत वितरण खण्ड-तिलहर जिला-शाहजहांपुर के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2016 से 01-09-2018 तक तिलहर खण्ड में कोई भी संविदा पर नियुक्त नहीं किया गया है। विद्युत वितरण

खण्ड जलालाबाद जिला शाहजहांपुर में दो सेवानिवृत्त कर्मचारी संविदा पर लिपिकीय कार्य हेतु तैनात किये गये हैं। जिनके नाम सर्वश्री सुरेश चन्द्र गुप्ता तथा कुलदीप कुमार हैं।

जी हां (विवरण संलग्न है)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बदायूं के दातागंज आर0एफ0सी0 क्रय केन्द्र पर गेहूं क्रय में करोड़ों की हुई हेराफेरी की जांच एवं प्रश्नकर्ता के पत्र पर आख्या सं0-18157180172564 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

24-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के दातागंज आर0एफ0सी0 क्रय केन्द्र पर गेहूं क्रय में करोड़ों की हुयी अनियमितता की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को आख्या सं0-18157180172564 द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग की सूचनानुसार जनपद बदायूं के गेहूं क्रय केन्द्र दातागंज मण्डी के भौतिक सत्यापन में पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत खाद्यायुक्त के कार्यालय आदेश संख्या-5938/आ0वि0शा0-बदायूं जांच/18-19/दिनांक 24-10-2018 द्वारा केन्द्र प्रभारी श्री रावेन्द्र कुमार, विपणन निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही आसन्न कर प्रकरण में जांच हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र संख्या-8026/आ0वि0शा0-बदायूं जांच/गे0ख0/2018-19 दिनांक 14-12-2018 के अनुसार प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में श्री रावेन्द्र कुमार, विपणन निरीक्षक को भी सह अभियुक्त बनाया गया है। प्रकरण में नियुक्त विवेचक श्री राकेश सिंह द्वारा आरोप पत्र संख्या-26/18 दिनांक 06-11-2018 में श्री रावेन्द्र कुमार विपणन निरीक्षक प्रभारी गेहूं क्रय केन्द्र दातागंज मण्डी को संदिग्ध अभियुक्त बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रही बिजली चोरी रोकने के अभियान में घर व संस्थानों आदि पर चोरी की जांच के लिए जाने वाली टीम को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के सम्बन्ध में

25-श्री महबूब अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली चोरी रोकने की जांच टीम के अधिकारी व कर्मचारी को घरों व संस्थानों में लगे मीटर से सम्बन्धित कम्पनी से तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी से और कितने दिनों का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-209 पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा आन्तरिक व्यवस्था से प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के हजारों/लाखों रुपये के बिल जारी करने विषयक

26-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के हजारों/लाखों रुपये के बिल जारी किये जाने की घटनाओं के दृष्टिगत उन्हें ठीक कराये जाने की कोई समय सीमा सरकार निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के बिल जारी करने हेतु नवीन बिलिंग एजेंसियों की नियुक्ति कर दी गयी है जिसे प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को मासिक बिल उपलब्ध कराना है, उपभोक्ता के आवेदन पर त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक किया जाना विभाग की नियमित प्रक्रिया है। त्रुटिपूर्ण बिलों को ठीक कराये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की फील्ड इकाइयों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। 1912 हेल्पलाइन नं0 पर भी त्रुटिपूर्ण बिलों की शिकायत दर्ज होती है। त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन 07 दिनों के अन्दर करने का मानक निर्धारित है, जिसका सतत् अनुश्रवण किया जाता है। जनसुविधा केन्द्रों पर भी त्रुटिपूर्ण बिलों की समस्या की शिकायत पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में 33/11 के0वी0ए0 के पावर हाउस एवं उनके सापेक्ष नियुक्त जूनियर इंजीनियरों के सम्बन्ध में

27-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 33/11 के0वी0ए0 के कितने पावर हाउस हैं और उनके सापेक्ष कार्यरत जूनियर इंजीनियरों की कितनी संख्या है ? क्या सरकार पावर हाउसों के सापेक्ष जूनियर इंजीनियरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों तथा केस्को में 33/11 के0वी0 के कुल 4523 नग उपकेन्द्र हैं तथा उसके सापेक्ष कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या 2481 है।

जी हां।

माह दिसम्बर 2018 में 226 नव नियुक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। अवर अभियन्ताओं की भर्ती तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में बन्द कैदियों के मुलाकात के सम्बन्ध में

28-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कारागार हैं जिनमें बंदियों की परिजनों से मुलाकात जाली के आर-पार से कराई जाती है ? क्या सरकार बंदियों की परिजनों से कक्ष में बैठकर मुलाकात कराये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 71 कारागारें संचालित हैं। इनमें से वर्तमान में निम्नलिखित 15 कारागारों में बंदियों की मुलाकात जाली के माध्यम से करायी जाती है-

(1) जिला कारागार, मथुरा

(2) जिला कारागार, फिरोजाबाद

(3) जिला कारागार, कासगंज

(4) केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज

(5) जिला कारागार, कौशाम्बी

(6) जिला कारागार, चित्रकूट

(7) जिला कारागार, बलरामपुर

(8) जिला कारागार, महराजगंज

(9) जिला कारागार, आजमगढ़

(10) जिला कारागार, मऊ

(11) जिला कारागार, सिद्धार्थनगर

(12) जिला कारागार, गाजियाबाद

(13) जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर

(14) जिला कारागार, बागपत

(15) जिला कारागार, लखनऊ

जी नहीं।

बंदियों की परिजनों से अलग कक्ष में बैठाकर मुलाकात कराये जाने से कारागार की सुरक्षा प्रभावित होगी।

जनपद लखीमपुर खीरी की विकास खण्ड रमियाबेहड़ व हसनपुर कटौली में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र 32 के0वी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के विकास खण्ड रमियाबेहड़, ग्राम-करवरिया तथा हसनपुर कटौली पर शासन स्तर पर प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र 32 के0वी0ए0 सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हसनपुर कटौली से लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर बेल्तुआ में 33/11 के0वी0 2X5 एम0वी0ए0 क्षमता का विद्युत उपकेन्द्र निर्मित करके दिनांक 12-12-2018 को चार्ज किया जा चुका है।

11 के0वी0 आउटगोंइग फीडरों को बनाने का कार्य प्रगति पर है, आउटगोइंग फीडरों का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हसनपुर कटौली एवं आस-पास के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति इसी उपकेन्द्र से की जायेगी।

बेल्तुआ में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के कारण अब हसनपुर कटौली में किसी अतिरिक्त उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम करवरिया में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ढखेरवा पर 5 एम0वी0ए0 का अतिरिक्त पावर परिवर्तक दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत लगवाया जा रहा है जिसको दिनांक 30-12-2018 तक चार्ज किया जाना लक्षित है। अतः वर्तमान में करवरिया में विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतः विकास खण्ड रमियाबेहड़, ग्राम करवरिया तथा हसनपुर कटौली में 132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है। जनपद फिरोजाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कराखानों में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।

जनपद फिरोजाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कारखानों में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में

30-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कतिपय फैक्ट्रियों/कारखानों में बाल श्रमिकों से श्रम लिये जाने के सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कुल कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक कुल कितने बाल श्रमिक मुक्त कराये गये तथा कितने फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण एवं मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने की पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जनपद फिरोजाबाद में स्थित फैक्ट्रियों/कारखानों में बाल श्रम नियोजन सम्बन्धी कोई शिकायत शासन एवं प्रशासन के स्तर से प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2017-18 में जनपद फिरोजाबाद में स्थित 02 फैक्ट्रियों/कारखानों से कुल 10 बाल श्रमिकों (मे0 श्रीराम ग्लास वर्क्स मक्खनपुर से 08 बाल श्रमिक एवं मे0 के0सी0 ग्लास वर्क्स से 02 बाल श्रमिकों) का चिन्हांकन किया गया, जिसमें 08 बाल श्रमिकों के सेचायोजना के विरुद्ध

मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2018-19 में जनपद फिरोजाबाद में स्थित किसी भी फैक्ट्री/कारखानों में बाल श्रमिक नियोजित नहीं पाये गये हैं।

जी हां सभी 10 बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष से अधिक होने के कारण शैक्षिकि पुनर्वासन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजबाद के वि0स0 क्षेत्र शिकोहाबाद में वर्ष 2017 व 2018 में कुल स्थापित खम्भा एवं ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में

31-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में विभाग द्वारा वर्ष 2017 व वर्ष 2018 में कितने व किन-किन ग्रामों में जर्जर खम्भों व तारों को बदला गया तथा कितने नये ट्रांसफार्मर स्थापित व कितने नये तारों की लाइनें बनायी गयी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में वर्ष 2017 व वर्ष 2018 में ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं) योजना के अन्तर्गत 202 ग्रामों एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 218 ग्रामों में 16 के0वी0ए0 के 64 नग, 25 के0वी0ए0 के 136 नग एवं 63 के0वी0ए0 के 08 नग ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये तथा 274.36 कि0मी0 तारों की नई लाइन बनाई गयी है सम्बन्धित ग्रामों की सूची संलग्न है। 66 मजरे, जिनकी आबादी 1000 से ऊपर है, के जर्जर तार (लगभग 117 कि0मी0) ए0बी0सी0 से बदले जाने की तथा 350 नग पोल लगाने की डी0पी0आर0 है, जिसे मे0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा माह मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जी हां। (सूची संलग्न)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के दातागंज में बस स्टैण्ड बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या सं0-18157180181264 दिनांक 27-08-2018 पर कार्रवाई हेतु

32-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में दातागंज में बस स्टैण्ड बनवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर श्री नितीष कुमार, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा आख्या सं0-18157180181264 द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापा नहीं गया।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद बदायूं के तहसील दातागंज में वर्ष 2016 में एक आधुनिक जनसुविधाओं युक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जा चुका है।

तहसील दातागंज के कस्बा उसहैत, उसावां व अलापुर में निगम बस स्टैण्ड हेतु वर्तमान में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

समिति वित्तीय संसाधन के दृष्टिगत उपरोक्त स्थानों पर बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बदायूं के दातागंज में नवीन विद्युत उपकेन्द्र 132 के0वी0ए0 की स्थापना किये जाने विषयक पर आख्या सं0-18157180181277, दिनांक 27-08-2018 पर कार्रवाई हेतु

33-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में दातागंज में नवीन विद्युत उपकेन्द्र 132 के0वी0ए0 की स्थापना किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर श्री नितीष कुमार, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा आख्या सं0-18157180181277 द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

जनपद बदायूं के दातागंज में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण सम्बन्धी कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं विभिन्न वृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सम्भावित स्थापना के परिपेक्ष्य में 220 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की आवश्यकता परिलक्षित है। इस हेतु ग्राम सैंजनी में 6.5 हे0 भूमि दातागंज तहसील प्रशासन द्वारा चिन्हित करायी गयी है। उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं वितरण की आवश्यकता के अनुरूप उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत कनेक्शन पर स्टीमेट पर जी0एस0टी0 कृषकों के द्वारा न दिये जाने विषयक पर आख्या सं0-18149180180959 दिनांक 27-08-2018 पर कार्रवाई हेतु

34-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत कनेक्शन के स्टीमेट पर कृषि कार्य हेतु लिए जा रहे सरकारी सामान पर कृषकों को जी0एस0टी0 न देनी पड़े ऐसी व्यवस्था के निर्देश दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर श्री नितीष कुमार, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा आख्या सं0-18149180180959 द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

ऊर्जा विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

मा0 विधायक श्री राजीव कुमार सिंह का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र में निम्नलिखित अनुरोध अंकित था :-

> "आपसे सादर अनुरोध है कि वर्तमान समय उ0प्र0 को कृषि कार्य हेतु विद्युत ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने पर स्टीमेट के ऊपर लगभग 36 प्रतिशत जी0एस0टी0 के रूप में अतिरिक्त धनराशि ली जाती है। ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु कृषक पहले से ही स्टीमेट की धनराशि देने में असमर्थ होता है। ऊपर से ये अतिरिक्त 36 प्रतिशत का भुगतान उत्तर प्रदेश के कृषकों द्वारा देना सम्भव नहीं है।
>
> अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कनेक्शन के स्टीमेट पर कृषि कार्य हेतु लिए जा रहे सरकारी सामान पर जी0एस0टी0 कृषकों को न देनी पड़े। ऐसी व्यवस्था के निर्देश देने की कृपा करें।"

उक्त पत्र प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को श्री नितीश कुमार, विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बोधित कर प्रेषित किया गया।

उपर्युक्त अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पूर्व में ही प्रदेश सरकार के अनुरोध के दृष्टिगत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत की गई नोटिफिकेशन संख्या 14/2018-Central Tax (Rate), दिनांक 26-07-2018, प्रभावी दिनांक 27-07-2018 के अनुरूप ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी थी।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत की गयी नोटिफिकेशन संख्या 14/2018-Central Tax (Rate), सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 26-07-2018, के अनुसार (Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for expending electricity distribution network upto the tubewell of the farmer or agriculturist for agriculture use) सर्विस सप्लाइड वाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीव्युशन यूटीलिटिस बाय वे आफ कन्सट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग ऑर इन्स्टालेशन आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सटेडिंग इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क अप टू दि ट्यूबवेल आफ दि फॉर्मर ऑर एग्रीकल्चरिस्ट फार एग्रीकल्चर यूज पर जी0एस0टी0 की दर शून्य कर दी गई है, जो कि दिनांक 27-7-2018 से प्रभावी है।

अतः किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु दिये जाने वाले निजी नलकूप कनेक्शन पर जमा धनराशि पर जी0एस0टी0 नहीं लिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी में स्वीकृत सब-स्टेशन दाखिनवारा तथा वारिसगंज निर्माण की समीक्षा विषयक

35-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी में स्वीकृत सब-स्टेशन दाखिनवारा तथा वारिसगंज का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

जनपद अमेठी के सब-स्टेशन दाखिनवारा तथा वारिसगंज का निर्माण कार्य प्रगति पर है उक्त कार्य माह मार्च, 2019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के अन्तर्गत लाइनमैन एवं एस0एस0ओ0 के पद के सापेक्ष सब स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में

36-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के अन्तर्गत लाइन मैन एवं एस0एस0ओ0 के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित तथा संविदा पर कितने कर्मचारी सब-स्टेशनों पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार सब-स्टेशन सह कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

विद्युत वितरण मण्डल गौरीगंज (जनपद अमेठी) में विभागीय, आउटसोर्सड लाइन मैन एवं एस0एस0ओ0 के पद पर कार्यरत का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	नियमित कर्मचारी	आउटसोर्सड कर्मचारी
1	लाइन मैन	45	10	171
2	एस0एस0ओ0	71	44	107

जी हां (सूची संलग्न है)।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के सब-स्टेशन जगदीशपुर के फीडर हारीमऊ में खराबी की जांच कराने के सम्बन्ध में

37-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के सब-स्टेशन जगदीशपुर के फीडर हारीमऊ के महीनों से खराबी से किसानों को बिजली न मिलने की शिकायत श्री तेजभान सिंह भू0पू0 विधायक, गौरीगंज-अमेठी का दिनांक 2-3 जुलाई, 18 का पत्र ऊर्जा मंत्री के निजी ई-मेल पर उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-210 पर।

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

श्री तेजभान सिंह (पूर्व विधायक गौरीगंज) ग्राम व पोस्ट अचलपुर जनपद अमेठी के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र जगदीशपुर से निर्गत 11 के0वी0ए0 हारीमऊ फीडर के जर्जर स्विचगियर पैनल को बदलने का कार्य बिजनेस प्लान वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है तथा सामग्री का मांग-पत्र विद्युत भण्डार केन्द्र भेजा जा चुका है। सामग्री प्राप्त होते ही उक्त कार्य माह फरवरी, 2019 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। वर्तमान में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र जगदीशपुर से निर्धारित रोस्टर 18:00 घण्टे के सापेक्ष औसतन 17:00 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है एवं लोकल फाल्ट होने पर यथाशीघ्र ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र कटरा के जैतीपुर में बिजली आपूर्ति हेतु बिजली घर का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

38-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जैतीपुर से ग्राम मदनापुर वाया गढियारंगीन की दूरी लगभग 30 किमी0 होने के कारण इसके बीच के ग्रामीण अंचल में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम मदनापुर व ग्राम जैतीपुर के बीच में बिजली घर की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचल के उक्त गांव के बीच में सुचारु रूप से बिजली आपूर्ति हेतु बिजली घर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जैतीपुर से ग्राम मदनापुर वाया गढिया रंगीन के बीच की दूरी अधिक होने के कारण बिजली घर बनाने की आवश्यकता है।

ग्राम जैतीपुर में बिजली घर बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र कटरा में स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग

39-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कितने ट्रांसफार्मर कितनी-कितनी क्षमता के लगे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिभारित वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कटरा पर 3 X 5 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र जैतीपुर पर 1 X 5, 1 X 10 एम0वी0ए0 एवं उपकेन्द्र खुदागंज पर 2 X 5 एम0वी0ए0 क्षमता के एवं मध्यम क्षमता के परिवर्तक 400 के0वी0ए0 के 12, 250 के0वी0ए0 14, 100 के0वी0ए0 के 11, 63 के0वी0ए0 के 77, 25 के0वी0ए0 के 597, 16 के0वी0ए0 के 512,10 के0वी0ए0 के 610 परिवर्तक स्थापित है।

जी हां, कटरा एवं खुदागंज उपकेन्द्र के अन्तर्गत 2 पावर परिवर्तक अतिभारित हैं एवं मध्यम क्षमता का कोई भी पावर परिवर्तक अतिभारित नहीं है।

उपकेन्द्र कटरा एवं खुदागंज के अतिभारित पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि हेतु आई0पी0डी0एस0 योजना में चयन किया गया है।

पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य माह मार्च, 2019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कितने गांवों/मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार समयबद्ध उक्त गांवों व मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत 16 मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण नहीं है, जिनके विद्युतीकरण का कार्य सौभाग्य योजना के अन्तर्गत मेसर्स बजाज कम्पनी एवं मेसर्स आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 कम्पनी के द्वारा कराया जा रहा है।

ग्राम का विद्युतीकरण माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के करछना पावर प्लान्ट की निविदा की अवधि के सम्बन्ध में

41-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना में प्रस्तावित 1320 मेगावाट पावर प्लाण्ट स्थापना हेतु भारत सरकार की नवीन प्रतिस्पर्धा बिडिंग गाइड लाइन के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पावर प्लाण्ट को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

प्रस्तावित करछना पावर प्लान्ट को स्थापित करने के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यों यथा मै0 संगम पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड का मै0 जेपी ग्रुप से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरण

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से करछना परियोजना के लिए इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स (पर्यावरण अनापत्ति) ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से निर्गत नवीनतम केस-2 बिडिंग के माध्यम से करछना परियोजना को पुनः स्थापित करने के लिए सफल बिडर के चयन की प्रक्रिया इत्यादि के सन्दर्भ में न्यायालय/विधिक संस्थाओं से परियोजना निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न होने की दशा में जनवरी, 2027 में परियोजना की कमिशनिंग हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में उ0प्र0रा0परि0 डिपो कि निश्चित यात्रा पूरी कर चुकी बसों के स्थान पर नयी बसों की व्यवस्था कराने हेतु

42-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम डिपो में ऐसी बसों की संख्या कितनी है जो अपनी 10 लाख कि0मी0 सफर पूरा कर चुकी हैं ? क्या सरकार उक्त बसों के स्थान पर नई बसों की व्यवस्था बस्ती डिपो के लिए करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

परिवहन निगम बस्ती डिपो की 51 बसें 10 लाख कि0मी0 पूर्ण कर चुकी हैं।

बस्ती डिपो की उक्त 51 बसों में से 09 बसें प्रतिस्थापन हेतु विभागीय मानकों को पूर्ण कर रही हैं।

वर्तमान में 10 नई बसें बस्ती डिपो को उपलब्ध करायी गयी हैं।

बस्ती डिपो में माह अक्टूबर, 2018 में 04 बसें, माह नवम्बर, 2018 में 04 बसें एवं दिसम्बर 2018 में 02 बसें इस प्रकार कुल 10 नई बसें बस्ती डिपो को प्राप्त करायी गयी हैं।

बसों के प्रतिस्थापन हेतु मानक निर्धारित है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में राजकीय बसे संचालित करने एवं ब्लाक खुटार में बस स्टैण्ड की स्थापना करने हेतु

43-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में कितनी राजकीय बसें संचालित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि पुवायां से मोहम्मदी (जिला लखीमपुर) तक किसी राजकीय बस का संचालन नहीं है व उक्त क्षेत्र तथा ब्लाक खुटार में रोडवेज बस स्टैण्ड भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर बसों का संचालन करवाकर उक्त स्थानों पर बस स्टैण्ड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

पुवायां में परिवहन निगम की 45 बसें दो फेरों में संचालित हैं।

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के पुवायां से जिला लखीमपुर के मोहम्मदी तक परिवहन निगम गोला डिपो की 03 बस सेवायें संचालित हैं। पुवायां में निगम का बस स्टैण्ड स्थित है जबकि ब्लाक खुटार में बस स्टैण्ड नहीं बना है।

उपरोक्तानुसार उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित हैं, जबकि पुवायां एवं गोला में परिवहन निगम का बस अड्डा स्थित होने के कारण ब्लाक खुटार में बस स्टैण्ड बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में विद्युतीकृत किये गये ग्रामों के लिये आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

44-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में कितने राजस्व ग्राम/मजरों में विद्युतीकरण किया गया व उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी व उक्त धनराशि का उपयोग किस मद में कितनी धनराशि उपयोग की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (11वीं) योजना के अन्तर्गत 523 राजस्व ग्राम/मजरों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। विधान सभा क्षेत्र पुवायां हेतु धनराशि रु0 41.48 करोड़ आवंटित हुई है। उक्त धनराशि का उपयोग 523 राजस्व ग्राम/मजरों में विद्युतीकरण के कार्य हेतु किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिये गये विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में

45-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दिये गये व कितनी मात्रा में किटों का वितरण किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 30-11-2018 तक 630 ग्रामों/मजरों में 21400 विद्युत संयोजन दिये गये हैं एवं 21400 किटों का वितरण किया गया है।

जी हां (विवरण संलग्न है)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम भदेवरा के श्री बांकेलाल गोंड के घर के ऊपर से 1100 वोल्ट की तार जाने से हमेशा हो रही आगजनी के सम्बन्ध में

46-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम भदेवरा के श्री बांकेलाल पुत्र घमण्डी गोंड के घर के ऊपर से 1100 वोल्ट की तार के जाने से हमेशा आगजनी और किसी अप्रिय घटना का डर बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जान माल की घटना के दृष्टिगत उक्त तार व पोल को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लाइन पूर्व की बनी है एवं श्री बांकेलाल द्वारा घर बाद में निर्मित किया गया है।

यदि श्री लाल द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत लाइन शिफ्ट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो शिफ्टिंग का प्राक्कलन उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा साथ ही साथ श्री लाल को राईट आफ वे (आर0ओ0डब्ल्यू0) भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अभी तक श्री बांकेलाल पुत्र श्री घमण्डी गोंड द्वारा लाइन के शिफ्टिंग हेतु कोई आवेदन सम्बन्धित खण्ड को प्राप्त नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को बदलवाने एवं जर्जर लाइनों से हो रही दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में

47-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश विद्युत तार जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पुराने एवं जर्जर तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी (घ) अगले पृष्ठ संख्या-220-223 पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कराये गये सर्वे के अनुसार कुछ स्थानों पर जर्जर तार हैं।

जी हां।

जिन स्थानों पर तार जर्जर हैं उनको बदलने का कार्य बिजनेस प्लान 2018-19 के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 तक किया जाना लक्षित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनता को मंहगाई से निजात पाने के लिये ठोस योजना बनाने के सम्बन्ध में

48-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जनता को राहत दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक व फुटकर मूल्यों के दैनिक आधार पर अनुश्रवण करने हेतु 08 मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ क्रमशः कानपुर, मेरठ, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज एवं वाराणसी में स्थापित किये गये हैं, जिनमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित समीक्षा की जाती हैं प्रदेश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता व उनके भाव की समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं राज्य स्तर पर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की अध्यक्षता में की जाती है। विगत में दालों व सब्जियों के मूल्य बढ़ने पर रिटेल आउटलेट खोलकर थोक व्यापारी/सस्ता गल्ला विक्रेता/मण्डी परिषद/हाफेड/कर्मचारी कल्याण निगम के सहयोग से उचित मूल्य पर इनकी बिक्री करायी गयी है।

खाद्न्न की जमाखोरी/कालाबजारी को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवश्यक वस्तुओं पर स्टाक लिमिट भी लागू की जाती है। इसके साथ ही जमाखोरी/कालाबाजारी व मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों को खाद्य विभाग, व्यापार कर, मण्डी, आयकर व पुलिस विभाग के सहयोग से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश एवं जनपद बिजनौर में अन्त्योदय कार्यक्रम लाभार्थियों के सम्बन्ध में

49-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने लाभार्थियों को अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त लाभार्थियों की सूची को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अन्त्योदय लाभार्थियों की कुल संख्या 4094500 है।

अन्त्योदय लाभार्थियों की पूरी सूची खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.nic.in पर उपलब्ध है।

जनपद बिजनौर की बिगड़ती ऊर्जा आपूर्ति स्थिति के सम्बन्ध में

50-श्री मनोज कुमार पारस

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की बिगड़ती ऊर्जा आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बिजनौर में विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित आई0पी0डी0एस0, डी0डी0यू0, जी0जे0वाई0 (नई) एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये उपकेन्द्रों के निर्माण, परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि आदि विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत विद्युत तंत्र स्थापित करने का कार्य दिनांक 31-12-2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है एवं नये उपकेन्द्रों का निर्माण मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र कस्बा डासना एन0एच-9 से होकर गुजरता है डासना स्टैण्ड पर रोडवेज स्टैण्ड निर्माण के सम्बन्ध में

51-श्री असलम अली-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद में कस्बा डासना में एन0एच0-9 पर डासना स्टैण्ड पर रोडवेज बस स्टाप नहीं है जिससे कस्बा डासना व आस-पास के 10 से 15 गांवों के यात्रियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा डासना स्टैण्ड पर रोडवेज बस स्टाप बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं,

जिला गाजियाबाद में कस्बा डासना में एन0एच0 9 पर सभी रोडवेज बसों का फेयर स्टाप निर्धारित है। उक्त मार्ग पर संचालित वाहन डासना से यात्रियों को उनके गन्तव्य हेतु बैठाती है तथा उक्त स्टाप पर उतारती भी है।

जी नहीं। प्रश्न नही उठता।

डासना बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु परिवहन निगम की भूमि उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आई0पी0डी0एस व दीनदयाल योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं पत्र ख-6 नं0 459016 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

52-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आई0पी0डी0एस0 व दीनदयाल योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये गुणवत्ता विहीन कार्यों की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 न0459016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत आई0पी0डी0एस0 व डी0डी0 यू0जी0जे0 वाई योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जांच अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल झांसी द्वारा करायी जा रही है। विधान सभा गरौठा का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण यह जांच कार्य माह जनवरी, 2019 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मलेसेमऊ गोमतीनगर विस्तार स्थित 220 के0वी0 के पावर हाउस क्षमता वृद्धि कराने के सम्बन्ध में

53-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मलेसेमऊ, गोमतीनगर विस्तार स्थित 220 के0वी0 का पावर हाउस अतिभारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पावर हाउस की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

भविष्य में भार वृद्धि के दृष्टिगत इस उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 3 x 60 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 4x60 एम0वी0ए0 कर दिनांक 13-10-2018 को उच्चीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत 2017 मार्च से अब तक कुल स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों के सम्बन्ध में

54-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत कुल कितने नए विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना मार्च, 2017 से अब तक की गयी तथा उनकी क्षमता क्या-क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत मार्च, 2017 से स्थापित नये कुल विद्युत उपकेन्द्रों की संख्या 89 है तथा उपकेन्द्रों की स्थापित क्षमता का विवरण सूची में संलग्न है।

जी हां। (संलग्न विवरण के अनुसार)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के खरगापुर से मलेसेमऊ मार्ग पर स्वामी विवेकानन्द स्कूल से पीली कालोनी तक हाई पावर लाइन को अण्डरग्राउण्ड कराने की योजना के सम्बन्ध में

55-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से खरगापुर मलेसेमऊ मार्ग पर स्वामी विवेकानन्द स्कूल से पीली कालोनी तक लम्बाई मात्र 300 मीटर तक हाई पावर लाइन को अण्डरग्राउन्ड कराने की कोई योजना है ? क्या यह सही है कि यह हाई पावर लाइन आवासीय भवनों के ऊपर से गई है जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गयी है तथा आये दिन लोगों के घरों के विद्युत उपकरण फुंक जा रहे हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि फरवरी, 2018 में श्री राकेश कुमार के मकान में एक बच्चा हाई पावर लाइन की चपेट में आकर मर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए हाई पावर लाइन को अण्डरग्राउन्ड करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

लखनऊ से खरगापुर मलेसेमऊ मार्ग पर स्वामी विवेकानन्द स्कूल से पीली कालोनी तक लम्बाई लगभग 300 मीटर तक 33 के0वी0 स्वतंत्र पोषक एमिटी यूनिवर्सिटी की लाइन निकली हुई है जोकि गैर सरकारी उपभोक्ता है जिस कारण उक्त लाइन को अण्डरग्राउण्ड करने की कोई योजना नहीं है।

जी नहीं।

हाई पावर लाइन आवासीय भवनों के ऊपर से नहीं गई है। श्री राकेश कुमार ने अपने मकान का छज्जा अवैध रूप से हाई पावर लाइन के नजदीक बना लिया है असावधानी बरतने के कारण यह घटना हुई।

उक्त लाइन गैर सरकारी स्वतंत्र पोषक होने के कारण जमा धनराशि योजना के अन्तर्गत अण्डरग्राउण्ड करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (ङ) अगले पृष्ठ-224-236 पर।

जनपद सोनभद्र में यांत्रिक उपकरणों से अवैध खनन के सम्बन्ध में

56-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में यांत्रिक उपकरणों से अवैध खनन किये जाने से जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर प्रतिबन्ध लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में नियमानुसार स्वीकृत खनन पट्टे ही संचालित हैं। स्वीकृत खनन पट्टों से खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना तथा स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तो के अनुसार किया जा रहा है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष मार्च 2017 से अब तक कुल फूके ट्रान्सफार्मर एवं उनकी क्षमता के सम्बन्ध में

57-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में वर्ष मार्च, 2017 से 24 जुलाई, 2018 तक कुल कितने ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण फुंके हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन फुंके हुए ट्रांसफार्मरों का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा उक्त ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत मार्च, 2017 से 24 जुलाई, 2018 तक कुल 4673 अदद ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

क्र0-सं0	जनपद का नाम	क्षतिग्रस्त टी0एफ0 की संख्या	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्षतिग्रस्त टी0एफ0 की संख्या	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्षतिग्रस्त टी0एफ0 की संख्या
1	वाराणसी	67	8	कुशीनगर	34	15	प्रतापगढ़	1980
2	जौनपुर	188	9	आजमगढ़	182	16	मीरजापुर	254
3	गाजीपुर	214	10	मऊ	102	17	सोनभद्र	160
4	चंदौली	64	11	बलिया	120	18	भदोही	91
5	गोरखपुर	93	12	प्रयागराज	924	19	बस्ती	11
6	महराजगंज	19	13	कौशाम्बी	31	20	संतकबीरनगर	07
7	देवरिया	9	14	फतेहपुर	117	21	सिद्धार्थनगर	06

अतिभारिता के कारण क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की कुल संख्या 4673

वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर, बस्ती में अतिभारिता के कारण क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि करा दी गयी है।

प्रयागराज क्षेत्र में 1079 अदद ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करा दिया गया है, शेष पर कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव विकास खण्ड होलागढ़ के चांदपुर सरांय भारत में मजरा मन्तन का पुरा और मजरा मनी का पुरा में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

58-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, विकास खण्ड होलागढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदपुर सरांय भारत में मजरा मन्तन का पुरा और मजरा मनी का पुरा में विद्युतीकरण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ ग्राम पुरुषोत्तम मलकिया के अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

59-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ ग्राम पुरुषोत्तम मलकिया के मजरा पूनागंज की अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरा (बस्ती) में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

ग्राम पुरूषोत्तम मलकिया के मजरा पूनागंज की अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव शान्तीपुरम् से रामफल की नारी तक परिवहन बस का संचालन कराने के सम्बन्ध में

60-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में शान्तीपुरम से गोहरी होते हुए शिवगढ़ चौराहा से प्रतापगढ़ रोड रामफल की नारी तक जिसकी लम्बाई 30 कि0मी0 है पर परिवहन निगम की बस का संचालन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

शान्तीपुरम से गोहरी होते हुए शिवगढ़ चौराहा प्रतापगढ़ रोड रामफल की नारी मार्ग में शान्तीपुरम से गोहरी हाजीगंज (गोहरी) शिवगढ़ तक का मार्गाश अत्यधिक संकरा होने एवं इस मार्ग के सन्निकट लगभग समानान्तर मुख्य मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर निगम की बस का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में

61-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी विद्युत लाइनों का जीर्णोद्धार कहां से कहां तक किया गया है व कितने नये ट्रांसफार्मर कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ? क्या सरकार उक्त की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कटरा टाउन में 6.3 कि0मी0 नई एल0टी0 लाइन एवं दो 11 के0वी0 फीडरों का निर्माण कटरा उपकेन्द्र से कटरा टाउन तक कराया गया।

250 के0वी0ए0 के दो परिवर्तक इस्लामनगर एवं बंगशान नगर, 100 के0वी0ए0 के 4 नये परिवर्तक रामनगर, नगरपालिका के पास थाने के पास एवं कटरा धर्मकांटा पर एवं 1x5 एम0वी0ए0 का नया पावर परिवर्तक कटरा उपकेन्द्र पर स्थापित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 25 के0वी0ए0 के 110 एवं 16 के0वी0ए0 के 415 एवं 10 के0वी0ए0 के 471 नये परिवर्तक स्थापित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मोंठ में स्थित विद्युत सब-डिवीजन को डिवीजन के रूप में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

62-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत किसानों एवं विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा एवं सुगमता को देखते हुए मोंठ में स्थित सब-डिवीजन को डिवीजन के रूप में सरकार उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद झांसी के अन्तर्गत स्थित मोंठ उपखण्ड को खण्ड के रूप में उच्चीकृत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा माह मार्च, 2019 तक पूर्ण हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम बझेड़ा कला में विद्युत तार की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

63-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम बझेड़ा कला में विद्युत तार जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम बझेड़ा कला के जर्जर तारों को ए0बी0सी0 केबिल में बदलने हेतु कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0 नियुक्त कर दी गयी है, जिसके द्वारा माह मार्च, 2019 तक जर्जर तारों को बदलकर ए0बी0सी0 डालने का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना में विद्युत वितरण खण्ड में तैनात अधिशासी अभियन्ता के0पी0 पुरी द्वारा अवैध वसूली की जांच एवं उनके ऊपर कार्रवाई के सम्बन्ध में

64-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना में विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पिलखुवा/हापुड़ में अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अवैध वसूली हेतु प्राइवेट लोग रखने तथा जो उपभोक्ता पैसे नहीं देते इसके विरुद्ध विद्युत चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

बकायेदार उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही वाह्य एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मियों द्वारा अवर अभियन्ता की उपस्थिति में की जाती है।

अवैध वसूली की शिकायत संज्ञान में आने पर दोषी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ग्राम बसेड़ा में रात्रि काल के समय अवैध खनन पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में

65-श्री नाहिद हसन

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम बसेड़ा में खनन पट्टेदार द्वारा रात्रि काल में भारी प्रतिबन्धित मशीन द्वारा खनन कराये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अवैध खनन कार्य पर पट्टेदार के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में कनहर नदी से हो रहे अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक

66-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में कनहर नदी में यांत्रिक मशीनों (पोकलेन) से अवैध खनन किये जाने से जीव-जन्तुओं तथा पर्यावरण को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के सोन और कनहर नदियों के किनारे करगरा, मीतापुर आदि जगह पर हो रहे अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक

67-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के सोन और कनहर नदियों के किनारे करगरा, मीतापुर, अलऊर, गुरदह, कोटा, अम्मशिला और पडरछ ग्राम पंचायत की मुतहवा टोला नामक साइटों पर अवैध खनन किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध खनन पर रोक लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनने के बाद राशन न दिये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हेतु जांचोपरान्त सूची में शामिल व्यक्तियों को राशन कार्ड बनने के तीन माह बाद राशन दिये जाने की

व्यवस्था विभाग द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार राशन कार्ड बनने के तुरन्त बाद राशन दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आवंटन माह (अर्थात् जिस माह वितरण कराया जाना है) के एक माह पूर्व उठान का माह निर्धारित है तथा उठान माह के एक माह पूर्व आवंटन जारी किया जाता है, यथा माह फरवरी, 2019 हेतु खाद्यान्न का आवंटन खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-7740/आ0आ0वि0/एन0एफ0एस0 ए0आवंटन/2017, दिनांक 05-12-2018 द्वारा जारी किया गया। इस कारण माह नवम्बर, 2018 में जारी राशन कार्ड पर आवंटन दिसम्बर, 2018 में जारी होगा, जिसका उठान माह जनवरी, 2019 में होगा और वितरण माह फरवरी, 2019 में होगा।

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माह मार्च, 2017 से अब तक ट्रान्सफार्मर फुंकने के सम्बन्ध में

69-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माह मार्च, 2017 से दिनांक 26-07-2018 तक कुल कितने ट्रांसफार्मर जले तथा उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने उक्त ट्रांसफार्मर फुंकने के कारणों का निराकरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि में कुल 09 अदद् ट्रांसफार्मर विद्युत दोष के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी हां।

मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय लोड बैलेन्सिंग के माध्यम से निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने विषयक

70-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दिनांक 01-10-2017 से 31-10-2018 तक कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दिनांक 01-10-2017 से 31-10-2018 तक 02 अदद् ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है।

जी हां। विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्राम-गोपालपुर में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0

2-ग्राम कप्तानगंज बाजार में पूर्व स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक के साथ-साथ एक 100 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में खाद्यान्न वितरण में की गई काला बाजारी की जांच विषयक सन्दर्भ संख्या 12138180216988 पर कार्रवाई हेतु

71-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय सन्दर्भ संख्या 12138180216988 पर दर्ज जनपद मेरठ में वर्ष 2018 के माह मई, जून, जुलाई में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा डीलरों को आवंटित खाद्यान्न के वितरण में की गयी काला बाजारी की जांच फूड सेल से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज सन्दर्भ संख्या 12138180216988, जिसमें श्री देवेन्द्र नागपाल मा0 पूर्व संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा वर्ष 2018 के माह मई, जून, जुलाई में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा डीलरों को आवंटित खाद्यान्न के वितरण में की गई काला बाजारी की जांच फूड सेल से कराये जाने की मांग की गई है। उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की विभागीय स्तर पर प्राथमिक जांच कराने सम्बन्धी आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के पत्रांक-7586/आ0पू0पी0डी0एस0मेरठ/07/2014, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 द्वारा संयुक्त आयुक्त खाद्य मेरठ मण्डल, मेरठ को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के कस्बा-ननौता, गंगोह, नकुड़ आदि में नगरीय विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत जर्जर तारों व खम्भों को बदलने के सम्बन्ध में

72-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर कस्बा-ननौता, गंगोह, नकुड़ तथा सरसावा तथा चिलकाना एवं जनपद शामली के कस्बा कांधला, शामली, कैराना, झिंझाना, बनत, थानाभवन व जलालाबाद व एलम में नगरीय विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत पुराने खम्भों व जर्जर तारों को बदलने एवं आवश्यकतानुसार नये खम्भों व तारों का अधिष्ठापन कार्य सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-सहारनपुर के कस्बा-ननौता, गंगोह, नकुड़, सरसावा तथा चिलकाना में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 31-12-2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद शामली के कस्बा कांधला, शामली, कैराना, झिंझाना, बनत थानाभवन, जलालाबाद व एलम में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 31-01-2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड-रोहटा, जानी, सरधना के अधीन डीलरों को आवंटित खाद्यान्न वितरण में धांधली विषयक सन्दर्भ संख्या 12138180216981 पर कार्रवाई हेतु

73-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय सन्दर्भ संख्या 12138180216981 जो कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड-रोहटा, जानी, सरधना में माह मई, जून, जुलाई, 2018 में डीलरों को आवंटित खाद्यान्न वितरण में की गयी अनियमितता विषयक है, की उच्चस्तरीय जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज सन्दर्भ संख्या 12138180216981 जिसमें श्री देवेन्द्र नागपाल, मा0 पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा जनपद मेरठ के विकास खण्ड-रोहटा, जानी, सरधना में माह मई, जून, जुलाई, 2018 में डीलरों को आवंटित खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग की गई है। उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराते हुए पूर्ति निरीक्षक, सदर एवं सरधना द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड रोहटा, जानी, सरधना में डुप्लीकेट आधार होने, परिवार विस्थापन होने व अपात्र पाये जाने के कारण माह मई से जुलाई, 2018 तक कुल 12222 राशनकार्ड डिलीट किये गये तथा डिलीट हुए राशन कार्डों का कुल खाद्यान्न 1330.15 कु0 विक्रेताओं के स्टाक में होने पर इसका समायोजन आगामी माह के आवंटन में किया गया।

प्रदेश के पावर हाउसों के सापेक्ष जूनियर इंजीनियरों की तैनाती की व्यवस्था कराने हेतु

74-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 33/11 के0वी0ए0 के कितने पावर हाउस हैं और उनके सापेक्ष कितने जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं ? क्या सरकार पावर हाउसों के सापेक्ष जूनियर इंजीनियरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों तथा केस्को में 33/11 के0वी0 के कुल 4523 नग उपकेन्द्र हैं तथा उसके सापेक्ष कार्यरत अवर अभियंताओं की संख्या 2481 है।

जी हां।

माह दिसम्बर, 2018 के 226 नव नियुक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। अवर अभियन्ताओं की भर्ती तथा तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी के ग्राम हृदया नगर में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

75-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-हृदया नगर, मजरा भदियासी, विकास खण्ड-परसेंडी, जिला-सीतापुर में विद्युतीकरण का कार्य कितने वर्षों से अधूरा पड़ा है तथा इसे पूर्ण न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण कराकर ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जिला सीतापुर के ग्राम हृदया नगर मजरा भदियासी विकास खण्ड परसेण्डी का विद्युतीकरण माह जून, 2007 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (10वीं योजना) के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है, इसके उपरान्त नये बने आवासों के विद्युतीकरण का कार्य वर्तमान में चल रही सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 31-12-2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इच्छुक ग्रामवासियों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

जी हां।

दिनांक 31-12-2018 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन सफाई के सम्बन्ध में

76-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन सफाई व्यवस्था हेतु तथा खाद्य पदार्थों के छिलके व अन्य गंदगी दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों ने सामान के परिवहन की मद में चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितना राजस्व अर्जित किया है ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

परिवहन निगम में बसों की धुलाई के लिये डिपो में आटोमेटिक वाशिंग प्लान्ट की व्यवस्था की गई है तथा जिन डिपो में आटोमेटिक वाशिंग मशीन प्लान्ट लगाने का पर्याप्त स्थान नहीं है वहां पर कार वाशर से बसों की धुलाई की व्यवस्था की गई है।

खाद्य पदार्थ के छिलके व अन्य गन्दगी दूर करने की नियमित व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सामान के परिवहन के मद में चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 2008 से नवम्बर, 2018 तक) में कुल रु0 4,59,87,199.00 (रु0 चार करोड़ उनसठ लाख सत्तासी हजार एक सौ निन्यानबे मात्र) का राजस्व अर्जित किया है।

जनपद बागपत में विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण से कितने किसानों की फसलें आग लगने के कारण नष्ट हुई के सम्बन्ध में

77-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 से नवम्बर, 2018 तक जनपद बागपत विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण से कितने किसानों की फसलें आग लगने के कारण नष्ट हुई हैं व क्षतिपूर्ति हेतु प्रति किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है एवं क्या सरकार उक्त प्रकार के प्रकरण जो जिला स्तर या शासन स्तर पर लंबित है का निस्तारण कर किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-बागपत में वर्ष 2016 से नवम्बर, 2018 तक जनपद बागपत में विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण 138 किसानों की फसलों में आग लगने के कारण क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें 06 घटनाओं को विद्युत सुरक्षा निदेशालय/उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार चिंगारी से घटित होना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार विद्युत अग्निकाण्ड के कुल प्रकरणों की संख्या-132 है।

97 किसानों का क्षतिपूर्ति भुगतान धनराशि रु0 37.41 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं 01 किसान के भुगतान का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

11 किसानों के प्रकरणों में राजस्व विभाग/जिला स्तर से आख्या वांछित है।

08 किसानों के प्रकरणों में विद्युत सुरक्षा निदेशालय, मेरठ की जांच रिपोर्ट वांछित है।

01 किसान के प्रकरण में राजस्व विभाग से संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय स्तर पर स्वीकृति प्रक्रिया में है।

अग्निकाण्ड के एक ही प्रकरण में 14 किसानों की फसल क्षति हुई है एवं उक्त 14 किसानों द्वारा बैंक पासबुक की छायाप्रति खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न कराने के कारण आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान लम्बित है।

अग्निकाण्ड प्रकरण उपरोक्त विवरणानुसार प्रक्रिया में है, जिनका निस्तारण/भुगतान माह जनवरी, 2019 तक किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ-सहारनपुर मण्डल के कतिपय मार्गों पर निजी बस धारकों की बस संचालन सम्बन्ध में

78-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-104 के अन्तर्गत दिनांक 24 दिसम्बर, 2006 को मेरठ सहारनपुर मण्डल के 8 मार्गों के कुल 184 बस परमिट धारकों की बसों का संचालन बन्द कर दिया गया था जिनमें से 152 बस परमिट धारकों को पुनः दिनांक 3 जनवरी, 2017 को 4 मार्गों हेतु निजी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 8 मार्गों में से शेष चार मार्ग हेतु अवशेष 32 बसों के परमिट धारकों की बसों का संचालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

शासन की अधिसूचना दिनांक 03-01-2017 द्वारा लोकहित में 04 मार्गों पर 13-02-1986 से पूर्व संचालित निजी संचालकों के 152 परमिटों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ अनुमन्य किया गया है।

अवशेष 32 बसों के परमिट धारकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-2778/2017 सतीश गुर्जर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज में विद्युत दुर्घटनाओं से पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-297 के सम्बन्ध में

79-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज में विद्युत दुर्घटनाओं में अलग-अलग स्थानों पर हुये मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने विषयक ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-297/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 16-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

क्रम-संख्या	दुर्घटना का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
1	श्री संदीप साहनी पुत्र श्री शम्भू साहनी निवासी ग्राम बाधाचोर, पो0-बेंदूपार, जनपद-कुशीनगर उ0प्र0, मृत्यु दिनांक 31-03-2018 रात्रि लगभग 9.00 बजे।	दुर्घटना की जांच उप निदेशक विद्युत सुरक्षा द्वारा कर ली गई है। जांच आख्या के अनुसार अधिष्ठापित डबल पोल पर अनाधिकृत रूप से चढ़कर कार्य किये जाने के दौरान सप्लाई बहाल हो जाने से उन्हें विद्युत स्पर्शाघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। विद्युत दुर्घटना के लिये मृतक एवं वास्य व्यक्ति श्री भारतेन्द्र शुक्ला जिम्मेदार हैं फलस्वरूप विद्युत विभाग द्वारा अनुग्रह धनराशि देय नहीं है।
2	श्री राजेश प्रसाद बस्ती बच्ची देवी निवासी ग्राम व पोस्ट-पिपरा चन्द्रभान जनपद देवरिया, उ0प्र0 मृत्यु दिनांक 10-04-2018	स्व0 राजेश प्रसाद जिनकी मृत्यु 10-12-2010 को हुई घातक विद्युत दुर्घटना में हो गई थी, की विद्युत दुर्घटना की क्षतिपूर्ति स्वीकृत हो चुकी है एवं उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती बच्ची देवी को क्षतिपूर्ति की धनराशि रु0 1.00 लाख का चेक संख्या-005839 दिनांक 31-07-2018 को निर्गत किया जा चुका है।

क्रम-संख्या	दुर्घटना का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
3	श्री मेवा प्रसाद पुत्र असात, ग्राम मखुआ, पो0-बगही, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर मृत्यु दिनांक 25-07-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	श्री प्रमोद पुत्र सुखरात, निवासी ग्राम-लबनिया, पो0-बगही, तहसील-तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर, मृत्यु दिनांक 20-07-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	श्री सुदामा माली पुत्र हरि निवासी ग्राम-तमुकुहीरोड, कुशीनगर इनके घोड़ी की मृत्यु दिनांक 25-08-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	श्री कृष्णा पुत्र स्व0 हर ग्राम सभा-करनपट्टी, पो0 सेवरही थाना सेवरही, तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर इनके घोड़ी की मृत्यु दिनांक 25-08-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना 2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्रम-संख्या	दुर्घटना का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
7	श्री छोटे लाल भारती पुत्र श्री बिजली निवासी ग्राम व पोस्ट-सलेमगढ़, जनपद कुशीनगर उ0प्र0। मृत्यु दिनांक 09-09-2018	मृतक स्व0 छोटेलाल भारती की मृत्यु गांव के स्थानीय ढोल मेला के आयोजन के दौरान हुई थी, गांव के मेला क्षेत्र में मेला व्यवस्थापक द्वारा जनरेटर से विद्युत व्यवस्था की गई थी और जनरेटर लाइन से ही मृतक की घातक विद्युत दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना की जांच उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा कर ली गई है। घटना की प्रवृत्ति के अनुसार विद्युत विभाग से कोई अनुग्रह धनराशि देय नहीं होती है। क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी द्वारा स्थाई लोक अदालत कुशीनगर में वाद सं0 पी0एल0ए0 13/2018 दायर किया गया है। वाद पर निर्णय विचाराधीन है। स्थाई लोक अदालत के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
8	श्री विश्वनाथ पुत्र जुर्म यादव, निवासी ग्राम अहिरौलीदान, पो0-कठिया, श्री राम, जनपद-कुशीनगर की मृत्यु दिनांक 13-9-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	श्री प्रसान्त राय पुत्र स्व0 बृज किशोर राय, निवासी ग्राम हरिहरपुर पो0-तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर की मृत्यु दिनांक 18-09-2018	प्रकरण में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा गोरखपुर रीजन से जांच कराई गई। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-502मु0ई0/दुर्घटना/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्रों जर्जर सामानों के बदले जाने एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-209 के सम्बन्ध में

80-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्रों से सम्बन्धित लकड़ी के पोल, लकड़ी क्रासआर्मों एवं जर्जर अन्य सामग्रियों को बदले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-209/नेता का0वि0म0द0/2018, दिनांक 23-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्रों से सम्बन्धित क्षेत्र में लकड़ी के पोल एवं क्रास आर्म जर्जर एवं अन्य सामग्रियों के बदलने के लिये डिस्काम मुख्यालय वाराणसी से वित्तीय अनुमोदन दिनांक 10-12-2018 को प्रदान कर दी गई है, लकड़ी के पोल क्रास आर्म आदि बदलने की कार्यवाही की जा रही है यह कार्य दिनांक 31-03-2019 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत रसूलपुर बाजार स्थित प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल पर गुजरी हुई हाईटेंशन लाइन को हटाने के सम्बन्ध में

81-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत रसूलपुर बाजार स्थित प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल पर से निकली हुई हाईटेंशन लाइन से दुर्घटना की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाईटेंशन लाइन हटायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हाईटेंशन लाइन का निर्माण विद्यालय के निर्माण से पूर्व का है। उक्त लाइन में गार्डिंग का कार्य दिनांक 18-12-2018 को कर दिया गया है। दोनों सिरों के पोलों पर लगे क्रास आर्म की अर्थिंग का कार्य भी दिनांक 18-12-2018 को पूर्ण कर दिया गया है।

82-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

[दिनांक 19-12-2018 को अता0 प्र0 सं0-184 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के समस्त जिलों में पिछले एक दशक से स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आधारभूत संरचना, कानून, कृषि आदि क्षेत्र में हुए विकास के सम्बन्ध में

83-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों की प्रगति को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आधारभूत संरचना, कानून और व्यवस्था, कृषि, उद्योग, सेवाएं और समृद्धि जैसे संकेतकों के आधार पर सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे प्रदेश के समस्त जनपदों की विकास की वस्तुस्थिति की जानकारी की जा सके। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। उल्लेखनीय है कि उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर सम्बन्धित विकास विषयक जिलेवार विकास संकेतक (कानून एवं व्यवस्था को छोड़कर) प्रति वर्ष तैयार किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना मिलों द्वारा गन्ने के परिवहन में परिवहन विभागों में गैर पंजीकृत ट्राली का उपयोग व ओवरलोडिंग परिवहन करने सम्बन्धी

84-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिलों द्वारा गन्ना परिवहन में परिवहन विभागों में गैर पंजीकृत वाहनों एवं ट्राली का उपयोग एवं गन्ना परिवहन में वाहनों को ओवरलोड करने आदि अनियमितताओं की पेराई-सत्र 2017-18 में जनपद शामली में कुल कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे तथा प्रकरणों पर की गयी कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद शामली में पेराई सत्र, 2017-18 के दौरान परिवहन विभाग में गैर पंजीकृत वाहनों एवं ट्राली उपयोग एवं गन्ना परिवहन में ओवरलोडिंग करने आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने अथवा कृत कार्रवाई का विवरण मा0 सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के कूकनगर ग्रन्ट ग्राम पंचायत में निजी नलकूप लगाने के नाम पर किसानों से की गई उगाही के सम्बन्ध में

85-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के कूकनगर ग्रन्ट ग्राम पंचायत में निजी नलकूप लगाने हेतु किसानों से वर्ष 2010 में धनराशि जमा करायी गयी थी परन्तु अभी तक नलकूप नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद गोण्डा के कूकनगर ग्रन्ट ग्राम पंचायत में निजी नलकूप के संयोजन हेतु 07 उपभोक्ताओं द्वारा धनराशि जमा की गई थी। निजी नलकूप उपभोक्ता को अपनी विद्युत लाइन का निर्माण स्वयं कराना होता है।

06 निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लाइन का स्वयं निर्माण कराकर सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता को संज्ञानित कर विद्युत लाइन को ऊर्जीकृत कर दिया गया।

परन्तु उपभोक्ता श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रघुनाथ, ग्राम-रामसहायडीह, पोस्ट-कूकनगर, ब्लाक-बभनजोत का आपसी विवाद होने के कारण लाइन का निर्माण उपभोक्ता द्वारा नहीं कराया जा सका।

स्थानीय प्रशासन से सहायोग प्राप्त कर दिनांक 31-12-2018 तक उपभोक्ता की विद्युत लाइन का निर्माण कार्य करा कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के श्री रामचन्द्रा पुत्र बजीर निवासी नया गांव, सिकन्द्राबाद देहात में स्थित 25 नं0 सरकारी ट्यूबवेल से भटपुरा जाने वाली 11 के0वी0ए0 जर्जर विद्युत लाइन के तार बदलने के सम्बन्ध में

86-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री रामचन्द्रा पुत्र बजीर निवासी गांव नया गांव जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद देहात में स्थित 25 नं0 सरकारी ट्यूबवेल से भटपुरा जाने वाली 11 के0वी0ए0 की 04 वर्ष पूर्व बदली गयी विद्युत लाइन के टूटे तार की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के आश्रितों को मुआवजा देते हुए विद्युत लाइन के तारों की गुणवत्ता की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

स्व0 श्री रामचन्द्रा पुत्र बजीर निवासी नया गांव, जनपद बुलन्दशहर की मृत्यु दिनांक 02-07-2018 को 11 के0वी0ए0 की भटपुरा पोषक की लाइन से घातक दुर्घटना हुई। 11 के0वी0ए0 लाईन इन्सुलेटर से उतर जाने के कारण लाइन जमीन से ऊपर लटकी रह गई जिसके सम्पर्क में आने के कारण यह घातक दुर्घटना घटित हुई। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया तथा मृतक के भतीजे श्री प्रमोद पुत्र घनश्याम सिंह द्वारा बताया गया कि मृतक की आयु लगभग 70 वर्ष थी एवं मृतक अविवाहित था। मृतक के तीन भाई क्रमशः श्री घनश्याम, हरचन्द्रा एवं बलबीर की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक के भाई घनश्याम के तीन पुत्र एवं एक पुत्री हैं तथा दूसरे भाई श्री हरचन्द्रा के दो पुत्र एवं एक पुत्री है तथा तीसरे भाई बलबीर का एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी उक्त परिवार से अनुरोध किया गया कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से वारिसान प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे विभाग द्वारा मुआवजा की धनराशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी सिकन्द्राबाद के पत्र संख्या-928, दिनांक 31-07-2018 द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद को भी मृतक के वारिसान का नाम बताने के लिये अनुरोध किया गया है।

विद्युत लाइन के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 25-12-2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। लाइन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल द्वितीय, बुलन्दशहर द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसकी आख्या दिनांक 25-12-2018 तक प्राप्त कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.21 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन की सूचनायें लेता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचनायें हैं, परम्परा यही रही है कि मा0 अध्यक्ष ही सदन को सूचना देते हैं इसके बाद एक मिनट का मौन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री छत्रपाल वर्मा जी का 10 अप्रैल, 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे, वह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री छत्रपाल वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी नेता खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्या श्री झाऊलाल यादव जी का 31 अगस्त, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। वह एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री झाऊ लाल यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी का 16 सितम्बर, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री मालवीय वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल तथा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद दक्षिण, जिला इलाहाबाद से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री मालवीय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती मालती शर्मा जी का 30 सितम्बर, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष की थीं। श्रीमती मालती शर्मा जी का जन्म सोनीपत, हरियाणा में हुआ था। वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वह राज्य सभा की सदस्य भी रही थीं। श्रीमती मालती शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मौ0 अलीम खां जी का 10 अक्टूबर, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। उनका जन्म बुलन्दशहर में हुआ था। वह वर्ष 2007 तथा 2012 में निर्वाचन क्षेत्र बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह एक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। श्री मो0 अलीम खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री कोविद कुमार का 23 अक्टूबर, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। उनका जन्म 15 अगस्त, 1957 को ग्राम ढकियारधा,

जिला शाहजहांपुर में हुआ था। श्री कोविद कुमार वर्ष 1991, 1996 व 2002 में निर्वाचन क्षेत्र निगोही, जिला शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह विभिन्न संगठनों में संगठन मंत्री और आर्य समाज से भी जुड़े रहे। श्री कोविद कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इसी तरह इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री कौकब हमीद खां का 31 अक्टूबर, 2018 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। उनका जन्म 23 मई, 1953 को बागपत में हुआ था। हमीद खां वर्ष 1985 में कांगेस, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस व वर्ष 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र बागपत, जिला मेरठ तथा वर्ष 2002 व वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र बागपत, जिला बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री कौकब हमीद कांग्रेस विधान मण्डल दल के उपनेता, विधान सभा में भारतीय किसान कामगार पार्टी, विधान मण्डल दल और राष्ट्रीय लोकदल विधान मण्डल दल के नेता रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी नेता खो दिया।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री श्याम नारायण यादव का 04 नवम्बर, 2018 को निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे। वह वर्ष 2007 में जिला आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। वह एक कुशल सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक और समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सुखबीर सिंह गहलौत का निधन 27 नवम्बर, 2018 को हो गया है। वह 73 वर्ष के थे। वह वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0), वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991 में जनता दल से मोदीनगर, जिला गाजियाबाद से निर्वाचित हुए थे। वह विभिन्न आंदोलनों में लम्बे समय तक जेल में रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनेता और समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह कुंवर का निधन 29 नवम्बर, 2018 को हो गया है। वह 1980 में निर्वाचन क्षेत्र उमर्दा जिला फर्रूखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह एक प्रतिष्ठित, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनेता और समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री छक्की लाल का 12 दिसम्बर, 2018 को निधन हो गया है। वह 77 वर्ष के थे। वह अजीतमल, जिला इटावा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे और समाज सेवा में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनेता और समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के इन सभी पूर्व माननीय सदस्यों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त आप सबकी व्यथा और संवेदनाओं को मृतकों के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। आईये हम सब उनकी स्मृति में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

[12:28 बजे] प्रश्नों का जवाब नियम-32 के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नियमावली में प्रश्नों के उत्तर हेतु एक समय सीमा तय की गई है। नियम-32 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विभागों से सदस्यों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर 48 घण्टे के पूर्व दे दिये जायेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि जब भी कोई सदस्य संबंधित प्रकोष्ठ में सम्पर्क करता है तो उसे बताया जाता है कि अभी तक उत्तर नहीं आया है। नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि 48 घण्टे पहले उत्तर प्रकोष्ठ में आ जायेंगे और एक दिन पूर्व सदस्य को उत्तर दे दिये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन हम लोगों को सदन में आना होता है वह उत्तर प्राप्त होते हैं और समय से उत्तर न मिल पाने के कारण हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था के प्रश्न पर, जो जनहित में भी आवश्यक है और सदस्यों के लिए भी आवश्यक है, आप कोई व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को ठीक से सुना है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अधिकारीगण समय पर विधान सभा से जुड़ी सामग्री समय से पहले ही कार्यालय को उपलब्ध करा दिया करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ठीक है, मान्यवर। आपके आदेश का शत-प्रतिशत पालन होगा।

[12:30 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना सुश्री अदिति सिंह की है भारत सरकार द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों/योजनाओं हेतु उपलब्ध करायी गई धनराशि पूरी तरह खर्च न कर पाने के साथ प्रदेश सरकार द्वारा अनुपूरक बजट लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत अमरिया के गांव जगत में उर्दू भाषा का ज्ञान न होने पर भी राजू द्वारा जिला पंचायत, मण्डी परिषद्, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लोक निर्माण विभाग एवं गन्ना विकास विभाग आदि में भिन्न-भिन्न नामों से ठेकेदारी एवं घोटाले करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इन दोनों सूचनाओं का संबंध विधान सभा की कार्यवाही के संचालन से नहीं है। मैं इसे सुन नहीं पा रहा हूं और इन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार के पास भेज दूंगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

[12:31 बजे] आज दिनांक 21-12-2018 को कुल 106 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं

पहली सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के स्वहगीबर्वा सेन्चुरी अन्तर्गत अवैध ईंट-भट्ठे को तुरन्त बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की बांदा में पेयजल की समस्या को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती जय देवी की विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रूबी की 450 वर्ग मीटर जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर के लोक तंत्र सेनानी स्व0 गुरुवेन्द्र तिवारी की अन्त्येष्ठी राजकीय सम्मान से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुही के कतिपय ग्रामीणों को आवास मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री नरेश सैनी की विधान सभा बेहट, सहारनपुर अन्तर्गत ग्राम माण्डूवाला के पास हिण्डन नदी पर पुल का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवी सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद स्थित कार्यालय के वरिष्ठ सहायक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर भी कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के कतिपय ग्रामों में माइनर/ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय इण्टर कालेजों के निर्माणाधीन भवन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के डीपीआरओ श्री मनोज श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत बिरियागंज-रौनापार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद जौनपुर जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीकरपुर बरईपार में फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी नगर के सतरिख सड़क की मरम्मत में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डा0 संग्राम यादव की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अपर निजी सचिव की पदोन्नति में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति की सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज व मोहनलालगंज में स्थित प्रा0 विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध

में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के हापुड़ रोड पर मो0 करीबनगर के सामने पुल की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों/तटबंध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत कस्बा औरास में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री बम्बालाल की जनपद उन्नाव के मजरा मऊ की कतिपय स्थानों पर सी0सी0 रोड व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर की ग्रामसभा हजौली में नवनिर्मित ओवरहेड टैंक से जलापूर्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत ग्राम शेखपुरवापुर के समीप टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवा अन्तर्गत बिसवा रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की प्रदेश में आवारा गौवंश को संरक्षित करके गौपालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाईसवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मजवा के कतिपय माइनरों की सफाई/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच के ब्लाक हुजूरपुर अन्तर्गत लालपुर ऐमा में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री पवन कुमार ऊर्फ श्री पवन केडिया जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में लम्बित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री बृजेश की विधान सभा क्षेत्र देवबंद अन्तर्गत ग्राम रणखण्डी स्थित नाले की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु डाली गयी पाइपलाइन का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत ग्राम भोलपुरा से श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की सोनभद्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सैतीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा की कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद की कतिपय नगर पालिकाओं में सीवर व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में जल निगम द्वारा बनायी गयी टंकी से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा स्थित तरबगंज से मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी की कतिपय

कालोनियों में स्थापित पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में नालपुर बस स्टैण्ड से लेकर पुराने शिव मन्दिर तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के ग्राम सभा सरउज बडेवर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत गुरसंडी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतालिसवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल योजना अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवी सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर सदर के अन्तर्गत विरसिंहपुर में संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतालिसवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत में कार्यरत लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा के ब्लाक बिचपुरी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवी सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना कु0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन अन्तर्गत सुरावली से मदनेपुर टेल तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवी सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ स्थित मडराक रजवहा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्रीमती कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के कतिपय क्षेत्रों में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री संजय की जनपद बुलन्दशहर स्थित आहार पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत टेस्टाइल पार्क से फतेहगंज पश्चिमी हाई-वे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवी सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा में भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत रेहड़ी रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना (डॉ0) श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के कतिपय विकास खण्डों के कतिपय ग्रामों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठ्ठावनवी सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रेहनिया में जल निकासी हेतु कतिपय नाले/नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की वित्त विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 08-08-2018 के अनुसार पेंशन धनराशि का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री बृज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ ब्लाक रामपुरा को ग्राम किसनपुरा को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री गौरीशंकर की जनपद जालौन के

अन्तर्गत उरई एन0एच0 से ग्राम किईया रोड से ऐर टीकर आर0सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री सुरेश राही की जनपद सीतापुर अन्तर्गत उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख तीर्थ में संचालित बालगृह को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्राम पंचायतों में से किसी एक ग्राम पंचायत में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय स्थानों पर चेकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नहत्तरवीं सूचना श्री संजीव कुमार दिवाकर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजबहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री जटा शंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवी सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवी सूचना श्री पारसनाथ यादव की सहकारिता विभाग की संस्था पैक्सफेड में अनियमित तरीके से अनुबन्ध के आधार पर नई नियुक्तियां वर्तमान एम0डी0 द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवी सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवी सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापुर के अन्तर्गत ग्राम सराय ममरेज के साथरडीह के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवी सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोंदलामऊ की कतिपय कैनालों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे में इंट्री प्वांइंट दिये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड अकबरपुर में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, अस्सीवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज की ग्राम सभा सुरहन के 173 भूमिहीनों के पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना डा0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के डिबाई नगर के पास गोविन्दपुर फाटक से लेकर कसेर फाटक तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हकीकतपुर में 200 के0वी0 का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत आई0टी0ई0/जी0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुर के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की

जनपद बस्ती स्थित बजाज शुगर मिल अठदमा रूधौली द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में है, सत्तासीवी सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत पूर्व की खेवट चौशाला से वर्तमान खेवट चौशाला का मिलान कराते हुए समस्त भूमि के खतौनी विवरण कालम में अंकन कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठ्ठासीवी सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के हलिया में ड्रमंडगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। नब्बेवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा की ग्राम सभा पिलखिनी से रहिमापुर को सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानवेवी सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद आजमगढ़ के तहसील-लालगंज की ग्राम सभा-चौकी नसरतपुर के ग्राम गोपालपुर में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा की जमीन मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानवेवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि अन्तर्गत कतिपय मार्गों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानवेवी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर में 400 के0वी0 का सब-स्टेशन तत्काल स्थपित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानवेवी सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानवेवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह, शैलू की जनपद बलरामपुर के विधान क्षेत्र गैसड़ी अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानवेवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ल की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 2015 में नियुक्त मनोरंजन कर निरीक्षक के पद को संविलयन किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानवेवी सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली के मध्य रजवहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठ्ठानवेवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के नगर पंचायत बुढ़ाना में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानवेवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद के मुजफ्फरनगर में स्थापित जिला जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत ब्लाक बढ़नी के ग्राम सेमहरवा में एस0एस0बी0 कैम्प हेतु अधिग्रहीत भूमि के अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी की नगर पालिका परिषद गैरीगंज में लिपिकीय त्रुटि के कारण 2017-18 की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आय-व्ययक की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवी सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ उत्तर क्षेत्र के कदम रसूल व अयोध्या दास वार्डो की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत कतिपय भूखण्ड को भूमाफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवी सूचना श्री मो0 फईम इरफान की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम नगला ढकौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना मो0 असलम राइनी, एडवोकेट

की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा में पात्र अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(उपर्युक्त स्वीकृत सभी सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के स्वहगीबर्वा सेन्चुरी अन्तर्गत अवैध ईट-भट्ठे को तुरन्त बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रेम सागर पटेल-

[मान्यवर, जनपद महाराजगंज की विधान सभा सिसवा जंगल से आच्छादित है तथा स्वहगीर्वा सेन्चुरी है जो कि भारत-नेपाल सीमा पर स्थापित है। इसके किनारे ईट-भट्ठा नहीं लगाये जा सकते हैं परन्तु विधान सभा सिसवा में एवं जनपद महराजगंज के अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ईट-भट्ठे जंगलों के किनारे शुरू हैं जो कि नियमों के विरुद्ध हैं इसी कारण जंगलों का कटान अवैध रूप से हो रहा है एवं पर्यावरण दूषित हो रहा है प्रदूषण से गम्भीर बीमारियों से क्षेत्रीय लोग ग्रसित हो रहे हैं। यह नियम कानून का खुला उल्लंघन है। अतः इन भट्ठों को तत्काल बन्द कराये जाने एवं इन भट्ठों को जारी किये गये पर्यावरण एन0ओ0सी0 की तत्काल जांच कराये जाने हेतु उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित की जाय।

आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उपरोक्त भट्ठों को तत्कालिक प्रभाव से बन्द कराने हेतु नियमों के विरुद्ध जारी किये गये एन0ओ0सी0 की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

बांदा में पेयजल की समस्या को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र 235 सदर बांदा से बांदा नगर में पिछले कई माहों में पेयजल का बड़ा भीषण संकट बना रहता है। नगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में समय-समय पर सभी उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, किन्तु आज तक बांदा नगर में पेयजल समस्या से जनता को मुक्ति मिली।

बांदा नगर में पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी जल संस्थान विभाग के पास है, जो कि पूरी तरह फेल है, महाप्रबन्धक श्री रतन लाल वही प्रोन्नति पाकर मनमानी कर रहा है, ठेकेदार लेबर आदि का भुगतान न होने से उन्होंने कार्य करना बन्द कर दिया है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कृपया सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा के मोंठ से गुरसरांय सड़क मार्ग के मध्य बेतवा नदी पर खिरिया घाट का रपटा बना हुआ है। लेकिन बरसात के समय नदी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आने पर वह चार महीने बन्द रहता है जिससे आवागमन पूरी तरह बन्द हो जाता है। गुरसरांय से मोंठ आने-जाने के लिये 60-70 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है जबकि मोंठ से गुरसरांय की दूरी केवल 30 किमी है। इसके लिये अति आवश्यक है कि बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल निर्माण किया जाये। पूर्व में दिनाक 20 दिसम्बर 2016 को वित्तीय सलाहकार (बजट) द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वित्तीय पोषण हेतु प्रेषित किया गया था, किंतु उसे निरस्त कर दिया गया। इस कारण जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त है। बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल निर्माण किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रुबी की 450 वर्ग मीटर जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती जयदेबी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम-सदरौना में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती रूबी पत्नी श्री मो0 फहीम की खसरा नं0-520, 523, 525 व 521 क्षेत्रफल 4842 वर्ग फिट यानी 450 वर्ग मीटर जमीन है जिस पर गांव के ही भूमाफिया मो0 तौकीर पुत्र सब्बीर खां, मो0 शब्बीर पुत्र बशीर खॉ, मो0 शेरू पुत्र अबरार खॉ, मो0 फिरोज पुत्र अबरार खॉ तथा अंकित निवासीगण ग्राम-सदरौना परगना-बिजनौर थाना-पारा जनपद-लखनऊ द्वारा जान से मारने की धमकी देकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। जिसमें लेखपाल, मनीष पाठक द्वारा जमीन न नापे जाने से विरोधियों की मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में लेखपाल श्री मनीष पाठक द्वारा जमीन का भूखण्ड को नापने हेतु आदेशित करने वाले भूमाफियाओं से मिली भगत होने के कारण कार्रवाई करते हुए लेखपाल श्री मनीष पाठक को दण्डित कर श्रीमती रूबी को न्याय दिलाने का कष्ट करें।]

बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड राज्य बनाने के लिये सभी दलों की सरकारों ने आश्वासन दिये, विशेष पैकेज के लिये कहा गया, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड बनाने के लिये कहा गया परन्तु बुन्देलखण्ड को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गयी। अभी तक बुन्देलखण्ड की जनता के साथ धोखा होता रहा है।

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे राज्य बनने से प्रगति, उन्नति और समृद्धि बढ़ती है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। इसीलिये मा0 अटल जी ने उत्तराखण्ड राज्य घोषित किया था हम भी बुन्देलखण्ड को राज्य घोषित करने हेतु सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है कि बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर के लोकतंत्र सेनानी स्व0 गुरुवेन्द्र तिवारी की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विगत 22 अक्टूबर, 2018 को लोकतंत्र सेनानी गुरुवेन्द्र तिवारी का उनके यशोदा नगर, कानपुर स्थित आवास पर निधन हो गया था। उनके मित्र व सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण फाइटर एडवोकेट ने उनके निधन की सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल दे दी थी, किन्तु प्रशासन द्वारा उनकी अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, सायंकाल अन्त्येष्टि स्थल भगवतदास घाट से श्री फाइटर ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को फोन कर पुनःस्व0 गुरुवेन्द्र तिवारी की अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ करवाने को कहा तो उनके कार्यालय से स्पष्ट रूप से मना किया गया कि लोकतंत्र सेनानियों की अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ नहीं की जाती है। विदित हो कि इस सम्बन्ध में लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा-6(2) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उसकी अन्त्येष्टि जिला प्रशासन द्वारा राजकीय सम्मान के साथ की जायेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुही के कतिपय ग्रामीणों को आवास मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान क्षेत्र-तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में ग्राम-पिपराघाट में दिनांक 14-04-2017 तथा टोला घुर पट्टी, ब्लराक दुदही, तहसील तमकुहीराज में दिनांक 09-09-2017 को अग्निकाण्ड जन-धन की क्षति एवं आग में कई लोगों के घर जल गये है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम पिपराघाट के ग्रामीणों की सूची

1- श्रीमती सुशीला पत्नी श्री सुदामा
2- श्री शम्भू पुत्र श्री सुदामा
3- श्री सत्य नरायन पुत्र श्री सरयू
4- श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राम भरोसे
5- श्री सिंगासन पुत्र श्री स्वरूप
20- श्री पारस पुत्र श्री रमायन
21- श्रीमती रामरती पत्नी श्री बालधारी
22- श्री रामभरोसे पुत्र श्री सिंगासन
23- श्री रामधनी उर्फ रामदेवी पुत्र श्री सिंगासन
24- श्री गोविन्द पुत्र श्री बुचुन

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6- श्री लक्षुमन पुत्र श्री भगवान
7- श्री महेश पुत्र श्री हरिहर
8- श्री विक्रम पुत्र श्री लखराज
9- श्री विनोद पुत्र श्री नत्थू
10- श्रीमती प्रभावती पत्नी श्री दिलीप
11- श्री मैनेजर पुत्र श्री जोधा
12- श्री शंकर पुत्र श्री बालगोविन्द
13- श्री विन्धाचल पुत्र श्री विक्रम
14- श्री लल्लन पुत्र श्री कुंवर
15- श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री वंशी
16- श्री अजय पुत्र श्री शारदा
17- श्री अमावश पुत्र श्री जमदार
18- श्री ज्वाला पुत्र श्री अमावश
19- श्री राधेश्याप पुत्र श्री पहाड़ी
25- श्री रामवृक्ष पुत्र श्री भगवान
26- श्री रामलाल पुत्र श्री बालधारी
27- श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री वंशी
28- श्री वंशी पुत्र श्री बदरी
29- श्री शारदा पुत्र श्री शंकर
30- श्री बदरी पुत्र श्री गंगा
31- श्री तुफानी पुत्र श्री बालगोविन्द
32- श्री महातम पुत्र श्री विक्रम
33- श्री केदार पुत्र श्री कुंवर
34- श्री लक्ष्मीराम पुत्र श्री वंशी
35- श्री वासुदेव पुत्र श्री मैनेजर
36- श्री कन्हैया पुत्र श्री बदरी
37- श्री पहाड़ी पुत्र श्री दीप

गांव बासगांव, टोला घुर पट्टी, ब्लाक दुदही, के ग्रामीणों की सूची-

1-श्री दिलीप पुत्र श्री रामप्रीत
2- श्रीमती प्रभावती पत्नी श्री दिलीप

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्रामीणों को मुख्य मंत्री आवास मुहैया कराने एवं उपर्युक्त 38 नामों के अतिरिक्त अग्निकाण्ड में कितने लोगों के घर जले एवं इसके एवज में कितने लोगों को आवास मुहैया कराया गया, के प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र बेहट, सहारनपुर अन्तर्गत ग्राम माण्डूवाला के पास हिण्डन नदी पर पुल का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, जनहित में लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत फतेहपुर से कलसिया मार्ग पर ग्राम माण्डूवाला के पास हिन्डन नदी पर पुल अत्यधिक संकरा होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयां होती हैं। यह मार्ग उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश एवं हरियाणा प्रदेश को जोड़ता है तथा सिद्धपीठ मां शाकुम्बरी देवी के दर्शनों हेतु श्रद्धालुओं को आने-जाने का भी यह मुख्य मार्ग है। नदी पर पुल संकरा होने से जाम की स्थिति में कुछ वाहनों को नदी के अन्दर पत्थर वाले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है जिससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। रात्रि में इस मार्ग से गुजरना अत्यन्त कठिन हो जाता है। बरसात के समय में रास्ता कई घण्टों तक बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा एवं शिक्षा का कार्य भी अति प्रभावित होता है। जनहित में हिन्डन नदी पर पुल चौड़ीकरण कर पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए फतेहपुर से कलसिया मार्ग पर ग्राम माण्डूवाला के पास हिन्डन नदी पर पुल के चौड़ीकरण कर पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रूखाबाद स्थित कार्यालय के वरिष्ठ सहायक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर भी कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सुशील कुमार शाक्य-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सचिव चिकित्सा अनुभाग-2 पत्र संख्या-3157/सेक-2-पांच-16-5(118)/2015, दिनांक 24-09-2015 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रूखाबाद के अधीन वरिष्ठ सहायक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर दिनांक 21-01-2016 को उक्त कर्मी का स्थानान्तरण कर जांच की संस्तुति शासन द्वारा की गयी थी। उक्त कर्मी की निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य भवन व अपर निदेशक चिकित्सा कानपुर से अच्छी पकड़/साठ-गांठ रखने के कारण की जाने वाली जांच को प्रभावित करने में सफल रहा। उक्त अधिकारियों ने उक्त कर्मी की इच्छा के अनुसार डा0 राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रूखाबाद में समायोजित/तैनात कर दिया। उक्त कर्मी की पूर्व के कृत्यों व जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रूखाबाद दिनांक 20-11-2018 को निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य भवन व क्षेत्रीय विधायक कायमगंज, फर्रूखाबाद ने प्रमुख सचिव चिकित्सा, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 07-12-2018 को उक्त (कर्मी) प्रधान सहायक का दूरस्थ मण्डल में स्थानान्तरण के लिये अनुस्मारक पत्र लिखा। परन्तु निजी स्वार्थ व लाभ के कारण निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य भवन द्वारा जांच प्रभावित व स्थानान्तरण न करने के कारण अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व जनमानस में सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त कर्मी को दूरस्थ मण्डल स्थानान्तरण करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के कतिपय ग्रामों में माइनर/ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रभुनारायन सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत लेहरा मनिहरा ड्रेन जो लगभग 25 गांवों के बीच से होकर गुजरती है पूरी तरह से पट चुकी है। लगभग हजारों हेक्टेयर भूमि जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण जलमग्न हो जाती हैं। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने बार-बार विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खुदाई की मांग रखते हुए आ रहे है लेकिन आज उक्त माइनर की खुदाई नहीं हो पायी है। जिससे लेहरा, मनिहरा, खडेहरा, उकनी, नईकोट, पपौरा, महगांव रिष्टी जलालपुर गोहदा, विशुनपुरा, खोनपुर इटवा, सिवाने, बेलवानी रानेपुर दिनदासपुर, ओरवा, कांधी, पण्डुपुर, धनहरा, सलेमपुर, उकनी, डेढावल, छित्तमपुर इत्यादि सैकड़ों गांवों की फसल बर्बाद हो जाती हैं। किसानहित में लेहरा, मनिहरा ड्रेन की खुदाई कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जनहित में उक्त कार्य को कराया जाना अतिआवश्यक हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में जनहित में निम्न जगहों पर पुल/पुलियों का निर्माण होना अति आवश्यक है :-

1-ग्राम सड़ विकास खण्ड करहल में आनइया नदी पर छोटा पुल का निर्माण।

2-विक्रमपुर (सामान्य) ड्रेन पर नगला पोहपी मार्ग पर पुलिया का निर्माण। वि0खं0 किशनी।

3-किशनपुर ड्रेन पर पुलिया का निर्माण विकास खण्ड करहल।

4-हाजीपुर हसापोखर मार्ग पर नाले की पुलियों का निर्माण, विकास खण्ड करहल।

5-बसैत ड्रेन पर बसैत बरा मार्ग पर पुलिया निर्माण। विकास खण्ड किशनी।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुल/पुलियों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय इण्टर कालेजों के निर्माणाधीन भवन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज बाबूपुर व राजकीय इण्टर कालेज लैल खुर्द जो कि काफी समय से अर्द्धनिर्मित पड़े हैं जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है। छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्कूलों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूर्ण कराकर संचालित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त राजकीय स्कूलों का अर्द्धनिर्मित, निर्माण कार्य समयबद्ध पूर्ण कराकर संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अबरार अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर विकास भवन सुल्तानपुर में तैनात रहे मनोज श्रीवास्तव जो करोड़ो रुपये की हेरा-फेरी किया है और करोड़ों रुपया कमाया है। इसके विरुद्ध मैंने जिलाधिकारी सुल्तानपुर से शिकायत किया था तो यह हटाया गया और जानबूझ कर ब्लाक बल्दीराय, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में आता है इसे तैनात कर दिया गया है और ब्लाक में बैठकर श्रीवास्तव राजनीति करता है। वहीं बगल के कोड़वार ब्लाक के ग्राम सरकौड़ा इसकी पत्नी प्रधान है और बगैर कार्य कराये ही करोड़ों रुपये का गवन इनके द्वारा किया गया है, कोई शिकायत की जाती है तो मनोज श्रीवास्तव अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बचाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय आदि में करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। डी0पी0आर0ओ0 जांच किया लेकिन कार्रवाई न करके बचाया और भ्रष्टाचार किया। मनोज श्रीवास्तव को जनपद सुल्तानपुर से तत्काल हटाकर इसकी सम्पत्ति एवं इसके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने की आवश्यकता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए श्री मनोज श्रीवास्तव को जिले से हटाकर सम्पत्ति एवं भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री नफीस अहमद खां-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के बिलरियागंज-रौनापार मार्ग का निर्माण वर्ष 2015 में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा कराया गया था, जिस पर यातायात बहुत अधिक होने के कारण पूर्णतया ध्वस्त हो गया है। क्षेत्र की जनता विशेष रूप से गन्ना किसान अपनी उपज को मिल तक ले जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग का निर्माण ग्रामीण सड़क की विष्टियों से कराया गया है जबकि उक्त मार्ग जिला मार्ग की श्रेणी का है। जिस पर भारी वाहनों का आवागमन है। मार्ग का अनुरक्षण लगभग असम्भव है। फिर उक्त मार्ग देवारा अंचल क्षेत्र की जीवन रेखा है। मार्ग पर 15 से 20 हजार तक गाड़ियां नियमित चलती हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग को लो0नि0वि0 को स्थानान्तरित करते हुए बनाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद जौनपुर के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीरकपुर बरईपार में फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद-जौनपुर में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीरकपुर बरईपार के संदर्भ में है। उक्त विद्यालय में बिना शासन की अनुमति के जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर द्वारा अध्यापकों, लिपिकों आदि पदों पर कई फर्जी नियुक्तियां कर दी गई हैं तथा फर्जी ढंग से वेतन का भुगतान भी कर दिया गया है।

अतः अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी नगर सतरिख सड़क की मरम्मत में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा बाराबंकी के जनपद बाराबंकी के सतरिख की मरम्मत जोकि इसी दिसम्बर, 2018 में की गयी है। उक्त सड़क के निर्माण में न तो बेस सुधारने का कोई मैटेरियल विभाग व ठेकेदार द्वारा डाला गया है और न ही लेपन कार्य मानक के अनुसार किया गया है। उक्त मार्ग में कुछ आबादी भाग में बनी आर0सी0सी0 सड़क में भी मानक को दर किनार कर मोरंग की जगह डस्ट और सीमेण्ट की मात्रा कम होने के कारण पूरी सड़क उखड़ रही है। सड़क उखड़ने के कारण चलने-फिरने में क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उक्त मार्ग/सड़क की जांच टी0ए0सी0 से करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है। क्योंकि यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से ध्यानाकर्षण किये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अपर निजी सचिव की पदोन्नति में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

डॉ0 संग्राम यादव-

[मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक अति अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर वर्ष 1999 बैच के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनवरी, 2001 से उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात/कार्यरत 167 अपर निजी सचिवों की 8 से 24 वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात भी पदोन्नति नहीं हो पा रही हैं। उक्त बैच की पदोन्नति वर्ष 2015 में शुरू हुई है, परन्तु बैच बड़ा होने और सेवानिवृत्त होने वाले निजी सचिवों की संख्या कम होने एवं निजी सचिव संवर्ग में पर्याप्त पद न होने के कारण उक्त बैच के अपर निजी सचिवों की पदोन्नति में लगभग 10 वर्षों का अन्तर आ रहा है, अर्थात उक्त बैच का पहला अपर निजी सचिव वर्ष 2015 में पदोन्नति प्राप्त किया है तथा अन्तिम अपर निजी सचिव वर्ष 2024 में पदोन्नति प्राप्त करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के किसी भी अन्य सेवा संवर्ग में ऐसा कोई कार्मिक नहीं बचा है, जिसे 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति न प्राप्त की हो। कई अन्य सेवा संवर्गों के कार्मिक तो 5 से 10 वर्षों की सेवा के पश्चात ही पदोन्नति पा जा रहे हैं।

महोदय, अपर निजी सचिवों का निजी सचिव के पद पर 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी पदोन्नति न हो पाने का कारण निजी सचिव संवर्ग का पुनगर्ठन/पदों का सृजन न होना है। इस कारण उक्त अपर निजी सचिवों में कुण्ठा एवं हताशा व्याप्त है, जबकि अपर निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 उप मुख्य मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्रीगणों के साथ तैनात रहकर दिन-रात ड्यूटी करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त अपर निजी सचिवों को निजी सचिव श्रेणी-1 तथा 2 का वेतनमान प्राप्त हो रहा है। निजी सचिव पद पर पदोन्नति मिल जाने पर सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं पड़ेगा। पदोन्नति न किये जाने से सम्बन्धित कर्मचारियों में अत्यन्त निराशा है तथा इनका मनोबल भी निरन्तर हतोत्साहित हो रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस जनहित की सूचना एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निजी सचिव संवर्ग का पुनर्गठन कराकर अथवा निजी सचिव के निःसंवर्गीय पदों का सृजन कराकर पदोन्नति से वंचित अपर निजी सचिवों को पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज व मोहनलालगंज में स्थित प्रा0 विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र 176 मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज व मोहनलालगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश में बाउण्ड्रीवाल न होने से छात्र-छात्रायें असुरक्षित हैं। अवारा जानवर व कुत्तों का आतंक रहता है, दो से तीन कक्षों में पांच कक्षायें संचालित होती हैं जबकि निजी स्कूलों में कई नियम लागू किये जाते हैं। दोनों विकास खण्डों में स्थित सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जांच कराकर बिना बाउण्ड्रीवाल वाले विद्यालयों में तत्काल बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के हापुड़ रोड पर मो0 करीमनगर के सामने पुल की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रफीक अंसारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद मेरठ के हापुड़ रोड पर मोहल्ला करीमनगर के सामने एक पुल जो लगभग 100 वर्ष पुराना है। यह जी0टी0 रोड है पुल जर्जर हो रहा है और पुल की चौड़ाई भी कम है, यह शहर का मुख्य मार्ग है जिस कारण यहां प्रत्येक दिन घण्टों-घण्टों लम्बा-लम्बा जाम लगता है तथा बरसात में पानी की निकासी भी ठीक से नहीं हो पाती है। इस पुल के कारण लाखों की आबादी में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुल का तत्काल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों/तटबंध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री नाहिद हसन-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद शामली के अन्तर्गत केराना यमुना पुल से मंडावर रामडा होकर बिडोली यमुना पुल भडी, सहालीपुर उर्फ दौलतपुर जनपद सहारनपुर तक यमुना नदी के तटबन्ध पर बने मार्ग का गड्ढामुक्त कराया जाना आवश्यक है। उक्त मार्ग बहुत ही जर्जर अवस्था में है क्षेत्र के लोगों का आना-जाना इस मार्ग के टूटने के कारण बाधित रहता है। जनहित की समस्या को देखते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त तटबन्ध के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में जनहित में प्रस्तावित नालों की सफाई होना अति आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्योंकि विगत वर्ष उक्त नालों की सफाई न होने के कारण हजारों बीघे जमीन जलमग्न हो गयी। अतः प्रस्तावित नालों की सफाई कराने की मांग करता हूं।

1. हतपऊ नाला (हतपऊ से रामनगर तक)

2. विक्रमपुर नाला

3. किशनपुर ड्रेन

4. बसैत ड्रेन

5. भांती नगरिया ड्रेन

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त नालों की सफाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत कस्बा औरास में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बृजेश कुमार-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मोहान में औरास एक उभरता हुआ प्रमुख कस्बा है। ये बहुत पिछड़े अंचल में स्थित है। यहां पर अपवंचित लोगों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। यह क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। औरास में कोई भी राजकीय डिग्री कालेज नहीं है। फलतः इस क्षेत्र के बच्चों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए निर्भर करना पड़ता है। निजी क्षेत्र में फीस अधिक होने के कारण कतिपय छात्र अपनी कक्षाओं में निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा में प्रवेश करने से वंचित रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में कई बार मैं अनुरोध कर चुका हूं कि राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की जाए किन्तु अभी तक नहीं हो पाया है।

कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए मेरे क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की कार्रवाई कराने का कष्ट करें।]

जनपद उन्नाव के मजरा मऊ की कतिपय स्थानों पर सी0सी0 रोड व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बम्बालाल-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत-मऊ मन्सूरपुर के मजरा-मऊ, पोस्ट-सफीपुर, जनपद-उन्नाव में श्री सुबेदार तेली के घर से लेकर श्री राजा राम धानुक के घर तक (लम्बाई लगभग 300 मीटर) एवं श्री राम किशुन विश्वकर्मा के घर से श्री बाबू लाल शर्मा के घर तक (लम्बाई लगभग 70 मीटर) तथा श्री राम किशुन विश्वकर्मा के घर से प्राथमिक विद्यालय तक (लम्बाई 120 मीटर) सड़कों एवं नालियों की स्थिति काफी दिनों से जीर्ण-शीर्ण एवं भयावह हो चुकी हैं जिससे गंदे पानी का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भराव विभिन्न स्थानों पर बना रहता है। इस जलभराव से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है।

ग्राम मऊ मन्सूर पुर के मजरा-मऊ में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी तथा जनपद स्तर से कई अधिकारियों से कई बार पत्राचार किया गया, किन्तु अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए ग्राम-मऊ मन्सूरपुर के मजरा-मऊ में विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर सी0सी0 रोड व नाली बनवाने के आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर की ग्राम सभा हजौली में नवनिर्मित ओवरहेड टैंक से जल आपूर्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बलिया की विधान सभा रसड़ा के **चिलकहर ब्लाक में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले ग्राम सभा हजौली में ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया है परन्तु कार्यदायी संस्था व ठेकेदार द्वारा गांव की दूरी व उपभोक्ताओं का सही आंकलन न किये जाने के कारण कुछ दूरी के बाद आगे के घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है तथा प्रेशर बढ़ाये जाने पर लीकेज, पाइप लाइन फट जाने आदि की समस्या से रुबरु होना पड़ रहा है जिससे उपरोक्त ओवरहेड टैंक बनाया जाना निरर्थक होने के साथ सरकारी धन की बर्बादी है।**

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर **विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चिलकहर ब्लाक की ग्रामसभा हजौली में लगे ओवरहेड टैंक से सम्पूर्ण गांव की पाइप लाइन के समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए उसके सफल परीक्षणोपरान्त इसे अविलम्ब चालू कराये जाने हेतु** शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत ग्राम शेखवापुर के समीप टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत दरियाबाद ब्रांच पर ग्राम शेखवापुर के समीप दो वर्ष पूर्व बना पुल टूट जाने से आम जन एवं क्षेत्रीय किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से आम जन एवं किसानों में काफी आक्रोश है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शेखवापुर के समीप टूटे पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां अन्तर्गत बिसवा रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बिसवां-सिधौली रोड पर स्थिति बिसवां रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु न होने के कारण घन्टों जाम की स्थिति प्रतिदिन रहती है। रेलवे फाटक बन्द होने पर समय से मरीज अस्पताल न पहुंचने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देते है। स्कूल के बच्चे एवं नौकरी करने वाले लोग समय से अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनहित में इन रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु (ओवरब्रिज) बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिसवां रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

प्रदेश में आवारा गौ-वंश को संरक्षित करके गौ-पालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री आर0के0 सिंह पटेल-

[मान्यवर, अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान कराना चाहूंगा, उ0प्र0 सहित पूरे बुन्देलखण्ड में किसानों द्वारा अनुपयोगी गौ-वंश को आवारा/छुट्टा छोड़ने से किसानों की फसलें चौपट हो रही है। गौ-पालक किसान अपने अनुपयोगी गाय-बछड़ा को छुट्टा छोड़ देने से सड़कों पर आये-दिन सैकड़ों पशु दुर्घटना के शिकार होकर मर रहे है। यदि गौ-वंश को पालने वालों को प्रतिमाह गौ-सेवा भत्ता दे दिया जाये तो आवारा जानवरों का सड़कों पर घूमना बन्द हो जायेगा।

इस कार्य के लिए नीति निर्धारित कर/उप जिलाधिकारी तथा पशु पालन विभाग के चिकित्सकों एवं गांव के लेखपाल, ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम प्रधानों की एक समिति बनाकर गौ-वंश की गणना कराकर गौ-पालकों की प्रति माह रिपोर्ट तैयार कराकर 200 रुपये प्रति गौ-वंश प्रतिमाह के हिसाब से गोपालक भत्ता देकर आवारा गौ-वंश को संरक्षित किया जा सकता है। इससे गांव-गांव में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा आवारा गौ-वंश भी संरक्षित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के कतिपय माइनरों की सफाई/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या -

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मझवां के अंतर्गत ग्राम सभा पहिती के ढेकवा बांध की सिल्ट सफाई एवं गहरीकरण तथा पचोखरा माइनर से बहरहवां तक क्षतिग्रस्त नहर का जीर्णोद्धार किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद बहराइच के ब्लाक हुजूरपुर अन्तर्गत लालपुर ऐमा में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

[मान्यवर, उक्त ग्राम के अन्दर पानी निकास हेतु एक गहरा एवं बड़ा नाला है जिससे बरसात में ग्रामवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्राम लालपुर ऐमा में पानी निकास हेतु पक्का नाला निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में लम्बित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर में बहुत सारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि पेंशन के मामले वर्षों से लम्बित है। आम जनमानस में इस कारण भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेते हुए भूमि का मालिकाना हक कायम रखने हेतु स्थानीय जनता द्वारा निरंतर संघर्ष एवं प्रदर्शन किया जाता रहा है। आम जनमानस में इस कारण भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त अध्यादेश वापस किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र देवबन्द अन्तर्गत ग्राम रणखण्डी स्थित नाले की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बृजेश-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेरे मूल गांव रणखण्डी में एक नाला है जिसमे देवबन्द शुगर मिल व नगर पालिका परिषद् देवबन्द का गन्दा पानी निकलता है। इस नाले का सुदृढ़ीकरण न होने के कारण लगभग 15 वर्षों से सफाई नहीं हो पा रही है जिससे गांव रणखण्डी में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। नाले की नियमित सफाई न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस नाले के सुदृढ़ीकरण एवं सफाई हेतु मेरे द्वारा सिंचाई विभाग को लिखा गया था जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा आगणन बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है परन्तु अभी तक उक्त नाले की सफाई एवं सुदृढ़ीकरण न होने से जनमानस में आक्रेश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त नाले का सुदृढ़ीकरण एवं सफाई कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु डाली गई पाइपलाइन का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से गंगाजल परियोजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा एवं जनपद आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुत चौड़ाई की पाइपलाइन द्वारा हमारे क्षेत्र बल्देव (मथुरा) के ब्लाक राया एवं ब्लाक बल्देव में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों जमीन का अधिग्रहण करके पेयजल पाइप लाइन डाली जा चुकी है जो कि जनपद मथुरा एवं आगरा नगर हेतु गंगाजल आपूर्ति के उद्देश्य से गंगाजल परियोजना निर्माणाधीन है जोकि इस स्वरूप में योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। विदित हो कि जनपद मथुरा में ग्रामीण आंचल में पेयजल की गम्भीर समस्या है। नब्बे प्रतिशत जमीन के नीचे एकदम खारा पानी है जिसको इंसान तो क्या जानवर भी नहीं पी सकता है। जल निगम पेयजल उपलब्ध कराने में नाकाबिल है। जनपद की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचल में बसती है। उनको पेयजल मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता/जिम्मेदारी है। अतः गंगाजल परियोजना के अन्तर्गत मथुरा नगर के साथ-साथ बल्देव क्षेत्र के ब्लाक राया ब ब्लाक बल्देव के ग्रामीण अंचल में इस योजना से पेयजल मुहैया कराने की आवश्यकता है। चूंकि मेरे ही क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की जमीन पाइप लाइन के लिये इसी शर्त पर किसानों से ली गयी थी कि उनको पीने का पानी मुहैया होगा। सरकार द्वारा राया ब्लाक व बल्देव ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा अवलिम्ब उपलब्ध कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत ग्राम भोलपुरा से शमशान घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद ग्राम भोलपुरा से शमशान घाट तक सड़क निर्माण न होने से उक्त रास्ते दर्जनों ग्रामों की जनता व कस्बा फतेहाबाद के लोग इसी रास्ते से दुःख की घड़ी में शवों को ले जाते हैं जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय में कई बार शवों को ले जाते समय शव गिर चुके हैं। जनहित में उक्त सड़क का निर्माण आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

सोनभद्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री भूपेश चौबे-

[मान्यवर, मेरे जनपद-सोनभद्र में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। जनपद-सोनभद्र चार राज्यों बिहर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। साथ ही साथ पांचवा राज्य उ0प्र0 का सवयं हिस्सा है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी जो भारत के प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में जाना जाता है, हमारे जनपद से 50 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। यहां विश्व का प्राचीनतम फॉसिल्स पार्क (सलथन) है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी पर स्थित बाबा मंगेश्वर नाथ मन्दिर है। विजयगढ़ का किला अपनी ऐताहिसकता के लिय प्रसिद्ध है। शिवद्वार का प्रसिद्ध शिव मन्दिर अपने आप में बहुत प्रसिद्धि रखता है। जब सम्पूर्ण देश में पर्यटन में गिरावट आती है उस समय सोनभद्र अपनी प्राकृतिक विपुलता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सोनभद्र में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 283 नानपारा तहसील की आबादी अत्याधिक है जिसके उत्तर दिशा में नेपाल, पश्चिम में लखीमपुर खीरी व दक्षिण दिशा में सीतापुर जनपद स्थित है। नानपारा तहसील में 4 विधान सभायें क्रमशः नानपारा, बलहा, मटेरा, महसी है। जिसका अधिकतर क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विकास प्रभावित हो रहा है। काफी समय से जनमानस द्वारा नानपारा को जनपद बनाये जाने के मांग की जा रही है। विकास हेतु नानपारा को जिला बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये नानपारा को जनपद बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा की कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद-अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूवलैन्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इसके प्रदूषण से दमा, हार्ट, कैंसर, चर्म रोग जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से की गयी लेकिन उनकी मिलीभगत होने के कारण इन फैक्ट्रियों के ऊपर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही प्रदूषण पर नियंत्रण ही कराया गया इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गयी तो कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जूविलैन्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद की कतिपय नगर पालिकाओं में सीवर व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधन सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद तथा गुलावठी आती है। सिकन्दराबाद नगर पालिका परिषद् की आबादी एक लाख से अधिक तथा गुलावठी नगर पालिका परिषद् की आबादी लगभग 01 लाख है। दोनों नगर पालिका परिषद् में सीवर व्यवस्था न होने के कारण गन्दगी की समस्या रहती है। इसके अतिरिक्त कूड़ा निस्तारण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जनहित में दोनों नगर पालिका परिषदों में सीवर व्यवस्था डलवाने तथा कूड़ा निस्तारण संयन्त्र लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः में आपके माध्यम से लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद-गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों मे जल निगम द्वारा बनायी गयी टंकी से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट घारीघाट एवं केशवनगर ग्रन्ट में जल निगम द्वारा बनायी गयी टंकी से स्वच्छ पानी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी का कनेक्शन देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-गोण्डा स्थित तरबगंज से मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि तहसील व ब्लाक तरबगंज मुख्यालय सीधे जनपद मुख्यालय गोण्डा को टू-लेन सड़क से जुड़ा हुआ मार्ग नहीं है। जबकि शासन की प्राथमिकता है कि ब्लाक व तहसील को जिला मुख्यालय से टू-लेन मार्गों से जोड़ा जाये। इस मार्ग से लाखों लोगों का आवागमन बना रहता हैं तहसील व बलाक तरबगंज मुख्यालय से सीधे करनीपुर, रानीपुर, चौबेपुर, झंझरी-गोण्डा मार्ग को टू-लेन सड़क से जोड़ा जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-वाराणसी की कतिपय कालोनियों में स्थापित पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मरे विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत गणपतनगर कालोनी, अशोक विहार फेस-2, अशोक नगर, पटेल नगर कालोनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिनमें पुराने पार्क स्थित हैं। बच्चों एवं बुजुर्गों हेतु इन पार्कों का निर्माण कराया जाना परम आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में नालपुर बस स्टैण्ड से लेकर पुराने शिव मन्दिर तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किठौर जनपद मेरठ अन्तर्गत मेरठ-हापुड़ रोड पर ग्राम नालपुर में बस स्टैण्ड से लेकर पुराने शिव मन्दिर तक लगभग 700 मीटर नाला न होने के कारण हाई-वे का सारा पानी गांव में भर रहा है जिससे वहां भारी महामारी फैलने का खतरा निरन्तर बना हुआ है। जनहित में इस क्षेत्र में 700 मीटर नाला निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-जौनपुर के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के 372-विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर नये पुल के निर्माण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह पुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगभग 50 गांवों को जोड़ेगा तथा छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी। जनहित को देखते हुये उक्त पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ठ करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत गुरसण्डी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[मान्यवर, जनपद-फतेहपुर में विधान सभा-खागा अन्तर्गत खागा-दामपुर मार्ग आवागमन का अतिमहत्वपूर्ण मार्ग है जो 03 मीटर चौड़ा मार्ग है। व्यस्त मार्ग तथा संकरा होने के कारण लगातार दुर्घटनायें हो रही हैं। उपरोक्त मार्ग खागा से गुरसण्डी तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराकर कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-शिकोहाबाद में पेयजल योजना अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-98, शिकोहाबाद के ग्राम किसनदासपुरा, ब्लाक-फिरोजाबाद में पेयजल की काफी दिक्कत है। यह क्षेत्र डार्क जोन के अन्तर्गत आता है। यहां इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एक वर्ष में ही पानी छोड़ देता है। इस कारण ग्राम किसनदासपुरा में पेयजल योजना के अन्तर्गत बड़ी पानी की टंकी बनवाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

जनपद-सुल्तानपुर सदर के अन्तर्गत विरसिंहपुर में संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा 189 सदर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विरसिंहपुर में 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसका संचालन जनहित में शीघ्र किया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर संचालन की कार्रवाई नहीं की गयी है, जिससे सरकार के प्रति खराब संदेश जा रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-पीलीभीत में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री संजय सिंह गंगवार-

[मान्यवर, सरकार द्वारा जनहित के कार्यों को बेहतर रूप से सम्पादित किये जाने हेतु शासन के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। परन्तु विकास करने वाले अधिकारी ही केवल धन की बन्दरबांट में लग जाते हैं तो जनहित का कार्य जनता तक नहीं पहुंच पाता है जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करने के साथ ही शासन एवं सरकार की छवि भी धूमिल होती है। जैसे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीभीत में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री अनिल कुमार राणा के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण लोक निर्माण का कोई भी कार्य समय से एवं मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। यह केवल धन उगााही में ही व्यस्त है। जनहित में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सम्पत्तियों की जांच कराकर इन्हें सेवा से ही पृथक कर दिया जाना चाहिये जिससे कि जनहित के कार्य प्रभावित न हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त भ्रष्टाचार में लिप्त अभियन्ता की जांच कराकर कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा के ब्लाक-बिचपुरी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[मान्यवर, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र ब्लाक-बिचपुरी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज न होने के कारण इस क्षेत्र के गरीब, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग की छात्रायें शिक्षा से वंचित हो रही हैं। काफी समय से ग्राम अजीजपुर, ब्लाक-बिचपुरी, जनपद-आगरा में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से इस क्षेत्र के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ग्राम अजीजपुर, ब्लाक-विचपुरी, जनपद-आगरा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, सिद्धार्थनगर जिले के विधान सभा क्षेत्र इटवा के भनवापुर ब्लाक के ग्राम तप्पा (कानूनगो सर्किल) वइनिया में आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यहां पर उक्त कालेज न होने से तकनीकी शिक्षा का अभाव रहता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-जालौन के अन्तर्गत सुरावली से मदनेपुर टेल तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, निवेदन है कि कालपी विधान सभा के ग्राम-सुरावली से मदनेपुर टेल (उरई औरेया मार्ग) तक मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2.00 किमी0 है, बनना आवश्यक है, क्योकि ग्रामीणों को वर्षा ऋतु में पक्की सड़क तक पहुंचने के लिये बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सुरावली विकास खण्ड-कुठौंद को मदनेपुर टेल मुख्य मार्ग तक जोड़ने की कृपा करें।]

जनपद-अलीगढ़ स्थित मडराक राजवाहा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अनिल पाराशर-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद अलीगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल के मडराक राजवाहा में पिछले 25 वर्षों से किसानों के सिंचाई हेतु पानी नहीं आ रहा है। किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और फसले सूख जा रही है। पूर्व में भी स्थानीय अधिकारियों को इस विषय में सूचित किया जा चुका है, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। जनहित में मडराक राजवाहा में पानी सुनिश्चित करवाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बिजनौर के कतिपय क्षेत्रों में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती कमलेश सैनी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद-बिजनौर में दो रेलवे फाटक पड़ते हैं जिस पर उपरिगामी सेतु न होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति प्रतिदिन रहती है। रेलवे फाटक बन्द होने पर समय से मरीज अस्पताल न पहुंचने के कारण इलाज के अभाव मे दम तोड़ देते हैं। स्कूल के बच्चे एवं नौकरी करने वाले लोग समय से अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनहित में इन दोनों रेलवे फाटकों पर उपरगामी सेतु (ओवरब्रिज) बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बुलन्दशहर स्थित अहार स्थान पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री संजय-

[मान्यवर, मेरे विधन सभा क्षेत्रान्तर्गत अहार स्थान पर गंगा नदी पर पुल न होने के कारण आम जनमानस को नदी के दूसरी तरफ आने-जाने के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग वाहन लेकर कई किमी दूरी तय करके दूसरे किनारे जा पाते हैं या नाव के सहारे कम दूरी तय करने के उद्देश्य से जोखिम उठाकर नदी पार करके जाते हैं। इस स्थान पर गंगा नदी में पुल बन जाने से मेरे जनपद के कई नगर गंगा पार के नगरों से जुड़ जायेंगे तथा गंगा पार के लोगों को भी दिल्ली व नोएडा जैसे स्थानों पर जाने के लिये सुगम व छोटा मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही मेरे क्षेत्र के कई गांवों का विकास होगा। यहां गंगा नदी पर पुल बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अहार स्थान पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा में भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड जनपद बलिया के अन्तर्गत नवसृर्जित विकास खण्ड भीमपुरा नये विकास खण्ड को प्रशासनिक रूप मे स्वीकृत हुआ है जिसके भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। जनहित में नये विकास खण्ड भीमपुरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञात हो कि नगरा विकास खण्ड पूर्वांचल का सबसे बड़ा विकास खण्ड है, जिसके अन्तर्गत नवसृर्जित विकास खण्ड भीमपुरा प्रस्तावित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये **नये विकास खण्ड भीमपुरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान** किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत रेहड़ी रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन (सहारनपुर) के कस्बे रामपुर मनिहारन के बीच से गुजर रहे रेहड़ी रजबहे पर शहरी पुल से देवबन्द मार्ग की पुलिया तक लगभग 500 मीटर रजबहे के दोनों तरफ खुले होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये नियम-301 के अन्तर्गत रेहड़ी रजबहे पर शहरी पुल से देवबन्द मार्ग की पुलिया तक लगभग 500 मीटर रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बरेली के कतिपय विकास खण्डों के कतिपय ग्रामों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122 फरीदपुर, बरेली के निम्नलिखित स्थानों पर दूर-दूर तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को 12वीं तक की शिक्षा के लिये अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में निम्न स्थानों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है।

1-ग्राम-खल्लपुर, विकास खण्ड-फरीदपुर।

2-ग्राम-ककरा कला, विकास खण्ड-भुता।

3-ग्राम-रजउ, विकास खण्ड-फरीदपुर।

4-ग्राम-भुता, विकास खण्ड-फरीदपुर।

5-नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी, विकास खण्ड-फरीदपुर।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त निम्न स्थानों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राम प्रताप सिंह-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के प्रकाश नगर रेलवे अण्डरपास से लेकर नगला देवजीत तक का मुख्य मार्ग तथा एन0एच0-2 सर्विस रोड से महावीर नगर का मुख्य मार्ग भी बहुत ही दयनीय एवं जर्जर स्थिति में है। उक्त मार्गों का जीर्णोद्धार किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-पूर्वांचल को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल व जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश का विकास व शासक तक शासितों की पहुंच बहुत कठिन होती जा रही है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास व शासक तक शासितों की व्यवस्थित पहुंच को सुगम बनाने के लिये पूर्वांचल राज्य की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां में जल निकासी हेतु कतिपय नाले/नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 387 रोहनिया जनपद वाराणसी के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नाला/नालियों की व्यवस्था न होने के कारण जल-भराव की स्थिति बनी रही है। 1-रोहनियां से चांदपुर तथा भूलनपुर रेलवे लाइन के किनारे से पी0ए0सी0 ग्राउण्ड होते हुये जी0टी0 रोड तक, 2-औढ़े मुख्य बस्ती से अड़गड़ानन्द कालोनी होते हुये लठिया ड्रेन व खुशीपुर से औढ़े लठिया ड्रेन तक 3-नुऑव सुसुवाही से करौदी तक, 4-टिकरी सीर गोवर्धनपुर होते हुये छित्तूपुर मुख्य नाले तक एवं गणौली, नाथूपुर जलाली पट्टी व भून्पुर जो उत्तर जी0टी0 रोड, द0 रेल पटरी, पूरब डी0एल0डब्लू एवं पश्चिम पी0ए0सी0 से घिरे गांवों के जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

वित्त विभाग उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 08-08-2018 के अनुसार पेंशन धनराशि का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के अ0शा0प0सं0-3-वी0आई0पी0-40/दस-2016-916/88 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक 08-08-2018 के अनुसार सूचित किया गया है कि असाधारण पेंशन नियमावली में अधिवर्षता तिथि के उपरान्त पेंशन धनराशि निर्धारित करने में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ केन्द्र सरकार के निर्देशों के पश्चात् लागू करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान लागू करने में राज्य सरकार सक्षम है एवं कर्तव्यपरायण, सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार राज्य कर्मियों के हित में अविलम्ब लागू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त प्रावधान को लागू किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड राज्य बनाने के लिये सभी दलों की सरकारों ने आश्वासन दिये, विशेष पैकेज के लिये कहा गया, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड बनाने के लिये कहा गया परन्तु बुन्देलखण्ड को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गयी। अभी तक बुन्देलखण्ड की जनता के साथ धोखा होता रहा है।

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे राज्य बनने से प्रगति, उन्नति और समृद्धि बढ़ती है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। इसीलिये मा0 अटल जी ने उत्तराखण्ड को राज्य घोषित किया था हम भी बुन्देलखण्ड को राज्य घोषित करने हेतु सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

अतएव अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है कि बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ ब्लाक-रामपुरा को ग्राम किशनपुरा को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री मूलचन्द्र सिंह-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा के अन्तर्गत रामपुरा ब्लाक का ग्राम किशनपुरा अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है जबकि उक्त सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है किन्तु धन आवंटन न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की कृपा करता हूं।]

जनपद-जालौन के अन्तर्गत उरई एन0एच0 से ग्राम कुईया मेड से ऐर टीकर आर0सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री गौरीशंकर वर्मा-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद जालौन के कुईया ददरी मार्ग मे कुईया से ऐर टीकर तक आदि गांव हेतु मार्ग की स्थिति जर्जर है क्योंकि यहां बालू खनन होने के कारण यहां ट्रकों का आवागमन बना रहता है जिसके कारण सदैव मार्ग क्षतिग्रस्त रहता है एवं इस क्षेत्र का विकास कार्य जर्जर स्थिति के कारण अवरुद्ध है। इस मार्ग से लगभग 25 हजार आबादी अछूती रह जाती है। आज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक मार्ग ठीक न होने के कारण डायल 100 एवं 108 की सेवा कभी भी इस मार्ग पर नहीं आती है। उक्त मार्ग को आर0सी0सी0 मार्ग बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की कृपा करता हूं।]

जनपद-सीतापुर अन्तर्गत उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख तीर्थ में संचालित बालगृह को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सुरेश राही-

[मान्यवर, उ0प्र0 में रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त बाल गृह (बालिका) संचालित किये जा रहे हैं। समस्त बालगृहों का आकस्मिक निरीक्षण जिलाधिकारियों द्वारा कराया जा चुका है जिसकी जांच आख्या जिलाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव एवं निदेशक महिला कल्याण को भेजी जा चुकी है परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर में उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख तीर्थ जिला सीतापुर द्वारा संचालिता बाल गृह (बालिका) को दोषमुक्त पाये जाने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता बहाल नहीं किया जा सका है। जनहित में मान्यता को बहाल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख तीर्थ जिला सीतापुर द्वारा संचालित बालगृह को बहाल किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-शाहजहांपुर के कतिपय ग्राम पंचायतों में से किसी एक ग्राम पंचायत में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर व मदनापुर में विद्युत पावर स्टेशन स्थापित है जिसकी दूरी 35 कि0मी0 से भी अधिक होने के कारण कई ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों को आये दिन विद्युत फॉल्ट होने के कारण विद्युत आपूर्ति में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत समस्या से इस क्षेत्र के कृषकों को अपनी फसल की सिंचाई करने के लिये समय से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है और छात्रों को भी समय से बिजली आपूर्ति के अभाव में पठन-पाठन में असुविधा हो रही है। मेरे द्वारा जनहित में ग्राम पंचायत मरेना, ग्राम पंचायत अमरेड़ी या ग्राम पंचायत खमरिया में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु कई बार जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक के उच्चाधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः जनहित में उपरोक्त ग्राम पंचायतों में से किसी एक ग्राम पंचायत में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराया जाना अति आवश्यक है। इस विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना न होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय स्थानों पर चेकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, जौनपुर के निम्न गांवों के मध्य चेकडैम बनवाना जनहित में आवश्यक है/उपरोक्त चेकडैम बनने से कई गावों का जलस्तर बढ़ जायेगा एवं हजारों पशु पक्षियों को पीने का पानी मिलता रहेगा। पैरा ओर सोनवर के मध्य पीली नदी पर/2-बेलावा-दरियावगंज के मध्य पीली नदी पर/3-देवरिया गांव के सेतु निगम पुल के पूरब दिशा में।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज के तहसील अलीगंज, जनपद एटा में तहसील मुख्यालय पर कोई मण्डी नहीं है जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिये दूर-दराज जाना पड़ता है। सबसे नजदीक एटा मुख्यालय मण्डी की दूरी लगभग 70 किमी है। तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजवाहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री संजीव कुमार दिवाकर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर के किसी रजवाहे में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लगभग 20 वर्षों से रजवाहों में पानी नहीं आया है। जलेसर क्षेत्र के किसान खारे पानी की समस्या से परेशान है वही रजवाहों में पानी न मिलने से यह समस्या और बढ़ जाती है। समय से पानी न मिलने के कारण फसले खराब हो जाती है। यदि रजवाहों को सही समय से पानी मिले तो किसान भी उन्नति करेगा तथा खारे पानी की समस्या का भी समाधान होगा। जलेसर क्षेत्र के रजवाहों को समय से पानी उपलब्ध कराना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

[मान्यवर सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ में कोई आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं है। क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग लम्बे समय से चल रही हैं क्षेत्र के बच्चों के समग्र विकास हेतु विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

[मान्यवर सादर अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में (जिस विषय से मान्यता विद्यालय को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है) में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विषय वार शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री विपिन कुमार डेविड-

[मान्यवर सादर अवगत कराना है कि लगभग 16 लाख की जनसंख्या का जनपद एटा अत्यंत ही पिछड़ा जिला हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहां एक राजकीय जिला चिकित्सालय है जिसमें उपकरणों एवं डाक्टरों की भारी कमी के कारण जनमानस को बहुत ही असुविधा होती है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु लोगों को दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ एवं सैफई तक जाना पड़ता हैं जनमानस को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये एटा जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहकारिता विभाग की संस्था फैक्सफेड में अनियमित तरीके से अनुबन्ध के आधार पर नई नियुक्तियां वर्तमान एम0डी0 द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री पारस नाथ यादव

[मान्यवर सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में बड़े पैमाने पर नियमों के विरुद्ध अनुबन्ध के आधार पर सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं, कनिष्ठ सहायकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति वर्तमान एम0डी0 श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा विभाग में किया गया है जबकि इसके विरुद्ध तमाम शिकायतें विभाग व शासन स्तर से कई माननीय विधायकों द्वारा किया गया है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था है कि पद से हटा कर ही निष्पक्ष जांच करायी जाये। मेरे द्वारा दिनांक 31-08-2018 में दी गयी सूचना के उत्तर में मुझे दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 को माननीय मंत्री सहकारिता ने अवगत कराया कि आख्या निबन्धन कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है और उस पर कार्यवाही की जायेगी परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। कार्यों की खराब गुणवत्ता की टी0ए0सी0 जांच भी चल रही है। यही नहीं अनुबन्ध के आधार पर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति में अपने सजातीय लोगों को रखा है। यही नहीं इनके पास अपार सम्पत्ति है इन सबकी जांच पूर्व में कुछ हुई परन्तु शासनादेश के अनुसार हटाकर ही जांच निष्पक्ष हो सकती है परन्तु शासन का संरक्षण इसे प्राप्त है, कोई भी शिकायत की जाती है तो उस पर लीपा पोती करके गलत जवाब शासन को भेजा जाता है। यही नहीं जांच के नाम पर निबन्धन कार्यालय को मिलाकर एक पत्र हम विधायकों को शिकायत की पुष्टि करने के बहाने भेजा जाता है और उसकी पुष्टि करने के बाद भी बचाने का कार्य किया जाता है। विधान सभा तृतीय सत्र वर्ष 2018 के प्रथम बुद्धवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-175 जिसमें पूछा गया कि वर्ष 18-19 में सहायक अभियन्ताओं के पद पर किस-किस जाति के लोगों को अनुबन्ध पर रखा गया है। जबकि अनुबन्ध पर रखने के समय उनका पूरा प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र लिया गया है। परन्तु उत्तर में छुपाने के लिए यह दिया गया कि अनुबन्ध पत्र में जाति का विवरण अंकित नहीं है। जबकि जातिगत रिकार्ड पत्रावली में मौजूद है। परन्तु एम0डी0 को बचाया जा रहा है। पूर्व से कार्यरत् अनुबन्धित तमाम कर्मचारियों को जातिगत भावना में आकर एम0डी0 द्वारा हटा दिया गया और बड़े पैमाने पर अपने रिश्तेदारों व सजातीय लोगों को अनुबन्ध पर रखा गया है। इसी तरह आत0 प्रश्न संख्या-176 के उत्तर में भी गलत जवाब भेजा गया है। चूंकि संतकबीरनगर में तैनात सहयोगी अनिल यादव का अनुबन्ध बढ़ाने के लिए एम0डी0 द्वारा धन की मांग की गयी। इस तरह से कई-कई वर्षों से अनुबन्ध के आधार पर तैनात बस्ती प्रखण्ड, आजमगढ़ प्रखण्ड के कर्मियों को अनुबन्ध बढ़ाने के लिए एम0डी0 द्वारा धन की मांग खुलेआम की जाती रही है। अपने सजातीय लोगों को सहायक अभियन्ताओं के पदों पर अनुबन्ध पर रखा है जो अभिलेखों के जांच करने पर जातिगत आंकड़े जो इनके द्वारा छिपाये जा रहे हैं वह उजागर हो जायेंगे। परन्तु शासन भी इन्हें बचाने में जुटा है। जांच न कराकर गलत तथ्यों का जवाब सदन में भेज रहा है जो उचित नहीं है। इनके कार्य व्यवहार से विभागीय कर्मचारियों में रोष की भावना बनी हुई है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वर्तमान एम0डी0 को हटाकर इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई किये जाने एवं दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री हाकिम लाल बिन्द

[मान्यवर, जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत असवां दाउदपुर से रामलाल बिन्द के घर से ग्राम सभा शरीफपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 3 कि0मी0 तक कच्चा मार्ग है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अनेकों बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय ममरेज से साथरडीह के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी

[मान्यवर, जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय ममरेज से साथरडीह के बीच पुलिया न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से अनेकों बार अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों के बीच एक पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोंदलामऊ की कतिपय कैनालों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

डॉ हरगोविन्द भार्गव

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड गोंदलामऊ में दो लिफ्ट कैनाल है 1-गोपालपुर लिफ्ट कैनाल, 2-कुचलई लिफ्ट कैनाल जिसमें विद्युत आपूर्ति परस्पर न होने के कारण कैनालों में पानी नहीं पहुंच पाता है। जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई को लेकर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु अभी तक सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त कैनालों की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं करायी गयी जिससे किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित/किसान हित में उक्त कैनालों की विद्युत आपूर्ति 132000 की पावर लाइन से जोड़ दिया जाये जिससे किसानों लिफ्ट कैनालों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे में इण्ट्रीप्वाइंट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला अम्बेडकरनगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत ग्राम सभा नूरपुर कलां (कटका बाजार) से होकर गोरखपुर लिंक एक्प्रेस-वे गुजर रही है। यह अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ सीमा पर पड़ता है यहां के समीपवर्ती 50 ग्रामों की लगभग पचास हजार जनता में प्रदेश की राजधानी एवं अन्य महत्वपूर्ण नगरों में जाने के लिए एक्सप्रेस-वे पर इण्ट्री प्वाइंट न होने से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में नूरपुर कलां (कटका बाजार) में एक्सप्रेस-वे पर इण्ट्री प्वाइंट का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री आजाद अरिमर्दन

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1-ब्लाक-ठेकमा ग्राम भदसारी में 63 के0वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

2-ब्लाक-ठेकमा ग्राम गड़हा में 63 के0वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

3-ब्लाक-ठेकमा ग्राम सरायमोहन बरबसपुर में 25 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0 वी0।

4-ब्लाक-ठेकमा ग्राम सराय मोहन सरकारी अस्पताल में 63 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

5-ब्लाक-ठेकमा ग्राम गोमाडीह चौकी में 25 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0 वी0।

6-ब्लाक-ठेकमा ग्राम पसिका कल्लू धरकार के सामने 25 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0 वी0।

7-ब्लाक-लालगंज ग्राम असकाउरटीकर माध्यमिक विद्यालय के पास 63 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

8-ब्लाक-लालगंज ग्राम जेहतमंदपुर में दलित बस्ती में 63 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-ब्लाक-लालगंज ग्राम अकवालपुर में पप्पू प्रधान के घर के पास 63 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

10-ब्लाक-लालगंज ग्राम उसरौली में शशी प्रधान के घर के पास 25 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0 वी0।

11-ब्लाक-लालगंज ग्राम तरफकाजी में अशोक चौहान के खेत के पास 63 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 100 के0 वी0।

12-ब्लाक-लालगंज ग्राम नारायनपुर नेवादा में धीरज राजभर के घर के पास 25 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0 वी0।

13-ब्लाक-लालगंज ग्राम कसड़े में अनिल राजभर के घर के पास 10 के0 वी0 परिवर्तक के स्थान पर 25 के0 वी0।

14-ब्लाक-लालगंज ग्राम सलहरा में 11 खम्भों एवं उस पर लगे जर्जर तारों के स्थान पर नये खम्भे एवं नये तार लगाये जायं।]

जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड अकबरपुर में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर

[मान्यवर, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा माउख के नसीरपुर में दुर्गा मंदिर से ग्राम मीरूपुर होते हुए ग्राम अलीमपुर शारदा नहर (ल0 लगभग 1.5 कि0 मी0) तक तथा ग्राम करतोरा के निवासी आशाराम राजभर की चाय की दुकान से सैदापुर सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) तक एवं ग्राम करतोरा की दलित बस्ती के दक्षिण में अरविन्द मास्टर के खेत से रेलवे लाइन (ल0 लगभग 800 मी0) तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज की ग्राम सभा सुरहन के 173 भूमिहीनों के पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-मार्टिनगंज, तहसील-मार्टिनगंज के ग्राम सभा सुरहन में ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 25-05-2008 के द्वारा कुल 173 भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रकरण जिलाधिकारी एवं मा0 उच्च न्यायालय भी गया, जिलाधिकारी द्वारा अपने आदेश में कहा गया कि यदि भूमि उपलब्ध है तो भूमि के पट्टे का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाय किन्तु आज तक प्रकरण

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लम्बित है। उक्त के अनुमोदन हेतु पट्टे धारकों द्वारा लगातार तहसील एवं जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। किन्तु आज तक पट्टा धारकों को कब्जा नहीं दिया गया जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।]

जनपद बुलन्दशहर के डिबाई नगर के पास गोविन्दपुर फाटक से लेकर कसेर फाटक तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 68, डिबाई, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत डिबाई नगर के पास गोविन्दपुर फाटक से लेकर कसेर फाटक तक रेलवे लाइन के पास की सड़क (2 से 3 कि0मी0) अभी तक नहीं बनी है। उक्त मार्ग से करीब 25 गांवों के लोगों का आवागमन रहता है। सड़क ठीक न होने के कारण आवागमन बाधित रहता है। जनहित में सड़क मार्ग का निर्माण आवश्यक है।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हकीकतपुर में 200 के0वी0 का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम हकीकतपुर गंगवाली में ओवरलोड (अतिरिक्त भार) की वजह से एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर 200 के0वी0 की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे की ग्रामवासियों को सरकार की मंशा अनुरूप सुनिश्चत रूप से विद्युत आपूर्ति की जा सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र एक अतिरिक्त 200 के0वी0 के ट्रांसफार्मर को स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की कतिपय सड़कों पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रोशन लाल वर्मा

[मान्यवर,

1-ग्राम गुरगंवा से पराझरसा होते हुए बरैंचा तक मरम्मत ल0 लगभग 7 कि0मी0 विकास खण्ड निगोही

2-ग्राम महाऊदुर्ग से जलालाबाद तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

3-ग्राम बडागांव से रहदेवा तक मरम्मत ल0 लगभग 4 कि0मी0, विकास खण्ड पुवायां।

4-ग्राम मुडिया पमार से पिपरिया दास तक मरम्मत ल0 लगभग 5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

5-रेलवे फाटक गुलचम्पा से हाजीपुर तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6-नेशनल हाईवे दोदराजपुर से कुआडांडा तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

7-ग्राम डभौरा तिराहे से समधाना चौराहे तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

8-ग्राम समधाना से संतोषपुर तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

9-नेशनल हाई-वे से ग्राम धनेला तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

10-शाहजहांपुर निगोही स्टेट हाईवे से अरेली नहर पटरी पर कटिया बुजुर्ग तक मरम्मत ल0 लगभग 5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

11-ग्राम भूडखेडा चौराहे से पुवायां तक मरम्मत ल0 लगभग 6 कि0मी0, विकास खण्ड पुवायां।

12-ग्राम कोरोकुइंया नहर पुल से रेहरिया पुल तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

13-ग्राम सतनुआ तिराहे से भटपुरा तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

14-ग्राम चमरुआ से बरौरा तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

15-ग्राम खेरासंडा से गंगाजमुनी होते हुए भर्री बसन्तपुर तिराहे तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

उपरोक्त मार्गों के संबंध में मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त मार्गों का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत आई0टी0आई0/जी0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर परिक्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का अभाव है। कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) अथवा राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (जी0टी0आई0) नहीं है। जिसके अभाव में छात्राओं को बाहर जाने में काफी असुविधायें हो रही हैं उनको बाहर न जाने के कारण तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित होना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि बीसलपुर परिक्षेत्र में उक्त प्रशिक्षण संस्थायें अधिष्ठापित किये जाने की कृपा आवश्यक ही अवश्य की जायेगी।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा कराई जाये तथा उक्त उल्लिखित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं अधिष्ठापित कराये जायें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा 120-भोजीपुरा, जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-बागेश्वर मार्ग से अभयपुर-रिठौरा मार्ग बरेली-पीलीभीत हाई-वे तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती स्थित बजाज शुगर मिल अठदमा रूधौली द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री संजय प्रताप जायसवाल

[मान्यवर, पूर्वांचल के किसानों के आय का मुख्य स्रोत गन्ना ही है जिसे बेचकर किसान अपने बेटे-बेटियों की शादी-विवाह एवं पढ़ाई आदि की व्यवस्था करता था परन्तु जनपद बस्ती में बजाज शुगर मिल अठदमा रुधौली के द्वारा बकाया भुगतान की समस्या से मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग हो गया है। सरकार द्वारा किसानों के गन्ना बेचने के 14 दिन के भीतर ही भुगतान का नियम बनाया गया है परन्तु गन्ना किसानों का भुगतान वर्षों तक नहीं किया जाता है। उक्त नियम का पालन न किये जाने से किसानों में आक्रोश है।

क्षेत्र में आयोजित चौपालों में किसानों के द्वारा गन्ना बकाया मूल्य एवं किसानों को अपनी गन्ना फसल को बेचने में आ रही निम्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया गयाः

1-बजाज शुगर मिल अठदमा तथा फेनिल ग्रुप की मिल गोविन्द नगर के द्वारा पिछले सत्र 2017-18 के फरवरी माह तक का ही भुगतान किया गया है। रूधौली (अठदमा) एवं गोविन्द नगर पर किसानों का पिछले सत्र का ही करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य किसानों का मिल पर बकाया है जिससे किसान हतास एवं निराश है मिल प्रशासन द्वारा किसानों से बार-बार भुगतान न होने पर सरकार को दोषी बताया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार खुद 95 करोड़ रुपया मेरा बाकी है जब तक सरकार मेरे पैसे का भुगतान नहीं करेगी तब तक मैं गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करूंगा मिल प्रशासन के बार-बार ऐसे सरकार विरोधी बयान से सरकार की किसान हितैसी छवि धूमिल हो रही हैं किसानों का विश्वास सरकार से उठ रहा है।

2-वर्तमान पेराई सत्र में किसानों को अगैती प्रजाति के गन्ने का पर्ची निर्गत किया जा रहा है जबकि अधिकांश किसानों के द्वारा सामान्य प्रजाति के गन्ने की बुआई की गई है, परन्तु मिल के पर्यवेक्षकों द्वारा किसानों के गन्ने का अगैती फसल के रूप में पड़ताल किया गया है। जिसका खामयाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

3-सामान्य प्रजाति के गन्ने की तौल गन्ना क्रय केन्द्रों द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसानों की समान्य प्रजाति के गन्ने को क्रय केन्द्रों से वापस कर दिया जाता है। जबकि पूर्व में हर प्रकार के

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रजाति के गन्ने की तौल कर पर्ची पर गन्ने की प्रजाति लिख दी जाती थी। इस व्यवस्था से किसान अपनी गन्ने की फसल खाली करके रबी के फसल की बुआई कर लेता था। वर्तमान व्यवस्था से किसानों की रबी की बुआई भी प्रभावित हो रही है जिससे सरकार की मंशा किसानों की आय दो गुना करने की सोच पर मिल प्रशासन पानी फेर रहा है।

4-पूर्व में गन्ना की पर्चियां समितियों द्वारा जारी किया जाता था परन्तु वर्तमान में पर्चियों के वितरण एवं बनाने की जिम्मेदारी वेन्डर को सौंपे जाने के कारण किसानों से 50 पैसा प्रति कुन्तल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि पूर्व में समिति को मात्र 50 पैसे प्रति कुन्तल के दर से भुगतान करना होता था अब दोनों मिलाकर 1 रुपये प्रति कुन्तल लिया जा रहा है।

5-वर्तमान व्यवस्था में गन्ने की पर्ची की तौल की अवधि मात्र 4 दिन दिया गया है। जबकि पूर्व में तौल की अवधि 12 से 15 दिनों की होती थी। जिससे किसानों को गन्ना तैयार करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। अवधि बढ़ाने हेतु किसानों को रूधौली से 40 कि0मी0 की दूरी तय करके वाल्टरगंज गन्ना समिति पर जाना पड़ता है। किसानों की सुविधा हेतु रूधौली में गन्ना समिति स्थापित किये जाने की मांग भी किसानों के द्वारा की जा रही है। उक्त समस्याओं को लेकर रूधौली (अठदमा) के किसान आक्रोशित एवं आन्दोलित हैं तथा मिल का घेराव कर मिल को घण्टों बन्द कराये रखा मेरे हस्तक्षेप के बाद किसान द्वारा मात्र एक सप्ताह में उपरोक्त समस्याओं का समाधान न होने पर व्यापक आन्दोलन एवं ताला बंदी की चेतावनी दी गई है।

उक्त समस्याओं के निराकरण एवं गन्ना किसानों की हितों एवं सुविधा को देखते हुए गन्ने का बकाया भुगतान तौल की अवधि बढ़ाया जाना एवं पर्चियों पर किसानों के हर प्रजाति के गन्ने की तौल का उनके पर्ची पर प्रजाति का नाम दर्ज किया जाना, गन्ना पर्चियों के बनाने व वितरण का कार्य गन्ना समितियों को सौंपा जाना गन्ना किसानों के हित में अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत पूर्व की खेवट चौशाला से वर्तमान खेवट चौशाला का मिलान कराते हुए समस्त भूमि के खतौनी विवरण कालम में अंकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री संगम लाल गुप्ता

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगरीय परिक्षेत्र की तहसील-सदर की कुछ ग्राम पंचायतों यथा बेल्हाघाट, सहोदरपुर, प्रतापगढ़ सिटी आदि में अभी भी अर्बन जमींदारी समाप्त न होने के कारण तथा कथित राजा प्रतापगढ़ द्वारा नान जेड ए की जमीनों की आड़ में व्यापक पैमाने पर भू-माफियाई करते हुए पूर्व के पट्टों के आधार पर स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, शासकीय प्रतिष्ठानों के बने भवनों की भौतिक स्थिति को दरकिनार करते हुए सर्वथा नियमों के विपरीत उसे खाली जमीन दर्शाते हुए औने-पौने दामों पर दूसरों के हाथ बिक्रीकर दबंगों के द्वारा प्रताड़ित कराते हुए खाली भी करा लिया जाता है। यही नहीं तथाकथित राजा द्वारा नान जेड ए जमीनों के आड़ में नजूल, नगर पालिका, बंजर और दूसरों की भूमिधरी जमीनों को भी अपना दर्शाते हुए

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बैनामें कर दिये जाते हैं जिसके कारण नगरीय क्षेत्र में अधिकांश व्यापारी और आम आदमी दबंगों के कहर का आये दिन शिकार होता रहता है।

उल्लेखनीय है कि नगर के मध्य में स्थित तत्कालीन व्यवसायी शीतल प्रसाद गुप्ता द्वारा अपनी भूमिधरी भूमि को आर्य समाज के नाम पर दान किये जाने के फलस्वरूप उस पर निर्मित शीतल प्रसाद आर्य कन्या विद्यालय की भूमि को विद्यालय सहित तथाकथित राजा प्रतापगढ़ द्वारा बेनामी भूमि माफियाओं के नाम अरबों की सम्पत्ति कौड़ियों के भाव बिक्री कर उस पर कब्जे का कुत्सित प्रयास किया जाने लगा जिसमें शासन के हस्तक्षेप पर किसी तरह उसे रोका गया। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक आवास, जिलाधिकारी आवास, जिला महिला चिकित्सालय, आर्युवेदिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ सिटी, सूरजी देवी पाठशाला (श्री राम चौराहा), गनेशी लाल धर्मशाला, गोपाल मन्दिर समेत अनेक शासकीय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान व वैयक्तिक भवन/प्रतिष्ठान कभी भी भू-माफियाओं की कुदृष्टि का शिकार हो सकते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अभियान चलाकर पूर्व की खेवट चौशाला से वर्तमान खेवट चौशाला का मिलान कराते हुए उसमें नजूल/भूमिधरी/सार्वजनिक भूमियों के फर्जीवाड़ा करके किये गये अंकन को समाप्त कराते हुए नान जेड ए की भूमियों में निर्मित प्रतिष्ठानों/शासकीय भवनों/वैयक्तिक भवनों का खसरे/खतौनी के विवरण कालम में स्पष्ट अंकन कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती लीना तिवारी

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

1-शिवपुर नहर से कसियांव होते हुए जमालापुर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र मार्ग का विशेष मरम्मत, ल0-05 कि0मी0।

2-होरैया मार्ग से कुत्तुपुर मार्ग का विशेष मरम्मत तक ल0-01 कि0मी0।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में उपरोक्त दोनों सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद मिर्जापुर के हलिया से ड्रमण्डगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राहुल प्रकाश

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत हलिया

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से ड्रमण्डगंज मुख्य सम्पर्क मार्ग जिसकी ल0-20 कि0मी0 लगभग है। इस मार्ग के दानों तरफ 30-35 गांव बसें है तथा विकास खण्ड कार्यालय सहित थाना व अन्य कार्यालय स्थित है। कई वर्षो से उक्त मुख्य सम्पर्क मार्ग जर्जर व टूटी-फूटी होने के कारण बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इस मुख्य सम्पर्क मार्ग में बरसात के दिनों में गढ्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाएं होती हैं। इस मुख्य सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराने हेतु प्रशासन/शासन से मेरे द्वारा कई बार प्रयास भी किया गया। किन्तु आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में हलिया से ड्रमण्डगंज मुख्य सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मिटौरा की ग्राम सभा पिलखिनी से रहिमापुर को सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा पिलखिनी के मजरे रहिमापुर से पिलखिनी तक सम्पर्क मार्ग के न होने से जन समुदाय को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के दिनों में मजरे रहिमापुर से आने-जाने में परेशानी होती है। क्योंकि पिलखिनी से रहिमापुर जाने का रास्ता कच्चा है। जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि बारिश के दिनों में जलमग्न होकर कीचड़ युक्त हो जाते हैं जिन पर चलना दूभर हो जाता है। उक्त ग्राम सभा पिलखिनी का पंचायत भवन मजरे रहिमापुर में स्थित है ग्राम पंचायत की सभी बैठकें पंचातय भवन में ही आयोजित की जाती हैं जिसकी बैठक में ग्राम प्रधान एवं समस्त पंचायत सदस्यों को रहिमापुर स्थित पंचायत भवन जाना पड़ता है, जो भी मीटिंग पंचायत भवन में होती है। वहां जनता को आने-जाने में परेशानी होती है। मजरे रहिमापुर की जनसंख्या लगभग 350 है तथा उक्त मजरे का अपनी ग्राम सभा पिलखिनी से कोई भी सम्पर्क मार्ग न होने से उक्त दोनों ग्रामों के निवासियों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मजरे रहिमापुर (सुखई पासी के इंजन के पास से) पिलखिनी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने हेतु आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।]

जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज की ग्राम सभा चौकी नसरतपुर के ग्राम गोपालपुर में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा की जमीन मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज की ग्राम सभा चौकी नसरतपुर के ग्राम गोपालपुर में चारागाह की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कराये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज की ग्राम सभा चौकी नसरतपुर के ग्राम गोपालपुर में ग्राम सभा की चारागाह की खाली पड़ी जमीन (गाटा संख्या-33 ख) एवं पोखरी (गाटा संख्या-83) में गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया गया है। जिससे लोगों के जानवरों के चरने का चारागाह नहीं रह गया है।

अतः जनहित के इस विषय पर तत्काल चारागाह खाली कराने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि अन्तर्गत कतिपय मार्गों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राम चन्द्र यादव

[मान्यवर, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना अन्तर्गत शासनादेश संख्या-86/2016/177/23-14-16-85आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 30-03-2016 को रुदौली रौजागांव मार्ग से गुलचप्पा डामर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग व धमौरा पी0एम0जी0एस0वाई0 से माइनर होते हुए पटरंगा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग पर मात्र रु0 24.20 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को जारी की गयी है। शेष धनराशि रु0 217.81 लाख अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है जिसके कारण कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। उक्त दोनों मार्ग क्षेत्र के अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा इन मार्गों को अविलम्ब पूर्ण कराने की मांग की जा रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में 400 के0वी0 का सब-स्टेशन तत्काल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद जौनपुर में पूर्ववर्ती सरकार में 400 के0वी0 का सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था परन्तु उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं कराया गया है जिससे जनमानस में रोष की भावना पैदा हो रही है। जनहित में तत्काल उक्त सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। यह जनहित का विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है तथा उस आबादी का जीविकोपार्जन खेती ही है। जनपद रायबरेली के अन्तर्गत बछरावां विधान सभा क्षेत्र के किसानों की मुख्य कृषि उपज धान है, धान ही बछरावां विधान सभा क्षेत्र के किसानों के जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया है, यहां का किसान धान की उपज से प्राप्त होने वाली धनराशि से अपनी रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सफल हो पाते हैं। यहां का धान उत्पादक किसान धान क्रय केन्द्रों की कम संख्या पर अपने धान को सुगमतापूर्वक विक्रय नहीं कर पा रहा है। जो केन्द्र आज बछरावां में संचालित हो रहे हैं वे भी सफेद भूसी का धान किसानों से नहीं ले रहे हैं तथा लाल भूसी के धान को भी ना के बराबर क्रय कर रहे हैं। धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान सुगमतापूर्वक नहीं लिये जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बछरांवा विधान सभा के अन्तर्गत उत्पादित होने वाला श्रीराम चावल देश-प्रदेश के विख्यात चावलों में मान जाता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बछरावां विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा सभी प्रकार का धान क्रय कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री शैलेश कुमार सिंह, शैलू-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 292, गैसड़ी, जनपद बलरामपुर अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए क्षेत्र से 20-20 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में शासन प्रशासन स्तर पर कई बार लिखित याचना की गई पर कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं कराया गया जिससे जनता आन्दोलन करने पर मजबूर हो रही है। जनता में प्रा0स्वा0 केन्द्र निर्माण न होने से रोष व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रा0 स्वा0 केन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 2015 में नियुक्त मनोरंजन कर निरीक्षक के पद को संविलयन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के निम्न विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण 635 अभ्यर्थियों में से 45 लोगों का चयन मनोरंजन कर निरीक्षक के पद पर हुआ था। इस बीच शासनादेश सं0-520/11-03-2018-103-2017 के द्वारा मनोरंजन कर विभाग समाप्त कर उक्त विभाग के कर्मियों का संविलयन वाणिज्य कर विभाग में कर दिया गया है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मनोरंजन कर निरीक्षकों का अलग से निर्देश जारी न होने के कारण उन चयनित 45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही न होने के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली के मध्य रजवाहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत गांव मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली की ओर रजवाहे के पटरी का निर्माण अति आवश्यक है। उक्त पटरी के रास्ते से अनेकों गांव जुड़ते हैं जिससे क्षेत्र के किसानों को पटरी के निर्माण के पश्चात् अधिक लाभ मिलेगा। उक्त पटरी का निर्माण न होने के कारण क्षेत्र के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसानों को 10-12 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के नगर पंचायत बुढ़ाना में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना क्षेत्र के बुढ़ाना नगर पंचायत तहसील होने के बावजूद मण्डी न होने से किसानों को गेहूं, आलू, धान, प्याज आदि बेचने में बहुत असुविधा होती है तथा किसानों को कम मूल्य मिल पाता है जबकि शासनादेश के अनुसार तहसील में मण्डी होना अनिवार्य है। जनहित में मण्डी का होना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर में स्थापित जिला जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित जिला जेल मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित है। उक्त जेल शहर के बीचों-बीच स्थित है। जिससे शहरवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जेल में मोबाइल जैमर लगने से आस-पास की कालोनियों में रहने वाले निवासियों को दूरभाष में काफी दिक्कतें आती है। शहरवासियों की समस्या को देखते हुये जिला जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित करना आवश्यक है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत आता है। जनपद सोनभद्र भौगोलिक दृष्टिकोण से ऊबड़-खाबड़ जंगली पहाड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 कि0मी0 में फैला हुआ है। पूरे भारत वर्ष में दो जिले क्षेत्रफल में सबसे अधिक थे। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और मध्य प्रदेश का बस्तर जिला। जनपद बस्तर को विभाजित करके छः जिला बना और मिर्जापुर को विभाजित करके मात्र एक जनपद सोनभद्र बना। जनपद सोनभद्र जिला जनसंख्या की दृश्टि से लगभग 18 लाख से अधिक है तथा आज भी भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जनपद सोनभद्र का जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज में है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगभग 150 कि0मी0 की दूरी तय करता है। हमारा क्षेत्र आदिवासी, गरीब, अशिक्षित अधिकतर लोग हैं। पर्याप्त मात्रा में जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिए सरकार द्वारा कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। सोन नदी के दक्षिण के सम्पूर्ण भूभाग जो अधिकांश ओबरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। आंशिक रूप राबर्ट्सगंज विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। प्रस्तावित जिला दुद्धी का वर्तमान जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक है और बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश जैसे चार प्रान्तों से घिरा है। जबकि प्रदेश में एक दर्जन से अधिक ऐसे जिले बने हैं जहां की जनसंख्या लगभग 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है। अनवरत् 20 वर्षों से इस क्षेत्र के खासकर व्यापार मण्डल, अधिवक्ता संघ तथा अनेक सामाजिक संगठन दुद्धी को नया जनपद बनाने की मांग करते रहे हैं। यदि दुद्धी नया जनपद बन जाये तो यहां के गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी वनवासियों का विकास निश्चित तौर पर होगा। दुद्धी क्षेत्र में एशिया का तीसरे नम्बर की रिहन्द बांध परियोजना बनी है जो प्रदेश व देश को बिजली मुहैया कराता है साथ ही एन0टी0पी0सी0 बीजपुर, एन0टी0पी0सी0 शक्तिनगर, कोल माईंस सिंगरौली, तापीय परियोजना अनपरा, ओबरा थर्मल पावर व बिरला ग्रुप का बड़ी एल्मुलियम फैक्ट्री रेनूकूट व सीमेन्ट फैक्ट्री डाला, कार्बन प्लांट हाईटैक, केमिकल प्लांट कनौरिया व प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना अमवार कनहर परियोजना तथा म्योरपुर हवाई अड्डा जैसे तमाम भारत सरकार व प्रदेश सरकार की परियोजना स्थापित हैं। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए वर्ष 1994 में दुद्धी को जनपद का दर्जा दिया गया था तथा जिला मुख्यालय पिपरी में स्थापित किया गया था। जहां पर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गयी थी। किन्तु राजनैतिक कारणों से इसका दर्जा छः माह बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश व्याप्त है। जनहित में दुद्धी को नया जनपद बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद बनाने की मांग करता हूं।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ब्लाक बढ़नी के ग्राम सेमरहवा में एस0एस0बी0 कैम्प हेतु अधिग्रहीत भूमि के अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ब्लाक बढ़नी ग्राम सेमरहवा में एस0एस0बी0 कैम्प हेतु भूमि अधिग्रहीत किया गया है। भूमि अधिग्रहीत के सापेक्ष उक्त ग्राम के किसानों को 80 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान दिनांक 07-11-2017 को किया गया। परन्तु भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष अवशेष धनराशि 20 प्रतिशत का भुगतान श्री बब्बन आदि के खाते में दिनांक 22-06-2018 को कर दिया गया है। गाटा संख्या-151 श्री हैतुल्ला एवं श्री अब्बास अली आदि के खाते में अवशेष धनराशि 20 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया गया है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद अमेठी की नगर पालिका परिषद्, गौरीगंज में लिपिकीय त्रुटि के कारण 2017-18 की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आय-व्ययक की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लिपिकीय त्रुटिवश नगर पालिका परिषद्, गौरीगंज, जनपद अमेठी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेश के अनुरूप अनुमन्य एवं अवमुक्त धनराशि के अनुसार अनुदान राशि नहीं दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन से माह सितम्बर, 2017 से इस निकाय को पूर्व में प्राप्त/आवंटित हो रही धनराशि रु0- 37,63,543.00 (सैंतीस लाख तिरसठ हजार पांच सौ तैंतालिस मात्र) के सापेक्ष रु0- 3,83,848.00 (तीन लाख तिरासी हजार आठ सौ अढ़तालिस मात्र) आवंटित किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। विकास कार्य बाधित हो रहा है, अतएव क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रश्नगत लिपिकीय त्रटिवश काटी गयी धनराशि प्रदान करायी जाय।]

लखनऊ उत्तर क्षेत्र के कदम रसूल व अयोध्यादास वार्डों की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कदम रसूल व अयोध्यादास आदि वार्डों में भारी संख्या में बिजली चोरी की शिकायतें मिलती रही हैं। विद्युत विभाग द्वारा अवैध कटिया कनेक्शन को रेगुलराइज करने का अभियान आधे अधूरे मन से चलाया गया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या ज्यों कि त्यों है। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। लखनऊ उत्तर क्षेत्र के कई अन्य वार्डों में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है। बांस-बल्लियों के सहारे बिजली दी जा रही है। विभागीय अधिकारी उदासीन हैं। आलम यह है कि नाना प्रकार की समस्यायें गिना कर काम को टालने की कार्य संस्कृति पनप रही है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ उत्तर क्षेत्र के कदम रसूल व अयोध्यादास आदि वार्डों की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कतिपय भू-खण्ड को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में भू-माफियाओं का एक प्रकरण लाना चाहता हूं। भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जे किये जा रहे हैं। ग्राम-भानपुर मड़हा (भनवापुर) तथा करही तह0-डुमरियागंज, जिला-सिद्धार्थनगर के खाता सं0-41 की गाटा सं0-347क/00240, 365ख/00930 व 371/00760 का पट्टा दिनांक 27-10-1975 को जीवधन पुत्र दुबली के नाम किया गया, इनका कोई वारिस नहीं था अतः मृत्योपरान्त पुनः यह भूमि ग्राम सभा में सम्मिलित हो गयी। भू-माफियाओं ने साजिश कर दिनांक 18-10-2003 को प0का0-11 से जवाहर पुत्र फागू के नाम दर्ज करवा दिया उसके बाद दिनांक 17-07-2018 को जवाहर के पुत्र बेचन व राम लोचन के नाम दर्ज की गयी परन्तु दिनांक 04-08-2018 को वाद सं0-1128 सूर्यपाल सिंह बनाम जवाहिर प्रा0 04-08-2018 पत्रावली पर आदेश कर उक्त 18-10-2003 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है जिसका उल्लेख खतौनी में भी है। उक्त स्थगन आदेशों के बावजूद इस जमीन पर मकान खड़ा किया जा रहा है। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, ग्रामीणों में काफी रोष है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रश्नगत मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम नगला ढकौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम नगला ढकौली के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य हेतु एस0सी0एस0टी0 के उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ने पत्र सं0-6539, दिनांक 01-08-2017 में सी0डी0ओ0 को निर्देश दिये, के क्रम में ए0एम0ए0 से जांच करायी, जांच आख्या पत्र सं0-860, दिनांक 23-08-17 के अनुसार एक मार्ग में दो फीट मिट्टी भरा तथा दूसरा मार्ग खेतों से दो मीटर गहरा है जल भराव के कारण ग्रामवासियों के आवागमन में परेशानी आ रही है। इसमें मिट्टी भराव तथा दोनों ओर नाली के निर्माण की आवश्यकता है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ए0एम0ए0 के आख्या पर सी0डी0ओ0 ने पत्र सं0-2337, दिनांक 13-09-17 में निर्माण कराने के निर्देश दिये। इस क्रम में ए0एम0ए0 पत्र सं0-1112, दिनांक 19-09-17 में सी0डी0ओ0 को अवगत कराया कि आगामी बोर्ड की बैठक में की जायेगी। बोर्ड की बैठक में धनाभाव के कारण कार्य स्वीकृत नहीं किया। जबकि दिनांक 28-07-17 में 16, 70 करोड़ रु0 प्राप्त हो चुके थे।

उक्त निर्माण कार्य हेतु 20 मार्च 2018 में अतारांकित प्र0सं0-7 में विधान सभा सत्र में सम्मिलित किया गया। किन्तु आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया तथा तथ्यों के विपरीत है। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा समस्त प्रकरण में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा में पात्र अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद असलम राइनी, एडवोकेट-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा हरईरामपुर की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त ग्राम सभा में बहुत से पात्र व असहाय गरीब परिवार के लोग हैं, जिनमें परमीला पत्नी अशोक, मीना पत्नी-अनिल, संगीता पत्नी-दशरथ एवं कल्पू पुत्र खरमू व इत्यादि ग्रामवासी गरीबी की इस लाचारी में कच्चे मकानों व करकट में रहकर परिवार के साथ गुजारा कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है जबकि अपात्र धनाड्य लोगों को उक्त आवास उपलबध करा दिया गया, जिनके पास पहले से स्वयं का पक्का मकान है, जो कि सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत से यह खुलेआम प्रधानमंत्री आवास योजना की बन्दरबांट की जा रही है। ग्रामवासियों के द्वारा इसकी शिकायत जनपद स्तरीय अधिकारियों से किये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिस कारण समस्त ग्रामवासियों में शासन/प्रशासन के प्रति काफी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की बन्दरबाट की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018

[12:32 बजे] प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(2) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(2) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(3) अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-7

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौदहवाँ प्रतिवेदन†

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौदहवाँ प्रतिवेदन जो जनपद-बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, महोबा व फिरोजाबाद जनपदों के ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों की शिकायती पत्रों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन †

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सोलहवाँ प्रतिवेदन†

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सोलहवाँ प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्रहवाँ प्रतिवेदन†

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्रहवाँ प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अट्ठारहवाँ प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अटठारहवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्नीसवां प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बीसवां प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बीसवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का इक्कीसवां प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का इक्कीसवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बाइसवां प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बाइसवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का तेइसवां प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का तेइसवां प्रतिवेदन जो बरेली मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में पीला खार नदी द्वारा ग्राम सिंधौली को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में पीला खार नदी द्वारा ग्राम सिंधौली को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

† छापे नहीं गये।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी द्वारा ग्राम-गौतारा, प्रेमपुर, ठिरिया बुजुर्ग, अम्बरपुर, लभेडा पुरोहित, गोरा, लोकनाथपुर, हेमराजपुर, गहबरा, करौरा, मदनापुर, समस्तपुर व कपूरपूर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[†]

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी द्वारा ग्राम-गौतारा, प्रेमपुर, ठिरिया बुजुर्ग, अम्बरपुर, लभेडा पुरोहित, गोरा, लोकनाथपुर, हेमराजपुर, गहबरा, करौरा, मदनापुर, समस्तपुर व कपूरपुर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत मीरगंज को ग्राम नथपुरा, बलुपुरा, परौरा, देवसास, चुरइदलपतपुर, नगरिया सादात, कुलछाखुर्द, लाभारी, नगरिया कल्यान, संजरपुर, ठिरिया ब्रम्हा व नन्दगांव को मिलाकर नई नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत मीरगंज को ग्राम नथपुरा, बलुपुरा, परौरा, देवसास, चुरइदलपतपुर, नगरिया सादात, कुलछाखुर्द, लाभारी, नगरिया कल्यान, संजरपुर, ठिरिया ब्रम्हा व नन्दगांव को मिलाकर नई नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी के पार बसे गांव गौतारा, ठिरिया ठकुरान, जोगीठेर, ऐना बहिजुइया, चन्दपुर जोगियाना, जन्दपुर काजियान को ब्लाक क्यारा से हटाकर पड़ोस के ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में रामगंगा नदी के पार बसे गांव गौतारा, ठिरिया ठकुरान, जोगीठेर, ऐना बहिजुइया, चन्दपुर जोगियाना, जन्दपुर काजियान को ब्लाक क्यारा से हटाकर पड़ोस के ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[†] छापे नहीं गये।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में कुल्ली नदी द्वारा बसई को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में कुल्ली नदी द्वारा बसई को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में किच्छा नदी द्वारा नगर पंचायत शाही ग्राम सुल्तानपुर, बफरी, मकड़ीखो, हैदरगंज, फिरोजपुर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल लोधी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में किच्छा नदी द्वारा नगर पंचायत शाही ग्राम सुल्तानपुर, बफरी, मकड़ीखो, हैदरगंज, फिरोजपुर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व ग्राम नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल त्रिवेदी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व ग्राम नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में दिजोडा नदी द्वारा ग्राम-गुलडिया व मोहम्मदगंज आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश लोधी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में दिजोडा नदी द्वारा ग्राम-गुलडिया व मोहम्मदगंज आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा नादह, पोस्ट डुम्मरभार, तहसील पडरौना में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल चौधरी आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा नादह, पोस्ट डुम्मरभार, तहसील पडरौना में स्वच्छ पेय जल के लिए पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा मैनपुर (रजबाबर डेलिहवा), पोस्ट मैनपुर, ब्लाक-कसया में प्रेमवालिया फीडर के मैनपुर भिखारी चौर से रलबाबर-डेलिहवा के सभी टोलों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा मैनपुर (रजबाबर डेलिहवा), पोस्ट मैनपुर, ब्लाक-कसया में प्रेमवालिया फीडर के मैनपुर भिखारी चौर से रलबाबर-डेलिहवा के सभी टोलों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भैसहा पकडीहवा भागड क्षेत्र में तहसील कसया ब्लाक कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भैसहा पकडीहवा भागड क्षेत्र में तहसील कसया ब्लाक कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के सन्त निरंकारी सत्संग भवन गोपालगढ़ से ग्राम सभा तेतरिया तक (नहर की पुलिया तक) निर्माणाधीन पिच सड़क के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश राय आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सन्त निरंकारी सत्संग भवन गोपालगढ़ से ग्राम सभा तेतरिया तक (नहर की पुलिया तक) निर्माणाधीन पिच सड़क के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश राय आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा शिरसिया खोहिया, तहसील कसया, ब्लाक कसया, जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिये पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मिठाई लाल कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा शिरसिया खोहिया, तहसील कसया, ब्लाक कसया, जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिये पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मिठाई लाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(इसी मध्य 12 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

---

† छापे नहीं गये।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भावनपुर, ब्लाक-रजपुरा में तालाब की सफाई एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह पाल आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भावनपुर, ब्लाक-रजपुरा में तालाब की सफाई एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह पाल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर, ब्लाक रजपुरा में सड़क (खड़न्जा) जीर्ण-शीर्ण होने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री पंकज गर्ग आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर, ब्लाक रजपुरा में सड़क (खड़न्जा) जीर्ण-शीर्ण होने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री पंकज गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री विनोद कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के पुखरायां के मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द द्विवेदी आदि निवासीगण ग्राम हैदरपुर, मलासा कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

श्री अधिष्ठाता-

श्री विनोद कटियार उपस्थित नहीं हैं।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम विरासिन से खलीलपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल मौर्य आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम विरासिन से खलीलपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मोहरतला से गंगाजमुनी तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मोहरतला से गंगाजमुनी तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान

† छापी नहीं गयी।

सिंह पुत्र सुल्तान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बिछौली से भरतापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दानवीर आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बिछौली से भरतापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दानवीर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर डडिया तिराहे से सुनरा होते हुए भटपुरा तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामा चरन आदि निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर डडिया तिराहे से सुनरा होते हुए भटपुरा तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामा चरन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मदारीपुर से रामपुर नयागांव तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार मिश्रा निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशनलाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मदारीपुर से रामपुर नयागांव तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत गंगागंज से नगराम लम्बाई 17 किमी0 की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मायाराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत गंगागंज से नगराम लम्बाई 17 किमी0 की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मायाराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित शारदा सहायक खण्ड-1 रायबरेली राजबहा से निकली अल्पिकायें की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार यादव पुत्र सहजराज यादव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित शारदा सहायक खण्ड-1, रायबरेली राजबहा से निकली अल्पिकायें की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार यादव पुत्र सहजराज यादव अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत विश्राम खेड़ा चौराहा से गंगा खेड़ा होते हुए नगराम रोड के रास्ते का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत विश्राम खेड़ा चौराहा से गंगा खेड़ा होते हुए नगराम रोड के रास्ते का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

डॉ0 अनीता राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के ग्राम सतोहा में शिव मन्दिर के पास एक बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अनीता राजपूत उपस्थित नहीं हैं।

जनपद अमरोहा में जोया अमरोहा स्टटे हाइवे पर गैलेक्सी अपार्टमेंट से रामपुर मोड़ तक हाई मास्क स्ट्रीट लाइट के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 आस्कार पुत्र हाजी छोटे आदि निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में जोया अमरोहा स्टटे हाइ-वे पर गैलेक्सी अपार्टमेंट से रामपुर मोड़ तक हाई मास्क स्ट्रीट लाइट के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 आस्कार पुत्र हाजी छोटे व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री गोरखनाथ बाबा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फैजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

---

† छापी नहीं गई।

फैजाबाद के मृतक आश्रित कोटे से नौकरी देने के सम्बन्ध में यमुना प्रसाद आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) †

श्री अधिष्ठाता-

श्री बाबा गोरखनाथ उपस्थित नहीं हैं।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिकाएं (व्यपगत)

श्री अधिष्ठाता-

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी उपस्थित नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के अभाव हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू यादव आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा में पुल/पीपे के पुल के अभाव हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल चौधरी आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) †

जनपद कुशीनगर के चखनीताल ड्रेन में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में श्री लौहर चौहान आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के चखनीताल ड्रेन में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में श्री लौहर चौहान व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 चिकित्सालय में आई0सी0यू0 वार्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पन शर्मा आदि निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई-

मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 चिकित्सालय में आई0सी0यू0 वार्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद अमेठी के ग्राम सभा त्रिलोकपुर के विकास खण्ड अमेठी में गुलालगढ़ ड्रेन पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शुक्ला आदि निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती गरिमा सिंह-

मैं आपकी अनुमति से जनपद अमेठी के ग्राम सभा त्रिलोकपुर के विकास खण्ड अमेठी में गुलालगढ़ ड्रेन पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करती हूं।

श्री अधिष्ठाता मद संख्या 30, 31, 32

इस मद में कुछ नहीं है।

(इसी मध्य 12 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

---

† छापी नहीं गयी।

[12:49 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम कार्य-स्थगन लेते हैं। पहली सूचना, प्रदेश में सरकारी सेवाओं में हो रही भर्तियों में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में, मा0 लालजी वर्मा।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हम लोगों ने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है। यह ऐसे बेरोजगार नौजवानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है जो आए दिन गरीबी में, मजबूरी में अपना पेट काट-काटकर इन आवेदन पत्रों को भरते हैं। लेकिन दुःख का विषय है कि जब से इस सरकार ने जितना भी विज्ञापन किया है, किसी में पर्चा लीक हो गया, कहीं पर अधूरे प्रश्न-पत्र गए, कहीं पर दो प्रश्न पत्र के दो उत्तर सही गए तो दो गलत गए, कहीं कापियॉं जला दी गयीं और कहीं पर मान्यवर, ऐसा हुआ, आप इसे देख लें, सरकार द्वारा पारदर्शिता की बात की जाती है, जो पुलिस की भर्ती हुई, सिपाही की भर्ती में दूसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गयी, क्यों? पहली पाली की परीक्षा तो हुई, दूसरी पाली की परीक्षा में जिसमें 12 लाख परीक्षार्थी आए थे, जो 18 जून को इम्तिहान था, उसे रद्द कर दिया गया, इसलिए कि गलत पेपर बांट गया था। फिर इन्होंने एक परीक्षा और रद्द कर दी, 30 हजार टीचरों की। यहां पर हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं हैं, उन्होंने खुद दुःख व्यक्त किया कि यह तो बहुत गलत हो गया कि हमारे बेसिक शिक्षा के अभ्यर्थी फार्म भरें और उन लोगों की परीक्षा रद्द हो जाए, उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। मान्यवर, फेल बता करके जिनकी नियुक्तियां रोकी गयी थीं, उनको मूल रिजल्ट में पास कर दिया गया। जिनको फेल किया गया मान्यवर, वह मूल रिजल्ट में पास थे, जो पास थे, उनको मूल रिजल्ट में फेल कर दिया गया, जिनकी कापियां जलायी गयीं, जिसने अगर 125 नम्बर पाये हैं, उसको पास होना चाहिए, लेकिन 120 वाले को पास कर दिया गया। इस तरह की जो तमाम अनियमितताएं हो रही हैं, चाहे पुलिस भर्ती आयोग हो, जो हमारा पुलिस भर्ती बोर्ड है, प्रोन्नति और भर्ती के लिए उसने भी दुःख व्यक्त किया है और इसका कहीं न कहीं कोई कारण है, यहां पर माननीय नेता सदन जी भी बैठे हैं, आज एक भी नियुक्ति आपकी क्लियर हुई हो तो बता दें। कोई सी0बी0आई0 जांच में है, कोई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रुकी हुई है, कोई विभागीय जांचों की वजह से रुकी हुई है, कोई पर्चा लीक हो जाने की वजह से रुक गयी, कोई अधूरा प्रश्न पत्र बंटने के कारण रुक गयी है और साथ ही साथ मान्यवर, अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पालीवाल साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने व्यक्तिगत कारण जरूर दिखाया है, लेकिन वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सुधारना चाहते थे, जो कमियां थीं, वह पिछली सरकार के कामों की जांच करा रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी, ठीक है, आज भी आप तैयार हो जायें कि हम जांच करायेंगे। अभी बनारस में सेण्टर था, नलकूप विभाग का, डेढ़ लाख लड़के सेण्टर तक पहुंच गए और 05 मिनट में खबर आ रही है कि परीक्षा निरस्त कर दी गयी है। परीक्षा केन्द्रों की यह हालत है कि गाजीपुर का लड़का गाजियाबाद, गाजियाबाद का लड़का बलिया, क्या इससे आप नकल रोक लेंगे? उन बच्चों का हैरसमेण्ट करा करके आप नकल रोक लेंगे और जिसने ड्राफ्ट लगाया है, जिसने गरीबी में अपना पैसा काट-काट करके फार्म भरा है और बच्चे जाड़े में झोला लेकर प्लेट फार्म पर सो रहे हैं, वह पता लगाते हैं कि कहां पर सबसे सस्ता और बचा हुआ खाना होगा, वह उन होटलों में जाकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घर की रोटी और सब्जी लेकर जाते हैं, उन बच्चों पर आपको दया नहीं आ रही है? इसका केवल एक कारण है, सरकार में

चाहे जिसकी भी मोनोपली हो, कुछ ही अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं, थोड़े गिने-चुने कर्मचारी और अधिकारी हैं, यह सक्षम लोगों को प्रयोग ही नहीं करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आप एजेन्सियों पर भरोसा रख रहे हैं कि हम प्राइवेट एजेन्सी से कॉपी जंचवायेंगे, परीक्षा करवायेंगे, जल्दी हो जायेगा, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं अदब के साथ आपसे अनुरोध करता हूं, आप बतायें कि कोई नियुक्ति क्लियर हुई हो। आज बेरोजगार इलाहाबाद में धरना दे रहा है, जितने बच्चे फार्म भरे हैं, पांच सौ, दो सौ, तीन सौ जो भी परीक्षा शुल्क रहा हो, आज उन गरीब बच्चों के लिए कहते कि हम उन्हें वह वापस कर देंगे, ऐन मौके पर आप परीक्षाओं को निरस्त कर रहे हैं। यह तो पहली बार सुना गया कि पेपर लीक हो गया। जैसे पुलिस में महिला और पी0ए0सी0 की भर्ती थी, दूसरी पॉली की परीक्षा इसलिए निरस्त की गयी कि पर्चा गलत बन गया, जिसमें 12 लाख अभ्यर्थी थे तो वह 12 लाख अभ्यर्थी वहां कैसे पहुंचे होंगे, किन-किन परिस्थितियों में पहुंच होंगे ? मान्यवर, मैं बहुत-लम्बा भाषण देने का आदी नहीं हूं, लेकिन यह आम चर्चा है, आम नौजवानों से पूछ लीजिए कि उन लोगों का शोषण हो रहा है। कहीं प्रश्न-पत्र गलत जा रहे हैं, कहीं आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, उसे आप देख लें, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की वजह से नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा के कष्ट को समझा, पालीवाल साहब पर दबाव था। मान्यवर, चाहे शिक्षा विभाग की नौकरी का सवाल हो, चाहे सहायक अध्यापकों का हो, चाहे पुलिस भर्ती का रहा हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन का हो, चाहे लोक सेवा आयोग का हो, चाहे अन्य जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड का मसला रहा हो एक भी नियुक्ति क्लीयर नहीं हुई है। हमको इस बात से बहुत तकलीफ हुई है। हम लोग भी बनारस में हैं, हमारे गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने आए थे। दो लाख बच्चे जब अपनी गरीबी, मजबूरी में परीक्षा केन्द्र के सेण्टरों से लौट रहे थे तो उनको देखकर इतनी तकलीफ हुई कि आप दो दिन, चार दिन पहले बता दिए होते कि वह परीक्षा रद हो गई है। परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच गए बच्चे और कह दिया कि परीक्षा रद्द हो गई। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे मा0 नेता सदन जी हैं, उनका हम लोग ससम्मान आदर करते हैं, लेकिन नीचे की आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, यह बड़ा भरोसा रख रहे थे और जिनको आपने लगाया है, कहीं न कहीं पर इनके कर्तव्यों पर आंच आ रही है। नौजवानों के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे नेता सदन जी कुछ विश्वास आप भेज दें बहुत घबराहट है नौजवानों में, आंदोलित हो रहे हैं, तकलीफ में है कितनी गाढ़ी कमाई का हम लोग रोटी साग लेकर जाते हैं और जब परीक्षाएं निरस्त हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। नियुक्ति-पत्र मिल गया फिर भी रोक लगा दी जाती है। आज पूरे प्रदेश के नौजवान दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं। किसी भी नियुक्ति पर आपने कहीं भी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई। कहीं-कहीं भर्तियों पर नियमों का पालन नहीं हुआ है, प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है। मा0 उच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सी0बी0आई जांच के लिए आप लोगों को आदेश करना पड़ा है। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि मुझको बहुत तकलीफ है। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। मैं उनको बधाई दे रहा हूं कि आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ हुआ नहीं है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा मान्यवर कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, बेरोजगारों से जुड़ा है, नौजवानों से जुड़ा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा है, अधिकारियों की लापरवाहियों से भी जुड़ गया है। प्रदेश में एक तरह का निराशा का वातावरण बन

गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर और सदस्य हैं, जान रहे हैं इनके भी परिवारों के लोग भरे हैं उनकी भी राय आएगी। हमारे सत्ता पक्ष के भी इसमें कोई स्थगन कोई इस तरह से नहीं लिया है सरकार के सदस्यों को बोलने का मौका लगे, सब लोग इस पर विचार कर लें। डेढ़ पौने दो साल हो गया लेकिन एक भी नियुक्ति क्लीयर नहीं हुई। पुलिस की भर्ती जो पिछली बार थी जो मेरिट के आधार थी वही लड़के नियुक्त किए गए हैं और बता दें किसी विभाग में। नियुक्ति-पत्र तक रोक दिया जा रहा है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, इस पर एक चर्चा कराऊंगा कि यह मसला सुधारा कैसे जाए कि अधिकारी की कमी है। मैं मा0 नेता सदन के शासन पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो आपके हैण्ड हैं वह इतनी बड़ी हरकत आपके अधीनस्थ कर रहे हैं। आप ऐसे प्रतिष्ठित मा0 मुख्य मंत्री जी का मैं भरोसा रखता हूं कि आज ऐसे जो आचरण प्रस्तुत हो रहे हैं, नौजवान जो ठगे जा रहे हैं, गरीबों का पैसा गया है आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि हम जितने बच्चे आए हैं मैं उनका परीक्षा शुल्क वापस करा दूंगा। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर मैं आपसे बहुत अनुरोध करता हूं कि एक व्यवस्था दें, चर्चा कराएं और बेरोजगार बच्चों की आखों का आंसू पोछने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनावें सदन में, ताकि आज सन्देश प्रदेश में चला जाए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और यह उम्मीद की जाती है कि महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाला व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण सदन में बोले तो तथ्यपरक बातें बोलें, तर्कसंगत बातें बोलें जो जनता के सामने सकारात्मक रूप से जा सकें। एक झूठ को सौ बार बोलने पर वह सच नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि यह एक सिद्धान्त आप लोगों ने बना लिया है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो या पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर किसी भी प्रकार की भर्तियां हों। विगत 15 वर्षों के दौरान जितने पारदर्शी तरीके से वर्तमान सरकार के समय में भर्तियां हो रही हैं, कभी नहीं हुई हैं। (सदन में मेजों की थपाथपाहट) विगत डेढ़ वर्ष के दौरान आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। एक लाख से अधिक भर्तियां प्रदेश के अन्दर हुई हैं और उन्हें नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किए गए हैं। (सदन में मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक बॉडी है, हमारा या शासन का उस पर सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या किसी भी आयोग को परीक्षाएं कैसे करानी हैं, किसको कौन सी फर्म या एजेंसी का चयन करना है, यह अधिकार उन्हें होता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन यहां पर बिठाए गए लोग कौन हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिन लोगों को पिछली सरकारों ने बिठाया था, जिसमें एक बार अध्यक्ष को मा0 उच्च न्यायालय को ही बर्खास्त करना पड़ा था। ऐसे लोग अर्हता न रखते हों, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। क्या होता था पहले, कोई भर्ती निकलती थी और पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी, एक परिवार से जुड़े हुए लोग झोला ले करके पूरे प्रदेश में पैसा वसूली में लग जाते थे। आज किसी भी भर्ती पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। (सदन में मेजों की थपथपाहट) यही कारण है कि पुलिस की एक भर्ती जिसमें 42000 प्रशिक्षु वर्तमान में हमारे विभिन्न ट्रेनिंग सेण्टर्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं और दूसरी भर्ती वर्तमान में प्रचलित है जिसके पेपर के लीक होने की बात कर रहे हैं वह पेपर लीक नहीं हुआ था। उसमें तीन सेण्टर थे उन तीन सेण्टर पर दूसरी पाली का पेपर पहली पाली में खुल गया था। इसलिए उस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। वह पेपर फिर सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। आप लोगों की विरासत में जगह-जगह सॉल्वर गैंग जो पहले से

मौजूद हैं, जिनके शुभचिन्तक आप लोगों के साथ पहले से जुड़े रहे हैं, जिनके शुभचिन्तक के रूप में आज भी बहुत सारे लोग आप लोगों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उन लोगों को आज जब एस0टी0एफ0 और हमारी एजेंसियां गिरफ्त में लेती हैं और कार्यवाही करती हैं तो सब कुछ सामने आता है। आज पहली बार हो रहा है कि पूरे पारदर्शी तरीके के साथ भर्ती हो रही है। चाहे बेसिक शिक्षा में 41500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया रही हो, चाहे पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो या फिर माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालयों में पिछले 15 वर्षों से भर्तियां नहीं हुई थीं। अधिकतर विश्वविद्यालयों में सभी भर्तियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, पूरे पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुई हैं और मैं कह सकता हूं कि एक लाख से अधिक भर्तियां विगत डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर की हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 50000 पुलिस की नई भर्ती की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड हो, इसमें एजेंसी चयन करना, पारदर्शी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षाओं को सम्पन्न कराना, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पहले इसमें इण्टरव्यू में धांधली होती थी। इसीलिए ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर और ग्रुप टू (जो गैजेटेड पद नहीं हैं) से जुड़ी हुई भर्तियों में इण्टरव्यू की व्यवस्था को हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं ताकि आप लोगों के समय में जो पहले झोला लेकर वसूली की एक व्यवस्था बना दी गई थी वह व्यवस्था ही समाप्त हो जाए और उसको पूरी मजबूती के साथ लागू किया गया है। जहां तक प्रश्न है बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती में एक मा0 न्यायाधीश के द्वारा सी0बी0आई0 जांच के आदेश देने की तो मा0 हाईकोर्ट ने ही उनके आदेश को स्टे भी किया है क्योंकि आदेश बहुत बार, बहुत तरीके से होते हैं और इसीलिए उस मामले में स्वयं पूर्वाग्रह झलकता था जिस तरीके से वह आदेश किया गया था। कतिपय शिकायतें आई थीं। शिकायतें ही नहीं हम लोगों ने तो यह भी सुविधा दी थी कि हमारे पास तो जगह है। 68500 की भर्ती हमने निकाली थी। उन 68500 पदों के लिए 1 लाख 5 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा 41500 पास हुये थे। बहुत सारे लोगों ने आकर कहा था कि हमारे जितने अच्छे पेपर हुए थे हमें उतने अच्छे अंक मिलने चाहिए थे। हमने कहां कि जो भी आवेदनकर्ता हैं इन सबकी फिर से कॉपियां चेक करा दी जायें। वह सुविधा हमने दी है। इतनी पारदर्शी तरीके से और क्या हो सकता है। हमने न्यायालय को इस बारे में कहा भी लेकिन जो कतिपय शिकायतें आई थीं। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो भर्ती की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे यदि उनकी लापरवाही कहीं पर भी नजर आई है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई इसी सरकार ने की है। वह लोग इस सरकार के द्वारा वहां पर नियुक्त नहीं थे। पिछली सरकार के समय से नियुक्त चले आ रहे थे। प्रक्रिया में अगर कहीं भी लापरवाही दिखाई दी तो उस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी हमारी सरकार ने की है। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि जहां तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की बात है तो सचिव-अध्यक्ष के आपसी विवाद के कारण उन्होंने अपने पारिवारिक विवाद का विषय बनाकर सरकार को अपना इस्तीफा दिया था जिसको स्वीकार भी कर लिया गया क्योंकि सरकार ने अपेक्षा की है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या फिर जितने भी आयोग हो मैंने इन सबको सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी है कि कहीं भी कोई पेपर लीक होगा, कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो सम्बन्धित बोर्ड का चेयरमैन उसके लिए पूरी तरह जवाबदेह होगा और उसको पूरी तरह जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने इस बात की सख्त हिदायत

दी है। उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो तो फिर उसके आगे के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार करने लग जायेगी यदि उत्तर प्रदेश के किसी जवान-नौजवान के साथ यदि किसी ने खिलवाड़ किया। प्रदेश के अन्दर पूरी पारदर्शी तरीके से भर्तियॉं चल रहीं हैं और मुझे लगता है कि आपने जो यह आरोप लगाये हैं वह तथ्यपरक नहीं है, वास्तविकता से दूर हैं और प्रदेश के अन्दर पूरी पारदर्शी तरीके से साथ भर्ती की प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है और हर भर्ती के बारे में सेन्टर का चयन हो यह काम एजेन्सी और सम्बन्धित संस्था का है लेकिन सुरक्षा और इस पूरी प्रक्रिया में क्या मद्द हो सकती है सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करेगी चाहे वह बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, पुलिस भर्ती का हो या फिर अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अन्य प्रकरण हो पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके इन आरोपों में कोई भी तर्कसंगत नहीं है, कोई तथ्यपरक् नहीं है और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोपों को आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों को इस सदन में नहीं लगाना चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि एक पॉली में पेपर गलत बंटा था जिसके कारण परीक्षा को निरस्त किया गया। जब उसे निरस्त किया गया तो वह गलत तो बंटा ही था। दूसरी बात बेसिक शिक्षा के पदों के सम्बन्ध में जो आपने कहा कि हमने अवसर दिया और कहां कि तमाम जहां पर गलतियां मिलीं, हमने सम्बन्धित को सस्पेण्ड किया। इसका मतलब उसमें गड़बड़ियॉं हुई थीं तभी तो गलतियां पाई गईं। जो फेल थे वह पास हो गए और पास वाले फेल हो गए।। इस कारण मैं आपसे चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा हो जिससे पारदर्शी ढंग से एक ऐसा विषय बने जिससे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि नौजवनों को जिस तरह से परीक्षा देने जाना पड़ा, लौटकर आना पड़ा, तमाम भर्तियों में रोक लग गई तो इस तरह से जो उनका हरासमेंट हो रहा है और उनका पैसा जो बर्बाद हो रहा है कम से कम उस पैसे की भरपाई कराने की सरकार कोई व्यवस्था करे। अगर किसी भी बच्चे की, किसी भी परीक्षा को निरस्त किया गया तो उन बच्चों को जो उसमें शामिल हुए हैं, उनका किराया तथा उनका परीक्षा शुल्क उनको लौटाने का काम किया जाएगा। इस तरह का कोई ठोस विषय अभी नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करके सदन को अवगत करायें कि जहां कहीं भी परीक्षा किसी भी कारण से रुकेगी उसमें भाग लेने आने छात्रों को निश्चित रूप से उनके आने जाने का किराया भी भुगतान कराने का काम किया जाएगा और परीक्षा शुल्क भी वापस कराने का काम किया जाएगा।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं चाहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग हों, पूरा का पूरा इन्हीं पर छोड़ देंगे ? यह सभी आपके अधीनस्थ हैं, किसी भी बोर्ड की इतनी हैसियत नहीं कि यह बगैर आपकी छाया के कहीं कोई गलत काम कर दे। इन्होंने एजेंसियों की तरह काम किया। आयोग का काम स्वतंत्र है, ठीक है यह स्वतंत्र बॉडी है मैं मानता हूं लेकिन आज आपकी हनक रहेगी कि यह अपने आपको एजेंसी ही मान लें तो

इनको इतना इन्डिपेंडेण्ट न करें। कहीं न कहीं आपकी लगाम होनी चाहिए, मेरा यह आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, मा0 राजभर जी, दो बातें सरकार की तरफ से बड़ी साफ-साफ कही गयी हैं, पहली कि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो सरकार देखेगी दूसरी कि हम नौकरियों में, चयन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते और किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज भी लोग झोला लेकर प्रत्येक जिले में घूम रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी का पद है जिसमें 16 लाख, 17 लाख रुपये तक की डिमाण्ड हो रही है। यह कहना पूरी तरह से असत्य है कि कहीं झोला लेकर लोग ढो नहीं रहे हैं आज भी लोग झोला लेकर हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, आपके पास अगर कोई तथ्य है तो वह सरकार को दें। आप इस विधान सभा में बोल रहे हैं मुझे लगता है कि इस सदन में बोलते समय मा0 सदस्यों को इतनी गरिमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो हम बोलें वह तथ्यपरक् हो और प्रमाणित हो। अगर आपके पास इस प्रकार के कोई प्रमाण हों तो आप मुझे एक भी प्रमाण दे दीजिए और किसी भी भर्ती का दे दीजिए यदि कार्यवाही न हो तब फिर आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन कोई भी आरोप बिना किसी तथ्य के न लगाएं और उस सिद्धांत को आप लोग हटा दें कि हम बार-बार झूठ बोलेंगे तो सत्य हो जायेगा। झूठ तो हमेशा झूठ होगा, सत्य प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक परिस्थिति में शाश्वत रहेगा आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं सम्पन्न हो रही हैं। हम इस बात के लिए प्रदेश के युवाओं को इस बारे में आश्वस्त कर सकते हैं कि एक भी प्रमाण आप किसी भी भर्ती में उपलब्ध करा दें तो फिर उसके बाद की कार्यवाही को आप देख सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहां पर सदन में अपनी बातों को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो आपको सदन से और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों का अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद यह विषय समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहां कि झोला लेकर लोग ढोते थे तो जो ढोते थे उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज सरकार आपके हाथ में है तो जो झोला ढो रहे थे यदि उनके खिलाफ आपको जानकारी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। दूसरी तरफ आज भी इस तरह के ठग लोग हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि उनका कोई हस्तक्षेप है लेकिन प्रत्येक जिले में ठग लोग इस तरह के हैं जो ठेका लेने का काम करते हैं। इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब विषय समाप्त हो गया। हम कार्य स्थगन की इस सूचना को अग्राह्य करते हैं और दूसरी सूचना मा0 श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की जनपद आजमगढ़ के संबंध में है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गम्भीर मसले पर अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के रानीसराय थाने में एक पासी समाज की लड़की जिसका नाम रिंकू सरोज है, वह रानीसराय कस्बे से कोचिंग पढ़ाकर घर जा रही थी। दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को थाना रानीसराय में शाम के समय उसके साथ एक घटना घटित हुई। चार आदमियों द्वारा स्कार्पियो गाड़ी में उसे जबरदस्ती बैठाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसको ले जाकर रास्ते में छोड़ दिया गया। अब पुलिस जो है, लीपा-पोती कर रही है और उस गाड़ी में बी0जे0पी0 का झण्डा लगा हुआ था। उस लड़की का कहना है उसके परिवार का कहना है, लिखकर भी दिया है। आज तीसरे दिन उसका मेडिकल हुआ है। घटना के तीन दिन बाद उसका मेडिकल पुलिस ने कराया और 2 दिन थाने में रखकर उसको धमकी देकर उल्टा-सीधा बयान दिलाने का काम किया। यह बहुत गम्भीर मसला है। गरीब घर की लड़की है, एक परिवार की लड़की है, दलित है, उसके साथ ये अन्याय हुआ है। मैं आपके माध्यम से यही मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिए। हमें पुलिस की जाँच पर कोई विश्वास नहीं है। पुलिस में एस0एस0पी0 से लेकर सभी लोग इसमें कहते हैं कि ये झूठी बात है। लेकिन, यह झूठ बात नहीं है, उसके परिवार के लोग कहते हैं कि यह सही बात है इसलिए मैं आपसे माँग करता हूं कि इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये सरकारी पक्ष आ जाये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इतने वरिष्ठ सदस्य को कम-से-कम सदन की गरिमा की, नियमों की और परंपराओं की जानकारी जरूर होनी चाहिए। मान्यवर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है दुर्गा प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मान्यवर, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहां है और ये परम्परा भी रही है कि ऐसी पीड़िता का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। आपने लिख कर भी दिया है, लिखना भी नहीं चाहिए। इनको इस बात के लिए माफी माँगनी चाहिए कि कम-से-कम उसका नाम किसी हालत में नहीं आना चाहिए। मान्यवर, 17-11-18 को यह घटना हुई बतायी गयी। जिसके संबंध में उनके परिवार वालों की तरफ से 198/16, धारा-376डी, भा0द0सं0, के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा कायम किया गया। मान्यवर, हम सब लोग पहले नियमों से चलते हैं फिर परंपराओं से। मान्यवर, नियम यह है कि जिस लड़की को भी इस प्रकार की कोई छेड़-छाड़ या किसी प्रकार से लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना सामने आती है तो मजिस्ट्रेट के सामने 164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत उसका बयान कराया जाता है, क्योंकि, 161 के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं और पुलिस इन्वेस्टीगेशन में 161 को न्यायालय भी पूरी तरीके से एडमिन नहीं कर रहा इसलिए ये 164 की व्यवस्था है। मान्यवर, जब यह प्रकरण सामने आया तो उस लड़की का बयान करवाया गया। ये लड़की सॉरी, यह तो महिला है, यह शादी-शुदा हैं। जैसाकि मेरे पास रिपोर्ट आई है इनके पति जो हैं, इनकी शादी मनीष पुत्र खिलावी, थाना-कटघर, गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़ के साथ हुई थी। पति के बारे में

बताया गया, वो न बोल पाते हैं और न सुन पाते हैं। मान्यवर, विशेष रूप से बात यह है कि 164 के बयान में उस महिला ने पूरी तरीके से इस बात से इंकार किया कि उसके साथ कोई घटना हुई, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, कोई बलात्कार हुआ। मान्यवर, जब महिला नहीं कहती है मजिस्ट्रेट के सामने तो उसके बाद कोई सवाल पैदा नहीं होता। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक भी, आपने जो दलित की बात कही मैं विशेष रूप से इस बात को कोड करना चाहता हूं कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक वर्तमान में दलित समाज के हिस्से से ही बिलांग करते हैं। किसी को भी इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार से आरोप लगाने से पहले कम-से-कम सोचना चाहिए कि इतने प्रतिष्ठित सदन में जिसकी इतनी बड़ी परंपराये रहीं हों उसके सामने इस प्रकार की बात कहना, मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य को माफी माँगनी चाहिए इस बात के लिए कि जो उन्होंने सदन के सामने असत्य बयानी की। 164 का बयान अपने आपमें, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एडविजबिल है। और मजिस्ट्रेट के सामने वो इसीलिए कराया जाता है कि उसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति हो वह अपनी बात पूरी तरीके से स्वच्छन्दता से और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना बयान कर सके। मान्यवर, यह आपने कहां कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाये थे। राम जन्म भूमि पर भी बहुत से लोग गये समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर आतंकवादी जब गये थे तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाये थे, क्या किया जाये बताइये उनके लिये। कम से कम इस बात को सोचना चाहिये कि हम किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बात को जरूर सोचना चाहिये । मान्यवर, इस घटना में पूरी तरीके से 164 के बयान के बाद कोई बात रह नहीं जाती, जिसमें आगे के लिये कुछ बचा हो । लेकिन फिर भी चूंकि आप लोगों ने उसके लिये शोर मचाया, हमने एक महिला सी0ओ0 से, जो दूसरे जनपद की हैं उनको इसकी जांच फिर से करने के लिये दे दी है कि आप इसकी जांच फिर से कर दो । उनका नाम है श्रीमती श्वेता आशुतोष, क्षेत्राधिकारी मधुबन, जनपद मऊ को यह जांच स्थानान्तरित की गयी है। इसकी विवेचना इस समय श्वेता आशुतोष, क्षेत्राधिकारी मधुबन, जनपद मऊ कर रही हैं। इन्होंने चूंकि संदेह पैदा करने की कोशिश की, केवल मॉसेस में, पब्लिक में सरकार को किसी तरह कटघरे में खड़ा करने के लिये चाहे एक हजार झूठ बोलना पड़े, यह अपने आप में बहुत निन्दनीय है, बहुत शर्मनाक है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाय, वह कम है।

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन की इस सूचना को अग्राह्य करते हैं और अगली सूचना हम लेते हैं माननीय अजय कुमार जी की, प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्तियों के बारे में ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद-

अध्यक्ष जी, हमने भी नियम-56 में एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष-

अब तो यह विषय समाप्त हो गया । नियम-56 में एक बहुजन समाज पार्टी का ले लिया है, एक समाजवादी पार्टी का ले लिया है, एक अजय कुमार जी की सूचना ले ली है । अब आप लोग कृपया बैठिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा नियम-56 बेरोजगारी पर है ।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल का मैनें एक ले लिया है और आगे देखेंगे, कार्य-स्थगन में कोई जबरदस्ती तो है नहीं । आप लोग कृपया बैठिये और माननीय अजय जी को बोलने दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आप लोग बैठ जाइये, मुझे बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेन्द्र जी, आप अपने दल के लोगों को बैठाइये ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

यह सरकार दलित विरोधी है, यह सरकार महिला विरोधी है, यह सरकार दलितों, पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार कर रहा है ।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य सदन से बाहर चले गये और कुछ सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या । यह तरीका ठीक नहीं है । आप लोग अपने स्थान पर चलें ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के वेल में आकर लगातार बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर चलें, आप लोग अपनी सीट पर जाइये। माननीय उप नेता पहले आप इन्हें बुलाइये।

श्री इकबाल महमूद-

आप लोग अपने स्थान पर आ जाओ, यहां से अपनी बात कह लेना।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के वेल में खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं कि छुट्टी की जाये ? यहां से नहीं सुनेंगे। हम कोई जांच नहीं करायेंगे, आप गलत खड़े हैं। पहले आपकी जांच होनी चाहिए, आप सदन की गरिमा नष्ट कर रहे हैं। यह क्या तमाशा है? यह तमाशा नहीं चलेगा। माननीय उप नेता, यह क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है? हम इनको नहीं सुनेंगे, यहां जबर्दस्ती करके, धींगामुश्ती करके नहीं सुना जा सकता। बात-बात में यहां कूद आने की पहले व्याख्या करिये। आप इन लोगों को पहले बैठाइये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के पुनः अपने स्थान पर लौटने पर)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अध्यक्ष जी, अब हम इन्हें अपने स्थान पर ले आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप ले आये हैं, अच्छा किया, आपको धन्यवाद। लेकिन बड़ी जल्दी-जल्दी कूद जाने की कोई बीमारी है क्या ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन किया है, अब बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कोई शारीरिक रूग्णता है, कोई मानसिक व्याधि है, आखिरकार बात क्या है कि छोटी-छोटी बात हुई और इसमें कूद आये। (हंसी)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अब आपका निर्देश हो गया तो यहां आ गये, अब सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप लिवा ले गये, लेकिन एक आदमी की ड्यूटी लगाइये कि वह हमेशा देखे रहें कि कब ये इधर भाग आयेंगे। किसी वरिष्ठ माननीय सदस्य की ड्यूटी लगाइये जो यह देखे रहे कि कब कूदे यह लोग ? (हंसी)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अध्यक्ष जी, आप भी पुराने समाजवादी रहे हैं। माननीय नरेन्द्र वर्मा जी ने नियम-56 में दिया था, आप उनको सुन लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, पहले मेरा आ जाये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

शैलेन्द्र जी, क्या माननीय नरेन्द्र वर्मा जी के कारण यह लोग आये, इनके आने का कारण क्या है?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपके वहां से कोई एक बोले। आप पहले पंचायत करिये कि कोई एक बोले।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही है कि नियम-56 के मामले में जो सबसे बड़ा दल होगा, उसको आप सबसे पहले सुनेंगे। कल भी आपने पहले हमको नहीं सुना, आज भी आपने पहले हमको नहीं सुना। हमारा बेरोजगारी पर था, आपने कृपा करके हमारे एक सदस्य को नियम-56 में सुना। अब सत्तापक्ष से आवाज आ रही है कि समाजवादी पार्टी का झण्डा लगाये आतंकवादी घूम रहे हैं। अगर इधर से किसी ने कहां और सच कहां कि जिन लोगों ने बलात्कार की घटना की, वह भाजपा का झण्डा लगाये थे तो वह गलत हो गया और आपकी बात सही हो गई।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वर्मा जी, उन्होंने यह नहीं कहां। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप कहते हैं कि भाजपा का झण्डा लगाये थे, वैसे वह लगाये हुए थे। आखिरकार झण्डे को लेकर क्या हो सकता है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा, यह नहीं कहा कि सपा के लोग वहां घुस गये, ऐसा नहीं कहां। उन्होंने यह कहां कि झण्डा कोई भी लगा सकता है, जो मैं सुन पाया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में बेरोजगारी पर हमारा कार्य-स्थगन था, कृपा करके उसको सुन लें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के खड़े होकर लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

हम सुन लेंगे, लेकिन कृपा करके यह बताइये कि यह बीमारी क्या है?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, आजमगढ़ का मामला था।

श्री अध्यक्ष-

पहले इस दर्दे दिल की दवा ढूंढिये न? ठीक है, तब तक आप लोग पंचायत कर लीजिए, वर्मा जी को हम बाद में सुनेंगे, पहले अजय जी को सुन लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, अनुरोध इतना है कि चूंकि वह सत्तापक्ष के एक नेता के परिवार से जुड़े लोग हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वह सत्तापक्ष से जुड़े हुए नेता के परिवार के हैं। प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है। 164 का बयान जबर्दस्ती कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

उस घटना के बारे में हमारी रूलिंग हो गई है, उसको हमने निरस्त कर दिया है। 164 का बयान जबर्दस्ती नहीं होता है, अकेले होता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, उसको धमकाया गया और मैं मांग करता हूं कि पुनः उसकी जांच हो जाए और पुनः उसका बयान करा दें। सब पता चल जायेगा या तो उसकी न्यायिक जांच करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह बात तो खत्म हो गई, मैंने रूलिंग दे दी।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, खत्म कहां हुई।

श्री अध्यक्ष-

इस पर रूलिंग हो गई है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, आप इस पर निर्णय लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर रूलिंग हो गयी है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर रूलिंग हो गयी है तो यह हमारे साथ न्याय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के लोगों ने आजमगढ़ की घटना को अंजाम दिया है, इसलिए सरकार के दबाव में अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका बयान बहुत ही आपत्तिजनक, उकसाऊ व भड़काऊ है और यह ठीक नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी बात सदन में नहीं मानी जा रही है, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरिट के ऊपर यह कहीं खड़े नहीं हो सकते। इस केस के तथ्यों में 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान के बाद संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं है। जब इनके पास कोई तर्क नहीं बचा तो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हम उनके इस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं।

श्री कल्पनाथ पासवान-

मा0 अध्यक्ष जी, पुलिस ने 22 तारीख को इसे अपने कस्टडी में लेकर दबाव देकर उल्टा बयान दर्ज किया। वह गरीब की बेटी है।

श्री अध्यक्ष-

आप श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी के भाषण में बाधा डाल रहे हैं आपका यह भाषण लिखा नहीं जायेगा। आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां एक तरफ सरकार ने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था यानि एक साल में 14 लाख। आज मा0 मुख्य मंत्री जी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकार रोजगार के प्रति गम्भीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में अनुदेशकों का मामला मैंने उठाया था और अनुदेशकों के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अनुदेशकों को रु0 9800/- प्रति माह देने की इसी सदन में घोषणा की। यह खबर समाचार-पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपा, कार्रवाई का भाग हुआ, लेकिन आज तक रु0 8740/- से अधिक अनुदेशकों को नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 31 हजार अनुदेशकों का मामला था जिसमें इन्होंने कहां था कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है और वह कमेटी निर्णय करेगी, उसके बाद एक लाख 40 हजार की जो भर्ती है जिसमें 31 हजार का चयन होना है, उन चयनकर्ताओं के बारे में हम विचार करेंगे और उनको तत्काल लेने का काम करेंगे, लेकिन

महोदय बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों बेंचों से आदेश होने के बाद, हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद इस सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का काम किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का रोजगार पर बयान सुन रहा था, इन्होंने कहां कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के प्रति कटिबद्ध है, जो कहती है वह करती है, इन्होंने बीजेपी के ट्विटर हैण्डल पर अनुदेशको को रु0 17000/- प्रति माह देने की घोषणा की थी, यह किसी दूसरे दल ने नहीं किया था, इन्होंने ही किया था। इस सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री ने अनुदेशकों को जो रु0 9800/- प्रति माह मानदेय देने की बात कही थी, अभी तक नहीं दे पाये। 900 शिक्षा मित्र आज तक जान दे चुके हैं, आज भी शिक्षा मित्रों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कुम्भकर्णी नींद से अभी तक नहीं जागी है। 68 हजार शिक्षक अगर अपनी मांग कर रहे थे तो क्या इस लोकतंत्र में रोजगार मांगने वालों को लाठी मारा जायेगा, उनको जेल की सलाखों में डाला जायेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जायेगा। सरकार कहीं से रोजगार के प्रति गम्भीर नहीं दिखी ? उन्होंने क्या मांग कर दिया? यही तो मांग किया कि इस भर्ती की सी0बी0आई0 जांच करायी जाए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस सरकार ने कहीं से अपना रूख स्पष्ट नहीं किया और जिन लोगों ने मांग किया, उन्हें पीटा, जो रोजगार सेवक आये, वह लाठी से मार खाये, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां आईं, वह भी मार खायीं, आशाकर्मी आईं, वह भी मार खायीं। रसोईया आये वह भी मार खाये, होमगार्ड आये वह भी मार खाये, पुलिसकर्मी अपनी मांगों को ले करके आये वह भी मार खाये। आखिर कौन आदमी सुरक्षित है ? इन लोगों ने रोजगार के नाम पर केवल लाठियों से मारकर नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूं, इन लोगों ने मात्र 2 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया है। 20 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन सेवायोजन कार्यालयों में है।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप कर दीजिए, अभी आगे आपकी और सूचनायें लगी हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी दो-चार मिनट तो दीजिए, यह बहुत बड़ा विषय है। मात्र 2 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है, यह रोजगार के प्रति कितने गंभीर हैं इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मदरसा शिक्षक जिनको 03 साल से एक रुपया नहीं दिया गया, वह बेचारे साइंस टीचर पढ़ा रहे हैं और 03 साल से मांग कर रहे हैं। 04 हजार उर्दू शिक्षक जिनको दोनों बेंचों से फैसला मिल गया लेकिन उन 04 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती को इस सरकार ने निरस्त करके अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं नोटबंदी के बाद जो भी लोग अपना छोटा-मोटा कुटीर उद्योग चला रहे थे उन लोगों को भी भारी हानि का सामना करना पड़ा। 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला था जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 3487 अभ्यर्थी थे, उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पायी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि यह सरकार जो भी कहती है वह नहीं करती है, यह जग जाहिर है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को सुन रहा था, मैं चाह रहा था कि वह सदन में रहते तो मैं जरूर उनको पूरी पीड़ा समझा सकता था।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी पूरी बात आ गयी ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी बात करके चले गये उन्हें हम लोगों को भी कभी-कभी सुन लेना चाहिए। अंतिम बात एक शेर के साथ कहना चाहूंगा- 'बेरोजगारी, इस तरह महाबीमारी में सभी तो रिश्ते तोड़ रहे हैं,

जिन्हें कहां करते थे हम अपना, वह भी हमसे मुंह मोड़ रहे हैं।।

जो जिन्दगी लगा करती थी हंसी, उस जिंदगी से डर रहे हैं,

यह तो हम जानते हैं बेरोजगारी में जिंदगी जी रहे हैं या मर रहे हैं।।

श्री अध्यक्ष-

आपकी हालत देवदास जैसी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह सरकार रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है, अनुदेशकों, शिक्षा-मित्रों, उर्दू शिक्षकों व सभी वर्गों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए मैं इस अविलम्बनीय व अति-महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(सदस्य श्री आशुतोष उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी क्या प्राब्लम है?

श्री आशुतोष उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री व मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा देवरिया स्थित बैतालपुर चीनी मिल को चलाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु इस मिल को नहीं चलवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास इसकी नोटिस नहीं है।

श्री आशुतोष उपाध्याय-

मान्यवर, नियम-56 में सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह हो जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-56 और मा0 सदस्य का वक्तव्य देख लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में शेर तो होता ही नहीं है ? (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्य का नियम-56 कई विभागों से संबंधित है लेकिन हम जवाब देंगें क्योंकि यह सदन की कार्यवाही में आया है। बेसिक शिक्षा के बारे में मा0 अनुपमा जी बता देंगी।

श्री अध्यक्ष-

कई मंत्रियों को इसमें जवाब देना पड़ेगा।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात है, इस भर्ती परीक्षा, 2018 का आयोजन शासनादेश दिनांक 09-01-2018 के प्राविधानों के क्रम में सम्पादित की गयी। पहली बार इस परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए लिखित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्रदान करने के भी निर्देश दिये गये। शासनादेश दिनांक 07-05-2018 द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रदेश के मण्डल मुख्यालय जनपद के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 27-05-2018 को सम्पादित करायी गयी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2018 की परीक्षा के उपरांत कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 05-06-2018 द्वारा परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के चारों सीरीज की उत्तरमाला दिनांक 06-06-2018 को प्रकाशित करते हुये प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में अभ्यर्थियों की आपत्तियां प्रेषित किये जाने हेतु 9-6-2018 की सांय 6 बजे का अवसर भी प्रदान किया गया ताकि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता और शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके। कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 5-6-2018 के क्रम में 9-6-2018 की सांय 6 बजे तक जो भी अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आपत्तियां प्राप्त हुईं उन पर विषय विशेषज्ञों से अभिमत प्राप्त कर कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 16-6-2018 द्वारा संशोधित उत्तरमाला दिनांक 18-6-2018 को प्रकाशित की गई। मुझे लगता है कि इतनी पारदर्शीपूर्ण तरीके से सम्भवतः इससे पहले कभी भी किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। सहायक अभ्यर्थी परीक्षा, 2018 का परिणाम 13-8-2018 को घोषित किया गया जिसमें 41,554 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये और जिनको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वंय नियुक्ति-पत्र प्रदान करने का काम किया। कतिपय परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के परिणाम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की गईं। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच की रिट याचिका संख्या-24172 एस0एस0 2018, सोनिका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक अंतरिम आदेश के अनुपालन में शासन विभाग द्वारा विधि सम्मत् कार्यवाही सम्पादित की गयी। शासनादेश दिनांक 8-9-2018 द्वारा प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच हेतु समिति का गठन भी किया गया। सहायक अध्यापक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा, 2018 के घोषित परीक्षाफल में जो भी त्रुटियां पाई गईं उनके लिये प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी किया गया। इसके लिये हमारे माननीय सदस्य ने कहां था। इसी के क्रम में यह तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। उक्त के आधार पर ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और परीक्षाफल घोषित किया गया। उपरोक्त त्रुटियों के दृष्टिगत शासन द्वारा परीक्षा कराने वाली जो एजेन्सी थी उसको भी ब्लैक लिस्ट कर देने का काम किया गया। शासनादेश दिनांक 8-9-2018 द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा शासन को प्रस्तुत जांच आख्या के क्रम में एक आदेश 5-10-2018 निर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में पूर्णतया कर्तव्यों के प्रति जिनकी भी लापरवाही दिखाई पड़ी या मानवीय त्रुटि संज्ञान में लायी गई ऐसी त्रुटियों का निराकरण कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर तत्काल उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी सम्पन्न की गई। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2018 में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की प्रत्येक स्तर की शिकायत, आपत्तियों का निस्तारण राज्य सरकार

द्वारा पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते थे कि कोई भी बच्चा, जिसने परीक्षा दी है उसे अगर कहीं भी कोई जरा सा भी सन्देह है या शक है। उसे लगता है कि उसे कम अंक प्राप्त हुए हैं ऐसे सभी लोगों को शासनादेश संख्या- 2027/68-4-2018, दिनांक 22-11-2018 के क्रम में 26-11-2018 को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में पुनर्मूल्यांकन हेतु कार्यवाही गतिमान है। इसमें 90 डी0एच0ई0/परीक्षक/अंकेक्षणकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है। 30,751 उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की बात तय थी उस हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन लिया था। इसमें दिनांक 20-12-18 तक 21,044 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है शेष 9,716 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 30-12-2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जहां तक आपने बात की है उर्दू शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में जहां तक चार हजार उर्दू अध्यापक की भर्ती के संबंध में, मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूं कि उक्त चयन हेतु पृथक से पद सृजित नहीं किए गए है अपितु परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक के जो पूर्व से सृजित पद थे उन्हीं से चार हजार पद उर्दू शिक्षकों के लिए पूर्ववर्ती सरकार में परिवर्तित कर दिए गए थे। वर्तमान में लगभग 15,700 उर्दू अध्यापक पूर्व से ही कार्यरत हैं जबकि वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या केवल 87,216 ही है। आर0टी0 मानक के अनुसार इतने बच्चों के अध्यापन हेतु 2,908 से भी कम उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता है। इसलिए शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका योजित की गई और उपर्युक्त पदों पर चयन न किये जाने का निर्णय लिया जा सका क्योंकि हमारे पास अभी भी उर्दू अध्यापकों के जो शिक्षक हैं वह छात्र संख्या से अधिक हैं। अंशकालिक स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशकों की जो बात आपने की है इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 100 से अधिक छात्र संख्या जहां पर है वहां पर कुल 13 हजार 769 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा हेतु अंशकालिक अनुदेशकों की व्यवस्था की गई है। सौ से कम छात्र संख्या वाले अवशेष 32,022 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियत मानदेय रुपये सात हजार प्रति माह पर खेलकूद और शारीरिक शिक्षा हेतु अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती हेतु माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 8-9-2016 द्वारा निर्णय लिया गया था उस निर्णय के उपरान्त 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति/तैनाती किए जाने के लिए शासनादेश दि0 19-9-2016 निर्गत किया गया था। अभी जो इनको दिया जा रहा है वह 8,740/- है इसमें भी जो अतिरिक्त भार है 7000 के अतिरिक्त, वह राज्य सरकार ही वहन कर रही है। आगे 9,800/-रुपये देने के लिए जो हमारी प्रक्रिया थी वह विचाराधीन है। जैसे ही यह पूर्ण हो जाएगा उनको दिया जाएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आपने इसी सदन में घोषणा किया था कि 9800 दिया जाएगा। 31 अगस्त की कार्यवाही का भाग है अध्यक्ष जी, निकालकर देख लिया जाए और इन्होंने ही कहा था कि समिति के अध्यक्ष के द्वारा यह पूरी तरह मान लिया गया है कि अनुदेशकों को 9800 रुपया दिया जाएगा और आज यह कह रही हैं कि अभी विचाराधीन है दोनों में विषमता है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एक बार कहां यह दूसरी बात कही गई। इनके ट्यूटर हैंडल पर तो 17000 था, इनका जो बी0जे0पी0 का ट्यूटर हैण्डल है जो पूरी तरह सत्यापित ट्यूटर हैण्डल है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इटावा में जाकर 17000 की घोषणा की।

श्री अध्यक्ष-

बी0जे0पी0 का ट्यूटर भी देख रहे हैं और इधर घोषणा-पत्र भी पढ़ रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं दोनों इसलिए कह रहा हूं मुख्य मंत्री जी ने इटावा में कहां, और जो बी0जे0पी0 का ट्यूटर हैंडल है वह पूरी तरह से सत्यापित है उस पर भी 17000 की घोषणा कर दी। इस सदन में माननीय मंत्री जी ने 9800 रुपये की घोषणा की और आज कह रही हैं कि विचाराधीन है। तो अध्यक्ष जी यह बता दिया जाए कि सही जानकारी कौन सी है? यहां सही बोला जाएगा या वहां सही बोला जाएगा या ऊपर सही बोला जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, लल्लू जी को एक बात की बधाई देनी चाहिए कि जब यह सत्ता में होते हैं या सत्ता के समर्थक होते हैं तो यह सब बातें भूल जाते हैं। जब उधर पहुंच जाते हैं तो सब बातें याद आ जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी वैसे तो यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है लेकिन आपने चूँकि संकेत किया है तो हम थोड़े शब्दों में इनकी बात का उत्तर दिए दे रहे हैं। आपने होमगार्ड की बात उठाई आशा बहुओं की बात उठाई, चौकीदारों की बात उठाई। होमगार्ड के बारे में वर्षों तक, यह कितने दिनों सत्ता में रहे तब इन्होंने होमगार्डों की चिन्ता नहीं की, न आशा बहुओं की चिन्ता की और न ही चौकीदारों की चिन्ता की लेकिन अब मान्यवर चिन्ता हुई। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि होमगार्ड के 90 हजार कर्मचारी हैं, हम इनको पूरे महीने की सेवा दे रहे हैं, इनको कार्य दे रहे हैं और वर्तमान सरकार ने इनका मानदेय रु0 375 से बढ़ाकर रु0 500 कर दिया है। यदि किसी होमगार्ड की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रु0 बीमे का धनराशि दिया जाता है और बीमे से अगर धनराशि न मिल पाए तो कल्याण कोष से रु0 3 लाख की धनराशि दी जाती है। रु0 71 करोड़ की जो पिछली सरकार की देनदारी थी, जो पुराना एरियर था, वह पूरा का पूरा मा0 योगी जी की सरकार ने भुगतान कर दिया है। होमगार्डों को नियमित करने को लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नियमित करने से मना कर दिया कि इनको नियमित नहीं किया जा सकता है। यह एक स्वयंसेवी दल है, एक स्वयंसेवक के रूप में इनकी नियुक्ति होती है और हम इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। इसके पहले होमगार्ड कर्मचारी यह मांग करते थे कि हमें पूरी ड्यूटी दे दी जाए, महीने में 30 दिन की तो मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इस समय 90 हजार होमगार्ड कर्मचारियों को पूरी ड्यूटी दी जा रही है। दूसरा विषय आपने चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने का उठाया था। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने का विचार है, यह विचाराधीन है। यह बहुत पुरानी व्यवस्था है, पुलिस ऐक्ट के तहत, पुलिस रेग्युलेशन के तहत प्रस्तर-96 में यह व्यवस्था है। प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है, विशेष रूप से उनका काम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। उनका काम सिर्फ किसी घटना की, आशंका की, संभावना की सूचना देना होता है। उनको वर्तमान समय में प्रतिमाह रु0 1500 मिलते हैं और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। आशा बहू स्वास्थ्य से संबंधित एक ऐसी वर्कर हैं, जिनको किसी पर्टिकुलर काम के लिए पेमेंट दिया जाता है। वर्तमान समय में इन लोगों को नवम्बर, 2018 तक रु0 2708 मिल रहे थे, जो कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके रु0 1 हजार मासिक बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर हम इनके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। मैं

समझता हूं कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उनको आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत किया जाए। इनको जिस-जिस मद में पैसा दिया जाता था, उसमें 1 हजार रु0 की वृद्धि हमारी सरकार ने की है, उसके लिए इन्होंने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। इनको एक बार धन्यवाद देना चाहिए कि हमने वृद्धि की है। सहानुभूतिपूर्वक इन वर्गों के प्रति हमारी पूरी संवेदनशीलता है। हम इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। इनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार निर्णय लिये गये हैं, आगे भी हम विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि यह नियम-56 में नहीं आता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसको आग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आप एक बार कार्यवाही का हिस्सा मंगा लीजिए। आप आग्राह्य कर दीजिए लेकिन एक बार 31 अगस्त की कार्यवाही का हिस्सा मंगा लीजिए। आपने अग्राह्य कर दिया मैंने मान लिया लेकिन 31 अगस्त की कार्यवाही मंगा लीजिए मंत्री जी ने स्वतः अनुदेशकों के लिए 9800 की घोषणा की है इसी सदन में ।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहां है कि हम देखेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी यह लोक तंत्र का मंदिर है अगर इस मंदिर में कहकर कोई सरकार पलट जाए उसके बाद धरती पर कुछ बचता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अनुदेशकों को धोखा देने के खिलाफ , बेरोजगारों को धोखा देने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनाओं माननीय नरेन्द्र वर्मा जी की, इकबाल महमूद जी की, हरि राम जी की, आशुतोष उपाध्याय जी की, मुजतबा सिद्दीकी जी की, असलम अली जी की, सुखदेव राजभर जी की इन सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

हमारी नई सदस्या हैं वंदना सिंह जी और अरिमर्दन जी दो तीन दिन से यह लोग नियम-56 में सूचना लगा रहे हैं उसमें एक दिन हमने भी दस्तखत किए थे।

श्री अध्यक्ष-

हमने ध्यान आकर्षण में घोषित कर दिया है।

[1:56 बजे] किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018, जो इस सदन द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था तथा जो दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, संविधान के अनुच्छेद-197 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018, जो इस सदन द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था तथा जो दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, संविधान के अनुच्छेद-197 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य 1 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए।)

[1:57 बजे] लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

डा0 नीरज बोरा जी संकल्प पर चर्चा जारी कर दें या आप कुछ बोलेंगे।

डा0 नीरज बोरा-

चर्चा जारी कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इस पर चर्चा जारी रहेगी।

बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना किये जाने विषयक डा0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अरुण कुमार जी आपके संकल्प पर चर्चा जारी रख दें।

डा0 अरुण कुमार-

ठीक है।

श्री अधिष्ठाता-

इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनीष असीजा जी उपस्थित नहीं हैं फिर भी इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-शाहजहांपुर, विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैंटून पुल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

श्री वीर विक्रम सिंह जी के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अजय कुमार लल्लू जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वीर विक्रम सिंह जी के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मनीष असीजा जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने विषयक डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 डा0 आर0के0 वर्मा जी के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अजय कुमार लल्लू जी उपस्थित नहीं है। इनके संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सत्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना किये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संजय गर्ग जी उपस्थित नहीं हैं इनके संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जो मद संख्या-37 है उसमें मा0 सदस्य ने पैंटून ब्रिज की मांग की थी, जबकि वहां पर पक्का पुल बन गया है। इसलिये इसको जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब सब संकल्पों पर चर्चा जारी रखी जा रही है तो इस पर भी चर्चा जारी रहने देते हैं।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा को नगर पालिका बनाये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वीर विक्रम सिंह जी के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नीलम करवरिया जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मनीष असीजा जी के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करायी जाये।''

श्री अधिष्ठाता-

आप इस पर एक मिनट बोल लें, उसके बाद इस पर चर्चा जारी कर दिया जाए।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, गीडा की स्थापना 19 नवम्बर, 1989 को हुई थी।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, दो-चार लाईनें तो आ जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप बोल लें।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में इसकी स्थापना हुई थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त इसका शिलान्यास मा0 नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा कराया गया था। उनकी सोच थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना गोरखपुर के उस क्षेत्र में की जाए। पिछले दिनों पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उसकी उपेक्षा की गयी और जो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही थी वह पूर्ण रूप से ठप हो गयी। इसके कारण तमाम उद्योग वहां से अन्य राज्यों में चले गये और उसके कारण बड़े पैमाने पर वहां पर बेरोजगारी व्याप्त हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी। श्री जवाहर लाल राजपूत जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ''इस सदन का सुनिश्चत मत है कि जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए।''

मान्यवर, बुन्देलखण्ड का सबसे पिछड़ा इलाका गरौठा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर दूर-दूर तक कोई डिग्री कालेज नहीं है। लड़के-लड़कियों को कम से कम 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिये आपसे हमारा अनुरोध है कि वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राजपूत जी, इस पर आगे और भी विस्तृत चर्चा हो जायेगी। आपके संकल्प पर चर्चा जारी रखते हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी से प्रति वर्ष हो रहे कटान से जन-धन एवं फसलों की बर्बादी के बचाव हेतु आवश्यक उपाय कराये जाने विषयक डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

(श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी जी का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित रहने पर)

जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विनय शंकर तिवारी के प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी।

वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0 प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने विषयक श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, हम अपना प्रस्ताव पढ़ तो दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 लल्लू जी, आपके प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' कर देने विषयक श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 देवमणि द्विवेदी जी के प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्ययोजना बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मा0 जवाहर लाल राजपूत जी, आपके प्रस्तावों पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं अपने प्रस्तावों को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह बहुत आवश्यक हैं। हम केवल दो मिनट बोलेंगे। मैं आपकी अनुमति पर अपना निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(क) ''प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन-स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किये जाने की कार्य-योजना बनाई जाए।''

मान्यवर, खेती की लागत बढ़ गयी है, लेकिन किसानों को फसल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। भूमि बंजर हो रही है तथा जल स्तर लगातार घट रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं जिससे किसान सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। कर्जमाफी कभी भी इन समस्याओं का समाधान नहीं है।

जब तक किसान बाजार से कीटनाशक दवा, उर्वरक और बीज लेता रहेगा तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा। फसल के समय अधिक पैदावार होने पर आलू के दाम गिर जाते हैं, अगर यहीं उत्पादन जैव युक्त प्राकृतिक खेती और तत्काल विदेशों में निर्यात करके किसानों को कई गुना दाम मिल सकता है तो इसके लिए केवल आवश्यक है शिवाज पालेकर के नोडल.....

जनपद-झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक-गुरसरायं के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक-बामौर के ग्राम-ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ख) ''जनपद-झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक-गुरसरायं के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक-बामौर के ग्राम-ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाय।''

जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच रजबहों में टेल तक पानी पहुँचाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ग) ''जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच रजबहों में टेल तक पानी पहुँचाया जाय।''

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे जारी रखा जाता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी, आपकी मद संख्या-53 'क' से लेकर 'झ' तक सभी पर चर्चा जारी रखी जाती है।

प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(क) ''इस सदन का सुनिश्चत मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ग) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(घ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही की जाय।

प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ङ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश में तैनात आशाकर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(च) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशा कर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(छ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(ज) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(झ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

जनपद-शाहजहांपुर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

श्री वीर विक्रम सिंह जी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

[2:05 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 119 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, एटा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की औद्योगिक विकास विभाग द्वारा शुरू की गयी ट्रांस गंगा सिटी के अधूरे कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड अमरिया में पुल के दोनों तरफ सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रदीप कुमार की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में कतिपय मार्गों पर परिवहन विभाग द्वारा बस संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के गड़ौरा चीनी मिल के किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में संगीत विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री केसर सिंह की जनपद लखनऊ के थाना मड़ियांव में किदवई नर्सिंग होम का अवैध संचालन किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की प्रदूषण द्वारा पवित्र गंगा को मैला करके पैसा कमाने के घोटाले की जांच के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री हरिशंकर माहौर की जनपद कानपुर के श्री सौरभ भदौरिया पर हुए हमले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ में जी0जी0आई0सी0 इण्टर कालेज में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद आगरा के ओपी चैन्स बिल्डर व भारत नगर गृह निर्माण समिति द्वारा निर्माण व बिक्री में की जा रही अनियमितता रोके जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद सम्भल के ग्राम सिरसा बुजुर्ग में अवैध

खनन रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री विरेन्द्र सिंह यादव की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के सतरिख सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के कस्बा मोहनलालगंज में नई जेल राजमार्ग पर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों के विगत वर्ष 2017-2018 के अवशेष मानदेय भुगतान की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अटठारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये फर्जीवाड़े की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में टाउन एरिया लालगंज अझारा में निर्मित ट्रामा सेन्टर को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम धतौली मुगल में नागादेव नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में कार्यरत श्री राजकुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय ग्राम सभा के ग्रामवासियों जिनके घर बाढ़ के कारण नदी में विलीन हो चुके हैं, को जमीन आवंटित कर विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में हसनगंज में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत सीताद्वार में ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री श्याम धनी की सिंचाई विभाग यांत्रिक के अन्तर्गत अवर अभियन्ता यांत्रिक की पदोन्नति में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत समथर-पाण्डोखर-इन्दरगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना डा0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिवाई के दानपुर ब्लाक को डार्क जोन से हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक बनाये जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पूर्व में प्रस्तावित योजना के तहत बलिया जनपद तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की डा0 राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में तैनात वरिष्ठ सहायक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में सहारा इण्डिया परिवार द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्या जनपद लखनऊ के सूर्यनगर में लगभग 50 मीटर नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'' की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में उप मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की प्रदेश में आशाबहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत अख्तियारपुर से मरौचा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर, खण्ड गंगा नहर खण्डीय कार्यालय द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में लालगंज से कलवारी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री हरीराम की

जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को विस्थापित पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में चेयरमैन व नगर पंचायत अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में चिलबिला सराय रजई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में लोकतंत्र सेनानियों को हिस्ट्रीशीटर घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत तिलहर-निगोही मार्ग पर कटी सड़क के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरालीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर नगर के अन्तर्गत स्टार पेपर मिल के समीप आरओवी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा अवैध डम्पिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत बिजली के तार को अण्डर ग्राउण्ड किये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत शाहपुर में निरीक्षण भवन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में नसीपुर से पचैण्डा की पुलिया तक नाले व पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच व सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के पुरनिया तिराहे से पक्का पुल तक गोमती नदी के तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री मो0 फईम इरफान की जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत श्री छत्रपाल सिंह प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सर्विस मैनुअल कन्डक्ट रूल की अनदेखी किये जाने के सम्बन्ध में है, इकावनवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सीमा श्रीवास्तव पुत्री श्री आर0एन0 श्रीवास्तव के भू-खण्ड की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के परगना अतरौलिया में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राम अजल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरैया से ग्राम विक्षामपुर सम्पर्क मार्ग तक तथा ग्राम विक्षामपुर के निवासी श्री पवन शर्मा के घर से ग्राम ज्ञानपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में नितेश पाण्डेय द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा कर निजी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में देवीपुर नहर पुल से ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत कार्यालय डासना में कार्यरत लिपिक श्री दिनेश कौशिक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत मुख्य रोड उतरांव, दायेमगंज, समोथीपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र

हण्डिया नेशनल हाई-वे लाला बाजार हण्डिया से झिरहिरी होते हुए रहीमपट्टी तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में ग्राम भूरापुर से ग्राम नरैनी होते हुए कोतवाली मार्ग पर त्वरित विकास निधि से निर्मित गांगन नदी पर बने पुल के सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु है, इकसठवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा हरईरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के ग्राम पूरे बहोरी स्थित तालाब पर अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की उप महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के अधीन बैंड मास्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्रा0 जालखेड़ा से मचकौली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत गोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री सुरेश राही की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र के हरगांव में सड़क के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र के धौरहरा में घाघरा नदी के दायें किनारे पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर में रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री संत प्रसाद की जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के हाटा के अंतर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद गोण्डा में बजाज चीनी मिल से किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत डूडा विभाग के परियोजना अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्रीमती कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में स्थित महिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री ब्रिजेश की जनपद सहारनपुर में ननौता-देवबन्द-मंगलौर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री संजय की जनपद बुलंदशहर विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम गड़ीपर्सा में जल भराव व नाले के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की प्रदेश के चिकित्सालयों में सफाई कर्मी की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के पिपराघाट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में राष्ट्रीय राज मार्ग के दोनों तरफ सर्विस रोड व अंडर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में एक शुगर मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासवीं सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में विसुही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र उत्तरी में जल निगम द्वारा बनाये सड़क की मरम्मत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में छोईया नाले की पूर्व दिशा की पटरी निर्माण कराये जाने के संबंध में है, चौरासीवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में परिवहन डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सोफीपुर में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासवीं सूचना डा0 डी0 सी0 वर्मा की प्रदेश स्तर पर पशु, बीमा के नाम पर बीमा कम्पनियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, सत्तासवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के पावनधाम तिगरी से गढ़ तक एक सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बलापुर में स्थित पशु अस्पताल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड, ग्राम सभा नगरा में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानवेवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में स्थित बजाज ग्रुप की मकसूदापुर चीनी मिल द्वारा कृषकों को बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, बयानबेवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के एन0एच0-2 से टेढ़ी बगिया तक मार्ग का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री आनंद स्वरूप शुक्ल की जनपद बलिया नगर में पार्क इन होटल द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनिया के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण एवं गंगा किनारे नया बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर में विधायकों को मिले हैण्डपम्पों 100 इण्डिया मार्का-2 में अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के कारागार विभाग के कर्मियों को पौष्टिक आहार न दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद बदायूं के ग्राम नगलाशर्की के किसानों का वर्तमान सर्किट रेट पर भूमि अधिग्रहीत किये जाने हेतु कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में सब डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, निन्नाबेवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में एल्गिन चरसडी तटबन्ध, बाढ़ खण्ड गोण्डा द्वारा बांसगांव के निकट कटे बंधे को स्लोप पिचिंग कराये जाने के संबंध में है, सौंवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र में मॉडल स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के बांसी-इटवा मार्ग पर स्थित पुल को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा में आवारा पशुओं से हो रहे

फसलों के नुकसान एवं मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न हो रही स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत गढराना व मडराक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर, मोहल्ला शिवाजी नगर में नवजात बच्चे के गलत इलाज से हुयी मृत्यु के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा से जनपद बरेली के फतेहगंज पूर्वी मार्ग पर लग रहे भीषण जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छवीं सूचना श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री विपिन कुमार 'डेविड' की विधान सभा क्षेत्र एटा सदर में एटा-आगरा स्टेट हाइ-वे को फोरलेन कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री संजीव कुमार दिवाकर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में रोडवेज बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के तहसील मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के रतिभानपुर से जरैरा मार्ग पर गांव जिरौली स्थित नहर के क्षतिग्रस्त पुल के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों के मानदेय की वृद्धि के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री करण सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के नगर विकास विभाग के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् अतर्रा, बांदा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में संचालित वैध व अवैध पशु वधशालाओं की अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री नरेंद्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में कुईया छोर से परासन तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि हाईटेंशन लाइन के निर्माण के उपरान्त मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री हर्षवर्धन बाजपेई की उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को सिगनेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थापित न करने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्तरहवीं सूचना श्री रवि कुमार सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों को विकास खण्ड इकौना में जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में वार्डब्वाय के पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसान फसल बीमा योजना का लाभ कृषकों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 डी0 सी0 वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(कृषि मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया है)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों अथवा कीटों से फसल की उपज में नुकसान की स्थिति में बीमा कवर के रूप में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है ताकि आपदा से प्रभावित कृषकों की आय को स्थिर रखा जा सके। योजना में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुआई न कर सकने/असफल बुआई की स्थिति, फसल की मध्य अवस्था में उपज में क्षति की स्थिति के साथ ही स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जलभराव, भू-स्खलन व फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक खेत की सुखाई हेतु रखी हुई फसल की चक्रवात, चक्रवाती/बैमौसम वर्षा से क्षति के जोखिमों को भी कवर प्रदान किया गया है।

योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित कराया जा रहा है जिससे खरीफ मौसम में फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर तथा रबी मौसम में गेहूं, चना, मटर, मसूर, आलू, लाही-सरसो फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। वित्तीय संस्थाओं से फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में कवर किये जाते हैं।

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में बीमित फसलों पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर निम्न प्राविधानानुसार कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाता है :-

क्षतिपूर्ति	=	उपज की कमी* / गारण्टीड उपज**	X	बीमित राशि

* उपज में कमी = गारण्टीड उपज-वास्तविक उपज

** गारण्टीड उपज = फसल की विगत 07 वर्षों की औसत उपज में से 05 सर्वाधिक उपज वाले वर्ष का औसत उपज x इण्डेग्निटी स्तर (%)

कृषकों के मध्य योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा आयोजित कराये जाने वाले समस्त प्रचार-प्रसार कार्यक्रम यथा मेलों, गोष्ठियों, किसान पाठशाला आदि कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से योजना की जानकारी कृषकों को दी जा रही है। समाचार-पत्र, दूरदर्शन रेडियो वार्ता तथा ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित करते हुए भी कृषकों को योजना की जानकारी प्रदान की जा रही है तथा यह निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में अधिकाधिक कृषकों की इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ तथा रबी की क्षतिपूर्ति का वितरण सुनिश्चित कराया जा चुका है। खरीफ 2018 मौसम के अन्तर्गत योजना के प्राविधानों के अनुसार फसलों की मध्य अवस्था में बाढ़/ओलावृष्टि/रोगों से फसलों को हुए नुकशान का आंकलन कराते हुए कृषकों को रु0 4.62 करोड़ की आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर खरीफ 2018 मौसम की फसलों के उपज के आंकड़े बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। योजना के प्राविधानों के अनुसार उपज के आंकड़ों के आधार पर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही कराई जा रही है।

प्रदेश में विगत 05 वर्षों (वर्ष 2013 से वर्ष 2017-18 तक) में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमा कवरेज व विपरीत क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख में)	कृषकों से प्राप्त प्रीमियम (करोड़ रु0 में)	कुल प्रीमियम (करोड़ रु0 में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
2013-14	18.74	7.69	130.03	218.51	431.11
2014-15	17.64	11.80	179.75	426.27	722.79
2015-16	37.50	21.34	406.06	928.64	1398.02
2016-17	65.71	10.31	454.13	1060.18	528.35
2017-18	53.78	5.65	382.30	1381.39	353.93

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में बीमा कम्पनियों द्वारा कुल प्राप्त प्रीमियम की तुलना में अधिक क्षतिपूर्ति की धनराशि कृषकों को प्रदान की गई है एवं इन वर्षों में संयुक्त रूप से लाभार्थी कृषकों की संख्या कुल बीमित कृषकों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में प्रदेश के जनपदों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को व्यापक रूप से क्षति की स्थिति रही है। वर्ष 2016-17 व 2017-18 में अपेक्षाकृत अनुकूल मौसमीय स्थितियों के कारण कृषकों की फसल को व्यापक क्षति न होने के कारण बीमा कम्पनियों द्वारा कुल प्रीमियम के सापेक्ष कम क्षतिपूर्ति की धनराशि कृषकों में वितरित की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। कृषकों के हित में फसल बीमा योजनाओं के संचालन की स्थिति में कृषक फसली ऋण के माध्यम से कृषि में नवीन व आधुनिक पद्धतियों को अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित होते हुए आपदाओं की स्थिति में फसल नष्ट होने पर कृषकों की ऋण की अदायगी भी की जा सकेगी।]

चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशों का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''चिकित्सा विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त/मृत शिक्षक .....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया है)

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये शासनादेश का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

[राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/10-2017/308-2016, दिनांक 18-07-2017 के प्रस्तर 13 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-31/2017-सा-3-524/10-2017/308 (8) 2016, दिनांक 04-09-2017 एवं संख्या-38/2016-सा-3-921/10-2016/308/2016 एवं संख्या-39/2016-सा-3-923/10-2016-308/2016 के अन्तर्गत चिकित्सालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी एवं 40 प्रतिशत पेंशन राशिकरण अथवा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लाभार्थी हैं। परन्तु वास्तविकता में इनको ये लाभ प्रदान नहीं हो रहे हैं। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ से दिनांक 01-01-2016 से पूर्व अथवा उपरान्त सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलने के कारण काफी रोष है। जनहित में शासनादेशानुसार इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वेतन समिति उ0प्र0 2016 की संस्तुतियों के सम्बन्ध में वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/10-2017/308/2016, दिनांक 18-07-2017 द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि के सम्बन्ध में संशोधन आदेश निर्गत किये गये हैं। इस शासनादेश के प्रस्तर-13 में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

''यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/सम्विधिक संस्थानों/परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।''

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन आदि का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्शानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।]

जनपद अलीगढ़ में कटपुला रसलगंज जीटी रोड व लल्लामल बगीची शाहजमाल के मध्य प्राइवेट बसों का संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अधिष्ठाता-

यह मद स्थगित है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय भू-खण्ड पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भू-खण्ड संख्या एन0के0पी0-08,.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद कुं0 रघुराज प्रताप सिंह, मा0 विधायक, कुण्डा, प्रतापगढ़ के पक्ष में आवंटित है। उक्त भू-खण्ड की नाप मा0 विधायक जी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराकर अतिक्रमण हटाने एवं उक्त शिकायत की जनसुनवाई पोर्टल पर गैर जिम्मेदाराना आख्या अपलोड किये जाने की शिकायत मा0 विधायक जी के जन सम्पर्क अधिकारी के पत्र दिनांक 31-10-2018 द्वारा प्राप्त हुई थी जिस पर शासन के अर्द्धशा0 पत्र सं0-1752/आठ-9-18-273डीए/18, दिनांक 02-11-2018 द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उक्त भू-खण्ड की पैमाइश कराने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्यानुसार मा0 विधायक के पक्ष में आवंटित उक्त भू-खण्ड पर हुए अतिक्रमण को हटवाने हेतु मा0 विधायक जी द्वारा शिकायत की गयी थी। मा0 विधायक जी के पक्ष में आवंटित भू-खण्ड संख्या एन0के0पी0-8, इन्दिरापुरम्, क्षेत्रफल 180 वर्ग मी0 का विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त मा0 विधायक जी द्वारा भू-खण्ड का स्थल पर दिनांक 23-04-2012 को कब्जा प्राप्त किया गया था। स्थल पर प्राप्त किये गये कब्जा पत्र के अनुसार भू-खण्ड के उत्तर व दक्षिण में 9.00 मी0 तथा पूरब व पश्चिम में 20.00 मी0 अर्थात कुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रफल 180.00 वर्ग मी0 है। मा0 विधायक जी की शिकायत पर अधिशासी अभियन्ता, जोन-6 तथा तहसीलदार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार स्थल पर मा0 विधायक जी द्वारा भू-खण्ड का प्राधिकरण से कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त बाउन्ड्रीवाल करायी गयी है तथा वर्तमान में भू-खण्ड का स्थल पर लगभग 9.72 वर्ग मी0 क्षेत्रफल कम है। उक्त से स्पष्ट है कि मा0 विधायक जी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड की रजिस्ट्री कराने के उपरान्त भू-खण्ड का स्थल पर कब्जा वर्ष 2012 में प्राप्त कर लिया गया था तथा बाउन्ड्रीवाल भी बना ली गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा आवंटी को स्थलीय भौतिक कब्जा वर्ष 2012 में ही प्रदत्त किया जा चुका है। आवंटी द्वारा तत्समय संतुष्टि स्वरूप कब्जा प्रपत्र पर हस्ताक्षर भी बनाये गये हैं। उक्त भू-खण्ड पर किसी भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। जनसुनवाई सन्दर्भ संख्या-40014018044648 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पोर्टल पर कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है।]

विभिन्न जनपदों में छुट्टा जानवरों की वजह से बर्बाद हो रही फसलों के सम्बन्ध में श्री राम नरेश रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बछरांवा जनपद रायबरेली.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पशुधन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया है)

[के साथ-साथ उ0प्र0 राज्य के सभी जनपदों में पार्टी व सरकार के द्वारा दिये गये दायित्वों व कार्यों के निष्पादन हेतु जाना पड़ता है तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता के बीच सीधे संवाद के माध्यम से रखते हुए उनका लाभ राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे जिससे सरकार की स्वच्छ छवि के प्रति आम जनता का विश्वास बने व उनकी समस्याओं का निवारण एवं निदान करने हेतु सरकार का ध्यान कराते हुए जिन जनपदों में पार्टी व सरकार द्वारा दिये दायित्वों के निर्वहन हेतु गया वहां राज्य सरकार व केन्द्र की सरकार के प्रति जनता में बहुत विश्वास है तथा यदा-कदा कुछ जनपदों में बछड़ों व छुट्टा जानवरों की वजह से आम जन के साथ दुर्भाग्यवश हुई दुर्घटनाओं के साथ-साथ किसानों की फसलें खाकर/चरकर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक जनपद की स्थानीय जनता में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। लगभग प्रत्येक जनपद में चारागाह के रूप में जमीनें भी आरक्षित होने के बावजूद भी कोई समुचित उपाय नहीं हो पाया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में बछड़ों व छुट्टा जानवरों के रख-रखाव व सभी जनपदों में किसानों की नष्ट हो रही फसलों को बचाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

3-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण हेतु गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड की 08 पंजीकृत गोशालाओं के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रूप में रु0 64.50 लाख (रु0 चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रति गोशाला की दर से कुल धनराशि रु0 516.00 लाख (रु0 पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्तिम किश्त के रूप में रु0 516.00 लाख (रु0 पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त धनराशि आवंटित की गयी है, ताकि पंजीकृत गोशालाओं की क्षमता को बढ़ाया जा सके एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या का निराकरण हो सके। गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

4-गोसेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित मानकानुसार प्रदेश के 68 जनपदों में (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर) एक वृहद् गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु कुल धनराशि रु0 8160.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु0 3400.00 लाख (प्रति जनपद 50.00 लाख) की धनराशि को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को हस्तानान्तरित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत कुल 51 जनपदों में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है।

5-प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं की समस्या के उन्मूलन हेतु पशु प्रजनन में विभाग द्वारा सेक्सड सीमेन के प्रयोग का कार्यक्रम समस्त जनपदों में आरम्भ किया जा रहा है, जिससे 90 प्रतिशत मादा सन्तति उत्पन्न होने से पशुपालक उच्च गुणवत्ता की मादा सन्तति को तथा उसकी जननी को निराश्रित/बेसहारा पशु के रूप में नहीं छोड़ेंगे जिससे छुट्टा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। साथ ही 90 प्रतिशत नर गो-वंशीय पशुओं की संख्या में कमी के फलस्वरूप कृषि फसलों की क्षति में कमी आयेगी तथा कृषकों की आय में वृद्धि होगी। उच्च गुणवत्ता युक्त मादा सन्तति प्राप्त होने से आर्थिक उन्नयन होगा। इसके अतिरिक्त इन पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी।

6-वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 16 नगर निगमों में उपलब्ध गो-वंशों के भरण-पोषण/रख-रखाव हेतु रु0 1752.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7-वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 1000 गोवंश क्षमता वाले गो-वंश वन्य विहारों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंजीकृत गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में बेसहारा गो-वंश की समस्या के निवारण हेतु पशु

आश्रय गृहों की स्थापना के लिए रु0 1000.00 लाख (रु0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में गो-आश्रय स्थल की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि चिन्हित कर उचित कार्यदायी संस्था नामित कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छुट्टा गो-वंश से हो रही समस्या का निराकरण हेतु 07 जनपदों में रु0 30 लाख प्रति गो-आश्रय स्थल की दर से जिलाधिकारियों को उपर्युक्त धनराशि आवंटित की गयी है। कार्य प्रगति पर है।

9-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डी परिषद् की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गो-संरक्षण एवं सम्वर्धन के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से कुल रु0 77957661 की धनराशि प्रदेश में पंजीकृत 39 गो-शालाओं में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण हेतु गोसेवा आयोग के माध्यम से आवंटित की गयी।

10-उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 07 राजकीय/जिला गो सदन तथा बिछिया बहराइच, रानीपुर, चित्रकूट, बरबर खीरी, धर्मपुर, कटरी, फर्रुखाबाद, कुमरौआ पचलाना (कासगंज), मधुवलिया महराजगंज, सिमरा वीरान, शाहजहांपुर में भी गो-वंशीय पशुओं को संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

11-उ0प्र0, गो-शाला अधिनियम, 1964 के तहत कुल 512 पंजीकृत गो-शालायें हैं। यह गो-शालायें गो-वंशीय पशु रखने उनका अभिजनन पालन व भरण-पोषण करने के अतिरिक्त दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी है। इन गोशालाओं में पुलिस प्रशासन के सुपुर्दगी में प्राप्त एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निराश्रित/बेसहारा गो-वंश रखे जाने की व्यवस्था है।

12-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज द्वारा कृत्रिम गर्भाधान तथा निराश्रित/बेसहारा नर पशुओं के बधियाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।]

(इसी मध्य 02 बजकर 07 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

श्रीमती बन्दना सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मद संख्या-61 का जवाब नहीं आया है।

जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मद संख्या-62 महत्वपूर्ण मद है और इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। दो माह से ज्यादा हो गया है बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या

हुई। कुछ अपराधी पकड़े भी गये हैं जो उनके बेटे को भी मारना चाहते हैं उन्होंने कबूल भी किया है कि हमें उनके बेटे को मारने के लिए सुपाड़ी मिली थी।

श्री अध्यक्ष-

सरकार कह तो रही है कि इस पर उत्तर आ जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी, इतना तो आश्वस्त कर ही दें कि उनके बेटे की तत्काल सुरक्षा करायी जाये। मामला यह है कि 15 अक्टूबर, 2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गयी थी, जो लोग अपराधी थे उनमें एक अपराधी कल पकड़ा गया है उसने इस बात को कबूल किया है कि मैं उनके बेटे को जो गवाह है इस मामले में उसकी हत्या करने के लिए यहां पर आया था। आज उनका पूरा परिवार भयभीत है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस मामले का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

यह प्रकरण किस जिले से सम्बन्धित है ?

श्री लालजी वर्मा-

जिला-अम्बेडकरनगर, थाना-असवर। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इतना जरूर आश्वस्त कर दें कि उनका जो गवाह है उनकी पूरी सुरक्षा की जायेगी और जो अपराधी भागे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़वाने की कार्रवाई की जायेगी। मैं केवल इतना आश्वस्त होना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी सिर्फ इतना कह दें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए उनको जेल भेजा जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो कहा है निश्चित रूप से उसका हमने संज्ञान ले लिया है और आज ही निर्देश दे देंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप भूमिधरि कृषकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू एवं बजरी को हटाकर कृषि योग्य बनाये जाने का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पारस द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

भू-तत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अर्चना पाण्डेय)-

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप भूमिधरि कृषकीय.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

[''शासन द्वारा 08-12-2017 द्वारा आपने शासनादेश सं0-2883186-2017-1181211 टीसी-1, दिनांक 02-11-2017 द्वारा कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरंग को हटा कर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद बिजनौर में कृषिकीय भूमि पर बजरी/आर0बी0एम0 बाढ़ के कारण किसानों की भूमि पर भारी मात्रा में आ गया है। इसे किसान हटाकर कृषि योग्य बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए, जनहित में बालू/मौरंग एवं बजरी की अनुमति की मांग करता हूं।''

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया है कि :-

''भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-2883/86-2017-198/2011 टीसी-1, दिनांक 02-11-2017 के अनुपालन में कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु शासनादेश प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त शासनादेश दिनांक 02-11-2017 में कृषिकीय भूमि से बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरंग को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में जनपद बिजनौर में प्राप्त आवेदन-पत्रों में तहसील आख्यानुसार मौके पर बालू के साथ मिश्रित अवस्था में बजरी, पत्थर (आर0बी0एम0) पाये जाने के कारण उक्त आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।'']

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मण्डी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सीतापुर रोड लखनऊ में.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्थित नवीन गल्ला मण्डी स्थल में अव्यवस्थाओं के कारण कृषकों, व्यापारियों एवं मण्डी स्थल आने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में नवीन गल्ला मण्डी स्थल का

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समुचित विकास व जन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्षों से दुकानों की मरम्मत नहीं हुई है। आन्तरिक सड़कें जर्जर हैं। सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। अधिकांश दुकानें बन्द रहती हैं। जिम्मेदार लोग उदासीन बने हुए हैं। किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं में आक्रोश है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

<u>वक्तव्य</u>

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नवीन मण्डी स्थल, सीतापुर रोड, लखनऊ में पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त वाटर स्टैण्ड पोस्ट, अवर जलाशय, छायादार नीलामी चबूतरा, ए0सी0 शीट, नालियों की सफाई/मरम्मत, कार्यालय भवन, मीटिंग हाल की मरम्मत/अनुरक्षण रंगाई-पुताई एवं चार नग पी0वी0सी0 वाटर टैंक स्टैण्ड पोस्ट, सबमर्सिबल पम्प की स्थापना, चहारदिवारी की मरम्मत, सी0सी0 फड़, नालियों का निर्माण कार्य तथा फल एवं सब्जी मण्डी में 03 नग शौचालय का मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य कुल धनराशि रु0-84.94 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराया गया है तथा स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2018 तक विशेष सफाई अभियान चलाकर मण्डी स्थलों में सफाई कार्य कराया जा रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डी परिषद् के मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24-07-2018 में मण्डियों को आधुनिक किसान मण्डी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मण्डी समिति, लखनऊ को भी मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् द्वारा चयनित किया गया है। मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डी की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ही प्लेटफार्मों की मरम्मत, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, नियमित रूप से मण्डी स्थलों की सफाई, ड्रेनेज, कोल्ड रूम राइपनिंग चैम्बर, सोलर पावर प्लाण्ट, किसान विश्राम गृह, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, ई-नेम भवन, फायर हाईड्रैन्ट सिस्टम, पेस्टीसाइड रेजीडूयल टेस्टिंग लैब की स्थापना, कैन्टीन, जलपान गृह/ढाबा एवं अन्य विविध आवश्यक कार्य योजना तैयार करायी जा रही है। मण्डी स्थल के आधुनिकीकरण किये जाने हेतु आर्कीटेक्ट का चयन कर लिया गया है। तद्नुसार परियोजना/आगणन तैयार कराकर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए नवीन मण्डी स्थल लखनऊ का जन सुविधायुक्त समुचित विकास कार्य शीघ्र आरम्भ कराया जा सकेगा।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत सरकारी राशन की दुकानों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह वक्तव्य स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मेरठ-अलीगढ़ रोड पर तहसील बुलन्दशहर परिसर से बुलन्दशहर बाईपास रोड नेशनल हाईवे 34 तक लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मेरठ-अलीगढ़ मार्ग पर तहसील बुलन्दशहर परिसर से बुलन्दशहर बाईपास नेशनल हाई-वे 34 तक लोक निर्माण विभाग की सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के कारण आये दिन.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दुर्घटनायें होती हैं और यातायात का दबाव अधिक होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति रहती है। जनहित में इस प्रमुख मार्ग का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर आबादी के नाम से अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। जिसमें से प्रश्नगत भाग की लम्बाई 2.270 किमी0 है। जिस पर शासनादेश सं0-202-2018/473 रासनि/23-1-18-89रासनि/18, दिनांक 30-10-18 द्वारा बी0सी0 से नवीनीकरण हेतु रु0 111.99 लाख स्वीकृत किया गया है। कार्य का अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। मार्ग पर कार्य प्रगति में है।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के सोनौरा कैनाल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य सिंचाई मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री धर्मपाल सिंह-

[स्थापित सोनौरा द्वितीय पम्प नहर का निर्माण वर्ष 1969 में कराया गया था। पम्प नहर की क्षमता 15 क्यूसेक है। पम्प नहर वर्तमान में चलित अवस्था में है तथा कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। फसली 1426 रवी में पक्षान्त दिनांक 10-12-2018 तक पम्प नहर द्वारा 121 हेक्टेयर सींच दर्ज की गयी है।

पम्प नहर के विद्युत एवं यांत्रिक उपकरण अत्यन्त पुराने होने के कारण अपनी मितव्ययी आयु पूर्ण कर चुके हैं। पम्प नहर के सिविल कार्य (नहर की जीर्ण-शीर्ण ब्रिक लाइनिंग का जीर्णोद्धार इत्यादि) विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों को बदले जाने की परियोजना गठित कर शासकीय स्वीकृति/बजट उपलब्धता के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद बुलन्दशहर सहित पूरे प्रदेश में आवारा गौ-वंश को संरक्षित करके भरण-पोषण करने वाले गौ-पालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निराश्रित/बेसहारा गौ-वंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण हेतु गौ-शालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पशुधन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[(राज्य योजना) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड की 08 पंजीकृत गौ-शालाओं के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रूप में रु0 64.50 लाख (रु0 चौसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रति गौ-शाला की दर से कुल धनराशि रु0 516.00 लाख (रु0 पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्तिम किश्त के रूप में रु0 516.00 लाख (रु0 पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए गौ-शालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त धनराशि आवंटित की गई है, ताकि पंजीकृत गौ-शालाओं की क्षमता को बढ़ाया जा सके एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गौ-वंश की समस्या का निराकरण हो सके। गौ-शालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

3-गौ-सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित मानकानुसार प्रदेश के 68 जनपदों में (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर) एक वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु कुल धनराशि रु0 8160.00

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु0 3400.00 लाख (प्रति जनपद 50.00 लाख) की धनराशि को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को हस्तानान्तरित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत कुल 51 जनपदों में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है।

4-प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा की समस्या के उन्मूलन हेतु पशु प्रजनन में विभाग द्वारा सेक्सड सीमेन के प्रयोग के कार्यक्रम समस्त जनपदों में आरम्भ किया जा रहा है, जिससे 90 प्रतिशत मादा संतति उत्पन्न होने से पशुपालक उच्च गुणवत्ता की मादा संतति को तथा उसकी जननी को निराश्रित/बेसहारा पशु के रूप में नहीं छोड़ेंगे जिससे छुट्टा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा साथ ही 90 प्रतिशत नर गौ-वंशीय पशुओं की संख्या में कमी के फलस्वरूप कृषि फसलों की क्षति में कमी आयेगी तथा कृषकों की आय में वृद्धि होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त मादा संतति प्राप्त होने से आर्थिक उन्नयन होगा, इसके अतिरिक्त इन पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी।

5-वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 16 नगर निगमों में उपलब्ध गौ-वंशों के भरण-पोषण/ रख-रखाव हेतु रु0 1752.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6-वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 1000 गौ-वंश क्षमता वाले गौ-वंश वन्य विहारों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंजीकृत गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में बेसहारा गोवंश की समस्या के निवारण हेतु पशु आश्रय गृहों की स्थापना के लिये रु0 1000.00 लाख (रु0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित की गई है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में गोआश्रय स्थल की स्थापना के लिये उपलब्ध भूमि चिन्हित कर उचित कार्यदायी संस्था नामित कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छुट्टा गोवंश से हो रही समस्या का निराकरण हेतु 07 जनपदों में रु0 30 लाख प्रति गो आश्रय स्थल की दर से जिलाधिकारियों को उपर्युक्त धनराशि आवंटित की गई है। कार्य प्रगति पर है।

8-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डी परिषद् की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गो संरक्षण एवं संवर्धन के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से कुल रु0 77957661 की धनराशि प्रदेश में पंजीकृत 39 गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण हेतु गोसेवा आयोग के माध्यम से आवंटित की गई।

9-उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 07 राजकीय/जिला गोसदन तथा बिछिया बइराईच, रानीपुर चित्रकूट, बरबर खीरी, धर्मपुर कटरी, फर्रुखाबाद, कुमरौआ पचलाना (कासगंज), मधुवलिया महराजगंज, सिमरा वीरान शाहजहांपुर में भी गोवंशीय पशुओं को संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

10-उ0प्र0 गोशाला अधिनियम-1964 के तहत कुल 512 पंजीकृत गोशालाऐं हैं। यह गोशालाएं गोवंशीय पशु रखने उनका अभिजनन पालन व भरण-पोषण करने के अतिरिक्त दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व उपचार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित की गई है। इन गोशालाओं में पुलिस प्रशासन से सुपुर्दगी में प्राप्त एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निराश्रित/बेसहारा गोवंश रखे जाने की व्यवस्था है।

11-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज द्वारा कृत्रिम गर्भाधान तथा निराश्रित/बेसहारा नर पशुओं के बधियाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित करके भरण-पोषण करने वाले गौ पालकों को गौसेवा भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।]

जनपद शाहजहांपुर में दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह वक्तव्य स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधायें सुधारे जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, वर्तमान में लगभग 25 लाख की आबादी वाला जनपद मथुरा अपने धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जिसमें...

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[सर्वाधिक संख्या में मेहनतकश किसान, श्रमिक, निम्न मध्यम वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय श्रेणी में आने वाले नागरिक निवास करते हैं। करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु दर्शन करने मथुरा आते हैं। लाखों की संख्या में मथुरा के नागरिक तथा करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालु अपनी स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं उपचार सुविधा हेतु जिला अस्पताल मथुरा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं परन्तु जिला अस्पताल मथुरा में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत बड़े पैमाने पर अभाव है।

गम्भीर रूप से घायल ट्रामा रोगियों के उपचार हेतु पूर्व स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन पूर्णतः निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। आई0सी0सी0यू0 में सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट, इको कार्डियोग्राफी एवं कलर डाप्लर मशीन, वेंटीलेटर आदि महत्वपूर्ण उपकरण सुविधाओं के अभाव के कारण इसमें भर्ती होने वाले रोगियों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल में कैथलेव न होने के कारण

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एवं समीपस्थ क्षेत्रों के हृदय रोगियों को उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल में वर्तमान में संचालित ब्लड बैंक का स्थान अपर्याप्त है तथा ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर न होने तथा पैथालॉजी विभाग में आधुनिक उपकरणों के अभाव के चलते रोगियों को स्तरीय उपचार सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। किडनी, गुर्दा सम्बन्धी इलाज की सुविधा हेतु ''राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जिला अस्पताल, मथुरा परिसर में ''डायलेसिस यूनिट'' की स्थापना हेतु आवश्यक निर्मित भवन की उपलब्ध न होने के कारण गुर्दा रोग से पीड़ित रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता रहा है।

व्यापक जनहित को देखते हुए जिला अस्पताल, मथुरा में सी0टी0 स्कैन को तत्काल संचालित कराये जाने आई0सी0सी0यू0 में सेन्ट्रल आक्सीजन प्लाई सिस्टम, ईको कार्डियोग्राफी एवं पैथालाजी विभाग हेतु नवीन भवन की स्थापना कराये जाने, डायलेसिस यूनिट स्थापित कराये जाने, इनको सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु आवश्यक चिकित्सीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्ध कराने एवं लम्बे समय से जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त चल रहे चिकित्सीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है :-

1-सी0टी0 स्कैन मशीन :-जिला चिकित्सालय, मथुरा में सी0सी0 स्कैन यूनिट जनवरी, 2018 से क्रियाशील है और प्रतिदिन लगभग 6 से 8 सी0टी0 स्कैन होते हैं। रविवार को भी सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध रहती है।

2-आई0सी0सी0यू0 में सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई सिस्टम :-जिला चिकित्सालय, मथुरा में आई0सी0सी0यू0 स्थापित नहीं है। ट्रामा विंग का भवन निर्मित हो चुका है एवं ट्रामा के संचालन हेतु 48 पदों का सृजन भी किया जा चुका है। मानव संसाधन तथा उपकरणों की उपलब्धता के पश्चात् ट्रामा विंग का संचालन किया जायेगा।

3-इको कार्डियोग्राफी एवं पैथालॉजी सुविधा :-जिला चिकित्सा, मथुरा में इको कार्डियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय में ई0सी0जी0 (इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफी) एवं पैथालॉजी की सुविधा उपलब्ध है। कलर डाप्लर एवं वेन्टीलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

4-ब्लड बैंक :-जिला चिकित्सालय, मथुरा में ब्लड बैंक पूर्ण रूप से क्रियाशील है एवं 24 घण्टे सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां सभी तरह के ब्लड ग्रुप उपलब्ध है। ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट (पी0सी0एस0यू0) पिछले डेढ़ वर्ष से स्थापित एवं क्रियाशील है।

5-डायलिसिस यूनिट :-जिला चिकित्सालय, मथुरा में 'राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' के अन्तर्गत डायलिसिस यूनिट माह नवम्बर, 2018 से क्रियाशील है। इसमें लगभग 200 डायलिसिस की जा चुकी है। यह सुविधा डे केयर के आधार परपूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

6-मानव संसाधन की स्थिति :-जिला चिकित्सालय मथुरा में चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 25 पदों के सापेक्ष 19 चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल/अन्य स्टाफ के कुल स्वीकृत 93 पदों के सापेक्ष 77 पदों पैरामेडिकल/अन्य स्टाफ तैनात हैं।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के कतिपय ग्रामों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह वक्तव्य स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह वक्तव्य भी स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

स्थगन का कारण क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, समय कम रहा जिसके कारण उत्तर अप्राप्त है जिस पर स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आपने पृच्छा की है इसलिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका कारण क्या है सारी सूचनायें स्थगित कराई जा रही हैं। सच्चाई यह है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। इससे पूर्व वाली हमारी बहुत छोटी सूचना थी लेकिन अधिकारियों ने उसका उत्तर नहीं दिया और वक्तव्य स्थगित हो गया। मैं अधिकारियों पर स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। जब माननीय मंत्री को सूचना नहीं मिलेगी तो उन्हें स्थगित कराना ही पड़ेगा। मान्यवर, इस पर निर्देश जाने चाहिये कि अधिकारी समय के अन्दर सूचनायें दिया करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दे दें कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में दी गई सूचनायें क्षेत्र और प्रदेश के विकास से संबंधित होती हैं और गंभीर प्रकृति की होती हैं। सूचनाओं का उत्तर समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए माननीय संसदीय कार्य

मंत्री जी की तरफ से कड़े दिशा-निर्देश जारी होने चाहिये ताकि सूचनाओं का समयबद्ध उत्तर आये। उत्तर क्यों नहीं आये हैं इसका परीक्षण भी कराना उचित होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर।

सिंचाई विभाग (यांत्रिक) सेवा नियमावली, 1992 को कैबिनेट से अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यात्रिंक संवर्ग के अन्तर्गत उ0प्र0 सिंचाई विभाग.....

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य सिंचाई मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री धर्मपाल सिंह-

[यांत्रिक अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 लागू है, जिसे परिवर्तित परिस्थितियों/मांगों एवं नवीनतम प्राविधानों को समाविष्ट कर शासकीय कार्यों के प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से उ0प्र0 सिंचाई विभाग यांत्रिक अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 के रूप में प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नियमावली में संशोधनों पर वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग की सहमति/परामर्श प्राप्त कर लिया गया है। परामर्श के उपरान्त यथासंशोधित नियमावली को नियमावली सेल द्वारा विधीक्षित किया जा चुका है। नियमावली के प्रख्यापन हेतु कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है, जिस पर न्याय, वित्त एवं कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विभागों का अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त प्रश्नगत नियमावली का कैबिनेट नोट मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् यथादेश कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमावली प्रख्यापित करने का मामला है और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि यह प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कब तक प्रख्यापित करवा देंगे क्योंकि बहुत से कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे हम कैबिनेट में ले जायेंगे और इसको करा देंगे।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता की ग्राम धनावा में बालू खनन का पट्टा बन्द किये जाने एवं खुदाई की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग .....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

[उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0-(1) दिनांक 14-08-2017 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध खनिज तथा साधारण बालू/मौरन्ग आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा, सह ई-नीलामी के माध्यम से ग्राम धनावां तहसील बिसवां, जनपद-सीतापुर के गाटा सं0-257क रकबा 6.00 हे0क्षेत्र में 1,08,000 घनमीटर साधारण बालू के खनन हेतु (ई-नीलामी से प्राप्त सर्वोच्च दर रु0 615.00 प्रति घन मीटर) पांच वर्षीय खनन पट्टा 23-01-2018 से 22-01-2023 तक की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है।

2-दिनांक 18-05-2018 को खनन क्षेत्र में 01 व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई थी उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच के उपरान्त पट्टेधारक को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 29-05-2018 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा स्वयं सुनवाई की गई तथा पट्टाधारक को नियम एवं शर्तों के उल्लंघन करने तथा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य किये जाने के कारण रु0 2,79,000.00 की शास्ति जमा कराये जाने हेतु आदेशित करते हुए नोटिस जारी करके आरोपित धनराशि जमा कराने एवं पट्टा संचालन हेतु निर्देशित किया गया। पट्टेधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि जमा कर दी गई है।

3-दिनांक 01-07-2018 से 30-09-2018 तक खनन पट्टा में खनन कार्य वर्षाकाल में प्रतिबन्धित रखा गया।

4-दिनांक 01-10-2018 से खनन कार्य किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बिसवां से स्वीकृत खनन पट्टे की पैमाइश कराते हुए आख्या प्राप्त की गई जिसमें उपजिलाधिकारी, बिसवां द्वारा खनन

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पट्टे का पुनः सीमांकन कराते हुए आख्या उपलब्ध कराई गई कि खनन पट्टे का राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराते हुए सीमा स्तम्भ स्थापित करा दिये गये हैं। तदोपरान्त खनन की अनुमति प्रदान की गई।

5-ग्राम धनावां में स्वीकृत खनन पट्टा चौका नदी में स्थित है। चौका नदी प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है यह एक परित्यक्त नदी है। दिनांक 22-11-2018 को ग्रामीणों की शिकायत पर खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार व थानाध्यक्ष रेउसा द्वारा खनन पट्टे पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। खनन स्थल पर लोहे की नाव पर पम्पसेट (सेक्शन मशीन) पट्टा क्षेत्र में पाया गया जिसे टीम द्वारा मौके पर सीज कर दिया गया है तथा उक्त कृत्य हेतु पट्टेधारक को कार्यालय पत्र संख्या-730 दिनांक 01-12-2018 के द्वारा रु0 5.00 लाख की नोटिस निर्गत करते हुए अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इंजन खनन यंत्र नहीं है ऐसी स्थिति में इंजन लगाये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, फिर भी पट्टेधारक को इंजन हटाये जाने हेतु दिनांक 22-11-2018 को निर्देशित कर दिया गया था।

6-खनन पट्टा में पट्टेधारक द्वारा कार्यालय हेतु बनाई गई झोपड़ी को दिनांक 21-11-2018 आग लगा दिये जाने पट्टेधारक की तहरीर पर ग्राम व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना, रेउसा, जनपद सीतापुर द्वारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 के तहत नोटिस की तामील कराकर माननीय न्यायालय में पाबन्द कराया गया है।

7-दिनांक 16-12-2018 को खनन पट्टा क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा ग्राम धनावां जाकर ग्रामीणों से मिलने के उपरान्त अपने प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश मिश्र के माध्यम से दिनांक 17-12-2018 को खनन पट्टे से सम्बन्धित 19 बिन्दुओं में सूचना चाही गई, जिसे पत्र सं0-816, दिनांक 18-12-2018 के माध्यम से माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दिया गया है।

8-माननीय विधायक जी के आदेशानुसार प्रश्नगत खनन पट्टा में खनन कार्य दिनांक 16-12-2018 से बन्द है। माननीय विधायक जी के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी, बिसवां के पत्र सं0 1874, दिनांक 18-12-2018 के द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे की जांच हेतु टीम का गठन कर लिया गया है। दिनांक 21-12-2018 को जांच किया जाना नियत है।

9-खनन क्षेत्र में डूबकर तीन गायों की मृत्यु की किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण, जन्तु एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-12-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में गुलावठी-सिकन्दराबाद मार्ग पर गुलावठी नगर के पास स्थित एक लोहा गलाने वाली फैक्ट्री.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पर्यावरण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

वन एवं पर्यावरण, जन्तु एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

[तथा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद स्थित मै0 लिब्रा इण्टरनेशनल लि0, मै0 सत्यम शाकुन्तलम तथा मै0 गंग इण्डस्ट्रीज आदि अनेक फैक्ट्रियों द्वारा भारी मात्रा में वायु व जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसके कारण उनकी विधान सभा में कैंसर, चर्म रोग तथा श्वांस रोग जैसी गम्भीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर कोई कार्यवाही न होने के कारण वायु व जल प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है, जिस पर जनहित में कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर में जल एवं वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के 69 उद्योग स्थापित एवं संचालित हैं। उक्त समस्त इकाइयों की समय-समय पर जांच उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलन्दशहर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है एवं इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह जनवरी, 2018 से अद्यतन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कुल 05 दोषी इकाइयों के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किये गये हैं तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कुल 02 दोषी इकाइयों के विरुद्ध बन्दी आदेश तथा 01 इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नियम-51 के अन्तर्गत दी गई प्रश्नगत सूचना में उल्लिखित उद्योगों यथा- (1) गुलावठी, सिकन्दराबाद मार्ग पर स्थित लोहा गलाने वाली फैक्ट्री मेसर्स आयशा स्टील, प्रा0 लि0, (2) मै0 लिब्रा इण्टरनेशनल लि0, (3) मै0 सत्यम शाकुन्तलम् इंजीनियरिंग प्रा0लि0, (4) मै0 गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्राडक्ट लि0, (पूर्वनाम मै0 सूरज वनस्पति लि0) का उद्यतन निरीक्षण माह दिसम्बर, 2018 की विभिन्न तिथियों में कराया गया जिसमें उक्त वर्णित क्रमांक 1 से 3 पर अंकित उद्योग मानकों के अनुरूप संचालित पाये गये तथा प्रदूषण की समस्या नहीं पाई गई। क्रमांक 4 पर अंकित उद्योग मै0 गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लि0 (पूर्वनाम मै0 सूरज वनस्पति लि0) स्वयं के कारणों से बन्द पाया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के अन्य क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित उद्योगों का निरीक्षण तथा अनुश्रवण किया जाता है एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।]

[2:16] सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर किसी को कुछ कहना है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमें तो कुछ नहीं कहना है आप ही सबको आशीर्वाद दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मेरा यह निवेदन है कि अगर बोलना है तो सभी दलों के लोग बोल लें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हम सबकी तरफ से आप ही बोल लें।

श्री लालजी वर्मा-

आप ही कह दें।

श्री रमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों की कुछ पीड़ा है। हम लोग अनिश्चितकाल के लिए उठ रहे हैं। लेकिन कुछ सदस्यों की पीड़ा है। डीजल का रेट बढ़ा है क्षेत्र में ज्यादा टहलना पड़ रहा है। पिछली बार कुछ वेतन के बारे में कहा भी गया था इसके बारे में कुछ चर्चा हो जाये।

[2:17 बजे] सदन के संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहां तो अनिश्चितकाल है लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि फरवरी में फिर बैठ रहे हैं तो निश्चितकाल हो गया। अब मैं एक मिनट कुछ कह लूं। इस उपवेशन में हम लोगों ने कई विधेयकों पर और अनुपूरक बजट पर काफी मेहनत की है और मैं मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद के मंत्रीगण मा0 उप नेता समाजवादी पार्टी, मा0 बसपा के नेता लालजी वर्मा, मा0 कांग्रेस के नेता अजय जी सहित सदन के सभी आदरणीय सदस्यों को बधायी देता हूं कि सबने पूरी रुचि के साथ तन्मयता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मेरे मन में विचार था कि सभी दलों के नेतागण इस अवसर पर कुछ न कुछ कहेंगे लेकिन सबने मुझे ही अधिकार दे दिया कि आप ही कुछ कहिये। ब्रिटिश संसदीय परिपाटी से हमारा पद आया है। यद्यपि उसके पहले से भारत में लोकतंत्र था, जनतंत्र था, सभा थी, समिति थी। लेकिन जिस तरह का हम सब अनुसरण करते हैं तो उसमें स्पीकर को सबसे कम बोलना चाहिए। स्पीकर का अर्थ संसदीय परिपाटी में इंटरनेशनल परम्परा में जो कम बोले वह स्पीकर। यही पुरानी परिपाटी है। हम सब भारतीय जनतंत्र के कारण यहां हैं। संविधान और जनतंत्र के कारण हम सब माननीय कहे जाते हैं। बीच-बीच में छोटे-मोटे बड़े पद भी आते हैं। जैसे मेरे पास इस समय है। गाड़ी चलती है सायरन बजता है। बड़ा पो-पो होता है जब हमारी गाड़ी चलती है। पहले इसी प्रकार के पद इधर के लोगों के पास थे। यह पद आते हैं जाते हैं, बड़ी छोटी सी झलक दिखाई पड़ती है कि आये, लेकिन कब गये पता नहीं लगता। इस जनतंत्र को हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने संविधान निर्माताओं ने बहुत जतन से गढ़ा है और हमसे तमाम अपेक्षाएं की हैं। यहां पर बहुधा वह अपेक्षाएं व उनके मार्गदर्शी स्वप्न तथा विचार

प्रायः टूट जाते हैं और जब मेरी ओर से व्यक्तिगत बात होती है या हमारे और प्रयास होते हैं तो उन प्रयासों के उत्तर में एक बात बड़ी मजेदार कही जाती है कि जनतंत्र में सब चलता है तो जनतंत्र में जब चलता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित जनतंत्र उसे भिन्न अर्थों में ग्रहण किया है अर्थात् सभा भवन के भीतर बैनर लेकर आना। तो मेरा कहना है कि हम सब लोग एक ही परिवार के हैं किसी दूसरे दल का हो जाने से तो वह परिवार से भिन्न नहीं हो जाता है ऐसा हमें भी है और सब लोगों में है। सब लोग कहते हैं कि यह तो जनतंत्र में होता है तो कोई कहता है कि यह तो पहले से हो रहा है। यहां पर पुराने सभी लोग बैठे हैं तो पहले यह भी होता था कि बहुत सुन्दर बहस होती थी और आपस में सब लोग मिलकर बैठते थे। जैसे होली में कब दारू जुड़ी पता नहीं लगा और होली तो बड़ा प्राचीन इतिहास है और यह बहुत प्रेमपूर्ण उत्सव है रंग का, प्रीत का, प्यार का और इसमें बसंत खिलता है, प्रकृति अटकेलियां करती हैं, लेकिन अब होली में दारू जुड़ गई तो मर्यादा में रहना यह एक अग्नि स्नान करने जैसा है क्योंकि यह स्वयं से स्वयं का झगड़ा होता है। मैं बहुधा अपने मित्रों से कहता हूं कि ''इनकाउन्टर बिटविन आई एण्ड आई'' मेरा मुझसे मुठभेड़ इनकाउन्टर तो कोई तो निकले और यह प्रयास करे। यह पहले तो होता था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। मैं इसमें किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। यदि कोई अच्छी परम्परा है तो वह परम्परा हम लागू करें न। मुझे अभी एक पी0आर0एस0 लेजिस्लेटिव नाम की बड़ी संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है उसने दिल्ली में भाषण के लिए बुलाया था और मैंने वहां भी यही कहां कि उत्तर प्रदेश विधान सभा देश को मार्गदर्शी सिद्धान्त दे सकती है तो फिर हम शुरू करें न। इस अवसर का लाभ उठाकर मेरे मन में किसी की निन्दा नहीं है और हम समझते हैं कि हम सब लोग कोई नई परम्परा डाल सकते हैं। अथर्वेद में सभ्य की परिभाषा है कि जो सभा में जाता है वह सभ्य है। अब बाहर के लोग क्या कहते होंगे कि जो सभा में जाता है वह तो बहुत चिल्लाता है। मेरे इस वक्तव्य का यह अर्थ बिल्कुल न लिया जाए कि मैं ठीक हूं और बाकी कम ठीक हैं। यहां बैठ जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और वहां बैठ जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। हम सब लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और पैर पकड़ते हैं तथा तमाम तरह के साधन अपनाते हैं कि हमको चुनें विधायक के रूप में और वहां से आते हैं तो किस लिए आते हैं ? तर्क के लिए, संवाद के लिए और जनता की सेवा के लिए। आप सबने कह दिया तो अच्छा रहा मैं ही स्वयं को समय देने का काम करता तो यह ठीक न होता। मुझे लगता है कि जब अगला सदन होगा तो हम सब लोग कोई तो नई परम्परा डालें। सभा का सदस्य होने से सहित भाव प्रकाश तथा सभा का सदस्य होना प्रकाश सहित होना है, सभ्य होना है, सभासद होना है हम सब ऐसे ही हैं।

प्रकृति ने, परमात्मा ने, इतिहास ने, भारत की संस्कृति ने, इस पूरे आधुनिक परिवेश ने हमको आपको सत्रहवीं विधान सभा का सदस्य बनाया है तो हम सब इस दृष्टि से सोचें, ये बीच का कालखण्ड आ रहा है। अभी फरवरी में फिर बैठेंगे, तब मुझे लगता है कि हम सब लोग एक नई ऊर्जा से लैस होंगे। मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इस सत्र को बहुत सुन्दर चलाया और आप सबके प्रति आदर भाव भी व्यक्त करता हूं कि आप सब हमारे बहुत सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न

यह है कि सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा।
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 26 मिनट पर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन....' के सामूहिक गायन के उपरान्त अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ।)

लखनऊ :
दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ-49 पर देखिये

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Vidyut Niyamak, Vibhuti Khan, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

Sanjay Srivastava
Secretary

Ref: UPERC/Secy/D(T)/2018-380
Dated: 13 December, 2018

To,

1. **The Chairman,** U.P. Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
2. **The Managing Director,** U.P. Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
3. **The Managing Director,** Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-A, Gokhale Marg, Lucknow-226001.
4. **The Managing Director,** Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan, 220KV Sub-Station Mathura bypass Road, Agra-282007.
5. **The Managing Director,** Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut-250001.
6. **The Managing Director,** Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi-221004.
7. **The Managing Director,** Kanpur Electricity Supply Company Ltd., KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur-208001.
8. **The Director (Commercial)** U.P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
9. **The Director (Commercial)** Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-A, Gokhale Marg, Lucknow-226001.
10. **The Director (Commercial)** Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan, 220KV Sub-Station Mathura bypass Road, Agra-282007.
11. **The Director (Commercial)** Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut-250001.
12. **The Director (Commercial)** Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi-221004.
13. **The Director (Commercial)** Kanpur Electricity Supply Company Ltd., KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur-208001.
14. **The Chief Engineer,** RAU, U.P. Power Corporation Ltd., 15th Floor, Shakti Bhawan Extension, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
15. **Shri Avadhesh Kumar Verma**, Chairman, U.P. Rajya Vidyut Upbhoktra Parishad, Indira Nagar, Lucknow.

Sub : **Proposed change in the applicability of rate schedule for "goshalas-cow shed" and math/rooms built at religious places. (Petition No. 1372/2018**

Sir,

Kindly find enclosed herewith a copy of the Commission's Order dated 12th December, 2018 regarding above cited matter.

Yours sincerely,

Encl: As above.

Sanjay Srivastava,
Secretary.

BEFORE

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,

LUCKNOW

Petition No. : 1372/2018

Present :

(1) Shri Raj Pratap Singh, Chairman

(2) Shri Suresh Kumar Agarwal, Member

(3) Shri Kaushal Kishore Sharma, Member

IN THE MATTER OF :

Proposed change in the applicability of rate schedule for "goshalas-cow shed" and math/rooms built at religious places.

AND

IN THE MATTER OF :

1. The Chairman, U.P. Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
2. The Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
3. The Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-A, Gokhale Marg, Lucknow-226001.
4. The Managing Director, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan, 220KV Sub-Station Mathura bypass Road, Agra-282007.
5. The Managing Director, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut-250001.
6. The Managing Director, Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi-221004.
7. The Managing Director, Kanpur Electricity Supply Company Ltd., KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur-208001.
8. The Director (Commercial) UPPCL Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
9. The Director (Commercial) Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-A, Gokhale Marg, Lucknow-226001.
10. The Director (Commercial) Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan, 220KV Sub-Station Mathura bypass Road, Agra-282007.
11. The Director (Commercial) Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut-250001.
12. The Director (Commercial) Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi-221004.
13. The Director (Commercial) Kanpur Electricity Supply Company Ltd., KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur-208001.

14. The Chief Engineer, RAU, U.P. Power Corporation Ltd., 15th Floor, Shakti Bhawan Extension, 14, Ashok Marg, Lucknow-226001.
15. Shri Avadhesh Kumar Verma, Chairman, U.P. Rajya Vidyut Upbhokta Parishad.

The following were present :

1. Shri Niraj Agrawal, CE (RAU)
2. Shri Sayed Abbas Rizvi, EE (RAU)
3. Shri D.C. Verma, EE (RAU), UPPCL
4. Shri Rajiv Srivastava, Advocate, UPPCL
5. Shri Avadesh Kumar Verma, Chairman, U.P. Rajya Vidut Upbhokta Parishad

ORDER

(Hearing-December 11, 2018)

The Petitioners' (DVVNL, MVVNL, PVVNL, PUVVNL and KESCO) have filed the said petition in the matter of "Proposed change in the applicability of rate schedule for 'goshalas-cow shed' and math/rooms built at religious places." In the petition, the following submissions are made by the petitioners':-

1. The goshalas-Cow shed is established by self-help organisations for upkeep of old, infirm, sick and draught cattle by providing all their needs, including food and medical care etc.
2. Govt. of Uttar Pradesh has promulgated Uttar Pradesh Goshala Act, 1964 containing provisions for management and control of Goshalas in Uttar Pradesh in line with the provisions of The Animal Welfare Act, 2011. Under the said Act, there are 498 registered Goshalas in the State. According to this act, "Goshala is a charitable institution established for the purpose of keeping rearing, breeding or maintenence of cattle or for the purpose of reception, production and treatment of infirm, aged, decrepit or diseased cattle."
3. The Goshalas are functioning based on funds provided by group of people, so the adequate fund raising is a major issue and the owners are not in good financial position to pay bills for electricity required for functoning of these Goshalas, including for pumping ground water to cater to the needs of cattle.
4. In order to remove the burden of tariff pertaining to activities and problem faced by the 'Goshala' owners in making timely payment of electricity bills, the applicant requested a separate electricity connection in PTW category up to a load of 5 BHP, in addition to the existing connection for their daily requirements, and also mentioned they are not engaged in any sort of commercial activities, justifies their requiest.
5. In the existing Rate Schedule LMV-5, Small Power for Private Tubewells/Pumping Sets for Irrigation purposes for the power consumers of Rural/Urban Schedule for Private Tube-wells/Pumping Sets for irrigation purposes having a contracted load up to 25 BHP and for additional agricultural processes confined to Chaff-Cutter, Thresher, Cane Crusher and Rice Huller.

All new connections under this category shall necessarily have the ISI marked energy efficient mono-bloc pump sets with capacitors of adequate rating to qualify for the supply. All existing pump sets shall be required to install capacitors of adequate rating".

6. In addition to the existing Rate Schedule LMV-5, the petitioner' have mentioned the proposed amendment as follows:-

Quote

That for achieving the purpose as set out in paragraph 5 of this petition, the applicability of "Rate Schedule LMV-5", it is submitted, may kindly be amended to rad:

This schedule shall apply to all power consumers getting supply as per Rural/Urbon Schedule for Private Tube-wells/Pumping Sets for irrigation purposes having a contracted load up to 25 BHP and for additional agricultural processes confined to Chaff-Cutter, Thresher, Cane Crusher and Rice Huller. ***This schedule shall also be applicable for separate PTW connection for registered Goshalas for load up to 5BHP having separate light and fan connection with the condition that such Gaushala-Cow shed shall not be used for commercial purpose. (Emphasis).***

Unquote

7. All new connections under this category shall necessarily have the ISI marked energy efficient mone-bloc pump sets with capacitors of adequate rating to qualify for the supply. All existing pump sets shall be required to install capacitors of adequate rating.

Regarding Rate Schedule LMV-1 :-

8. The Places of Worship like Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches are presently covered under LMV-1 rate schedule and the activities performed are purely religious and non-commercial in nature. It is proposed by the petitioners' for the kind consideration that maths/rooms built at religious places are billed as per LMV-1 rate schedule for load up to 5 Kw.

9. The existing "Rate Schedule LMV-1", provides :

Quote

"This schedule shall apply to:

Premises for residential/domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, orphanages, old age homes, Institutions run for mentally retarded and forsaken children.

Unquote

In addition to the existing rate schedule the applicant has proposed amendment to the existing "Rate Schedule LMV-1" mentioned below as follows :-

Quote

Premises for residential/domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship

(e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) ***including short stay places at ashram or kutiya of Sadhu & Sant for load upto 5KW and place is not used for commercial purpose*** *and Electric Crematoria, Shelter Homes, orphanages, old age homes, institutions run for mentally retarded and forsaken children."*

Unquote

The petitioners' prayers are as stated below :-

Quote

a- Amend 'Rate Schedule LMV-5 whereby registered Goshalas/Cow sheds are allowed a seperate electricity connection in PTW category up to a load of 5 BHP in addition to the existing electricity connection for their daily purpose with the condition that such Gaushala-Cow shed shall not be used for commercial purpose.

b- Amend Rate Schedule LMV-1, to include math/rooms built at religious places for catering the needs of followers/religious people for short places as ashram or kutiya of Sadhu & Sant for load up to 5 KW and place is not used for commercial purpose.

c- Issue any other order or direction which the Hon'ble Commission may deem fit in the facts and circumstances of the case.

Unquote

The Commission held a hearing in the matter on October 04, 2018 wherein, the petitioners' reiterated their submissions as stated in the petition.

Mr. Avadesh Kumar Verma, during the hearing said that, in their proposal for maths/rooms built at religious places to be billed as per LMV-1 rate schedule for load up to 5 kW, the same should be included for all religious places like mosques, church, Buddhist monasteries etc, to make it religion neutral.

Thereafter vide order dated October 12, 2018 the Commission directed the State Discoms to re-submit the proposal with more clarity and unambiguity. In response the petitioners' vide letter dated October 30, 2018, made the following submissions with respect to the proposed amendment/addition in the applicability of "Rate Schedule LMV-1" :-

Quote

"Non-commercial places occupied by religious seekers involved in pursuit of spiritual enlightenment, irrespective of their religion, are also entitled in this category, for a maximum load upto 05 kw, subject to the condition that such non-commercial place shall have avalid registration/recognition from a charitable trust**

With the addition of above proposal the applicability of 'Rate Schedule LMV-I shall be read as under:-

"Premises for residental/domistic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, Orphanages, Old age homes. Institutions run for mentally retareded and forsasken children. ***Non-commercial places occupied by religious seekers involved in pursuit of spiritual enlightenment, irrespective of their religion, are also entitled in this***

category, for a maximum load upto 05 kw, subject to the condition that such non-commercial place shall have a valid registration/recognition from a charitable trust."

further proposal for "Goshalas-Cowshed" shall remain same as proposad in original petition. submitted for the consideration of Hon'ble Commission.

Unquote

The Commission again held a hearing in the matter on December 11, 2018. The Licensee reiterated their submissions made vide letter dated October 30, 2018, as stated above. Mr. Avadesh Kumar Verma also submitted that he had no objections on the same.

Commission's Direction:

The Commission approves tha amendment/addition in the "Applicability" of Rate schedules of LMV-1 and LMV-5 categories as detailed below:-

1. LMV-1 :

The existing clause in the rate schedule for LMV-1 is as follows:-

Quote

RATE SCHEDULE LMV-I

"1. APPLICABILITY

This schedule shall apply to:

a) Premises for residential/domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, Orphanages, Old age homes. Institutions run for mentally retarded and forsaken children.

b) .....

.....

Unquote

The above existing clause in the rate schedule for LMV-I may be read as shown below:-

Quote

RATE SCHEDULE LMV-I

"1. APPLICABILITY

This schedule shall apply to:

a) Premises for residential/domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, Orphanages, Old age homes. Institutions run for mentally retarded and forsaken children non commercial places occupied by religious persons, of any religion, are also entitled in this category, for a maximum load up to 5 kW, subject to the condtion that such non-commercial place shall have a valid registration/recognition from a charitable trust.....

b).....

.....

Unquote

2. LMV-5 :

The existing clause in the rate schedule for LMV-5 is as shown below:-

Quote

RATE SCHEDULE LMV-5 : SMALL POWER FOR PRIVATE TUBE WELLS/PUMPING SETS FOR IRRIGATION PURPOSES:

"1. APPLICABILITY

This schedule shall apply to all power consumers getting supply as per Rural/Urban Schedule for Private Tube-wells/Pumping Sets for irrigation purposes having a contracted load up to 25 BHP and for additional agricultural processes confined to Chaff-Cutter, Thresher, Cane Crusher and Rice Huller. All new connections under this category shall necessarily have the ISI marked energy efficient mono-bloc pump sets with capacitors of adequate rating to qualify for the supply. All existing pump sets shall be required to install capacitors of adequate rating.

.....

Unquote

The above existing clause in the rate schedule for LMV-5 may be read as shown below:-

Quote

RATE SCHEDULE LMV-5 : SMALL POWER FOR PRIVATE TUBE WELLS/PUMPING SETS FOR IRRIGATION PURPOSES:

"1. APPLICABILITY

This schedule shall apply to all power consumers getting supply as per Rural/Urban Schedule for Private Tube-wells/Pumping Sets for irrigation purposes having a contracted load up to 25 BHP and for additional agricultural processes confined to Chaff-Cutter, Thresher, Cane Crusher and Rice Huller. This schedule shall also be applicable for separate PTW connection for registered Goshalas for load up to 5 BHP having separate light and fan connection with the condition that such Gaushala-Cow shed shall not be used for commercial purpose. *All new connections under this category shall necessarily have the ISI marked energy efficient mano-bloc pump sets with capacitors of adequate rating to qualify for the supply. All existing pump sets shall be required to install capacitors of adequate rating.*

.....

Unquote

The Same should be incorporated in the Rate-Schedule of the Tariff Orders for FY 2018-19 to be issued shortly.

The petition is disposed of.

Kaushal Kishore Sharma	**Suresh Kumar Agrawal**	**Raj Pratap Singh**
Member	Member	Chairman

Place : Lucknow

Dated: 12 December, 2018

(नत्थी ख)

अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर पीछे पृष्ठ-50 पर देखिये

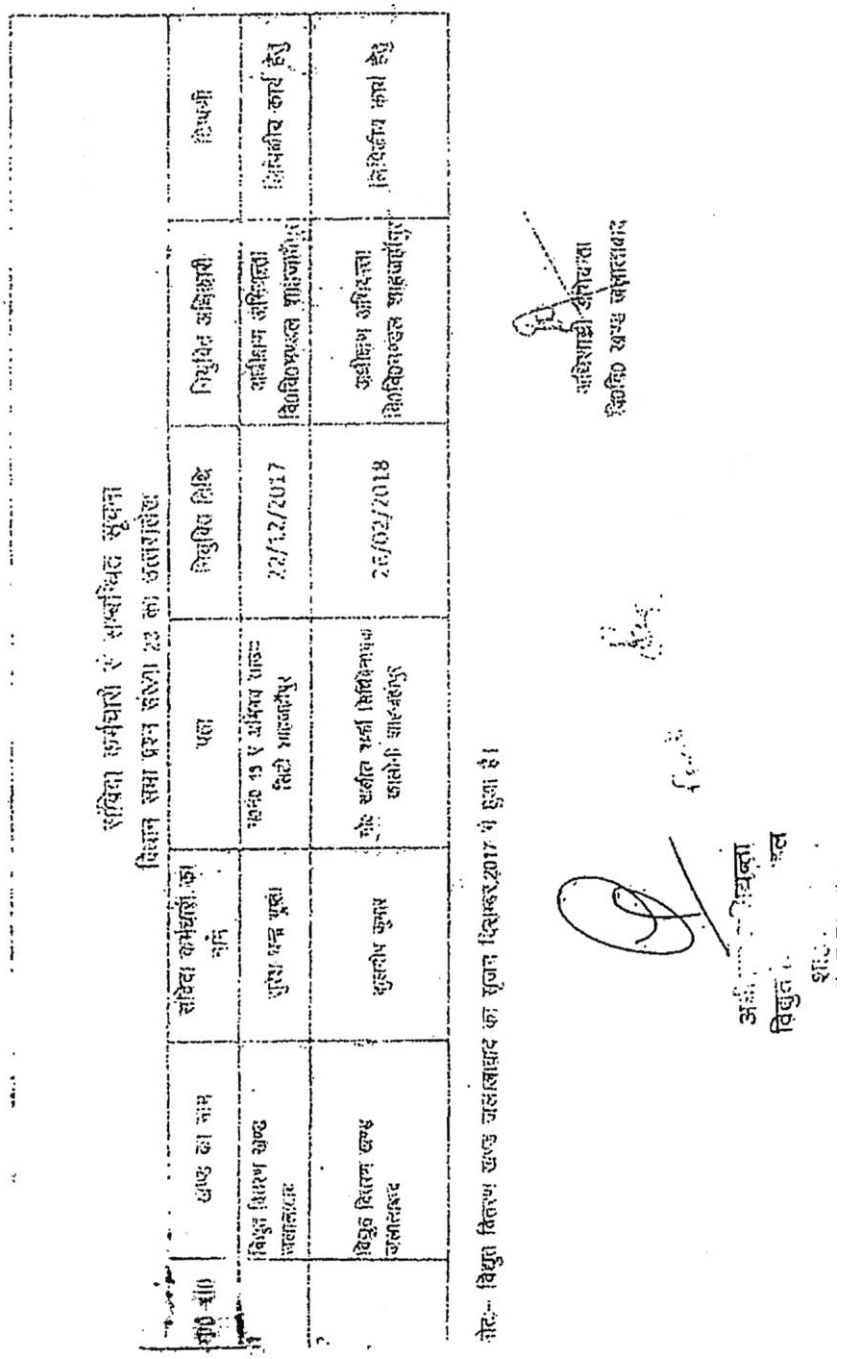

संविदा कर्मचारी के आश्रितों की सूचना

वित्तीय वर्ष 2017-18 का अनुरोध

क्रम सं0	खण्ड का नाम	संविदा कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति अधिकारी	टिप्पणी
1.	विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर	पुरुष पद पूर्ति	जनपद में रिक्त पद बलरामपुर	22/12/2017	अधीक्षण अभियन्ता विद्युतवितरण बलरामपुर	विभागीय कार्य हेतु
2.	विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर	दुखहरण कुमार	मृत कर्मचारी के आश्रित जायसी अमेठी	26/02/2018	अधीक्षण अभियन्ता विद्युतवितरण अमेठी	विभागीय कार्य हेतु

नोट:- विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर का गठन दिसम्बर,2017 में हुआ है।

अधिशासी अभियन्ता
वि0वि0 खण्ड जगदीशपुर

अधि... विद्युत...

(नत्थी ग)

अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ-58 पर देखिये

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, गौरीगंज के अन्तर्गत नियमित एस0एस0ओ0 की सूची

क0सं0	नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल
1	श्री जितेन्द्र पटेल	एस0एस0ओ0	गौरीगंज तहसील
2	श्री अर्जुन कुमार	एस0एस0ओ0	गौरीगंज तहसील
3	मो0 सलीम	एस0एस0ओ0	गौरीगंज
4	श्री ओम प्रकाश	एस0एस0ओ0	गौरीगंज
5	श्री कौशल कुमार	एस0एस0ओ0	गौरीगंज तहसील
6	श्री कुलदीप कुमार	एस0एस0ओ0	मुसाफिरखाना तहसील
7	श्री अशोक कुमार	एस0एस0ओ0	ज्ञानी
8	श्री राजकुमार	एस0एस0ओ0	मुसाफिरखाना तहसील
9	श्री परमानन्द	एस0एस0ओ0	मुसाफिरखाना तहसील
10	श्री इजहार हुसैन	एस0एस0ओ0	मुसाफिरखाना तहसील
11	श्री हरिकिशोर तिवारी	एस0एस0ओ0	अमेठी
12	श्री विजय कुमार श्रीवास्वत	एस0एस0ओ0	अमेठी
13	श्री राकेश कुमार मिश्रा	एस0एस0ओ0	अमेठी
14	श्री मोहनलाल जायसवाल	एस0एस0ओ0	एच.ए.एल.
15	श्री विजय कुमार यादव	एस0एस0ओ0	अमेठी
16	श्री सहदेव यादव	एस0एस0ओ0	एच.ए.एल.
17	श्री ओम प्रकाश	एस0एस0ओ0	अमेठी
18	श्री कन्हैयालाल	एस0एस0ओ0	एच.ए.एल.
19	श्री प्रभात कुमार	एस0एस0ओ0	नेदुआ
20	श्री मो0 अनवर	एस0एस0ओ0	अमेठी
21	श्री सुदीप कुमार	एस0एस0ओ0	अमेठी
22	श्री कर्मजीत यादव	एस0एस0ओ0	नादर
23	श्री वीरेन्द्र कुमार	एस0एस0ओ0	अमेठी
24	श्री संतोष कुमार गुप्ता	एस0एस0ओ0	बेनीपुर
25	श्री उदयभान यादव	एस0एस0ओ0	बेनीपुर
26	श्री मो0 नसीम	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
27	श्री अशोक कुमार	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर

28	श्री रामरतन	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
29	श्री दीनदयाल	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
30	श्री रामशरण	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
31	श्री हरिलाल	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
32	श्री रवि सिंह	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
33	श्री राजेश कुमार यादव	एस0एस0ओ0	जगदीशपुर
34	श्री खलील अहमद	एस0एस0ओ0	फुरसतगंज
35	श्री अमर बहादुर	एस0एस0ओ0	मोहनगंज
36	श्री शकील अहमद	एस0एस0ओ0	जायस
37	श्री संजय कुमार	एस0एस0ओ0	तिलोई
38	मो0 अख्तर	एस0एस0ओ0	मोहनगंज
39	श्री दयालदीन	एस0एस0ओ0	जायस
40	मो0 शफीक	एस0एस0ओ0	तिलोई
41	मो0 मोकीम अहमद	एस0एस0ओ0	जायस
42	मो0 इमरान	एस0एस0ओ0	जायस
43	श्री कुलदीप कुमार पासवान	एस0एस0ओ0	तिलोई
44	श्री दिलीप कुमार सिंह	एस0एस0ओ0	तिलोई

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, गौरीगंज के अन्तर्गत नियमित लाईनमैन की सूची

क्र0सं0	नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल
1	श्री राजेश कुमार मौर्या	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र गौरीगंज
2	श्री ओम प्रकाश	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र गौरीगंज
3	श्री अंजनी कुमार	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मुसाफिरखाना
4	श्री रामधन	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र अमेठी
5	श्री गंगादीन	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जगदीशपुर
6	श्री हरिश्चन्द्र	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जगदीशपुर
7	श्री अजय कुमार तिवारी	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जगदीशपुर
8	मो0 जाकिर अली	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र फुरसतगंज
9	श्री रामनारायण	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तिलोई
10	मो0 रईस अहमद	लाईनमैन	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तिलोई

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल गौरीगंज जनपद–अमेठी के अर्न्तगत वाह्य एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सूची

क्र0सं0	वाह्य एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिक का नाम	तैनाती उपकेन्द्र का नाम
1	श्री धनवीर सिंह	उपकेन्द्र गौरीगंज
2	श्री बसन्त लाल	
3	श्री राम नरायन	
4	श्री श्रीराम	
5	श्री मनोज	
6	श्री रामपाल	
7	श्री अशोक कुमार	
8	श्री दिलीप कुमार	
9	श्री रामू	
10	श्री अभय राज	उपकेन्द्र गौरीगंज तहसील
11	श्री जगन्नाथ	
12	श्री मेहेश	
13	श्री सिराज	उपकेन्द्र जामों
14	श्री वृजपाल	
15	श्री संजय कुमार	
16	श्री कृष्ण कुमार	
17	श्री समर बहादुर	
18	श्री अंकित पाण्डेय	
19	श्री हिमांशु	उपकेन्द्र वरनाटीकर
20	श्री असलम	
21	श्री हरीराम वर्मा	
22	श्री मनोज यादव	उपकेन्द्र मुसाफिरखाना
23	श्री चकेश	
24	श्री महेश	
25	श्री सत्यप्रकाश	
26	श्री प्रवेज अहमद	
27	श्री राम कुमार	
28	श्री रवि पाण्डेय	उपकेन्द्र मुसाफिरखाना तहसील
29	श्री नरेन्द्र तिवारी	
30	श्री गिरवर गोपाल	
31	श्री मनोज कुमार	
32	श्री प्रदीप कुमार यादव	
33	श्री गोविन्द	
34	श्री विकास मिश्रा	
35	श्री शिव कुमार	
36	श्री अनिल तिवारी	
37	श्री गया प्रसाद यादव	उपकेन्द्र बहोरखा
38	श्री रामजस यादव	
39	श्री राजेश कुमार	
40	श्री रामपाल	उपकेन्द्र पनियार
41	श्री महेन्द्र यादव	
42	श्री ऊदल	

43	श्री राम चन्दर	उपकेन्द्र थांरी
44	श्री गुरू चरन	
45	श्री अजय सिंह	
46	भारत सिंह	उपकेन्द्र अंगेठी
47	राधेश्याम गुप्ता	
48	प्रदीप कुमार	
49	प्रेम कुमार सरोज	
50	हरी लाल	
51	दिलीप कुमार यादव	
52	जयसिंह	उपकेन्द्र वेनीपुर
53	अखिलेश कुमार मौर्य	
54	कन्धई प्रसाद	
55	राधे मोहन तिवारी	
56	रामदेव यादव	
57	अली रजा (राजू)	
58	हंसराज पाल	
59	उसमान अली	
60	गजेन्द्र सिंह	उपकेन्द्र पीथीपुर
61	अनुराग सिंह	
62	राम चन्द्र	
63	रमाशंकर	
64	राम खेलावन यादव	
65	हरी लाल	
66	अवधेश यादव	
67	प्रमोद यादव	
68	दीपक कुमार	
69	रामकुमार	
70	काशी प्रसाद	
71	छविराम	
72	सन्दीप कुमार	
73	शिव सागर	
74	अभिषेक तिवारी	
75	श्री धर्मराज	उपकेन्द्र भेटुआ
76	श्री जहॉगीर	
77	श्री रामरतन	
78	श्री अजय	
79	श्री संतोष सिह	
80	श्री शुभम श्रीवास्तव	
81	श्री महेन्द्र कुमार	
82	श्री रंजीत कुमार	

83	श्री सुगेर गुप्ता	उपकेन्द्र वड़गावं
84	श्री ओमप्रकाश मौर्य	
85	श्री रामसुख	
86	श्री रामू वर्मा	
87	श्री वालेन्द्र शर्मा	
88	श्री राजेन्द्र मिश्रा	
89	श्री धमेन्द्र गुप्ता	उपकेन्द्र एच0ए0एल0
90	श्री फूलचन्द्र यादव	
91	श्री कलीम अहमद	
92	श्री रागदेव यादव	
93	श्री राममिलन वैश्य	
94	श्री करिया	उपकेन्द्र भादर
95	श्री कृष्णा	
96	श्री रियासत	
97	श्री रमेश	
98	श्री विकास	
99	श्री उदय राज मौर्य	
100	श्री त्रिवेणी प्रसाद	
101	श्री अरविन्द शर्मा	
102	श्री करन यादव	
103	श्री दयासुख	
104	श्री शिववहादुर	
105	श्री सुनील कुमार गुप्ता	उपकेन्द्र इन्होना
106	श्री सुरेश कुमार यादव	
107	श्री धुव्रलाल यादव	
108	श्री राम सुरेश त्यागी	
109	श्री दया राम	
110	श्री राम मिलन	
111	श्री रामजस	औद्योगिक क्षेत्र रोड नं0 1 उपकेन्द्र व रोड नं0 4 जगदीशपुर
112	श्री पप्पू	
113	श्री हरीराम	
114	श्री राकेश कुमार	
115	मानवेन्द्र	
116	अनुज	
117	श्री सुशील कुमार	
118	श्री बजेश कमार शक्ला	उपकेन्द्र शुकुल बाजार
119	श्री माता प्रसाद मौर्या	
120	श्री भवानी शंकर ओझा	
121	श्री जागेश्वर	
122	श्री प्रेम नाथ	
123	श्री आशीष सिंह	उपकेन्द्र महोना
124	श्री विजेन्द्र सिंह	
125	श्री भोला सिंह	
126	श्री राम कैलश	
127	श्री इबरार	
128	श्री अमरेश श्रीवास्तव	

129	श्री विजय कुमार मिश्रा	उपकेन्द्र जगदीशपुर
130	श्री केदार नाथ यादव	
131	श्री राम केवल यादव	
132	श्री हरीनाथ	
133	श्री सूर्य प्रताप	
134	श्री घन श्याम	
135	श्री जगजीवन प्रसाद	
136	श्री विजय कुमार	
137	श्री छोटे लाल	
138	श्री शिवप्रसाद	
139	श्री पारसनाथ	उपकेन्द्र मोहनगंज
140	श्री राम नारायन	
141	श्री श्रवण कुमार	
142	श्री दिलीप	उपकेन्द्र तिलोई
143	श्री हरीचन्द्र	
144	श्री रमेश कुमार	
145	रसीद अहमद	उपकेन्द्र जायस
146	शिवनाथ	
147	मो० जमील	
148	मो० अफरोज	
149	श्री जयराम यादव	
150	अनिल कुमार	
151	श्री अंजनी कुमार	
152	श्री सुभम तिवारी	
153	श्री राजेन्द्र सोनकर	
154	श्री राम प्रकाश	उपकेन्द्र फुरसतगंज
155	श्री राम नारायन	
156	श्री राकेश	
157	श्री रमेश	
158	श्री शिव कुमार	
159	श्री राधे श्याम	
160	श्री राहुल सिंह	
161	श्री जगदीश	
162	श्री मक़सूद आलम	
163	श्री राजेन्द्र वहादुर सिंह	उपकेन्द्र सेमरौता
164	श्री राम प्यारे	
165	श्री राम बहदुर	
166	श्री राज बहादुर	
167	श्री दिनेश कुमार	
168	श्री जगदेव	
169	श्री सत्य नाम	
170	श्री जग प्रसाद	
171	श्री छोटे लाल	

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल गौरीगंज जनपद अमेठी के अन्तर्गत वाह्य एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सूची

क0सं0	वाह्य एजेन्सी के माध्यम से उपलपब्ध कराये गये कार्मिक का नाम	तैनाती उपकेन्द्र का नाम
1	श्री शिवम् तिवारी	गौरीगंज
2	श्री मुकेश कुमार सिंह	गौरीगंज
3	श्री विजय कुमार पाण्डेय	गौरीगंज
4	श्री जिवेश तिवारी	गौरीगंज
5	श्री उमेश दूवे	जामों
6	श्री प्रदीप सिंह	जामों
7	श्री दीपक कुमार मिश्रा	जामों
8	श्री नीरज सिंह	जामों
9	श्री विजय शुक्ला	बरनाटीकर
10	श्री राम तीरथ	बरनाटीकर
11	श्री हारीराम मौर्य	बरनाटीकर
12	श्री जय करन वर्मा	बरनाटीकर
13	श्री विनय दूवे	मुसाफिरखाना
14	श्री शेर बहादुर	मुसाफिरखाना
15	श्री ओम प्रकाश	मुसाफिरखाना
16	श्री अरविन्द कुमार	मुसाफिरखाना
17	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	बहोरखा
18	श्री रमाशंकर मिश्रा	बहोरखा
19	श्री महेश कुमार	बहोरखा
20	श्री श्रवण कुमार	बहोरखा
21	श्री रंजीत यादव	पनियार
22	श्री गंगाराम	पनियार
23	श्री नीरज श्रीवास्तव	पनियार
24	श्री रमेश	पनियार
25	श्री संजय सिंह	थौरी
26	श्री अभय सिंह	थौरी
27	श्री रमेश	थौरी
28	श्री सत्यम् श्रीवास्तव	थौरी
29	उमाकान्त मौर्य	अमेठी
30	राधेश्याम मौर्य	अमेठी
31	गौरव कुमार	अमेठी
32	रवीन्द्र कुमार पाल	वेनीपुर
33	अशीष कुमार तिवारी	वेनीपुर

34	दियान्शु श्रीवास्तव	बेनीपुर
35	मोहित शर्मा	बेनीपुर
36	राममूरत यादव	बेनीपुर
37	सूर्य प्रकाश शर्मा	पीथीपुर
38	कमलेश पाण्डेय	पीथीपुर
39	अरूण कुमार मिश्रा	पीथीपुर
40	श्री आलोक सिंह	एच0ए0एल0
41	श्री दिलीप सिंह	एच0ए0एल0
42	श्री भगवान बक्श सिंह	एच0ए0एल0
43	श्री सौरभ तिवारी	एच0ए0एल0
44	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	बडगांव
45	श्री रजवन्त राव विकम	बडगांव
46	श्री प्रदीप कुमार यादव	बडगांव
47	श्री करूणेश मौर्य	बडगांव
48	श्री अनिल त्रिपाठी	एच0ए0एल0
49	श्री संतोष पाण्डेय	एच0ए0एल0
50	श्री रोहित मिश्रा	एच0ए0एल0
51	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	बडगांव
52	श्री महेन्द्र सिंह	बडगांव
53	श्री राजबहादुर पाल	बडगांव
54	श्री दिनेश कुमार	भेटुआ
55	श्री वेद प्रकाश	भेटुआ
56	श्री अशोक कुमार	भेटुआ
57	श्री अवनीश सिंह	भेटुआ
58	श्री जोखूराम	भेटुआ
59	श्री घनश्याम	भेटुआ
60	श्री आदित्य	भेटुआ
61	श्री पंकज सिंह	भेटुआ
62	श्री आदित्य प्रकाश मौर्य	भादर
63	श्री विनय कुमार सिंह	भादर
64	श्री रामअभिलाख पाल	भादर
65	श्री अजीत कुमार	भादर
66	श्री संजय कुमार	भादर
67	श्री विजय कुमार	भादर
68	श्री विद्यानन्द पाण्डेय	इन्हौना
69	श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह	इन्हौना
70	श्री अरविन्द	इन्हौना
71	श्री राम कुमार	जगदीशपुर रोड नं0 1 एवं 04
72	श्री राजेन्द्र कुमार	जगदीशपुर रोड नं0 1 एवं 04
73	श्री शिव प्रसाद सिंह	जगदीशपुर रोड नं0 1 एवं 04

74	श्री महेन्द्र कुमार	जगदीशपुर रोड नं0 1 एवं 04
75	श्री रामनरायन	जगदीशपुर रोड नं0 1 एवं 04
76	श्री सुधीर कुमार मिश्रा	शुकुलबाजार
77	श्री विजय नरायन पाण्डेय	शुकुलबाजार
78	श्री सलिक राम मौर्या	शुकुलबाजार
79	श्री शम्भूशरण	शुकुलबाजार
80	श्री अमरनाथ तिवारी	महोना
81	श्री लेखराज	महोना
82	श्री जितेन्द्र कुमार	महोना
83	श्री उदित राम	जगदीशपुर
84	श्री दलबहादुर यादव	जगदीशपुर
85	श्री राम प्रकाश	जगदीशपुर
86	श्री अमित मिश्रा	जगदीशपुर
87	श्री राम सागर	जगदीशपुर
88	श्री राम सुमिरन	जगदीशपुर
89	श्री मो0 इस्लाम	जगदीशपुर
90	श्री राधे श्याम	जगदीशपुर
91	श्री रश्मि मोहन चौरसिया	मोहनगंज
92	श्री अमित कुमार मिश्र	मोहनगंज
93	श्री शफीक अहमद	मोहनगंज
94	श्री अशोक कुमार	मोहनगंज
95	श्री अभिषेक सिंह	मोहनगंज
96	श्री राम कृपाल	मोहनगंज
97	श्री विनय पाण्डेय	जायस
98	श्री कार्तिकेय सिंह	जायस
99	श्री उमेन्द्र प्रताप	जायस
100	श्री अशोक कुमार	जायस
101	श्री आशुतोष सिंह	फुरसतगंज
102	श्री आशीष कुमार सिंह	फुरसतगंज
103	श्री औएश	फुरसतगंज
104	श्री विजय कुमार चौबे	फुरसतगंज
105	श्री लाल मणि	सेमरौता
106	श्री नरकेश	सेमरौता
107	श्री सूर्य प्रकाश	सेमरौता

अधीक्षण अभियन्ता

नत्थी (घ)

अतारांकित प्रश्न संख्या-54 का उत्तर पीछे पृष्ठ-63 पर देखिये

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों की कार्यपूर्णता/ऊर्जीकरण की मासिक प्रगति

(01.03.2017 से 30.11.2018 तक)

दिनांक 12.12.

क्रम सं0	जनपद का नाम	33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	कुल क्षमता (एमवीए)	ऊर्जीकरण की तिथि	योजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	गरथौली	1×5	5	21.09.17	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
2	वाराणसी	रज्जीपुर	1×5	5	29.12.17	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
3	वाराणसी	बेटावर	1×5	5	19.02.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
4	वाराणसी	कफ्हना	1×5	5	31.03.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
5	वाराणसी	चौकि	2×10	20	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
6	वाराणसी	कण्ज्याकपुरा	2×10	20	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
7	वाराणसी	कुरसातो	1×5	5	31.05.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण।
8	वाराणसी	करौता	1×5	5	22.10.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण।
9	चन्दौली	बनौली	1×5	5	31.03.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
10	चन्दौली	रमौली	1×5	5	10.11.17	विजन-2016	कार्य पूर्ण।
11	चन्दौली	मुगलसराय	2×5	10	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
12	चन्दौली	चन्दौली	1×5	5	29.05.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
13	जौनपुर	खेतासराय	1×5	5	23.01.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
14	जौनपुर	जफराबाद	1×5	5	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
15	जौनपुर	पट्टी नरेन्द्रपुर	1×5	5	21.12.17	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
16	जौनपुर	अलीगंज (फुलना मऊ) (मुस्ताफाबाद)	1×5	5	13.04.17	विजन-2016	कार्य पूर्ण।
17	जौनपुर	लेदुका	1×5	5	07.11.17	विजन-2016	कार्य पूर्ण।
18	जौनपुर	कमली केराकत	1×5	5	12.04.18	बिजनेस प्लान (2010-11)	कार्य पूर्ण।
19	जौनपुर	उतराई	1×5	5	26.04.18	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
20	जौनपुर	गोपालापुर	1×5	5	02.08.18	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
21	गाजीपुर	बहादुरगंज	1×5	5	28.01.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।

1	जनपद का नाम	33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	कुल क्षमता (एमवीए)	कार्यान्वयन की तिथि	योजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
22	गाजीपुर	देवलपुर	1×5	5	07.03.18	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण ।
23	गाजीपुर	जंगीपुर	1×5	5	26.05.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
24	गाजीपुर	गोविन्दपुर	1×5	5	11.06.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण ।
	वाराणसी क्षेत्र का योग–			**155**			
25	मीरजापुर	सक्तेसगढ़	1×5	5	16.01.18	विजन–2016	कार्य पूर्ण ।
26	मीरजापुर	चुनार	2×5	10	28.02.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
27	मीरजापुर	महामलपुर	1×5	5	25.03.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण ।
28	मिर्जापुर	लहंगपुर	1×5	5	13.04.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण ।
29	सोनभद्र	कुण्डाडीह	1×5	5	10.02.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण ।
30	सोनभद्र	ऐल्बाडीह	1×5	5	24.02.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण ।
31	सोनभद्र	खिरुलगंज	1×5	5	10.06.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण ।
32	सोनभद्र	ओबरा टाउन	1×5	5	26.06.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
33	सोनभद्र	धुवास	1×5	5	05.08.18	विजन–2016	कार्य पूर्ण ।
34	सोनभद्र	जवारीडाड	1×5	5	11.08.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण ।
35	सोनभद्र	करवनखां	1×5	5	31.10.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण ।
36	संतरविदासनगर	खमरिया	1×5	5	31.05.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
	मिर्जापुर क्षेत्र का योग–			**65**			
37	इलाहाबाद	सोरांव	1×5	5	15.04.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण ।
38	इलाहाबाद	नवाँ आइमा टाउन	2×5	5	02.06.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण ।
39	इलाहाबाद	हंडिगन	1×5	5	24.09.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण ।
40	इलाहाबाद	फूलपुर	1×5	5	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
41	इलाहाबाद	सिरसा–2	2×5	10	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
42	इलाहाबाद	एनआईसी–2 सैनी	2×5	10	30.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
43	इलाहाबाद	फाफामऊ	2×5	10	28.01.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
44	इलाहाबाद	कसारी मसारी	2×5	10	27.02.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
45	इलाहाबाद	सुलेम सराय	2×5	10	28.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
46	इलाहाबाद	पीएसी0 हथगाम (बमरौली)	2×5	10	31.03.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।
47	इलाहाबाद	पावर हाउस	2×5	10	28.04.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण ।

1	जनपद का नाम	33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	कुल क्षमता (एमवीए)	ऊर्जीकरण की तिथि	योजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
48	इलाहाबाद	पावर हाउस–2 (यमुपुर)	2×5	10	27.05.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
49	इलाहाबाद	सिरसा–1	2×5	10	30.06.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
50	इलाहाबाद	नीरापुर– कल्याणी देवी (हण्डिया)	1×5	5	28.06.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
51	इलाहाबाद	झूसी (कोहना)	2×5	10	31.07.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
52	कौशाम्बी	देवखण्ड	1×5	5	26.10.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
53	कौशाम्बी	अजुहां	1×5	5	30.04.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
54	कौशाम्बी	मरवारी	1×5	5	28.05.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
55	फतेहपुर	महिचामन्दिर	1×5	5	30.05.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
56	फतेहपुर	दतौली	1×5	5	25.08.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
57	फतेहपुर	खुटियानी	1×5	5	16.09.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
58	फतेहपुर	भेरुई	2×5	10	29.08.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
59	प्रतापगढ़	धौमा	1×5	5	15.05.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
		इलाहाबाद क्षेत्र का योग–		170			
60	गोरखपुर	नैयापार	1×5	5	31.01.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
61	गोरखपुर	हरपुर अनन्तपुर	1×5	5	24.03.18	डीडीयूजीजेवाई0	कार्य पूर्ण।
62	गोरखपुर	रामडीनगर	2×5	10	30.01.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
63	गोरखपुर	मुण्डेरा बाजार	2×5	10	30.04.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
64	गोरखपुर	धर्मशाला	2×5	10	25.06.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
65	महराजगंज	नुजुरी	1×5	5	06.09.2018	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण।
66	देवरिया	बरहज	1×5	5	18.07.17	तहसील मुख्यालय	कार्य पूर्ण।
67	देवरिया	मझौलीराज	1×5	5	08.06.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
68	देवरिया	तोलियाकला	1×5	5	12.06.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
69	देवरिया	खैराबनुऔर	1×5	5	30.11.17	विजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
70	कुशीनगर	सेवरही	2×5	10	27.02.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
71	कुशीनगर	खड्डा	1×5	5	29.04.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।
72	कुशीनगर	कप्तानगंज (ग्रामीण)	2×5	10	05.06.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण।
73	कुशीनगर	निदहायक बैरिया	1×5	5	04.06.18	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
74	कुशीनगर	पडरौना	1×10	10	30.08.18	आईपीडीएस0	कार्य पूर्ण।

	जनपद का नाम	33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	कुल क्षमता (एमवीए)	ऊर्जीकरण की तिथि	योजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	गोरखपुर क्षेत्र का योग–			**105**			
75	सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	1×5	5	30.07.17	तहसील मुख्यालय	कार्य पूर्ण।
76	बस्ती	बस्ती पालीटेकनिक	1×5	5	27.05.18	आई0पी0डी0एस0	कार्य पूर्ण।
77	बस्ती	मालवीय नगर	1×5	5	05.09.18	आर0ए0पी0डी0आर0पी0	कार्य पूर्ण।
78	सिद्धार्थनगर	बेलवा	1×5	5	30.04.18	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
	बस्ती क्षेत्र का योग–			**20**			
79	आजमगढ़	सगड़ी	1×5	5	06.11.17	तहसील मुख्यालय	कार्य पूर्ण।
80	आजमगढ़	सहदेवगंज	1×5	5	02.11.17	बिजनेस प्लान	कार्य पूर्ण।
81	आजमगढ़	आजमगढ़ टाउन–1	1×5	5	28.02.18	आई0पी0डी0एस0	कार्य पूर्ण।
82	आजमगढ़	मुबारकपुर	1×5	5	28.03.18	डी0डी0यू0जी0जे0वाई0	कार्य पूर्ण।
83	आजमगढ़	बरईपुर	1×5	5	07.10.18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा	कार्य पूर्ण।
84	मऊ	घोसी	1×5	5	15.09.17	तहसील मुख्यालय	कार्य पूर्ण।
85	मऊ	सरसेना (हिरनपुर)	1×5	5	29.09.17	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
86	मऊ	दोहरीघाट	1×5	5	27.02.18	आई0पी0डी0एस0	कार्य पूर्ण।
87	मऊ	महुआर	1×5	5	23.10.18	विजन–2016	कार्य पूर्ण।
88	बलिया	बांसडीह	1×5	5	31.12.17	तहसील मुख्यालय	कार्य पूर्ण।
89	बलिया	दिघर	1×5	5	31.08.18	डीडीयूजीजेवाई(नवीन)	कार्य पूर्ण।
	आजमगढ़ क्षेत्र का योग–			**55**			
	कुल योग–			**570**			

12/12

मुख्य अभियन्ता
(डी0डी0यू0जी0जे0वाई)
यू0 पि0 पि0 नि0 लि0

नत्थी (ङ)

अतारांकित प्रश्न संख्या-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ-67 पर देखिये

SR. NO.	BLOCK	VILLAGE	CENSUS CODE	HABITATIONS	25 kva T/f	16 kva T/f	10 kva T/f
1	Jaitipur	Damiyana	133547	DAMIYANA	1	1	1
2	Jaitipur	Binaura Binauria	133521	BINAURA BINAURIA	1	2	2
3	Jaitipur	Gogepur	133630	GOGEPUR	1	1	1
4	Jaitipur	Jagdishpur	133524	JAGDISHPUR	1	1	3
5	Jaitipur	Jaltipur	133539	JAITIPUR	1	1	1
6	Jaitipur	Jiginiya	133545	JIGINIYA	1	1	1
7	Jaitipur	Karkaur	133541	KARKAUR	1	2	2
8	Jaitipur	Khempur	133520	KHEMPUR		1	1
9	Jaitipur	Malariya Mirzapur	133624	MALARIYA MIRZAPUR		1	1
10	Jaitipur	Naugaua Govindpur	133533	NAUGAUA GOVINDPUR		1	1
11	Jaitipur	Palihura	133546	PALIHURIA		3	1
12	Jaitipur	Pidaria	133626	PIDARIA		1	2
13	Jaitipur	Shankarpur Pitrihal	133623	BIHARIA		1	1
14	Jaitipur	Shikarpur	133526	SHIKARPUR		1	1
15	Jaitipur	Sunaura Rampur	133616	MADHU PURA		1	1
16	Jaitipur	Sunaura Rampur	133616	LUXMAN NAGLA		2	1
17	Jaitipur	Banthara Urf Nagla	133637	BIHARIPUR KHURD		1	1
18	Jaitipur	Madrua Patti Awa	133536	MADRUA PATTI AWA		1	3
19	Jaitipur	Rajpura	133510	RAJPUR	1	1	1
20	Jaitipur	Abhaipur Sanda	133622	ABHAIPUR SANDA	1	3	1
21	Jaitipur	Abhaipur Sanda	133622	Abhaipur	1	1	1
22	Jaitipur	Abhaipur Sanda	133622	BILGARI		1	4
23	Jaitipur	Achintapur	133607	ACHINTAPUR		1	1
24	Jaitipur	Agrola	133514	AGROLA		1	1
25	Jaitipur	Agroli	133515	AGROLI		2	1
26	Jaitipur	Alampur	133527	ALAMPUR		1	1
27	Jaitipur	Ali Akabarpur	133543	ALI AKABARPUR		1	2
28	Jaitipur	Amreri	133588	SOSTINAGLA		1	1
29	Jaitipur	Amreri	133588	AMRERI		1	1
30	Jaitipur	Amreri	133588	KAZI GAUTIYA	1	3	1
31	Jaitipur	Anandpur Sarenda	133638	ANANDPUR SARENDA	1	1	3
32	Jaitipur	Awa	133567	AWA	1	1	1
33	Jaitipur	Bahanpur	133509	BAHANPUR	1	1	1
34	Jaitipur	Baisara Baisari	133497	NAGRIA	1	1	1
35	Jaitipur	Baisara Baisari	133497	BAISARI BAISARA		3	1
36	Jaitipur	Baisara Baisari	133497	KHAMRIA		1	1
37	Jaitipur	Bajhera Bhagvanpur	133522	BAJHERA BHAGBANPUR		1	1
38	Jaitipur	bakharpur t pidaria	133625	bakharpur t pidaria		1	1
39	Jaitipur	balrampur	133639	balrampur		2	1
40	Jaitipur	Bandla Kala	133551	TEJIGAUTIA		1	1
41	Jaitipur	Bandla Kala	133551	HIMATPUR		1	1
42	Jaitipur	Bandia Kala	133551	BANDIA KALA		1	3
43	Jaitipur	Bandiya Khurd	133552	BANDIYA KHURD		1	1
44	Jaitipur	Banthara Urf Nagla	133637	BANTHARA URF NAGLA		1	1
45	Jaitipur	banthari	133640	banthari	1	1	1
46	Jaitipur	banthari	133640	Shahab ganj	1	1	1
47	Jaitipur	bar khera ghat	133641	bar khera ghat	1	1	1
48	Jaitipur	Bari Prasidhpur	133572	BARI PRASIDHPUR	1	2	1
49	Jaitipur	Bari Prasidhpur	133572	PRISHID PUR	1	1	2
50	Jaitipur	Bauri	133648	RAM NAGER		1	1
51	Jaitipur	Bauri	133648	CHANDPUR		1	1

52	Jaitipur	Bauri	133648	BAURI		1	1
53	Jaitipur	Bauri	133648	ADEYPUR		1	1
54	Jaitipur	Bauri	133648	RAGHUNNATHPUR	1	3	1
55	Jaitipur	Bauri	133648	NARHA	1	1	1
56	Jaitipur	Behata Muradpur	133491	BEHATA MURADPUR	1	1	3
57	Jaitipur	Behta Khas	133494	BEHTA KHAS		1	1
58	Jaitipur	Behta Khas	133494	MAZARA		1	1
59	Jaitipur	Bhanpura	133500	BHANPURA		1	1
60	Jaitipur	Bharal	133589	bharal		3	1
61	Jaitipur	Bharal	133589	DHOAI		1	1
62	Jaitipur	Bharal	133589	DANA GAUTIYA		1	2
63	Jaitipur	Bharal	133589	NAWAT		1	1
64	Jaitipur	Bhekhampur	133487	BHEKHAMPUR		2	1
65	Jaitipur	Bhitara	133525	BHITARA	1	1	1
66	Jaitipur	Bhuria	133537	BHURIA	1	1	1
67	Jaitipur	biharipur kota	133644	biharipur kota	1	1	1
68	Jaitipur	Biharipur Nagria	133553	BIHARIPUR NAGRIA	1	2	1
69	Jaitipur	Biharipur T. Surjupur	133501	BIHARIPUR T. SURJUPUR		1	1
70	Jaitipur	chak bakharpur	133627	chak bakharpur		1	4
71	Jaitipur	chathiya pathiya	133650	chathiya pathiya		1	1
72	Jaitipur	Dabhaura Simra	133560	DABHAURA SIMRA		1	1
73	Jaitipur	Dabhaura Simra	133560	SIMARA		2	1
74	Jaitipur	damgarha	133649	damgarha		1	1
75	Jaitipur	Dharam Ghasa	133600	THARAM GHASA		1	1
76	Jaitipur	Dharam Ghasa	133600	KISAN PURA		1	1
77	Jaitipur	Dhasa Kalyanpur	133590	DHASA KALYANPUR		3	1
78	Jaitipur	Dhasa Kalyanpur	133590	BASTI NAGALA	1	1	2
79	Jaitipur	Dhemarpura	133540	DHEMARPUR	1	1	1
80	Jaitipur	Dhuvla Karimnagar	133599	DHUVLA KARIMNAGAR	1	1	1
81	Jaitipur	Garhiya Rangeen	133592	GARHIYA RANGEEN	1	1	1
82	Jaitipur	Gauhavar	133534	GAUHAVAR		1	1
83	Jaitipur	Gora Bakainia	133498	BAKAINIA		1	3
84	Jaitipur	Gora Bakainia	133498	GORA BAKAINIA		3	1
85	Jaitipur	Govindpur	133496	GOVINDPUR		1	1
86	Jaitipur	gulriya	133629	gulriya		1	1
87	Jaitipur	Hadira Haridaspur	133502	HADIRA HARIDAPUR		1	2
88	Jaitipur	Heerpur	133490	MUKUTPUR		1	1
89	Jaitipur	Heerpur	133490	HEERPUR		2	1
90	Jaitipur	Jagat	133617	JAGAT		1	1
91	Jaitipur	Jagat Piparthana	133563	JAGAT PIPARTHANA		1	1
92	Jaitipur	Jallapur	133517	JALLAPUR	1	1	3
93	Jaitipur	Jargawan	133591	BHANYAN	1	1	1
94	Jaitipur	Jargawan	133591	KANJARH GAUTIYA	1	2	1
95	Jaitipur	Jargawan	133591	JARGAWAN	1	1	1
96	Jaitipur	Jargawan	133591	PIPER THARA	1	1	1
97	Jaitipur	Jargawan	133591	RAMPUR	1	1	4
98	Jaitipur	Jaura Patti Achal	133586	BHARTAPUR		1	1
99	Jaitipur	Jaura Patti Achal	133586	JAURA PATTI ACHAL		3	1
100	Jaitipur	Jaura Patti Chandarbh	133578	JAURA PATTI CHANDARBHAN		1	1
101	Jaitipur	Jaura Patti Chinta	133580	JAURA PATTI CHINTA		1	2
102	Jaitipur	Jaura Patti Dham	133573	JAURA PATTI DHAM		1	1
103	Jaitipur	Jaura Patti Praja	133587	PAHARHPUR		1	1
104	Jaitipur	Jaura Patti Praja	133587	JAURA PATTI PRAJA		2	1
105	Jaitipur	Jaura Patti Tantrabad	133579	JAURA PATTI TANTRABAD		1	1
106	Jaitipur	Jaura Pattichheda	133585	JAURA PATTI CHEDA		1	3

107	Jaitipur	Jujharpur	133542	JUJHARPUR		1	1
108	Jaitipur	Kanhani Deha Ahatma	133570	KANHANI AHATMALI		1	1
109	Jaitipur	Kankliya Dharampur	133495	KANKLIYA DHARAMPUR	1	1	1
110	Jaitipur	Katha	133499	KATHA	1	1	1
111	Jaitipur	Kesi Nagla	133611	KESI NAGLA	1	1	1
112	Jaitipur	khamariya	133615	navjiwan	1	1	2
113	Jaitipur	khamariya	133615	mahota maholi		1	1
114	Jaitipur	khamariya	133615	khamariya		2	1
115	Jaitipur	khamariya	133615	dhaura bara		1	4
116	Jaitipur	khamariya	133615	rohanpur		3	1
117	Jaitipur	khamariya	133615	dhaura chota		1	1
118	Jaitipur	khamariya	133615	mawa gautiya		1	1
119	Jaitipur	khamariya	133615	fulah	1	1	2
120	Jaitipur	Khera Dhasa	133593	KHERA GHASA	1	1	1
121	Jaitipur	Khera Rath	133518	KHERA RATH	1	1	1
122	Jaitipur	Khiria Ratan	133613	KHIRIA RATAN		2	1
123	Jaitipur	Khubupur	133602	KHUBUPUR		1	3
124	Jaitipur	Kiratpur	133529	KIRATPUR		1	1
125	Jaitipur	Kiratpur Bihari	133544	KIRATPUR BIHARIPUR		1	1
126	Jaitipur	kota khas	133643	bhuria		1	1
127	Jaitipur	kota khas	133643	kota khas		2	4
128	Jaitipur	kota khas	133643	bhoop gautiya		1	1
129	Jaitipur	kota khas	133643	kisan gautiya		1	2
130	Jaitipur	Kotha	133492	KOTHA		1	1
131	Jaitipur	Kuan Danda	133504	KUAN DANDA		3	1
132	Jaitipur	Kuan Danda Mohabba	133508	KUAN DANDA MOHABBAT GANG		1	1
133	Jaitipur	Kulua Bojh	133620	KULUA BOJH		1	3
134	Jaitipur	Kulua Bojh	133620	ASIAN	1	1	1
135	Jaitipur	Kuniya T. Surjupur	133503	KUNIYA T. SURJUPUR	1	1	1
136	Jaitipur	Kuniya T.Dhuwla Kala	133604	KUNIYA T.DHUWLA		3	1
137	Jaitipur	kurbanpur	133634	kurbanpur		1	1
138	Jaitipur	Lahi Khera	133489	LAHI KHERA	1	1	1
139	Jaitipur	Lohar Garhi	133558	LOHAR GARHI		1	4
140	Jaitipur	Lohar Gawan	133488	LOHAR GAWAN		1	1
141	Jaitipur	Lohar Gawan	133488	ISLAMNAGAR(NEW)		2	1
142	Jaitipur	Lohar Gawan	133488	KOTHA		1	1
143	Jaitipur	Madai	133631	MADAI		1	3
144	Jaitipur	Madai	133631	KALYANPUR		1	1
145	Jaitipur	Madar	133584	MADAR		1	1
146	Jaitipur	Madora	133619	MADOR		2	1
147	Jaitipur	Madriya	133618	MADRIYA		1	1
148	Jaitipur	Madrua Patti Marena	133535	MADRUA PATTI MARENA		1	1
149	Jaitipur	Maganpur	133530	MAGANPUR	1	1	1
150	Jaitipur	Mahmoodpur	133506	MAHMOODPUR	1	3	1
151	Jaitipur	Makrandpur	133565	MAKRANDPUR	1	1	1
152	Jaitipur	Makrandpur T. Bauri	133647	MAKRANDPUR T. BAURI	1	1	2
153	Jaitipur	Malariya Mirzapur	133624	KUNJAPUR	1	1	1
154	Jaitipur	Marena	133556	MAJHA	1	2	1
155	Jaitipur	Marena	133556	MARENA		1	1
156	Jaitipur	Marua Jhala	133505	MARUA JHALA		1	4
157	Jaitipur	Mathana	133657	MATHANA		1	1
158	Jaitipur	Mathana	133657	HUKA NAGLA		1	1
159	Jaitipur	Mauzampur Nagar	133609	MAUZAMPUR NAGAR		1	1
160	Jaitipur	Mawar	133571	MAWAR		3	1
161	Jaitipur	Meerpur	133557	MEERPUR		1	2

P.P. - Tilhar

162	Jaitipur	Mohammadpur Urf N	133645	MAHMOODABAD URF MUHAMMADP		1	1
163	Jaitipur	Muria Khera Ajamaba	133561	MURIA KHERA AJAMABAD		1	1
164	Jaitipur	Nadiaya Rampur	133493	NADIAYA RAMPUR		3	1
165	Jaitipur	Nagaria	133549	NAGARIA	1	1	1
166	Jaitipur	Nagla Deha Ahatmali	133569	NAGLA AHATMALI	1	1	1
167	Jaitipur	Nahrora	133654	NAHRORA	1	2	1
168	Jaitipur	Nardara	133652	KESAWPUR	1	1	1
169	Jaitipur	Nardara	133652	NARDARA		2	1
170	Jaitipur	Naugawan Nirottam	133575	NAUGAWAN NIROTTAM		1	1
171	Jaitipur	Navada	133516	NAVADA		1	1
172	Jaitipur	Navada Dali	133485	NAVADA DULI		1	4
173	Jaitipur	Navgawan	133614	Navgawan		1	1
174	Jaitipur	Pariyuna	133576	PARIYUNA		1	1
175	Jaitipur	Pidaria	133626	MULAIM NAGLA		1	3
176	Jaitipur	Piree	133583	PIREE		1	1
177	Jaitipur	Pohakarpur T. Surjupu	133528	POHAKARPUR T. SURJUPUR	1	1	1
178	Jaitipur	Rajpootpur Urf Chiti	133655	RAJPOOTPUR URF CHITI	1	1	4
179	Jaitipur	Rajpootpur Urf Chiti	133655	GIRDHARPUR GAUTI		1	1
180	Jaitipur	Rampur	133595	RAMPUR		1	1
181	Jaitipur	rampuria nayaura	133633	rampuria nayaura		1	1
182	Jaitipur	Raparia	133594	RAPARIA		1	1
183	Jaitipur	Rapra	133577	RAPRA		1	2
184	Jaitipur	Rasevan	133486	RASEVAN		1	1
185	Jaitipur	Rudrapur	133562	RUDRAPUR		1	1
186	Jaitipur	saidapur	133628	saidapur		1	1
187	Jaitipur	saina khera	133651	saina khera		1	1
188	Jaitipur	saina khera	133651	bilgari	1	1	3
189	Jaitipur	Sarsava	133559	Sarsava	1	1	1
190	Jaitipur	Shahabad	133621	SHAHBAD	1	1	1
191	Jaitipur	Shahabad	133621	SIVENAGAR		1	1
192	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	NEEMDANDI		1	4
193	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	ARSIYA		1	1
194	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	SHAHI	1	1	1
195	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	SANKERPUR	1	1	1
196	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	LAKHANPUR	1	1	1
197	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	SHANKARPUR PITRIHAI		1	3
198	Jaitipur	Shankarpur Pitrihai	133623	KASAVPUR		1	1
199	Jaitipur	Sikandarpur	133507	SIKANDARPUR		1	1
200	Jaitipur	Simaria Raipur	133612	SIMRIA		1	1
201	Jaitipur	Simaria Raipur	133612	SIMARIA RAIPUR		1	1
202	Jaitipur	Sondha	133635	SONDHA		1	2
203	Jaitipur	Sultanpur	133566	SULTANPUR		1	1
204	Jaitipur	Sunaura Rampur	133616	GAVTIYA	1	1	1
205	Jaitipur	Sunaura Rampur	133616	SUNAURA RAMPUR	1	1	2
206	Jaitipur	Sunaura Rampur	133616	RAMPUR	1	1	1
207	Jaitipur	Surjupur	133531	SURJUPUR		1	1
208	Jaitipur	Taharpur Jadaupur	133513	TAHARPUR JADAUPUR		1	3
209	Jaitipur	Tihee	133598	TIHEE	1	1	1
210	Katra (Khudaganj)	Babupur Buzurg	133468	BABUPUR URF NAGLA	1	1	1
211	Katra (Khudaganj)	Bajpur Kumarikha	133482	BAJPUR KUMARIKHA	1	1	1
212	Katra (Khudaganj)	Bhusauri	133480	BHUSAURI		1	1
213	Katra (Khudaganj)	Kapoorpur	133405	KAPOORPUR		1	4
214	Katra (Khudaganj)	Abhaipur	133422	ABHAYPUR		1	1
215	Katra (Khudaganj)	Kasrak	133455	KASRAK		1	1
216	Katra (Khudaganj)	Akbarpur	133403	AKBARPUR		1	1

217	Katra (Khudaganj)	Aliyapur	133444	ALIYAPUR		1	2
218	Katra (Khudaganj)	baher	133347	baher		1	1
219	Katra (Khudaganj)	Baibaha	133461	BAIBAHA		1	1
220	Katra (Khudaganj)	Bakhaspur	133411	BAKHASPUR		1	1
221	Katra (Khudaganj)	Balarpur	133410	BALARPUR		1	1
222	Katra (Khudaganj)	bamiyana	133354	bamiyana		1	1
223	Katra (Khudaganj)	barehpur	133358	barehpur		1	1
224	Katra (Khudaganj)	bhagautipur	133400	bhagautipur		1	3
225	Katra (Khudaganj)	Bhamauri	133460	GAWTIA		1	1
226	Katra (Khudaganj)	Bhamauri	133460	BHAMAURI	1	1	1
227	Katra (Khudaganj)	Bhamauri	133460	MADHIYA	1	1	1
228	Katra (Khudaganj)	Bhauna	133447	BHAUNA	1	1	1
229	Katra (Khudaganj)	bhaupur	133383	bhaupur	1	1	2
230	Katra (Khudaganj)	Bhojpur	133449	BHOJPUR		1	1
231	Katra (Khudaganj)	bhunda harbanspur	133356	bhunda harbanspur		1	1
232	Katra (Khudaganj)	bhundi	133373	bhundi		1	1
233	Katra (Khudaganj)	Bhuria	133440	BHURIA		2	1
234	Katra (Khudaganj)	bhurkhunda	133474	bhurkhunda	1	1	1
235	Katra (Khudaganj)	Chack Ishwara	133479	Chack Ishwara	1	1	3
236	Katra (Khudaganj)	charkhaula	133357	charkhaula	1	1	1
237	Katra (Khudaganj)	chirchira	133370	chirchira		1	1
238	Katra (Khudaganj)	dalpatpur	133375	dalpatpur		2	1
239	Katra (Khudaganj)	datauniyan	133390	datauniyan		1	2
240	Katra (Khudaganj)	dateli	133346	dateli		1	1
241	Katra (Khudaganj)	deeppur	133392	alam nagar		1	1
242	Katra (Khudaganj)	deeppur	133392	deeppur		1	1
243	Katra (Khudaganj)	diuras	133394	diuras		1	1
244	Katra (Khudaganj)	diuriya	133366	diuriya		1	1
245	Katra (Khudaganj)	Fatehpur	133401	FATEHPUR		2	2
246	Katra (Khudaganj)	Fulwa	133414	FULWA		1	1
247	Katra (Khudaganj)	galli	133379	galli		1	1
248	Katra (Khudaganj)	Gajipur	133416	GAJIPUR		1	1
249	Katra (Khudaganj)	gauhaniyan	133384	gauhaniyan		1	3
250	Katra (Khudaganj)	Gokulpur Nauadia	133462	GOKULPUR NAUADIA		1	1
251	Katra (Khudaganj)	gori khera	133472	gori khera		1	1
252	Katra (Khudaganj)	gori khera	133472	kishan gawia		2	1
253	Katra (Khudaganj)	harharpur simra	133343	harharpur simra		1	1
254	Katra (Khudaganj)	Harharpur T. Madhup	133430	HARHARPUR T. MADHUPURI		1	1
255	Katra (Khudaganj)	hasnapur	80010	BUDHA GUATIYA	1	2	2
256	Katra (Khudaganj)	hasnapur	80010	HASNAPUR	1	1	1
257	Katra (Khudaganj)	Hatsa	133407	HATSA	1	1	1
258	Katra (Khudaganj)	hoshipur	133351	hoshipur		1	1
259	Katra (Khudaganj)	Husenpur Kabara	133413	HUSENPUR		2	3
260	Katra (Khudaganj)	Inderpur	133467	INDERPUR		1	1
261	Katra (Khudaganj)	inderpur j sutha	133386	inderpur j sutha	1	1	1
262	Katra (Khudaganj)	Ishawara	133477	ISHAWARA	1	1	1
263	Katra (Khudaganj)	itaua	133475	itaua	1	1	1
264	Katra (Khudaganj)	Jagannathpur	133469	JAGANNATHPUR	1	1	2
265	Katra (Khudaganj)	jaitipur	133378	jaltipur		2	1
266	Katra (Khudaganj)	Jalalpur	133393	jalalpur		1	1
267	Katra (Khudaganj)	Jamilpur	133348	jamilpur		1	4
268	Katra (Khudaganj)	Jikripur	133478	JIKRIPUR		1	1
269	Katra (Khudaganj)	kamalpur chunnilal	133345	kamalpur chunnilal		1	1
270	Katra (Khudaganj)	Kamalpur Urf Bakhtav	133436	KAMALPUR URF BAKHTAWAR GA		2	1
271	Katra (Khudaganj)	kandharapur	133380	kandharapur		1	1

272	Katra (Khudaganj)	kandharapur	133380	gawtia		1	3
273	Katra (Khudaganj)	Kapoor Nagla	133439	KAPOOR NAGLA		2	1
274	Katra (Khudaganj)	Kasrak	133455	HULAS NAGRA		1	1
275	Katra (Khudaganj)	Kataiya	133451	KATIYA		1	1
276	Katra (Khudaganj)	Khajuriya	133431	KHAJURIYA		1	1
277	Katra (Khudaganj)	khanpur kharmasi	133395	khanpur kharmasi		1	1
278	Katra (Khudaganj)	Khawajagipur	133446	KHAWAJAGIPUR		2	2
279	Katra (Khudaganj)	khiriya	133387	khiriya		1	1
280	Katra (Khudaganj)	khudaganj	133397	khudaganj	1	1	1
281	Katra (Khudaganj)	kotha khetal	133360	kotha khetal	1	1	2
282	Katra (Khudaganj)	kuan danda	133381	kuan danda		1	1
283	Katra (Khudaganj)	kurgaon	133376	kurgaon	1	2	1
284	Katra (Khudaganj)	Kusak	133448	KUSAK		1	1
285	Katra (Khudaganj)	kuwan danda khanjan	133350	lalpur	1	1	1
286	Katra (Khudaganj)	lakshmipur	133396	lakshmipur	1	1	1
287	Katra (Khudaganj)	lateefpur	133355	lateefpur	1	1	1
288	Katra (Khudaganj)	Lidhaua	133453	LIDHAUA		2	1
289	Katra (Khudaganj)	Madhpuri	133454	MADHOPURI		1	4
290	Katra (Khudaganj)	Madhpuri	133454	GAWTIA		1	1
291	Katra (Khudaganj)	makandarpur urf dhe	133385	makandarpur urf dheermarpura		1	1
292	Katra (Khudaganj)	Makrandpur	133421	MAKRANDA PUR		1	1
293	Katra (Khudaganj)	mawaiya khas	133364	mawaiya khas		2	1
294	Katra (Khudaganj)	mawaiya khas	133364	nawgoan		1	2
295	Katra (Khudaganj)	mawaiya patti	133362	mawaiya patti		1	1
296	Katra (Khudaganj)	mirpur	133374	mirpur		1	1
297	Katra (Khudaganj)	miyauna	133398	ramasvergang		1	3
298	Katra (Khudaganj)	miyauna	133398	miyauna		2	1
299	Katra (Khudaganj)	Muria Chack	133456	MURIA CHACK	1	1	1
300	Katra (Khudaganj)	Mutiya Deha Ahetmal	133425	MUTIYASA	1	1	1
301	Katra (Khudaganj)	Nagla Braham	133442	NAGLA BRAHAM	1	1	1
302	Katra (Khudaganj)	Nagla Madha	133443	NAGLA MADHA	1	2	1
303	Katra (Khudaganj)	nasinawada	133433	nasinawada	1	1	2
304	Katra (Khudaganj)	nausana	133363	nausana		1	1
305	Katra (Khudaganj)	navada t hardeni	133424	navada t hardeni		1	1
306	Katra (Khudaganj)	nawada darobast	133349	nawada darobast		1	1
307	Katra (Khudaganj)	nawada t palia	133427	nawada t palia		2	1
308	Katra (Khudaganj)	Nawada T. Gazipur	133404	NAWADA T. GAZIPUR		1	3
309	Katra (Khudaganj)	nizampur urf mahmoo	133408	nizampur urf mahmoodpur		1	1
310	Katra (Khudaganj)	Okhari	133476	UKHRI		1	1
311	Katra (Khudaganj)	Paharipur Bhoopat	133399	PAHARIPUR BHOOPAT		2	1
312	Katra (Khudaganj)	paharipur viviyapur	133344	paharipur viviyapur		1	1
313	Katra (Khudaganj)	Paliya Darowast	133426	PALIYA DAROWAST	1	1	2
314	Katra (Khudaganj)	Parchar	133417	PARCHAR	1	1	1
315	Katra (Khudaganj)	Parmanandpur	133419	PARMANANDPUR	1	1	1
316	Katra (Khudaganj)	Parshrampur	133429	PARSHRAMPUR		1	1
317	Katra (Khudaganj)	patti saidupur	133420	patti saidupur		2	1
318	Katra (Khudaganj)	Paucki	133458	PAUCKI		1	4
319	Katra (Khudaganj)	Pipari	133435	PIPARI		1	1
320	Katra (Khudaganj)	Pipari	133481	PIPARI		1	1
321	Katra (Khudaganj)	Posil	133428	POSIL		1	1
322	Katra (Khudaganj)	Rahera	133473	RAHERA		2	3
323	Katra (Khudaganj)	rahimpur	133471	rahimpur		1	1
324	Katra (Khudaganj)	nausana	133432	RAMPUR	1	1	1
325	Katra (Khudaganj)	Rampur	133465	RAIPUR	1	1	2
326	Katra (Khudaganj)	rampur jaichand	133353	rampur jaichand	1	2	1

327	Katra (Khudaganj)	rampur nawadia	133371	rampur nawadia	1	1	1
328	Katra (Khudaganj)	Raghaupur	133463	RADHAUPUR		1	2
329	Katra (Khudaganj)	Saldapur	133466	SAIDAPUR	1	1	1
330	Katra (Khudaganj)	Saldupur	133418	SAIDUPUR	1	1	1
331	Katra (Khudaganj)	Saljana	133483	SALJANA.		1	2
332	Katra (Khudaganj)	sarl nagla	133434	sarl nagla		2	1
333	Katra (Khudaganj)	satrapur	133352	satrapur		1	1
334	Katra (Khudaganj)	Shahpur Khitaoa	133450	SHAHPUR KHITAOA		1	4
335	Katra (Khudaganj)	Shalpur Navdia	133457	NEWADIA		1	1
336	Katra (Khudaganj)	Shalpur Navdia	133457	SHALPUR NAVDIA		1	1
337	Katra (Khudaganj)	simaurl	133367	simaurl		1	4
338	Katra (Khudaganj)	Siura	133464	SIURA		1	2
339	Katra (Khudaganj)	Surahi	133409	SURAHI	1	1	1
340	Katra (Khudaganj)	sutha	133391	sutha	1	2	1
341	Katra (Khudaganj)	taharpur	133372	taharpur	1	1	1
342	Katra (Khudaganj)	tehara	133412	tehara	1	1	3
343	Katra (Khudaganj)	uttampur	133377	uttampur	1	1	1
					110	415	471

EXECUTIVE ENGINEER

पी0एस0यू0पी0-एल0 259 विधान सभा (437)-23-01-2020-631 प्रतियां-कम्प्यूटर।